JOTI JOURNAL
SUBJECT-INDEX
FEBRUARY-DECEMBER - 2014

From JOTRI 1

सम्पादकीय 43

सम्पादकीय 119

सम्पादकीय 147

सम्पादकीय 175

सम्पादकीय 217

PART-I
(ARTICLES & MISC.)

1. Appointment of Additional Judges in High Court of Madhya Pradesh 45

2. Appointment of Additional Judge in High Court of Madhya Pradesh 121

3. Appointment of Additional Judges in High Court of Madhya Pradesh 149

4 Appointment of Additional Judges in High Court of Madhya Pradesh 219

5. Directions issued by the Apex Court relating to undertrial prisoners vis-à-vis section 436-A Cr.P.C. 215

6. Directions issued by Hon'ble the Apex Court in Arnesh Kumar v. State of Bihar & anr. (Criminal Appeal No. 1277of 2014, dated 02.07.2014) 166

7. Enhancing capacity for better delivery of Legal Services 151

8. Facts which the court may take Judicial Notice other than those given u/s 57 of the Indian Evidence Act 230

9. Hon'ble Shri Justice K.K. Lahoti and Hon'ble Shri Justice G.D. Saxena demit office 46

10. Hon'ble Shri Justice Nishith Kumar Mody, Hon'ble Shri Justice B.K. Dube and Hon'ble Shri Justice A.K. Shrivastava demit office 3

11. Hon'ble Smt. Justice Vimla Jain demits office 122

12. Hon'ble Shri Justice Anil Kumar Sharma demits office 221

13. Interim directions in the form of mandamus issued by Supreme Court relating to the commission of offence of rape 146

14. Legal position for determining compensation in the light of section 23 of the Land Acquisition Act, 1894 136

15. Photographs 150

16. Photographs 177

17. Photographs 222

18. Procedure and legal position regarding section 350 of the Criminal Code of Procedure 223

19. Procedure of speedy and expeditious disposal of cases falling under section 138 of the Negotiable Instruments Act, 1881 145

20. Training Calendar of MPSJA for the Academic Year 2014-2015 (July 2014 to June 2015) 167

21. आरोप के संबंध में 5

22. अभिवचनों का संषोधन 26

23. कर्मचारीगण की प्रषिक्षण सामग्री 49

24. समय प्रबंधन, तनाव प्रबंधन, स्व प्रबंधन 123

25. मध्यप्रदेष गौवंष वध प्रतिषेध अधिनियम – एक परिचय 157

26. दांडिक विचारण के महत्वपूर्ण बिन्दू 179

PART-II
(NOTES ON IMPORTANT JUDGMENTS)

ACT/ TOPIC NO.	NOTE NO.	PAGE

ACCOMMODATION CONTROL ACT, 1961 (M.P.)
स्थान नियंत्रण अधिनियम, 1961 (म.प्र.)

Section 12 (1) – Eviction suit against watchman, authorized to remain in possession of the demised premises by plaintiffs – Not maintainable.

धारा 12 (1) – चौकीदार के विरूद्ध निष्कासन का वाद, जिसे वादीगण ने परिसर में रहने के लिए अधिकृत किया था – प्रचलन योग्य नहीं। **227*** **317**

Section 12 (1) (c) – Denial or refusal of ownership or title by the tenant is a good ground for eviction of the tenant from the premises.

धारा 12 (1) (सी) – किरायेदार द्वारा स्वामित्व या स्वत्व से इन्कार करना उसके विरूद्ध परिसर से निष्कासन का एक अच्छा आधार होता है। **228** **317**

Section 12 (1) (c) – (i) Whether in eviction suit, title of the landlord is finally adjudicated? Held, No – In eviction suit, the question of title to the properties in question may be incidentally gone into, but cannot be decided finally.

(ii) It is not necessary that denial of title by the tenant should be anterior to the filing of eviction suit – Denial of the landlord's title in the written statement can provide a ground for eviction of a tenant.

धारा 12 (1) (सी) – (i) क्या निष्कासन के वाद में मकान मालिक का स्वत्व अंतिम रूप से निर्णित हो जाता है ? अभिनिर्धारित किया गया, नहीं – निष्कासन के वाद में सम्पत्ति के स्वत्व के प्रष्न पर अनुषांगिक रूप से (प्रसंगवष) विचार किया जाता है, किन्तु स्वत्व अंतिम रूप से निराकृत नहीं होता है।

(ii) यह आवष्यक नहीं है कि किरायेदार द्वारा स्वत्व (मकान मालिक के) से इंकार निष्कासन का वाद प्रस्तुत करने से पूर्व हो। **111** **133**

Sections 12 (1) (f), 23-J and 45 – Composite suit is maintainable before civil court – Passing of eviction decree on the ground of ***bona fide*** need is within the jurisdiction of civil court – Futile to ask the landlord to go to the R.C.A.

धारा 12 (1) (एफ), 23.जे एवं 45 – सिविल न्यायालय के समक्ष संयुक्त वाद प्रचलन योग्य है – सद्भाविक आवष्यकता के आधार पर निष्कासन की डिक्री पारित करना सिविल न्यायालय के क्षेत्राधिकार में है – मकान मालिक को आर.सी.ए. के समक्ष जाने का कहना व्यर्थ।

229 **319**

Section 12 (1) (f) – Decree, setting aside of – Earlier decree can be set aside only in case where the alleged decree was passed by Court having no jurisdiction or it was passed by

playing fraud or against settled principles of law – It cannot be set aside merely on the ground that judgment and decree were incorrect.

धारा 12 (1) (एफ) – डिक्री का अपास्त किया जाना – पूर्व में पारित डिक्री को केवल उसी दषा में अपास्त किया जा सकता है जब कथित डिक्री उस न्यायालय ने पारित की हो जिसे क्षेत्राधिकार नहीं था या वह डिक्री कपट द्वारा या विधि के मान्य सिद्धान्तों के विरूद्ध पारित की गयी हो – ऐसी डिक्री केवल इस आधार पर अपास्त नहीं की जा सकती कि निर्णय और डिक्री त्रुटिपूर्ण है। **55**

79

Sections 12 (1) (h) and 18 – Decree of eviction on the ground under section 12 (1) (h) of the Act – Right to re-entry under section 18 of the Act, waiver of – It is mandatory on the part of the Court to ascertain from the tenant whether he chooses to re-enter the premises as the provision is mandatory in nature – However, a mandatory provision which is enacted for the welfare of the individual can be waived by him – If the tenant does not take a ground with regard to non-compliance of section 18 of the Act in appeal, the same is deemed to have been waived.

धारा 12 (1) (एच) और 18 – धारा 12 (1) (एच) अधिनियम के आधार पर निष्कासन की डिक्री – धारा 18 अधिनियम का पुनः प्रवेष का अधिकार त्यागना – यह न्यायालय के लिए आज्ञापक है कि वह किरायेदार से यह सुनिष्चित करे कि क्या वह परिसर में पुनः प्रवेष चाहता है, यह प्रावधान आज्ञापक प्रकृति का है – लेकिन एक आज्ञापक प्रावधान जो किसी के लाभ के लिए बनाया गया है वह उसे अधित्यजित कर सकता है – यदि किरायेदार धारा 18 अधिनियम का अनुपालन नहीं किये जाने का आधार अपील में नहीं लेता है, यह माना जायेगा कि उसने उसे अधित्यजित कर दिया। **56 79**

Section 13 – Protection under section 13 of the Act is available only during trial and upto appeal but not available at the stage of execution of decree for eviction.

Eviction decree on the basis of compromise is permissible if any one of the statutory grounds for eviction exists in the facts of the case.

धारा 13 – धारा 13 मध्यप्रदेष स्थान नियंत्रण अधिनियम, 1961 का संरक्षण केवल विचारण के दौरान और अपील तक उपलब्ध होता है किन्तु निष्कासन की डिक्री के निष्पादन के प्रक्रम पर उपलब्ध नहीं होता है।

राजीनामे के आधार पर निष्कासन की डिक्री अनुमत है, यदि मामले के तथ्यों में निष्कासन का कोई एक कानूनी आधार अस्तित्व में हो। **46 (i) & (ii) 67**

Section 13 (1) – See Order 41 Rule 5 (3) of the Civil Procedure Code, 1908.

धारा 13 (1) – देखिए आदेष 41 नियम 5 (3) सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908।

179 248

Section 13 (6) – Defence against eviction, when can be struck off? Law stated.

धारा 13 (6) – निष्कासन के विरूद्ध बचाव कब समाप्त किया जा सकता है – विधि बतलायी गयी। **283***

437

Sections 37 (1), (2) and (3) – In case of section 37(1) & (2) after due notice in writing, landlord fails or neglects to make repairs, tenant may make those repairs and deduct the expenses from the rent, but in case of section 37 (3), the tenant may apply to the R.C.A. for such repairs.

धारा 37 (1), (2) एवं (3) – धारा 37 (1), (2) के मामले में यदि मकान मालिक लिखित सूचना के बाद भी मरम्मत करवाने में असफल या उपेक्षावान रहता है तो किरायेदार मरम्मत करवाकर खर्च किराये में से काट सकता है – धारा 37 (3) के मामले में किरायेदार आर.सी.ए. को मरम्मत के लिए आवेदन कर सकता है। **230 322**

ADMINISTRATION OF JUSTICE
न्याय प्रषासन

(i) Judicial temperament – Sobriety – Principles reiterated – Undue and harsh language used by the Court in the judgment – Held, Court should remember that sobriety is always a hallmark of judicial temperament.

(ii) Allegations of personal ***mala fides***, proof of – Held, it is very easy to level allegations of personal ***mala fides*** but for a Court to act on those allegations, there has to be clear and clinching evidence of unblemished character – Mere ***ipse dixit*** of party in this regard will not suffice.

(i) न्यायिक स्वभाव – संयम – सिद्धांत पुनः बतलाये गये – न्यायालय द्वारा निर्णय में अनुचित और कठोर भाषा का उपयोग करना – अभिनिर्धारित किया गया, न्यायालय को यह याद रखना चाहिए कि संयम हमेषा न्यायिक स्वभाव का प्रमाण– चिह्न होता है।

(ii) व्यक्तिगत दुराषय संबंधित आरोपों का प्रमाण – अभिनिर्धारित किया गया, व्यक्तिगत दुराषय संबंधित आरोपों को लगाना बहुत आसान है किन्तु न्यायालय को ऐसे आरोपों पर कार्य करने से पहले यह देखना चाहिए कि स्पष्ट और निष्चित तथा दोषरहित साक्ष्य होना चाहिए – केवल पक्षकार द्वारा इस संबंध में बिना किसी आधार के अभिवचन कर देना पर्याप्त नहीं है।

57* **80**

ARBITRATION ACT, 1940
माध्यस्थम् अधिनियम, 1940

Sections 2 (a), 8 and 34 – (i) Arbitration Clause, what is? Clause empowering Superintending Engineer to immediately resolve any controversy relating to specifications, designs, drawings, quality of workmanship or material used etc. and also providing that his decision shall be binding on contractor, is not arbitration clause – Power conferred on Superintending Engineer is in the nature of departmental dispute resolution mechanism for the purpose of expeditious sorting out of problems during execution of work.

(ii) Circulars issued by the Government may be a guideline for the authorities implementing the work but they are not conclusive of correct interpretation of relevant clause agreement – Interpretation given by the Government is not binding on the Court.

धारा 2 (ए) 8 और 34 – (i) माध्यस्थ अनुच्छेद – क्या है ? अनुच्छेद जो अधीक्षण यंत्री को कारीगरी या उपयोगी किये जाने वाली सामग्री आदि के विषेष विवरणों, आकृतियों, चित्रांकन या नक्षे, गुणवत्ता के बारे में विवाद उत्पन्न होने पर तत्काल समाधान के लिए अधिकृत करता है और यह प्रावधान करता है कि उसका निर्णय ठेकेदार पर बंधनकारी होगा, यह माध्यस्थ अनुच्छेद नहीं है ऐसी शक्तियाँ जो अधीक्षण यंत्री को विभागीय विवाद के निराकरण के लिए एक प्रणाली विकसित करने के उद्देष्य से और कार्य के निष्पादन के दौरान उत्पन्न होने वाली समस्याओं के त्वरित निराकरण के प्रकृति की होती है।

(ii) शासन द्वारा जारी परिपत्र काम को करने वाले प्राधिकारी के लिए दिषा निर्देष हो सकते है लेकिन यह अनुबंध के सुसंगत अनुच्छेद के सही अर्थान्वयन के लिए निष्चायक नहीं होती है – शासन द्वारा दिये गये अर्थान्वयन न्यायालय पर बंधनकारी नहीं होते है। **1** **1**

ARBITRATION AND CONCILIATION ACT, 1996
माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम, 1996

Sections 16 and 45 – See sections 9 and 20 of the Civil Procedure Code, 1908.

धारा 16 और 45 – देखिए धारा 9 और 20 सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908। **166** **229**

Sections 27 and 25 (c) – Arbitration Tribunal can take assistance of court in recording of evidence even in ***ex parte*** matters.

धारा 27 और 25 (c) माध्यस्थ अधिकरण साक्ष्य लेखबद्ध करने में न्यायालय की सहायता एकपक्षीय मामले में भी ले सकती है। **2** **2**

Section 34 – (i) Framing of issues is not an integral part of proceeding under section 34 of the Act of 1996.

(ii) Denial to grant permission to lead evidence in such proceeding – Amounts to procedural impropriety.

धारा 34 –(i) धारा 34 अधिनियम, 1996 की कार्यवाहियों में वादप्रष्न विरचित करना कार्यवाही का अनिवार्य तत्व नहीं।

(ii) इन कार्यवाहियों में साक्ष्य प्रस्तुत करने की अनुमति से इन्कार – प्रक्रियात्मक अषुद्धि या अनौचित्यता के समान। **231 324**

Part I and II of the Act, 1996 – (i) Applicability of law as to arbitration – Three sets of laws are applicable to an arbitration (a) proper law of contract; (b) proper law of arbitration agreement; and (c) proper law of conduct of arbitration.

(ii) Part I of the Act, when not applicable, explained.

(iii) Challenge to foreign award on the ground of public policy – Maintainability before the courts in India.

(i) अधिनियम, 1996 का भाग 1 और भाग 2 – माध्यस्थम में विधि का लागू होना – एक माध्यस्थ में विधि के तीन समूह लागू होते हैं (ए) संविदा का उचित कानून (बी) माध्यस्थ अनुबंध का उचित कानून (सी) माध्यस्थ के संचालन के बारे में उचित कानून।

(ii) भाग 1 कब लागू नहीं होता है – स्पष्ट किया।

(iii) विदेषी अवार्ड को लोक नीति के आधार पर चुनौती – भारतीय न्यायालयों के समक्ष प्रचलन शीलता। **232 325**

ARMS ACT, 1959
आयुध अधिनियम, 1959

Section 25 – See section 31 of the Criminal Procedure Code, 1973.

धारा 25 – देखिए धारा 31 दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973। **13 8**

Section 27 (3) – (i) Validity of death sentence against accused for offence u/s 27 (3) of the Arms Act – Section 27 (3) is ultra vires and declared as ***void*** – Death sentence against accused cannot survive. ***AIR 2012 SC 1040*** relied on.

(ii) Effect of non-production of weapon used in crime – It is neither fatal to the prosecution case nor any adverse inference can be drawn on that ground.

धारा 27 (3) – (i) अभियुक्त के विरूद्ध धारा 27 (3) आयुध अधिनियम में दिये गये मृत्यु दण्ड की वैधता – धारा 27 (3) संविधान से अल्टा वायरस है और उसे शून्य घोषित किया गया है इस कारण अभियुक्त के विरूद्ध दिया गया मृत्यु दण्ड स्थिर नहीं रखा जा सकता। ए.आई.आर. 2012 एस.सी. 1040 पर विष्वास किया गया।

(ii) अपराध में प्रयुक्त हथियार, प्रस्तुत न करने का प्रभाव – यह न तो अभियोजन के मामले के लिए घातक है और न ही इसके आधार पर कोई प्रतिकूल अनुमान निकाला जा सकता है। **284 438**

AYURVEDIC, UNANI TATHA PRAKRITIC CHIKITSA VYAVASAYI ADHINIYAM, 1970 (M.P.)
आयुर्वेदिक, यूनानी तथा प्राकृतिक चिकित्सा व्यवसायी अधिनियम, 1970 (म.प्र.)

Section 2 (h) and Schedule Part B, Entry No. 51 (since deleted by M.P. Act No. 21 of 1989) – Whether a person having degree of Ayurved Ratna Ved Visharad from Hindi Sahitya Sammelan Prayag Allahabad can be an Ayurved medical practitioner? Held, No.

धारा 2 (एच) और अनुच्छेद बी, इन्द्राज संख्या 51 (म.प्र. अधिनियम कमांक 21 वर्ष 1989 द्वारा काट दिया गया) – क्या एक व्यक्ति जिसके पास आयुर्वेद रत्न वेद विषारद की डिग्री जो कि हिन्दी साहित्य सम्मेलन प्रयाग इलाहाबाद द्वारा दी गयी हो, वह एक आयुर्वेद चिकित्सा व्यवसायी होता है ? अभिनिर्धारित किया गया, नहीं। **112 134**

CIVIL PROCEDURE CODE, 1908
सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908

Section 2 (11) – See section 166 of the Motor Vehicles Act, 1988.

धारा 2 (11) – देखिए धारा 166 मोटरयान अधिनियम, 1988। **97 121**

Section 9 – Decree passed without jurisdiction over subject-matter – Amounts to nullity.

धारा 9 – विषय वस्तु पर क्षेत्राधिकार के बिना पारित डिक्री – शून्य है। **233 (iii) 331**

Section 9 – See sections 6 and 7 of the Wakf Act, 1995.

धारा 9 – देखिए धारा 6 और 7 वक्फ अधिनियम, 1995। **226** **316**

Section 9 and Order 7 Rule 11 (a) & (d) – See sections 13(4), 17 and 34 of the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002.

धारा 9 और आदेष 7 नियम 11 (ए) और (डी) – देखिए धारा 13 (4), 17 और 34 सरफेसी अधिनियम, 2002। **222** **310**

Sections 9 and 20 – (i) Civil Court – Jurisdiction – Suit to declare deed as void – Deed in dispute containing arbitration clause providing that arbitration would be at Singapore – Also providing that parties can seek equitable relief in courts at Singapore or other court having jurisdiction on parties – Deed executed in India at place "B" – Fraudulent inducement to execute deed took place at "B" – Deed was rescinded at place "B" – Cause of action having arisen at place "B", Court at "B" had jurisdiction to entertain suit – Principle of comity of courts has no application as there was no foreign decision or law to which deference had to be shown.

(ii) Court when need not refer parties to suit to arbitration – Arbitration becoming inoperative or incapable of performance – Allegations of fraud made against arbitration agreement – Does not make it inoperative or incapable of performance – Court cannot refuse to refer matter to arbitration on the ground that court alone can decide such issues.

(iii) Arbitration agreement restricting right of parties to approach court – Not opposed to public policy – Cannot also be said to be in restraint of legal proceedings in view of exception 1 of Section 28.

(iv) Arbitration dispute – Arbitration agreement contained in facilitation deed – All disputes touching upon or relating to facilitation deed as well as its scope stipulated to be referred to ICC for arbitration – Dispute as to whether deed was the result of misrepresentation and fraud – Falls within scope of arbitration agreement – Ought to be referred to arbitrator.

धारा 9 और 20 – (i) सिविल न्यायालय – क्षेत्राधिकार – विलेख को शून्य घोषित करवाने का वाद – विवादित विलेख में माध्यस्थ सिंगापुर में होगा ऐसा माध्यस्थ अनुच्छेद है – विलेख में यह प्रावधान भी है पक्षकार साम्यपूर्ण अनुतोष सिंगापुर के न्यायालयों से या पक्षकारों पर क्षेत्राधिकार रखने वाले अन्य न्यायालयों से ले सकते है – विलेख भारत में "B" नामक स्थान पर निष्पादित की गयी – विलेख को निष्पादित करवाने के लिए कपटपूर्ण प्रलोभन स्थान "B" पर दिया गया विलेख "B" स्थान पर निरस्त की गयी – वाद करण "B" स्थान पर उत्पन्न हुआ अतः "B" स्थान पर स्थित न्यायालय को वाद ग्रहण करने का क्षेत्राधिकार था – न्यायालयों के षिष्टाचार का सिद्धांत लागू नहीं होगा क्योंकि कोई विदेषी निर्णय या कानून नहीं था जिसके प्रति सम्मान दिखाना हो।

(ii) न्यायालय को कब वाद के पक्षकारों को माध्यस्थ के लिए निर्देषित नहीं करना चाहिए – माध्यस्थ निष्क्रिय या पालन के लिए असमर्थ हो चुका है माध्यस्थ अनुबंध के विरूद्ध कपट के अभिकथन किये गये हैं – यह तथ्य उसे निष्क्रिय या पालन के असमर्थ नहीं बनाते है – न्यायालय इस आधार पर मामले को माध्यस्थ के समक्ष निर्देषित करने से इंकार नही कर सकती कि ऐसे बिन्दुओं को केवल न्यायालय तय कर सकती है।

(iii) माध्यस्थ अनुबंध जो पक्षकारों को न्यायालय की पहुंच से रोकते है – लोकनीति के विरूद्ध नहीं है – धारा 28 के अपवाद 1के प्रकाष में यह नहीं कहा जा सकता कि विधिक कार्यवाहियों से रोकते है।

(iv) माध्यस्थ विवाद – माध्यस्थ अनुबंध सरलीकरण विलेख में था – सभी विवाद जो कि सरलीकरण विलेख से संबंधित हो या उसे छूते हो या उसके क्षेत्र में हो वे माध्यस्थ के लिए आई.सी.सी. को रेफर किये जायेंगे – यह विवाद क्या विलेख दुर्व्यपदेषन और कपट के परिणामस्वरूप है – माध्यस्थ अनुबंध की क्षेत्र में आता है – माध्यस्थ को निर्देषित किया जाना चाहिए।

166 **229**

Section 10 – Stay of suit – Applicability of section 10 of CPC, test therefor – One of the tests is whether decision of the former suit would operate as res judicata in the latter suit or not.

धारा 10 – वाद को रोक दिया जाना – धारा 10 सी.पी.सी. का लागू होना – परीक्षण – एक परीक्षण यह है कि क्या पूर्व के वाद का निर्णय पष्चात्वर्ती वाद में पूर्व न्याय या रेसजूडीकेटा की तरह लागू होगा या नहीं। **113** **135**

Section 10 r/w/s 151 – Continuity and maintainability of civil and criminal proceedings – Stay of proceedings – Civil proceedings cannot be stayed on the ground of pendency of a criminal case.

धारा 10 सहपठित धारा 151 – सिविल और दाण्डिक कार्यवाहियों की निरन्तरता और प्रचलनषीलता – कार्यवाहियों को रोक दिया जाना – सिविल कार्यवाही इस आधार पर नहीं रोकी जा सकती कि एक दाण्डिक प्रकरण लंबित है। **3 2**

Section 11 – ***Res judicata*** – Correctness or otherwise of earlier judgment – Not relevant for applying the rule of ***res judicata*** to apply – Only exception to the rule is fraud.

धारा 11 – पूर्व न्याय – पूर्व निर्णय का सही होना – पूर्व न्याय के नियम को लागू करने के लिए सुसंगत नहीं है – इस नियम का केवल एक अपवाद कपट है। **167 233**

Section 11 – Rule of ***res judicata*** – Decision in the matter of W.P. also operates as ***res judicata***.

धारा 11 – पूर्व न्याय का नियम – किसी विषय पर रिट याचिका का निर्णय भी पूर्व न्याय की तरह लागू होता है। **237 (iii) 337**

Section 11 – (i) Subsequent application under section 24 r/w/s 26 of the Hindu Marriage Act – ***Res judicata***, applicability of – Where earlier application is not decided finally on merits, principle of ***res judicata*** is not attracted to subsequent application.

(ii) Application for amendment of quantum thereof, determination of – Such application must be decided within the prescribed limit of 60 days from the date of service of notice on the spouse taking into consideration the income of parties – Further held, Court exercises a wide discretion in the matter but it cannot be exercised in arbitrary and whimsical manner.

धारा 11 – (i) धारा 24 सहपठित धारा 26 हिन्दू विवाह अधिनियम के अधीन पष्चात्वर्ती आवेदन – पूर्व न्याय के नियम या रेसजूडीकेटा का लागू होना– जहॉ पूर्व का आवेदन गुण–दोष पर अंतिम रूप से निराकृत नहीं हुआ है, रेसजूडीकेटा का सिद्धांत पष्चात्वर्ती आवेदन पर लागू नहीं होता है।

(ii) राषि की मात्रा के बारे में संषोधन आवेदन का निराकरण किया जाना – ऐसा आवेदन स्पाउस पर सूचना पत्र के तामील से 60 दिन की परिसीमा के भीतर, पक्षकारों की आमदनी को विचार में लेते हुए निराकृत करना चाहिए– यह भी अभिनिर्धारित किया गया, न्यायालय इस मामले में विस्तृत विवेकाधिकार का प्रयोग कर सकती है किन्तु इसे वह मनमाने तौर पर और मनमौजी तरीके से प्रयोग नहीं कर सकती। **199* 275**

Section 47 – Power of Executing Court – Concession, non-grant of – Law explained – Executing Court has to act within the bounds of the decree and can neither go beyond it nor widen its scope.

धारा 47– निष्पादन न्यायालय की शक्तियाँ – छूट नहीं दिया जाना – विधि समझायी गयी – निष्पादन न्यायालय को डिक्री की सीमाओं के भीतर ही कार्य करना चाहिए उसके बाहर वह नहीं जा सकती है और न ही अपने क्षेत्र को विस्तृत कर सकती है। **114 136**

Section 91 – Leave can be granted at any stage of the suit.

धारा 91 – वाद के किसी भी प्रक्रम पर धारा 91 के तहत अनुमति दी जा सकती है।

278 (ii) 428

Section 96 – Interference in finding of appeal, when can be – Appellate Court should not normally interfere in the findings of the trial court unless findings appear to be perverse.

धारा 96 – अपील में निष्कर्ष में हस्तक्षेप कब किया जा सकता है – अपील न्यायालय को सामान्यतः विचारण न्यायालय के निष्कर्षों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए जब तक कि निष्कर्ष वीपर्यस्त (या तर्क विरूद्ध) न हो। **109 (ii) 131**

Section 96 – Suit for damages – Negligence – Principle of strict liability, applicability of – Explained.

धारा 96 – क्षतिपूर्ति का वाद – उपेक्षा – कठोर दायित्व के सिद्धांत का लागू होना – स्पष्ट किया गया। **58* 80**

Section 96 and Order 22 Rule 4 – (i) Appeal filed against deceased plaintiff, maintainability of – Appeal is not maintainable and is a nullity – Further held, provisions of Order 22 Rule 4 CPC would not apply for substitution of heirs of sole deceased plaintiff, if he died prior to filing of appeal.

(ii) Delay in filing appeal, condonation of – Fabricated facts misleading in nature stated in the application and they are inconsistent with the affidavit filed in support of the application –

Applicant also did not come to the Court with clean hands – Held, application for condonation liable to be rejected.

धारा 96 और आदेष 22 नियम 4 – (i) मृत वादी के विरूद्ध दाखिल अपील, प्रचलनषीलता – अपील प्रचलनषील नहीं है और यह शून्य है – यह भी अभिनिर्धारित किया गया कि आदेष 22 नियम 4 सी.पी.सी. के प्रावधान एकमात्र मृत वादी के वैध प्रतिनिधियों को प्रस्थापित करने के लिए लागू नहीं होगें यदि वह अपील प्रस्तुत करने के पूर्व ही मर चुका हो।

(ii) अपील प्रस्तुत करने में हुए विलंब का क्षमा किया जाना – गढ़े हुए तथ्य जो भ्रम में डालने वाली प्रकृति के है आवेदन में अभिकथित किये गये जो आवेदन के समर्थन में दिये गये शपथ–पत्र से असंगत है – आवेदक स्वच्छ हाथों से भी न्यायालय में नहीं आया – अभिनिर्धारित किया गया, विलंब क्षमा करने के लिए आवेदन खारिज किये जाने योग्य है। **168 234**

Section 96 and Order 41 Rule 33 – Duty of appellate court – The first appellate court should have discussed or re-appreciated evidence on material issues appropriately.

धारा 96 एवं आदेष 41 नियम 33 – अपील न्यायालय के कर्तव्य – प्रथम अपील न्यायालय को तात्विक बिन्दुओं पर साक्ष्य का उचित रीति से विवेचन या पुनःमूल्यांकन करना चाहिए। **285 439**

Sections 96 & 100 and Order 41 Rule 33 – Power of Appellate Court to mould relief taking cognizance of subsequent events – Three conditions to be satisfied.

धारा 96 और 100 एवं आदेष 41 नियम 33 – अपील न्यायालय की पष्चात्वर्ती घटनाओं का संज्ञान लेकर अनुतोष को ढ़ालने (परिवर्तित करने) की शक्ति – तीन शर्तों की संतुष्टि होना चाहिए। **337 (ii) 534**

Section 100 – See section 7, schedule II and article 17 of the Court Fees Act, 1870.

धारा 100 – देखिए धारा 7, अनुसूची II और अनुच्छेद 17 न्यायालय शुल्क अधिनियम, 1870। **169 236**

Section 148 – Time fixed for payment of arrears in compromise decree cannot be extended by the Court – Virtually, it amounts to modification of decree.

Power under section 148 CPC can be used in relation to period fixed or granted by the Court and not by parties in compromise decree.

Void order neither creates legal rights nor obligations even if it is unchallenged.

धारा 148 – राजीनामा के डिक्री में बकाया राषि के भुगतान के लिए नियत किया गया समय न्यायालय द्वारा नहीं बढ़ाया जा सकता – वास्तव में यह डिक्री में रूपान्तर के समान होगा।

धारा 148 सी.पी.सी. के शक्तियों का उपयोग न्यायालय द्वारा नियत किये गये समय या दिये गये समय के संबंध में है पक्षकारों द्वारा राजीनामें की डिक्री में नियत किये गये समय के बारे में नहीं है।

शून्य आदेष कोई विधिक अधिकार सृजित नहीं करता है और न ही कोई विधिक दायित्व सृजित करता है चाहे उसे चुनौती न दी गयी हो। **46 (iii) 67 to (v)**

Section 149 and Order 7 Rule 11 (b) & (c) – Discretionary power of court to allow party to make payment of deficient stamp of court fees – The discretion is generally exercised in favour of litigating parties unless there is a manifest ground of ***mala fide***.

धारा 149 और आदेष 7 नियम 11 (बी) और (सी) – न्यायालय की पक्षकार को अपर्याप्त न्यायालय शुल्क के भुगतान के लिए अनुमति देने की विवेकीय शक्ति – सामान्यतः विवेकाधिकार का प्रयोग पक्षकार के पक्ष में किया जाना चाहिए जब तक की दुराषय का प्रकट या स्पष्ट आधार न हो। **115 (i) 137**

Sections 151 and 152 – Decree, rectification of – If an error is committed by a party in the pleading, it does not amount to an error committed by the Court while drawing the decree – Further held, if the plaintiff has asked for something which is granted and has omitted to ask for something which was not included in the decree, then no mistake is committed on the part of the Court and same cannot be corrected in exercise of powers either under section 151 or 152 of CPC.

धारा 151 और 152 – डिक्री में परिषोधन – यदि एक पक्षकार द्वारा अभिवचन में त्रुटि की गयी हो तो यह न्यायालय द्वारा डिक्री बनाने में की गयी त्रुटि नहीं होती है – यह भी अभिनिर्धारित किया गया, यदि वादी ने कुछ अनुतोष चाहा हो जो दिलाया गया है और कुछ अनुतोष जो उसने छोड़ दिया हो और डिक्री में शामिल नहीं किया गया हो तब न्यायालय के द्वारा कोई त्रुटि नहीं होती है और धारा 151 और धारा 152 सी.पी.सी. की शक्तियों का प्रयोग करके भी उसे ठीक नहीं किया जा सकता है। **170 237**

Order 1 Rule 8 – See section 91 CPC.

आदेष 1 नियम 8 – देखें धारा 91 सी.पी.सी.। **278 (ii) 428**

Order 2 Rule 2 – Bar – When attracted ? If a party has omitted certain reliefs which were available to it at the time of filing of the first suit and after having relinquished the same, it cannot file a separate suit in view of the provisions of Order 2 Rule 2 CPC.

आदेष 2 नियम 2 – बाधा – कब आकर्षित होती है? यदि एक पक्षकार ऐसे अनुतोष को जो प्रथम वाद प्रस्तुत करते समय उपलब्ध था और उसे मांगने में लोप करता है, ऐसे त्यागने के पष्चात् वह ऐसे अनुतोष के लिए पृथक वाद आदेष 2 नियम 2 सी.पी.सी. के प्रावधानों के प्रकाष में प्रस्तुत नहीं कर सकता।**59 81**

Order 2 Rule 2 – Bar, when not applicable?

आदेष 2 नियम 2 – बाधा कब लागू नहीं होती है ? **234 333**

Order 2 Rule 2 – When bar under Order 2 Rule 2 C.P.C. is attracted? Held, where the cause of action on which the previous suit was filed forms the foundation of the subsequent suit, when the plaintiff could have claimed the relief sought in the subsequent suit which was in the earlier suit, and the parties are same in both the suits, then bar under Order 2 Rule 2 C.P.C. is attracted.

आदेष 2 नियम 2 – आदेष 2 नियम 2 सी.पी.सी. की बाधा कब आकर्षित होती है? अभिनिर्धारित किया गया, जहाँ पूर्व वाद जिस वाद कारण पर प्रस्तुत किया गया था उसी को पष्चात्वर्ती वाद में आधार बनाया गया हो, जहाँ वादी ने पष्चात्वर्ती वाद में जो अनुतोष मांग हो उसे वह पूर्व वाद में मांग सकता था, दोनों वादों में पक्षकार समान हो तब आदेष 2 नियम 2 सी.पी.सी. की बाधा लागू होगी। **171 241**

Order 5 Rules 12 and 13 – Service of notice, where can be effected? Law explained.

आदेष 5 नियम 12 और 13 – सूचनापत्र की तामील, कहां प्रभावपूर्ण – विधि स्पष्ट की गयी। **286* 440**

Order 6 Rule 17 – Amendment after commencement of pre and post-trial, permissibility of – Since lesser degree of prejudice to the other party is caused in pre-trial amendments, same should be allowed liberally – However, in case of post-trial amendments, greater degree of prejudice is caused, therefore, Court must be satisfied that the application for amendment would not be made at earlier point of time despite due diligence.

आदेष 6 नियम 17 – विचारण प्रारंभ होने के पूर्व और पष्चात् के संषोधन को अनुमति दिया जाना – विचारण प्रारंभ होने के पूर्व के संषोधनों में दूसरे पक्ष को कम मात्रा में प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है अतः उसे अधिक उदारता पूर्वक मंजूर किया जाना चाहिए – लेकिन विचारण प्रारंभ होने के पष्चात् संषोधन में अन्य पक्ष पर अधिक मात्रा में प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है अतः न्यायालय को यह समाधान करना चाहिए कि सम्यक् सतर्कता बरतने के बाद भी ऐसा संषोधन आवेदन विचारण प्रारंभ होने के पूर्व प्रस्तुत नहीं किया जा सकता था।**172 243**

Order 6 Rule 17 Proviso – Amendment after commencement of trial, permissibility of – Post-trial amendment is permissible only if it is shown that inspite of due diligence, such amendment could not be sought earlier.

आदेष 6 नियम 17 का परन्तुक – विचारण प्रारंभ होने के पष्चात् का संषोधन की अनुमति दिया जाना – विचारण प्रारंभ होने के पष्चात् के संषोधनों की अनुमति तभी दिया जाना चाहिए जब यह दर्षाया गया हो कि सम्यक् सर्तकता रखने के बाद भी पूर्व में ऐसा संषोधन नहीं किया जा सका था।**173 244**

Order 6 Rule 17 – Amendment, permissibility of – Prayer for amendment after a period of twenty eight years since filing of the suit – Appears to have been filed with the object to fill up the lacuna – Amendment is impermissible in law.

आदेष 6 नियम 17 – संषोधन की अनुमति दिया जाना – वाद प्रस्तुत करने के 28 वर्ष बाद संषोधन की प्रार्थना – मामले की कमी को पूरा करने के उद्देष्य से किया जाना प्रतीत होता है – ऐसे संषोधन विधि में अनुमत नहीं। **196 (ii) 272**

Order 6 Rule 17 – Amendment to incorporate the verdict of the Apex Court – Not allowed.

आदेष 6 नियम 17 – सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय जोड़ने हेतु संषोधन – अनुमति नहीं दी गई।

236 (ii)* 342

Order 6 Rule 17 and Order 8 Rule 6-A – Can it be permissible to entertain counter-claim at the fag-end of the trial? Held, No – Filing of counter-claim at the stage of conclusion of defence evidence is not permissible.

आदेष 6 नियम 17 और आदेष 8 नियम 6–ए – क्या विचारण के अंतिम प्रक्रम पर प्रतिदावा प्रस्तुत करने की अनुमति दी जा सकती है अभिनिर्धारित किया गया, नहीं – प्रतिवादी का प्रमाण समाप्त हो जाने के प्रक्रम पर प्रतिदावा प्रस्तुत किया जाना अनुमति योग्य नहीं है।

174 245

Order 7 Rule 10 – Return of plaint – The reckoning date for the purpose of interest is the date of institution of second suit based on presentation of plaint before competent court and not the date of presentation of previous suit – Plaintiff cannot take advantage of his own mistake – However, he is entitled for the benefit of section 14 of the Limitation Act, 1963 and adjustment of court fees paid in the previous suit.

आदेष 7 नियम 10 – वाद वापस किया जाना – ब्याज की गणना के उद्देष्य से वादी द्वारा द्वितीय वाद सक्षम न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने की तारीख न की पूर्ववर्ती वाद प्रस्तुत करने की तारीख मानी जाती है – वादी अपनी ही गलती का लाभ नहीं ले सकता है वह धारा 14 परिसीमा अधिनियम, 1963 का लाभ लेने का अधिकारी है और पूर्व वाद में दी गयी न्यायालय शुल्क को समायोजित करवा सकता है। **4 3**

Order 7 Rule 11 – (i) Dismissal of suit – Pleadings, examination of – Only pleadings in the plaint are required to be examined – Pleadings raised by defendant in the written statement are not required to be looked into while deciding an application under Order 7 Rule 11 CPC.

(ii) Suit for recovery of money barred by limitation – As section 5 of the Limitation Act is not applicable to suit and period of limitation under Article 20 of the Limitation Act is three years, suit filed after three years from the date of arising of cause of action is liable to be dismissed under Order 7 Rule 11 CPC provided, facts as to suit being barred by limitation emerges from the plaint itself and no evidence is required to be recorded.

आदेष 7 नियम 11 – (i) वाद खारिज करना – अभिवचनों का परीक्षण – केवल वाद के अभिवचन का ही परीक्षण आवष्यक है – प्रतिवादी द्वारा लिखित कथन में किये गये अभिवचन देखने की आवष्यकता उस समय नहीं होती है जब आदेष 7 नियम 11 सी.पी.सी. का आवेदन निराकृत किया जाता है।

(ii) धन वापसी का वाद, परिसीमा द्वारा बाधित – धारा 5 परिसीमा अधिनियम वाद पर लागू नहीं होती है और अनुच्छेद 20 परिसीमा अधिनियम के अनुसार 3 वर्ष की परिसीमा होती है, वाद कारण उत्पन्न होने के 3 वर्ष के बाद प्रस्तुत किया गया वाद आदेष 7 नियम 11 सी.पी.सी. के तहत खारिज किये जाने योग्य है यदि वाद के तथ्यों से ही वाद परिसीमा द्वारा बाधित हो और कोई साक्ष्य लेखबद्ध करना आवष्यक न हो। **116**

139

Order 8 Rule 1 – Period for filing written statement, extension of – Exceptional or special reasons for the extension must be there – Extension cannot be granted merely upon asking in routine and casual manner.

आदेष 8 नियम 1 – लिखित कथन प्रस्तुत करने के लिए समय का बढ़ाया जाना – अपवाद स्वरूप या विषेष कारण समय के बढ़ाने के लिए अनिवार्य है केवल समय मांगा गया है इस कारण अप्रासंगिक रूप से और रूटिन में समय नहीं बढ़ाया जा सकता। **287 441**

Order 8 Rule 10, Order 9 Rule 6 and Order 21 Rule 58 – Though defendant has failed to file written statement or remained ex parte, it is the duty of the court to diligently ensure that the plaint stands proved and the prayers are worthy of being granted.

आदेष 8 नियम 10, आदेष 9 नियम 6 और आदेष 21 नियम 58 – यद्यपि प्रतिवादी लिखित कथन प्रस्तुत करने में असफल रहा या एकपक्षीय रहा, यह न्यायालय का कर्त्तव्य है कि वह परिश्रम पूर्वक यह सुनिष्चित करे कि वाद प्रमाणित हुआ है और चाही गयी सहायता सही होने से मंजूर किये जाने योग्य है।**117 (ii) 141**

Order 9 Rule 7 – ***Ex parte*** proceedings, setting aside of – Explained.

आदेष 9 नियम 7 – एकपक्षीय कार्यवाही, अपास्त किया जाना – स्पष्ट किया गया।

175* 246

Order 9 Rule 7 and Order 5 Rule 17 – Proper service of summons, necessity of – Law explained.

आदेष 9 नियम 7 और आदेष 5 नियम 17 – समन की उचित तामील की आवष्यकता – विधि स्पष्ट की गयी।

288* 445

Order 14 Rules 1 & 2 – (i) Issue, when can be treated as preliminary? Held, it is settled proposition of law that whenever the issues framed under Order XIV, Rules 1, 2 of Civil Procedure Code or any of them could not be decided on merits unless the evidence of the parties is necessary and needed, then such issue could neither be treated to be a preliminary issue nor could be decided in such manner.

(ii) Question as to court fees, basis for determination of – The question of court fees must be considered in the light of the allegations made in the plaint and its decision cannot be influenced either by the pleas in the written statement or by the final decision of the suit on merits.

आदेष 14 नियम 1 और 2 – वादप्रष्न कब प्रारम्भिक माना जा सकता है ? अभिनिर्धारित किया गया यह सुस्थापित विधि है कि जब कभी आदेष 14 नियम 1 और 2 सी.पी.सी. के तहत वाद प्रष्न विरचित किये जाते है और उनमें से कोई वाद प्रष्न गुण–दोष पर नियत करने के लिए पक्षकारों की साक्ष्य लेना आवष्यक हो तब ऐसा वाद प्रष्न प्रारम्भिक वाद प्रष्न नहीं समझा जा सकता और न ही प्रारम्भिक वाद प्रष्न के रूप में निराकृत किया जा सकता है।

(ii) न्यायालय शुल्क के प्रष्न के निर्धारण का आधार – न्यायालय शुल्क का प्रष्न वाद में किये गये अभिकथनों के प्रकाष में विचार में लिया जाना चाहिए और उस प्रष्न का निराकरण लिखित कथन में किये गये अभिवचनों से या वाद के गुण–दोष पर होने वाले अंतिम निराकरण से प्रभावित होकर नहीं किया जा सकता। **5***

3

Order 15 Rule 3 and Order 14 Rule 2 – Question of court fee linked with jurisdiction of court – Defendant has a right to raise objection – Court should decide it as a preliminary issue – Even if the issue is mixed question of fact and law, it can very well be decided as a preliminary issue. **6 4**

Order 17 Rule 1 – Adjournment, grant of – Order 17 of CPC does not forbid grant of adjournment where the circumstances are beyond the control of the party – There is no restriction on the number of adjournments to be granted – It cannot be said that even if the circumstances are beyond the control of the party after having obtained third adjournment, no further adjournments would be granted – It would depend upon the facts and circumstances of each case, on the basis of which the court would decide to grant or refuse adjournment.

आदेष 17 नियम 1 – स्थगन दिया जाना – आदेष 17 सी.पी.सी. जहाँ परिस्थितियाँ पक्षकार के नियंत्रण से बाहर की हो वहाँ स्थगन देने से निषेधित नहीं करता है – स्थगन देने की संख्या पर कोई रोक नहीं है – यह नहीं कहा जा सकता कि चाहे परिस्थितियां पक्षकार के नियंत्रण के बाहर की हो तब भी 3 स्थगन के बाद कोई अतिरिक्त स्थगन नहीं दिया जाऐगा यह प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करेगा और उनके आधार पर न्यायालय स्थगन देना या इन्कार करना तय करेगीं। **118* 143**

Order 18 Rule 4 – Recording of evidence – Law explained – Discretion of the Court to record evidence by way of affidavit of examination-in-chief in Court is directly limited to the witnesses who are summoned under Order 16 Rule 1 of the Code – In other cases, it is mandatory for the Court to record evidence by way of affidavit under Order 18 Rule 4 (1) of the Code.

आदेष 18 नियम 4 – साक्ष्य लेखबद्ध करना – विधि स्पष्ट की गयी – गवाह जो आदेष 16 नियम 1 सी.पी.सी. के तहत समन किये गये है केवल उन्हीं गवाहों के लिए न्यायालय को यह विवेकाधिकार है कि वह उनका मुख्य परीक्षण शपथ–पत्र द्वारा लेखबद्ध करें – अन्य मामलों में न्यायालय के लिए यह आज्ञापक है कि साक्ष्य

आदेष 18 नियम 4 (1) के तहत शपथ–पत्र के माध्यम से अभिलिखित करे। **60 82**

Order 20 Rule 18 – If once in a joint Hindu family, partition has taken place, it is presumed that there is a complete partition of all the properties – One who alleges otherwise, burden lies upon him to prove his allegations.

आदेष 20 नियम 18 – यदि एक बार एक संयुक्त हिन्दू परिवार का विभाजन हो जाता है तो यह उपधारित किया जाता है कि सभी सम्पत्तियों का पूर्ण विभाजन हुआ है – जो कोई अन्यथा अभिकथित करता है उस पर यह प्रमाणभार है कि वह उसके अभिकथनों को प्रमाणित करे।

119 144

Order 21 Rules 1 (1), (4) & (5) – (i) What is the right mode of appropriation of payment made under a money decree? Unless the decree contains a specific direction, in ordinary course, if money is received without a definite appropriation, it is first applied in payment of interest and when that is satisfied, then in payment of capital.

(ii) Order 21 Rule 1 (4) and (5) CPC is not related to appropriation, except stating when interest ceases to run.

आदेष 21 नियम 1 (1), (4) और (5) – (i) एक धन की डिक्री में किये गये भुगतान के प्रभाजन की सही विधि क्या है ? जब तक कि डिक्री में कोई विषेष निर्देष शामिल न हो, सामान्य रूप से, यदि कोई धन बिना निष्चित प्रभाजन को प्राप्त होता है तो सर्वप्रथम ब्याज के भुगतान में लिया जाता है।

(ii) आदेष 21 नियम 1 (4) और (5) सी.पी.सी. प्रभाजन से संबंधित नहीं है, केवल यह कहती है कि ब्याज लगना कब रूक जाएगा। **120 145**

Order 21 Rule 12 and Section 115 – Decree for possession in favour of three joint decree-holders, execution and satisfaction of – In case of joint decree for possession, unless and until the possession of the entire decretal suit property is given to all the joint decree-holders, it cannot be said that the decree has been satisfied in full even if the possession of the part of the suit property has been given to one or more decree-holders.

आदेष 21 नियम 12 और धारा 115 – तीन संयुक्त डिक्री धारियों के पक्ष में आधिपत्य डिक्री, उसका निष्पादन और संतुष्टि – आधिपत्य के संयुक्त आज्ञप्ति के मामले में जब तक की सभी संयुक्त डिक्री धारियों को डिक्री में उल्लेखित पूरी सम्पत्ति का आधिपत्य नहीं दिलवाया जाता है केवल एक या एक से अधिक डिक्रीधारियों को सम्पत्ति के कुछ भाग का आधिपत्य दे देने से यह नहीं कहा जा सकता कि डिक्री की पूर्ण संतुष्टि हो चुकी है।

121 145

Order 21 Rule 89 – Court has discretionary power to set aside sale on deposit of required amount by judgment-debtor – Though auction sale in favour of petitioner confirmed but pursuant to one opportunity given by the High Court, the judgment-debtor deposited the amount – On the facts, order to set aside the sale treated as proper and in accordance with law.

आदेष 21 नियम 89 – न्यायालय को ऐसी विवेकाधिकार पूर्ण शक्ति है कि वह निर्णित ऋणी द्वारा आवष्यक राषि जमा कर देने पर विक्रय को अपास्त कर सकती है नीलाम विक्रय यद्यपि आवेदक के पक्ष में पुष्ट हो चुका था उच्च न्यायालय ने उसे एक अवसर दिया जिसमें निर्णित ऋणी ने राषि जमा करवा दी – उक्त तथ्यों में विक्रय अपास्त करना युक्तियुक्त और विधि के अनुसार माना गया। **7 5**

Order 21 Rule 89 – It is a condition precedent to deposit the requisite amount for filing an application under Order 21 Rule 89 C.P.C. to set aside sale – In the absence of any separate prescribed period for making deposit, the time for making deposit and for filing of application would be the same i.e. 60 days as mentioned in Article 127 of the Limitation Act, 1963.

आदेष 21 नियम 89 – आदेष 21 नियम 89 सी.पी.सी. के तहत विक्रय को अपास्त करवाने के लिए आवेदन देने के लिए आवष्यक राषि जमा करना एक पूर्ववर्ती शर्त है – राषि जमा करने के लिए किसी पृथक समय सीमा के अभाव में रकम जमा करवाने और आवेदन प्रस्तुत करने के लिए समय एक ही होगा जो अनुच्छेद 127 परिसीमा अधिनियम के अनुसार 60 दिन है।

176 247 Order 22 Rules 3 and 11 – Application under Order 22 Rule 3 C.P.C. to bring LRs on record – Dismissed by the High Court looking to inordinate delay of 7 years

आदेश 22 नियम 3 और 11 – आदेश 22 नियम 3 सी.पी.सी. के तहत वैध प्रतिनिधि अभिलेख पर लाने का आवेदन – उच्च न्यायालय द्वारा 7 वर्ष के अत्यधिक विलंब को देखते हुए निरस्त किया गया। **178**

248

Order 23 Rule 1 (3) and (4) – (i) Procedural enactments – Interpretation of – All rules of procedure are the handmaid of justice – They ought not to be construed in a manner which would leave the Court helpless to meet the ends of justice in extraordinary situations.

(ii) Subsequent counter-claim, maintainability of – Held, after withdrawal of earlier counter-claim with the leave of Court, subsequently filed counter-claim is maintainable and is not hit by the principle of ***res judicata*** or provisions of Order 2 Rules 2 and 3 of CPC.

आदेश 23 नियम 1 (3) और (4) – (i) प्रक्रियात्मक विधियाँ – अर्थान्वयन किया जाना – प्रक्रिया के सभी नियम न्याय की दासियाँ है – उनका अर्थ इस प्रकार नहीं लगाना चाहिए कि असामान्य परिस्थितियों में न्याय के उद्देष्य की प्राप्ति में न्यायालय को असहाय बना दें।

(ii) पष्चात्वर्ती प्रतिदावे की प्रचलनषीलता – अभिनिर्धारित किया गया। पूर्व के प्रति दावे का वापस ले लेने के बाद न्यायालय की अनुमति से बाद में प्रस्तुत प्रतिदावा प्रचलन योग्य होता है और यह पूर्व न्याय (धारा 11 सी. पी.सी.) के सिद्धांत से या आदेष 2 नियम 2 एवं 3 सी.पी.सी. के प्रावधानों से हिट (बाधित) नहीं होता। **289**

445

Order 26 Rule 9 – Appointment of Commissioner, object of – Commission cannot be issued to collect the evidence.

आदेश 26 नियम 9 – कमिष्नर नियुक्त करने का उद्देष्य – साक्ष्य एकत्रित करने के लिए कमीषन जारी नहीं किया जा सकता। **177 247**

Order 26 Rule 9 – Commission for spot inspection, issuance of – Cannot be issued for collection of evidence and ascertainment of actual possession – Issue relating to possession is required to be decided by the court itself on the basis of evidence.

आदेश 26 नियम 9 – स्थल निरीक्षण के लिए कमीषन का जारी किया जाना – साक्ष्य संग्रहित करने के लिए और वास्तविक आधिपत्य सुनिष्चित करने के लिए जारी नहीं किया जा सकता – आधिपत्य से संबंधित बिन्दु न्यायालय द्वारा साक्ष्य के आधार पर तय किया जाना आवष्यक है।

8* 6

Order 32 – Appointment of next friend or guardian, requirement of – Holding of due enquiry is necessary for ascertainment of unsoundness of mind of the concerning party – Further held, the Trial Court must not step into the shoes of medical expert to assess the unsoundness of mind of the party – Report about mental health is required to be sought from the medical expert.

आदेश 32 – वाद मित्र या वादार्थ संरक्षण की नियुक्ति की आवष्यकता – संबंधित पक्षकार के विकृतचित्त होने के तथ्य निष्चित करने के लिए सम्यक् जांच आवष्यक है – यह भी अभिनिर्धारित किया गया कि पक्षकार के विकृत चित्त होने के तथ्य को निष्चित करने के लिए न्यायालय को चिकित्सा विषेषज्ञ के जूतों में पैर नहीं डालना चाहिए मानसिक स्वास्थ्य के बारे में चिकित्सा विषेषज्ञ से प्रतिवेदन बुलवाना आवष्यक है। **61* 83**

Order 39 Rules 1 & 2 – See Sections 110 and 117 of the Land Revenue Code, 1959 (M.P.).

आदेश 39 नियम 1 और 2 – देखिए 110 और 117 भू–राजस्व संहिता, 1959 (म.प्र.)।

9 6

Order 39 Rules 1 and 2 – Suit for partition and possession of joint family property – Temporary injunction against other coparcenor(s) in respect of alienation, grant of – Other co-parcenor(s) may be injuncted from alienating the joint family property – ***Sunil Kumar and another v. Ram Prakash and others, AIR 1988 SC 576*** distinguished in which alienation of property by ***karta*** of the joint family was in question and it was held that permanent injunction cannot be granted against ***karta*** of the family, being Manager of the property, who has right to dispose of joint family property to meet out legal necessity to discharge his antecedent debt which is not tainted with immorality.

आदेश 39 नियम 1 और 2 – संयुक्त परिवार की सम्पत्ति के विभाजन और आधिपत्य का वाद – अन्य सहस्वामियों के विरूद्ध सम्पत्ति के अन्य संक्रमण को रोकने के संबंध में अस्थायी

निषेधाज्ञा दिया जाना – अन्य सहदायक संयुक्त हिन्दू परिवार की सम्पत्ति अन्य संक्रान्त करने से निषेधित किये जा सकते हैं – सुनील कुमार और अन्य विरूद्ध रामप्रकाष और अन्य ए.आई.आर. 1988 एस.सी. 576 को विभेदित किया गया जिसमें संयुक्त परिवार के कर्ता द्वारा सम्पत्ति का अन्य संक्रमण किया जाना प्रष्नगत था और यह निर्धारित किया गया था कि परिवार के कर्ता के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा नहीं दी जा सकती है क्योंकि वह सम्पत्ति का प्रबंधक होता है और उसे संयुक्त परिवार की सम्पत्ति के पुराने ऋण से उन्मोचन की वैध आवष्यकता की पूर्ति के लिए सम्पत्ति निपटाने या विक्रय करने का अधिकार है। जो अनैतिकता से दूषित नहीं है।

122* 146

Order 40 Rule 1 – Receiver can file a suit, if found necessary for preserving the estate.

आदेष 40 नियम 1 – रिसीवर यदि सम्पत्ति की सुरक्षा के लिए आवष्यक पाता है तो वाद प्रस्तुत कर सकता है। **235 (i) 335**

Order 41 and Rules 1 (3) and 5 – Appeal by judgment-debtor with prayer for complete stay – The Appellate Court on facts denied complete stay and ordered deposit of ` 20 crores and to furnish Bank Guarantee of the remaining decretal amount – Such order is according to the settled principles.

आदेष 41 नियम 1 (3) और (5) – निर्णित ऋणी द्वारा पूर्ण स्थगन की प्रार्थना के साथ अपील – न्यायालय ने तथ्यों के आधार पर पूर्ण स्थगन से इन्कार किया और 20 करोड़ और जमा करवाने और शेष डिक्री धन के लिए बैंक गारंटी देने का निर्देष दिया – ऐसा आदेष स्थापित सिद्धांतों के अनुरूप है।**10 6**

Order 41 Rule 5(3) – Decree for eviction and arrears of rent with ***mesne profits***, stay of – Appellate Court is not bound to grant an order of stay merely because the appeal has been preferred and an application for an order of stay has been made – Appellant who comes to the Court for seeking a stay order must do equity for seeking equity – Further held, although direction for payment of ***mesne profits***/damages on the basis of present market rate of rent cannot be issued against the appellant, however, while granting an order of stay under Order 41 Rule 5 of the Code, Appellate Court does have the jurisdiction to put parties seeking the stay order on such terms, as would in its opinion reasonably compensate the decree-holder for the loss occasioned by delay in execution of the decree by grant of stay order.

आदेष 41 नियम 5 (3) – निष्कासन, बकाया किराये और अन्तरवर्ती लाभ की डिक्री का स्थगित किया जाना – अपील न्यायालय स्थगन आदेष देने के लिए केवल इसलिए बाध्य नहीं है कि अपील प्रस्तुत की गयी है और उसमें स्थगन का एक आवेदन प्रस्तुत किया गया है – अपीलार्थी जो न्यायालय में स्थगन आदेष के लिए आता है उसे साम्या चाहने के लिए साम्या करना चाहिए – यह भी अभिनिर्धारित किया गया कि यद्यपि अपीलार्थी के विरूद्ध अन्तरवर्ती लाभ/क्षतिपूर्ति का किराये की बाजार के वर्तमान दर के हिसाब से भुगतान करने के निर्देष जारी नहीं किये जा सकते है। न्यायालय को आदेष 41 नियम 5 सी.पी.सी. के तहत यह क्षेत्राधिकार है कि स्थगन आदेष देने से पहले ऐसी शर्तें लगा सकते हैं जो उसकी राय में युक्तियुक्त हो और ऐसे स्थगन से डिक्री के निष्पादन में होने वाले विलंब के कारण होने वाली क्षति से डिक्री धारी को कम्पेनसेट कर सके।

179 248

Order 41 Rules 17, 19 and 21 – Whether a civil appeal can be dismissed on merits, where appellant fails to appear? Held, No – The court is not empowered to dismiss the appeal on merits, where appellant is absent but where respondent does not appear, an appeal can be heard on merits.

Remedy is provided under Order 41 Rule 19 for the appellant and under Order 41 Rule 21 for the respondent, who fails to appear at the time of hearing of an appeal.

आदेष 41 नियम 17, 19 और 21 – क्या एक सिविल अपील अपीलार्थी उपस्थित होने में असफल रहा इस कारण गुणदोष पर खारिज की जा सकती है ? अभिनिर्धारित किया गया, नहीं – न्यायालय अपील को गुणदोष पर खारिज करने के लिए सषक्त नहीं है जहाँ अपीलार्थी अनुपस्थित हो किन्तु जहाँ प्रत्यर्थी उपस्थित नहीं होता है वहाँ अपील को गुणदोष पर सुन सकती है।

आदेष 41 नियम 19 के तहत अपीलार्थी के लिए और आदेष 41 नियम 21 के तहत प्रत्यर्थी के लिए जो कि अपील की सुनवायी के समय उपस्थित होने में असफल रहे थे उनके लिए उपचार है।**180 253**

Order 41 Rule 27 – Conditions to produce additional evidence in appellate court.

आदेष 41 नियम 27 – अपील न्यायालय में अतिरिक्त साक्ष्य प्रस्तुत करने की शर्तें।

236* 337

Order 47 Rule 1 and Section 11 – (i) "Res judicata" means a matter adjudged, a thing judicially acted upon or decided, a thing or matter settled by judgments – ***Res judicata*** is accepted for truth – The doctrine contains the rule of conclusiveness of the judgment.

(ii)Even an erroneous decision on a question of law attracts the doctrine of ***res judicata*** between the parties of litigation – The correctness or otherwise of a judicial decision has no bearing upon the question whether or not it operates as ***res judicata***.

(iii)The ratio of any decision must be understood in the light of the facts of that case and the case is only an authority for what it actually decides and not what logically follows from it – The court should not place reliance on decisions without discussing as to how the factual situation fits in with the fact situation of the decision on which reliance is placed.

(iv)What is the basic requirement for review? The first and foremost requirement of entertaining a review petition is that the concerned order suffers from any error apparent on the face of the order and in absence of any such error, finality attached to the judgment or order cannot be disturbed.

आदेष 47 नियम 1 और धारा 11 – (i) ''पूर्व न्याय का नियम'' या रेसजूडीकेटा का अर्थ है एक मामला निराकृत किया गया, निर्णय द्वारा किसी बिन्दु को न्यायिक तरीके से तय किया गया – रेसजूडीकेटा का सिद्धांत निर्णयों के निष्चयाकता के नियम पर आधारित है।

(ii) यहाँ तक कि किसी विधि के बिन्दु पर त्रुटिपूर्ण निर्णय भी पक्षकारों के मध्य रेसजूडीकेटा के सिद्धांत को आकर्षित करता है – किसी न्यायिक निर्णय के सही होने का उसके रेसजूडीकेटा की तरह लागू होने या न होने से कोई संबंध नहीं है।

(iv) पुनर्विलोकन के लिए मूलभूत आवष्यकता क्या है? पहली और सर्वाधिक आवष्यकता एक पुनर्विलोकन याचिका को ग्रहण करने के लिए यह है कि संबंधित आदेष में ऐसी त्रुटि है जो आदेष को देखने से ही प्रकट होती है और ऐसी त्रुटि के अभाव में निर्णय या आदेष की अंतिमता को डिस्टर्ब नहीं किया जा सकता।

123 147

CONSTITUTION OF INDIA
भारत का संविधान

Articles 14 and 50 – Doctrine of separation of powers – Consequence of principle of equality enshrined in Article 14 – Legislation in breach of above powers – Can be invalidated.

Doctrine of separation of powers – Applies to the final judgments of the court.

अनुच्छेद 14 और 50 – न्यायिक शक्तियों के पृथककरण का सिद्धान्त – अनुच्छेद 14 द्वारा सुरक्षित समानता के सिद्धान्त का परिणाम है – इन शक्तियों के उल्लंघन के आधार पर पारित विधान – रद्द किया जा सकता है।

शक्तियों के पृथककरण का सिद्धान्त – न्यायालयों के अन्तिम निणयों को लागू होता है।

237 (i) & (ii) 337

Articles 14 to 16, 19, 21 and 253 – Citizen – Meaning and scope of – It covers hijras/transgenders – They are also entitled to reservation in appointment – Transgenderism is not a disease.

अनुच्छेद 14 से 16, 19, 21 और 253 – नागरिक – अर्थ और क्षेत्र – इसमें हिंजड़े/ट्रांसजेन्डर शामिल हैं – वे भी नियुक्ति में आरक्षण के हकदार हैं – ट्रांसजेन्डरषिप बीमारी नहीं है। **238* 342**

Article 21 and 20 (3) – See sections 133, 24 to 26 and 144 of the Evidence Act, 1872 and section 32 of the Prevention of Terrorism Act, 2002.

अनुच्छेद 21 और 20 (3) – देखे साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 24 से 26, 133, 144 एवं आतंकवाद निवारण अधिनियम, 2002 की धारा 32। **302 473**

Article 21 – Witness protection – Police authorities and prosecution, duties of – The police authorities and prosecution are obliged not only to protect the life, liberty and dignity of a witness from being in danger but also to provide protection to his family members.

अनुच्छेद 21 – गवाह का संरक्षण – पुलिस प्राधिकारी और अभियोजन के कर्त्तव्य – पुलिस प्राधिकारी और अभियोजन के लिए यह बंधन कारी है कि वह न केवल गवाह के जीवन, स्वतंत्रता और सम्मान की रक्षा करे बल्कि उसके परिवार के सदस्यों को भी संरक्षण उपलब्ध करायें। **181 254**

Articles 21 and 47 – Medical reimbursement – Behind scheme/policy/governing provisions, permissibility of – Held, no one can get reimbursement which is behind the scheme, policy or governing provisions.

अनुच्छेद 21 और 47 – चिकित्सा प्रतिपूर्ति – योजना/नीति/आवष्यक प्रावधान के पीछे, अनुमति होना – अभिनिर्धारित किया गया कोई भी प्रतिपूर्ति नहीं पा सकता जो कि योजना, नीति आवष्यक प्रावधान के आड़ में हो। **182 255**

Article 22 (2) – See section 41 of the Criminal Procedure Code, 1973.

अनुच्छेद 22 (2) – देखें दं.प्र.सं., 1973 की धारा 41। **239 344**

Article 226/227 – See section 47 of the Civil Procedure Code, 1908.

अनुच्छेद 226/227 – देखिए धारा 47 सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908। **114 136**

Election Petition, interference therein – Mandate of the public cannot be disturbed in a routine manner as it hampers the democratic process and can only be done when allegations are strictly proved.

चुनाव याचिका में हस्तक्षेप जनादेष को रूटीन तरीके के डिस्टर्ब नहीं किया जा सकता क्योंकि यह प्रजातांत्रिक प्रकिया में बाधा डालता है और यदि आरोप कठोर तरीके से प्रमाणित हो जाये तभी हस्तक्षेप किया जा सकता है। **11* 7**

CONSUMER PROTECTION ACT, 1986
उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986

Section 2 (d) – Object and purpose of the Act – To protect the consumers' interest, necessary information about goods etc. should be given.

Government servant files a claim for retiral benefits – He is not a consumer.

धारा 2 (डी) – अधिनियम का उद्देष्य और प्रयोजन – उपभोक्ताओं के हितों का रक्षण – उन्हें वस्तुओं के बारे में आवष्यक जानकारी देना आदि।

शासकीय सेवक अपने सेवानिवृत्ति लाभों के लिए दावा प्रस्तुत करता है – वह उपभोक्ता नहीं है। **233 (i) & (ii) 331**

CO-OPERATIVE SOCIETIES ACT, 1961 (M.P.)
सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1961 (म.प्र.)

Section 94 – Suit for declaration and perpetual injunction against Society – Notice under section 94 of the Act, necessity of – Held, applicants are bound to issue statutory notice and in the absence thereof, suit is not maintainable before the civil court.

धारा 94 – समिति के विरूद्ध घोषणा और स्थायी निषेधाज्ञा का वाद – धारा 94 अधिनियम के सूचनापत्र की आवष्यकता – अभिनिर्धारित किया गया, आवेदक वैधानिक सूचना पत्र देने के लिए बाध्य है और उसके अभाव में सिविल न्यायालय के समक्ष वाद प्रचलनषील नहीं होता है। **12 7**

CONTRACT ACT, 1872
संविदा अधिनिम, 1872

Section 4 – (i) Contract, when completed? If acceptance of proposal is communicated then the contract stands completed – Further held, acceptance of proposal may be presumed from the circumstances of the case.

(ii) Statutory tenant, connotation of – Non-registration of lease deed, effect of – Tenancy, since long, though not renewed from time to time, the tenant becomes statutory tenant and non-execution/registration of a lease deed makes no difference.

धारा 4 – (i) संविदा कब पूर्ण होती है? यदि प्रस्ताव की स्वीकृति संसूचित हो जाती है तो संविदा पूर्ण हो जाती है – यह भी अभिनिर्धारित किया गया कि प्रस्ताव की स्वीकृति मामले की परिस्थितियों में उपधारित की जा सकती है।

(ii) विधिक किरायेदार का अर्थ – पट्टालेख के पंजीकरण न होने का प्रभाव – किरायेदारी को समय–समय पर नवीनीकृत नहीं करवाया गया किरायेदार विधिक किरायेदार हो जाता है और पट्टालेख का निष्पादन न होना या पंजीकरण न होने का कोई प्रभाव नहीं। **183 257**

Section 11 – See section 58 of the Transfer of Property Act, 1882.

धारा 11 – देखिए धारा 58 टी.पी.एक्ट, 1882। **282 433**

Section 19-A – Voidable contract – Right to get the contract declared voidable – The contract based on fraud, coercion, undue influence and misrepresentation is a voidable contract – It is only the party to the contract who has the right to get the contract declared voidable.

धारा 19–ए – शून्यकरणीय संविदा – संविदा के शून्यकरणीय घोषित करवाने का अधिकार – संविदा जो कपट, उत्पीड़न असम्यक् प्रभाव और मिथ्या दुर्व्यपदेषन पर आधारित है वह एक शून्यकरणीय संविदा है – संविदा के पक्षकार को ही यह अधिकार है कि वह उसे शून्यकरणीय घोषित करवा सके।**184*** **258**

Sections 23 and 28 – See sections 9 and 20 of the Civil Procedure Code, 1908.

धारा 23 और 28 – देखिए धारा 9 और 20 सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908। **166 229**

Section 25 (i) – Approval granted to transfer flat without considering the withdrawal letter is not valid.

धारा 25 (i) – प्रत्याहरण पत्र को विचार में लिये बिना फ्लेट के अंतरण की अनुमति दिया जाना वैध नहीं है। **165 (v) 222**

Section 74 – Imposition and recovery of penalty on breach of contract – Impermissible under Contract Act – The court would have to scrutinize the pleadings as well as evidence to determine that they are not in the nature of a penalty but rather as a fair pre-estimate of what the damages are likely to arise in case of breach of contract.

धारा 74 – संविदा के भंग पर शास्ती लगाना और उसकी वसूली – संविदा अधिनियम के तहत अनुमत योग्य नहीं है – न्यायालय को अभिवचनों और साक्ष्य की छानबीन यह तय करने के लिए करना चाहिए कि वह शास्ती स्परूप नहीं है बल्कि संविदा का भंग होने की दषा में जो क्षति कारित हो सकती है उसका उचित पूर्वनिर्धारण है। **117 (i) 141**

COURT FEES ACT, 1870
न्यायालय शुल्क अधिनियम, 1870

Section 7, Schedule II and Article 17 – Suit for declaration of sale deed as null and void and not binding on non-executant plaintiff – Court fees, payment of – If a person not a party to the sale deed, seeking declaration of a sale deed as null and void and the same is not binding on him, he is only required to pay fixed court fees – Where executant of the sale deed seeks conciliation of the sale deed as null and void, he is required to pay ***ad valorem*** court fees.

धारा 7, अनुसूची II और अनुच्छेद 17 – विक्रय पत्र के शून्य और वादी पर बंधनकारक न होने का वाद, वादी निष्पादनकर्ता नहीं है – न्यायालय शुल्क का संदाय – यदि एक व्यक्ति जो विक्रय पत्र का पक्षकार नहीं है और वह उसे शून्य और स्वयं पर बंधनकारी न होना घोषित करवाना चाहता है तो उसे केवल नियत न्याय शुल्क देना होगा – उसका निष्पादनकर्ता विक्रय पत्र को शून्य घोषित करवाना चाहता है तो उसे मूल्य अनुसार न्यायालय शुल्क देना आवष्यक है। **169 236**

Article 17 (i) of Schedule II – Suit for declaration that sale deed is null and void – Court fees, payment of – Law stated – Held, if plaintiff is not a party to sale deed and claims relief of declaration that sale is null and void as against him, then he is not required to pay ***ad valorem*** court fees but fixed court fees is payable in such cases.

अनुसूची II का अनुच्छेद 17 (i) – विक्रय पत्र शून्य घोषित करवाने का वाद – न्यायालय शुल्क का भुगतान – विधि बतलायी गयी – अभिनिर्धारित किया गया, कि यदि वादी विक्रय पत्र में एक पक्ष नहीं है और वह केवल उसके विरूद्ध विक्रय शून्य घोषित करवाने का अनुतोष चाहता है – उसे मूल्य अनुसार न्यायालय शुल्क भुगतान करने की आवष्यकता नहीं होती है बल्कि ऐसे मामलों में नियत न्यायालय शुल्क देय होता है। **290**
447

CRIME AGAINST WOMEN AND CHILDREN
महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध

See sections 2 (g), 3 and 3 Expln. I (iv) (c) of the Protection of Women from Domestic Violence Act, 2005.

देखिए धारा 2 (g), 3 और 3 का स्पष्टीकरण 1 (iv) (c) घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005। **124 148**

CRIMINAL PROCEDURE CODE, 1973
दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973

Section 2 (wa) – (i) Victim, connotation of – A victim is an aggrieved party who is the ultimate sufferer in the commission of a crime and is as much interested in the decision of trial, appeal or revision as is the accused or the State – He is an aggrieved person not only in a crime but also in investigation, inquiry, trial, appeal, revision, review and also the procedure by which the inherent powers of the High Court under section 482 Cr.P.C are invoked.

(ii) Victim – Transfer of appeal – Right of hearing, importance of – Right to opportunity of hearing of the victim reiterated – The law recognizes importance of victim in a crime and also in all the subsequent proceedings contemplated by Cr.P.C. which take place right from lodging of FIR till decision in appeal or revision – Therefore, order of transfer of trial if passed without hearing the victim causes prejudice to the victim as he has not only a right to know the venue of conduction of trial but also to oppose on cogent grounds, an attempt to transfer trial made on anyone's behest.

धारा 2 (wa) – (i) पीड़ित का अर्थ – एक पीड़ित व्यथित पक्षकार होता है जो अपराध के कारित किये जाने से अन्ततः हानि उठाता है और वह विचारण के निर्णय में रूचि रखता है विचारण के निर्णय, अपील और रिवीजन जो कि अभियुक्त या राज्य द्वारा की जाये उसमें रूचि रखता है – वह एक व्यथित व्यक्ति है जो न केवल अनुसंधान, जाँच, विचारण, अपील, पुनरीक्षण, पुनर्विलोकन बल्कि धारा 482 दण्ड प्रक्रिया संहिता की अन्तर्निहित शक्तियों की प्रक्रिया के संदर्भ में भी एक व्यथित व्यक्त होता है।

(ii) पीड़ित – अपील का अंतरण – सुनवायी के अवसर के अधिकार का महत्व – पीड़ित व्यक्ति के सुनवायी के अधिकार के अवसर को दोहराया गया – विधि अपराध में पीड़ित व्यक्ति को मान्यता देती है वह दण्ड प्रक्रिया संहिता की सभी पष्चात्वर्ती कार्यवाहियों में महत्व रखता है प्रथम सूचना दर्ज करने से लेकर अपील और पुनरीक्षण के निर्णय तक की कार्यवाहियों में उसका महत्व है – अतः किसी मामले के अंतरण के पूर्व भी उसे सुना जाना चाहिए क्योंकि उसे विचारण के स्थान के बारे में कहने का अधिकार है। **125* 150**

Section 4 – See section 151 of the Electricity Act, 2003.

धारा 4 – देखिए धारा 151 विद्युत अधिनियम, 2003। **62 83**

Sections 24, 437 and 439 – (i) No vested right is granted to a complainant or informant or aggrieved party to directly conduct a prosecution – Their counsel can only assist the Public Prosecutor.

(ii) Section 437 CrPC provides for production of an accused before a court other than the court of Sessions or High Court but it does not create any bar of jurisdiction against Sessions Court or High Court.

(iii) Meaning of custody, arrest, and detention – Explained.

(iv) If two or more mutually irreconcilable decisions of the Supreme Court of co-ordinate Bench are cited before a judge, the inviolable recourse is to apply the earlier view.

Per incuriam rule is strictly and correctly applicable to the ***ratio decidendi*** and not to ***obiter dicta***.

धारा 24, 437 और 439 – (i) एक परिवादी या सूचनाकर्ता या व्यथित पक्षकार को अभियोजन के सीधे संचालन का कोई निहित अधिकार नहीं होता है उसके अधिवक्ता केवल लोक अभियोजक की सहायता कर सकते है।

(ii) धारा 437 दण्ड प्रक्रिया संहिता अभियुक्त को सत्र न्यायालय या उच्च न्यायालय के अलावा अन्य न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने का प्रावधान करती है लेकिन यह सत्र न्यायालय या उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार पर कोई बाधा सृजित नहीं करती है।

(iii) अभिरक्षा, गिरफ्तारी और निरोध का अर्थ – स्पष्ट किया गया।

(iv) यदि किसी न्यायाधीष के समक्ष सर्वोच्च न्यायालय के समान न्यायाधीष वाली पीठ के दो या अधिक परस्पर विरोधी निर्णय प्रस्तुत हो तो उसे सबसे प्रारम्भ के मत को लागू करना चाहिए।

126 150

Section 31 – Sentence – Consecutive or concurrent.

(i) If offences are committed in a single transaction, sentences should be ordered to run concurrently and not consecutively.

(ii) Accused was previously convicted for committing an identical offence of very heinous crime – Not a ground to order sentence to run consecutively.

धारा 31 – दण्ड – क्रमिक या साथ–साथ ।

(i) यदि अपराध एक ही संव्यवहार में किये गये हो तब सामान्यतः दण्ड साथ–साथ भुगताने के निर्देष देना चाहिए न कि क्रमवर्ती।

(ii) अभियुक्त पूर्व में समान प्रकृति के गंभीर अपराध में दोषी पाया गया – यह दण्ड क्रमवर्ती भोगने का आदेष देने का आधार नहीं हो सकता। **13 8**

Sections 31 and 55 – (i) If an accused is sentenced for conviction of several offences, including life imprisonment, the proviso of section 31 (2) Cr.P.C. shall come into play – In that case, no consecutive sentence can be imposed – All sentences are to run concurrently.

(ii) What is the meaning of life imprisonment ? Life imprisonment means imprisonment for life/ imprisonment for the remainder of the convict's life.

धारा 31 और 55 – (i) यदि अभियुक्त को कई अपराधों में दोषसिद्ध पाकर दण्ड दिया गया है, जिसमें आजीवन कारावास भी शामिल है, तब धारा 31 (2) दण्ड प्रक्रिया संहिता का परन्तुक आकर्षित होगा – ऐसे मामले में कोई क्रमवर्ती दण्डादेष नहीं दिया जा सकता। सभी दण्डादेष साथ–साथ चलेंगे।

(ii) आजीवन कारावास का अर्थ क्या है ? आजीवन कारावास का अर्थ जीवन भर का कारावास/दोषसिद्धि व्यक्ति के जीवन की बाकी अवधि के कारावास है। **291 449**

Sections 41, 41-A, 57 and 167 – How to exercise the power of arrest by police? How to exercise power to authorize detention by magistrate? Liability of concerned police officer and magistrate who failed to exercise such powers according to the directions of the Apex Court.

धारा 41, 41–ए, 57 और 167 – गिरफ्तारी की शक्तियों का पुलिस द्वारा प्रयोग कैसे किया जाये – निरोध प्राधिकृत करने की शक्तियों का मजिस्ट्रेट द्वारा प्रयोग कैसे किया जाये – संबंधित पुलिस अधिकारी और मजिस्ट्रेट जो सर्वोच्च न्यायालय के निर्देषों के अनुरूप इन शक्तियों का प्रयोग करने में असफल होते हैं उनका दायित्व। **239 344**

Sections 71, 73, 81 and 319 – (i) Issuance of process – The Criminal Court, in all circumstances, in complaint cases at the first instance should prefer issuing summons or bailable warrant failing which a non-bailable warrant should be issued.

(ii) As a general rule, unless an accused is likely to tamper or destroy the evidence or is likely to evade the process of law, issuance of non-bailable warrants should be avoided.

(iii) When it is proper to issue non-bailable warrant? This can be when ***firstly***, it is reasonable to believe that the person will not voluntarily appear in court; or ***secondly***, that the police authorities are unable to find the person to serve him with a summon and ***thirdly***, if it is considered that the person could harm someone if not placed into custody immediately.

धारा 71, 73, 81 और 319 – (i) आदेषिका का जारी किया जाना – दंड न्यायालय को सभी परिस्थितियों में परिवाद प्रकरणों में पहली बार समन या जमानती वारंट जारी करने को अधिमान्यता देना चाहिए उसमें असफल होने पर अजमानतीय वारंट (गिरफ्तारी वारंट) जारी करना चाहिए।

(ii) एक सामान्य नियम के रूप में अजमानतीय वारंट जारी करने से बचना चाहिए जब तक कि अभियुक्त के साक्ष्य को नष्ट या प्रभावित करने या आदेषिका को टालने की संभावना न हो।

(ii) कब अजमानतीय वारंट जारी करना उचित है? जब प्रथम, संबंधित व्यक्ति स्वेच्छा से न्यायालय में उपस्थित नहीं होगा यह विष्वास करने के युक्ति–युक्त आधार है; या द्वितीय, पुलिस प्राधिकारी संबंधित व्यक्ति को ढूढकर उस पर समन की तामील करवाने में समर्थ नहीं है; तीसरा; संबंधित व्यक्ति को यदि तत्काल अभिरक्षा में नहीं लिया गया तो वह किसी को क्षति कारित कर सकता है। **63 85**

Section 125 – (i) Claim of maintenance by second wife is maintainable if the second marriage has been performed as per the Hindu rites but during the subsistence of first marriage, if the husband had not disclosed the fact of earlier marriage to the second wife, the husband cannot be permitted to take the advantage of his own wrong – The said person should be treated as legally wedded wife.

(ii) The situation would be different if the second marriage was within the full knowledge of the first marriage.

धारा 125 – (i) दूसरी पत्नी का भरण–पोषण का दावा चलने योग्य है, यदि दूसरा विवाह हिन्दू रीति रिवाजो से संपन्न हुआ हो और पहले विवाह के चाहे अस्तित्व में रहते हुए हुआ हो, यदि पति ने उसके पूर्व विवाह का तथ्य दूसरी पत्नि को न बतलाया हो, पति अपनी ही गलती का लाभ नहीं उठा सकता – ऐसी महिला को विधिवत विवाहित पत्नि माना जाएगा।

(ii) जहाँ प्रथम विवाह का तथ्य पूर्ण ज्ञान में होने के बाद दूसरा विवाह हुआ हो वहॉ स्थिति भिन्न होगी। **14 9**

Section 125 – It is the sacrosanct duty of husband to maintain his wife even if he is required to earn money trough physical labour provided that he is able-bodied.

धारा 125 – यह पति का अतिपवित्र कर्तव्य है कि उसकी पत्नी का भरण–पोषण करे – यहाँ तक कि यदि आवष्यक हो तो शारीरिक श्रम करके धन कमाये – बषर्ते वह सूषरीरी हो।

293 (i) 451

Section 125 – Husband, who is a healthy and able-bodied person – Cannot escape from liability to pay maintenance.

धारा 125 – पति जो स्वस्थ्य व सुषरीरी व्यक्ति – भरण पोषण के दायित्व से नहीं बच सकता।

240* 349

Section 125 – Maintenance, grant of – Law stated.

धारा 125 – भरण–पोषण दिलवाया जाना – विधि बतलायी गयी। **292* 450**

Section 125 – (i) Whether a divorced Muslim woman's application for maintenance u/s 125 Cr.P.C. is to be restricted to the date of divorce and as an ancillary to it? Held, No.

(ii) Whether filing of an application u/s 3 of the Act of 1986 after divorce for mahr and return of gifts after the divorce, would disentitle her to sustain the application under section 125 Cr.P.C.? Held, No.

धारा 125 – (i) क्या एक तलाक शुदा मुस्लिम महिला का धारा 125 दं.प्र.सं. का भरण पोषण के लिए आवेदन तलाक की तारीख और उसके अनुषंगिक तक ही सीमित होता है? अभिनिर्धारित किया गया, नहीं।

(ii) क्या धारा 3 अधिनियम, 1986 का मेहर और उपहार की वापसी का आवेदन प्रस्तुत कर देना एक मुस्लिम तलाक शुदा महिला को धारा 125 दं.प्र.सं. का आवेदन देने की हकदार न होना बना देगा? अभिनिर्धारित किया गया, नहीं। **185 258**

Sections 125, 126 and 127 – Provisions under sections 125 to 128 of the Code, applicability of to the divorced Muslim women – Law stated – After the commencement of the Muslim Women (Protection of Rights on Divorce) Act, 1986, applicability of sections 125 to 128 is not excluded – It is the option of the parties to take recourse under sections 125 to 128 of the Code even after filing an application under section 3 (2) of the Act of 1986 – If the Muslim divorced woman

or man, as the case may be, on notice on the first date of hearing opted to take recourse to proceed under sections 125 to 128 of the Code, then the Court cannot restrict them from the said course and cannot direct them to proceed under the Act of 1986.

धारा 125, 126 और 127 – धारा 125 से 128 के प्रावधानों का तलाक शुदा मुस्लिम महिला पर लागू होना – विधि बतलायी गयी – मुस्लिम महिला (तलाक पर अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 1986 के लागू होने के बाद धारा 125 से 128 का लागू होना वर्जित नहीं हुआ है – यह पक्षकारों का विकल्प है कि वे धारा 3 (2) अधिनियम, 1986 का आवेदन प्रस्तुत कर देने के बाद भी धारा 125 से 128 दं. प्र.सं. का सहारा लें – यदि मुस्लिम तलाक शुदा महिला या पुरूष प्रथम सुनवाई की तिथि की सूचना पर धारा 125 से 128 दं.प्र.सं. का सहारा लेने का विकल्प चुनते हैं तो न्यायालय उन्हें ऐसा सहारा लेने से निषेधित नहीं कर सकती और उन्हें ये निर्देष नहीं दे सकती कि वे अधिनियम, 1986 मे अग्रसर हो। **186 259**

Section 131 – See sections 302 and 120-B r/w/s 201 of the Indian Penal Code, 1860.

धारा 131 – देखिये धारा 302 और 120–बी सहपठित धारा 201 भारतीय दंड संहिता, 1860। **144 178**

Section 154 – Delay in lodging F.I.R. – How to consider?

धारा 154 – प्रथम सूचना दर्ज करवाने में विलंब – कैसे विचार में लिया जाये। **244 (i) 352 &257 (i) &371**

Section 154 – Delay of 22 days in lodging of F.I.R. – Accused threatened prosecutrix for non-disclosing the incident to anyone – She attempted to commit suicide – After narrating the incident to her father, brother and doctor, F.I.R. was lodged – Delay clearly explained – Defence of false implication improbable.

धारा 154 – प्रथम सूचना प्रतिवेदन दर्ज करवाने में 22 दिनों का विलंब – अभियुक्त ने अभियोक्त्री को घटना में उसका नाम किसी को न बतलाये इसके लिए घमकी दी थी – अभियोक्त्री ने आत्महत्या करने का प्रयोग किया – उसके द्वारा घटना का विवरण उसके पिता, भाई और डाक्टर को बतलाया गया, प्रथम सूचना दर्ज करवाई गई – विलंब साफ तौर पर स्पष्ट किया गया – झूठा फसाने का बचाव असंभाव्य था। **187 (ii) 261**

Section 154 – Non-mentioning of the name of accused in initial FIR – Not fatal for prosecution.

धारा 154 – प्रारम्भिक प्रथम सूचना प्रतिवेदन में अभियुक्त का नाम दर्ज न होना – यह अभियोजन के लिए घातक नहीं है। **294 (i) 453**

Section 154 – See sections 302, 376, 394 of the Indian Penal Code, 1860.

धारा 154 – देखिये धारा 302, 376, 394 भारतीय दंड संहिता, 1860। **127 155**

Section 154 – What is the effect of delay in lodging of FIR? Mere delay in lodging of FIR cannot be fatal to the prosecution case – When the delay is satisfactorily explained, no adverse inference has to be drawn – Delay in lodging FIR has to be considered in the backdrop of factual score; as to the impact of the crime on the relatives, the shock and panic which would rule supreme at the relevant time, distance of hospital (in injury cases) and police station etc.

धारा 154 – प्रथम सूचना दर्ज करवाने में विलंब का क्या प्रभाव है ? केवल प्रथम सूचना दर्ज करवाने में विलंब अभियोजन के मामले के लिए घातक नहीं हो सकता है – जहाँ विलंब को संतोषप्रद रूप से स्पष्ट किया गया, कोई प्रतिकूल अनुमान नहीं निकाला जा सकता – प्रथम सूचना दर्ज करवाने में विलंब को तथ्यों की पृष्ठभूमि में विचार करना चाहिए; जैसे रिष्तेदारों पर अपराध का प्रभाव, सुसंगत समय पर आघात और त्रास का अधिक होना, चोटों के मामले में अस्पताल से दूरी और पुलिस थाने से दूरी आदि। **201 (ii) 278**

Sections 154, 155, 156 and 157 – (i) FIR in cognizable case – Registration of FIR is mandatory under section 154 of the Code – If informant has disclosed commission of the cognizable offence, there is no requirement of preliminary inquiry – However, if information received does not disclose commission of cognizable offence, then preliminary inquiry may be conducted.

(ii) The scope of preliminary inquiry is not to verify the veracity or otherwise of the information – Proper stage of such verification is after registration of FIR.

(iii) A preliminary inquiry should be time-bound and should not exceed seven days – Cause of delay should reflect in General Diary – If preliminary inquiry ends in closure of the complaint, such intimation must be supplied with reasons to the informant forthwith.

(iv) FIRs are of two kinds (a) FIR made and duly signed by informant to the police officer under section 154 (1); and (b) FIR registered by police itself on any information received other than by way of an informant – In both types of FIRs, police is duty bound to register the FIR if it discloses cognizable offence.

(v) Punishment provided under section 166-A IPC for non-registration of FIR of cognizable offence does not imply and it is not compulsory for other offence not specified in section 166-A IPC – Section 166-A IPC is to be read in consonance with section 154 (1) CrPC.

(vi) All information about cognizable offence whether leading to inquiry or registration of FIR must mandatorily be mentioned in the General Diary and the decision to conduct the enquiry must also be reflected in the Diary.

(vii)The provision of section 154 of the CrPC shall prevail on section 44 of the Police Act, 1861.

(viii) Enquiry under sections 2 (g), 159, 202 and 340 CrPC is relatable to a judicial act and not to the steps taken by the police by way of preliminary inquiry prior to the registration of FIR or investigation after FIR.

धारा 154, 155, 156 और 157 – (i) संज्ञेय मामले में प्रथम सूचना प्रतिवेदन – धारा 154 के अधीन एफ.आई. आर. दर्ज करना आज्ञापक है – यदि सूचनाकर्ता किसी संज्ञेय अपराध का किया जाना प्रकट करता है, तब किसी प्रारंभिक जांच की आवष्यकता नहीं होती है – लेकिन जहां प्राप्त सूचना से संज्ञेय अपराध का किया जाना प्रकट नहीं होता है तब एक प्रारंभिक जांच गठित की जा सकती है।

(ii) प्रारंभिक जांच का क्षेत्र सूचना की सच्चाई को सत्यापित करना नहीं होता है – ऐसे सत्यापन का उचित प्रक्रम एफ.आई.आर. दर्ज करने के बाद है।

(iii) एक प्रारंभिक जांच समय सीमा में होना चाहिए और सात दिन से अधिक की समय सीमा नहीं होना चाहिए – विलंब का कारण जनरल डायरी में दर्षित होना चाहिए – यदि प्रारंभिक जांच षिकायत की समाप्ती पर खत्म होती है, इसकी सकारण सूचना तत्काल सूचना कर्ता को दी जाना चाहिए।

(iv) एफ.आई.आर. दो प्रकार की होती है (ए) धारा 154 के अधीन पुलिस अधिकारी को सूचना कर्ता द्वारा की गई और सम्यक रूप से हस्ताक्षरित एफ.आई.आर., और (बी) एक सूचनाकर्ता द्वारा पुलिस को प्राप्त सूचना के आधार पर पुलिस द्वारा पंजीबद्ध एफ.आई.आर. – दोनों प्रकार की एफ.आई.आर. यदि संज्ञेय अपराध का किया जाना प्रकट होता है तो पुलिस एफ.आई.आर. पंजीबद्ध करने के लिए कर्तव्य से बंधी होती है।

(v) धारा 166–ए भा.दं.सं. में दिया गया दंड जो कि संज्ञेय अपराध में प्रथम सूचना दर्ज न करने के लिए है वह धारा 166–ए भा.दं.सं. में जिन अपराधों का उल्लेख नहीं है उनके लिए अनिवार्य नहीं है – धारा 166–ए भा.दं. सं. को धारा 154 (1) दं.प्र.सं. के साथ पढ़ना चाहिए।

(vi) संज्ञेय अपराध के बारे में सभी सूचना चाहे उनमें जांच होना हो या एफ.आई.आर. दर्ज होना हो उन्हें जनरल डायरी में दर्ज करना चाहिए और जांच गठित करने का निर्णय डायरी में दर्षित होना चाहिए।

(vii) धारा 154 दं.प्र.सं. के प्रावधान धारा 44 पुलिस अधिनियम, 1861 पर अभिभावी होंगे।

(viii) धारा 2 (जी), 159, 202 और 340 दं.प्र.सं. की जांच एक न्यायिक कृत्य से संबंधित है न कि पुलिस द्वारा एफ.आई.आर. दर्ज करने के पूर्व की जाने वाली जांच या एफ.आई.आर. दर्ज करने के बाद अनुसंधान के लिए कदम उठाना। **15 11**

Section 156 (3) – Complaint with regard to offence under sections 406 and 420 of IPC – Power under section 156 (3) CrPC, exercise of.

धारा 156 (3) – धारा 406 और 420 भा.दं.सं. के अपराध से संबंधित परिवाद – धारा 156 (3) दं.प्र.सं. की शक्तियों का प्रयोग किया जाना। **188* 263**

Section 157 – Copy of F.I.R. sent to the court next day – Explanation found proper.

धारा 157 – प्रथम सूचना प्रतिवेदन की प्रतिलिपि अगले दिन न्यायालय भेजी गई – स्पष्टीकरण उचित पाया गया। **257 (i) 371**

Sections 157, 378 and 386 – Mother or father of the deceased came with the theory of accidental death – But accused not disclosed it in statement under section 313 CrPC – Accused absconded – He did not set up defence of ***alibi*** – he had not explained how deceased received injuries – It was his obligation to explain how deceased received injuries in his house – His silence gives inverse inference against him and forms a link in the chain of circumstances which point to his guilt.

Copy of FIR to Magistrate is only for external check on working of police which has to be followed strictly – But delay by itself is not sufficient to throw out prosecution case

On the facts, no delay in lodging FIR.

धारा 157, 378 और 386 – मृतक के माता या पिता दुर्घटना वष मृत्यु की कहानी के साथ आये थे – किन्तु अभियुक्त ने उसके कथन धारा 313 दं.प्र.सं. में इसे प्रकट नहीं किया – अभियुक्त फरार हुआ – उसने घटना स्थल से अनुपस्थिति का बचाव स्थापित नहीं किया – उसने यह स्पष्टीकरण नहीं दिया कि मृतक को चोटें कैसे आई – अभियुक्त पर यह दायित्व था कि वह यह स्पष्टीकरण देता कि मृतक को उसके (अभियुक्त के) घर में चोटें कैसे आई – उसका चुप रहना उसके विरूद्ध प्रतिकूल अनुमान देता है और परिस्थितियों की एक श्रृंखला बनाता है जो उसके दोषी होने को इंगित करती है।

मजिस्ट्रेट को एफ.आई.आर. की प्रतिलिपि भेजना पुलिस की कार्य प्रणाली पर एक बाहरी जांच है जिसका कठोरता से पालन करना चाहिये – किन्तु विलंब अपने आप में अभियोजन का मामला फेंक देने के लिये पर्याप्त नहीं है। **30* (iii), 37 (vi) & (vii)**

Sections 161 and 313 – (i) Statement recorded by police under section 161 CrPC during investigation can be used for the purpose of contradiction and not for corroboration – It is not substantive piece of evidence.

If accused person was not named in the police statement, the evidence cannot be rejected on that ground.

(ii) Can statement recorded under section 313 Cr.P.C be made the sole basis of conviction? Held, No – It may be used for corroboration of prosecution evidence.

(iii) Where witnesses were known to the accused persons, want of T.I. Parade was of no consequence.

(iv) Test of rarest of rare case – Explained.

(v) Section 27 (3) of the Arms Act, 1959 is unconstitutional as held in ***State of Punjab v. Dalvir Singh, (2012) 3 SCC 346***.

धारा 161 और 313 – (i) पुलिस द्वारा अनुसंधान के दौरान लेखबद्ध किये गये धारा 161 दं.प्र.सं. के कथन खंडन के उद्देष्य से उपयोग किये जा सकते हैं पुष्टि के लिए नहीं – यह (धारा 161 के कथन) एक तात्विक साक्ष्य नहीं है।

यदि अभियुक्तगण का नाम पुलिस कथन में अंकित न हो, इस आधार पर साक्ष्य को खारिज नहीं किया जा सकता।

(ii) क्या धारा 313 दं.प्र.सं. के तहत लिए गये कथन दोष सिद्धि का एक मात्र आधार बनाये जा सकते हैं ? अभिनिर्धारित किया गया, नहीं – इन्हें अभियोजन की साक्ष्य की पुष्टि के लिए उपयोग में ले सकते हैं।

(iii) जहाँ गवाह अभियुक्तगण को जानते थे वहाँ पहचान परेड के अभाव का कोई महत्व नहीं है।

(iv) विरले में विरलतम मामले का परीक्षण – स्पष्ट किया गया है।

(v) धारा 27 (3) आयुध अधिनियम, 1959 असंवैधानिक है जैसा कि स्टेट ऑफ पंजाब विरूद्ध दलवीर सिंह (2012) 3 एस.सी.सी. 346 में अभिनिर्धारित किया गया। **64 86**

Section 167(2) (a) – (i) Right of statutory bail – The accused filed an application u/s 167 (2) (a) (i) or (ii) for availing his indefeasible right – It is the duty of the court to verify from the records as well as from the prosecutor whether the time has expired and the charge-sheet has been filed or not and decide the application of accused immediately.

(ii) ***Pragnya Singh Thakur v. State of Maharashtra AIR 2011 SC (Supp) 755*** is not a good law.

धारा 167 (2)(a) – (i) जमानत का कानूनी अधिकार – अभियुक्त ने धारा 167 (2) (a) (i) एवं (ii) तहत उसके आलोप्य अधिकार के उपयोग के लिए आवेदन दिया। यह न्यायालय का कर्त्तव्य है कि वह अभिलेख से और अभियोजक से भी इस तथ्य को सत्यापित करे कि क्या समय अवधि गुजर चुकी है और अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया है या नहीं किया गया है तथा आवेदन को तुरंत निराकृत करें।

(ii) प्रज्ञा सिंह ठाकुर विरूद्ध स्टेट ऑफ महाराश्ट्र, ए.आई.आर. 2011 एस.सी. (सप्लीमेंट 755) में प्रतिपादित विधि एक अच्छी विधि नहीं है। **295 457**

Section 173 (8) – Further investigation – Collection of further (additional) evidence – Submission of further report, necessity of – Where further evidence is collected in further investigation, section 173 sub-section (8) of the Code makes it obligatory on the part of the investigating officer to submit further report on the basis of such further evidence.

धारा 173 (8) – अतिरिक्त अनुसंधान – अतिरिक्त साक्ष्य का संग्रहण – अतिरिक्त प्रतिवेदन के प्रस्तुत करने की आवष्यकता – जहां अतिरिक्त साक्ष्य संग्रहीत की गई है जो अतिरिक्त अनुसंधान में है तब धारा 173 (8) के तहत अनुसंधान अधिकारी पर यह दायित्व बनाती है कि वह ऐसी अतिरिक्त साक्ष्य के आधार पर अतिरिक्त प्रतिवेदन प्रस्तुत करे। **65* 87**

Sections 177 to 179 and 184 – See section 138 of the N.I.Act, 1881.

धारा 177 से 179 और 184 – देखें धारा 138 एन.आई.एक्ट, 1881। **267 395**

Section 195 – See section 188 of the Indian Penal Code, 1860.

धारा 195 – देखिये धारा 188 भा.दं.सं., 1860। **128 157**

Section 197 – See section 19 of the Prevention of Corruption Act, 1988.

धारा 197 – देखिये धारा 19 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988। **189 263**

Section 197 – See section 19 (b) & (c) of the Prevention of Corruption Act, 1988

धारा 197 – देखे भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 19 (बी) और (सी) **334* 529**

Sections 202 and 204 – Whether it is mandatory for a Magistrate to examine all the witnesses cited in the complaint in cases triable by Sessions Court before passing any order under section 203 or 204 of CrPC? Held, No.

धारा 202 और 204 – क्या मजिस्ट्रेट के लिए यह आज्ञापक है कि वह सत्र् न्यायालय द्वारा विचारणीय मामले में परिवाद में उल्लेखित सभी गवाहों का परीक्षण धारा 203 या 204 दं.प्र.सं. का आदेष पारित करने के पहले करे ? अभिनिर्धारित किया गया, नहीं। **129 159**

Section 204 – (i) Can a Magistrate recall or review an order passed by him? Held, No – There is no provision in Cr.P.C. which empowers the Magistrate to recall or review an order passed by him.

(ii) Rider by Hon'ble the Apex Court for passing adverse remarks against the Subordinate Courts – Unless the facts disclose a designed effort to frustrate the cause of justice with mala fide intention, caustic and harsh comments should be avoided .

Judges do commit mistakes – Superior courts are there to correct such mistakes – They can convey their message through their orders which should be authoritative but not uncharitable – The use of derogatory language, invariably has a demoralising effect on the Subordinate Judiciary.

धारा 204 – (i) क्या मजिस्ट्रेट उसके द्वारा पारित आदेष को रिकाल या पुनर्विलोकन कर सकता है ? अभिर्निधारित किया गया, नहीं। दंड प्रक्रिया संहिता में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो मजिस्ट्रेट को उसी के द्वारा पारित आदेष को रिकाल या पुनर्विलोकन करने के लिए सषक्त करता हो।

(ii) माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों के विरूद्ध प्रतिकूल टिप्पणियाँ पारित करने के बारे में राईडर या नियंत्रण के बिन्दु बतलाये गये – जब तक कि तथ्यों से यह प्रकट न होता हो कि न्याय को निष्फल करने के लिए दुराषय से परिकल्पित प्रयास किये गये है, तीखी और कठोर टिप्पणियों से बचना चाहिए। न्यायाधीषगण गल्तिया करते हैं – वरिष्ठ न्यायालय ऐसी गल्तियों को सुधारने के लिए होती है – वे अपना संदेष अपने आदेषों के माध्यम से दे सकती है जो कि प्रमाणिक स्वरूप के होना चाहिए अधार्मिक या अंचेरिटेबल

नहीं होना चाहिए – अप्रतिष्ठा जनक (अपमान जनक) भाषा का उपयोग निरपवाद रूप से अधीनस्थ न्यायपालिका पर उत्साह भंग (या पतन) का प्रभाव करती है। **130 159**

Section 204 – See section 504 of the Indian Penal Code, 1860.

धारा 204 – देखिये धारा 504 भा.दं.सं., 1860। **190 265**

Sections 204, 362, 482 and 201 – Order to issue process under section 204 by Magistrate – He is not empowered to recall it in absence of power of review – The only remedy is proceeding under section 482 CrPC or under Article 227 of the Constitution.

Power to return the complaint for want of jurisdiction can be invoked immediately on receipt of complaint but not after issuance of summons under section 204 CrPC.

धारा 204, 362, 482 और 201 – धारा 204 के तहत मजिस्ट्रेट द्वारा आदेषिका जारी करने का आदेष – वह ऐसे आदेष को रिकाल करने के लिए पुनर्विलोकन की शक्ति के अभाव में सषक्त नहीं हैं – ऐसे आदेष के विरूद्ध धारा 482 दं.प्र.सं. या अनुच्छेद 227 भारतीय संविधान में उपचार हैं।

परिवाद वापस करने की शक्तियॉ जो कि क्षेत्राधिकार के अभाव में उपयोग की जाती है उनका प्रयोग परिवाद प्राप्त होने पर तत्काल करना चाहिए किन्तु धारा 204 दं.प्र.सं. के तहत समंस जारी करने के बाद नहीं। **16 (i) 14 & (ii)**

Sections 211, 215, 216 and 464 – See sections 79 and 304-A of the Indian Penal Code, 1860.

धारा 211, 215, 216 और 464 – देखें धारा 79 और 304–ए, आई.पी.सी., 1860। **255 366**

Section 220 – See sections 3 and 4 of the Prevention of Corruption Act, 1988.

धारा 220 – देखिये धारा 3 और 4 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988। **220 303**

Section 239 – (i) Whether defect in investigation can be a ground for discharge? Held, No.

(ii) Application for discharge – What needs to be considered? Whether there is a ground for presuming that the offence has been committed or not and whether a ground for convicting the accused has been made out or not.

धारा 239 – (i) क्या अनुसंधान में कमी उन्मोचन का आधार हो सकती है ? अभिनिर्धारित किया गया, नहीं।

(ii) उन्मोचन के लिए आवेदन – क्या विचार करना आवष्यक है ? क्या यह उपधारित करने के आधार हैं कि अपराध किया गया है या नहीं। क्या अभियुक्त को दोष सिद्ध करने के आधार बनते हैं या नहीं यह विचार योग्य नहीं हैं। **17 19**

Sections 240 and 482 – At the time of framing of charge, appreciation of evidence is not required.

धारा 240 और 482 – आरोप विरचित करते समय – साक्ष्य का मूल्यांकन आवष्यक नहीं।

241 350

Section 245 – Section 245 of CrPC, applicability of – Held, since the offence under section 138 of the Negotiable Instruments Act is triable summarily or as summons case, section 245 is not applicable.

धारा 245 – धारा 245 दं.प्र.सं. का लागू होना – अभिनिर्धारित किया गया धारा 138 एन.आई.एक्ट. का अपराध संक्षिप्त रूप से या समन्स मामलों की तरह विचारण योग्य है, धारा 245 लागू नहीं होती है। **160 219**

Section 303 – Ground of denial of opportunity to defend by counsel of choice – Rejected.

धारा 303 – अपनी पसंद के अधिवक्ता द्वारा बचाव के अधिकार के अवसर से इन्कार का आधार – तर्क अमान्य किये गये। **259 (i) 374**

Section 311 – (i) Witness recalled once – Whether there is any limitation to his further recalling ? Held, No – He can be recalled again, provided his evidence appears to the court to be essential for the just decision of the case.

(ii)Nature of power u/s 311 Cr.P.C. – The power u/s 311 Cr.P.C. is wide – Since the power is wide, it has to be exercised with circumspection – It is trite that wider the power, greater is the responsibility on the courts which exercise it.

(iii) Use of power – Test – Court, has to find out whether recalling of a witness is necessary for just decision of case or for filling up lacuna of any party.

धारा 311 – (i) एक गवाह को एक बार पुनः बुलाया गया – क्या उसके बाद में पुनः बुलाने की कोई परिसीमा है ? अभिनिर्धारित किया गया, नहीं। वह पुनः बुलाया जा सकता है, यदि उसकी साक्ष्य न्यायालय के मत में मामले के न्यायपूर्ण निराकरण के लिए आवष्यक प्रतीत होती हो।

(ii) धारा 311 दण्ड प्रक्रिया संहिता की शक्तियों की प्रकृति – धारा 311 दण्ड प्रक्रिया संहिता की शक्तियां विस्तृत है – चूंकि ये शक्तियां विस्तृत है इसलिए इनका उपयोग सावधानी से करना चाहिए यह स्थापित सिद्धांत है कि जहाँ शक्ति विस्तृत होती है वहाँ न्यायालयों पर जो उनका प्रयोग करती है उत्तरदायित्व को बढ़ा देती है।

(iii) शक्तियों का प्रयोग – परीक्षण – न्यायालय को यह पता लगाना चाहिए कि क्या एक साक्षी को पुनः बुलाना प्रकरण के न्यायपूर्ण निराकरण के लिए आवष्यक है या वह किसी पक्षकार के मामले की कमी को पूरा करने के लिए है। **296 458**

Sections 311 and 301 – Reconciliation between sections 301 and 311 of Cr.P.C. – Under section 301(2), the right of a private person to participate in criminal proceedings has got its own limitations, in the conduct of the proceedings while the ingredients of section 311 empowers the trial Court to resort to an appropriate measure befitting the situation in the matter of examination of witnesses in order to arrive at a just decision – If in the consideration of the trial Court, invocation of section 301(2) is not permissible, then scope for invoking section 311of Cr.P.C. should be examined to set right the position.

धारा 311 और 301 – धारा 301 और 311 दं.प्र.सं. के बीच सामंजस्य – धारा 301 (2) के अधीन एक निजी व्यक्ति को दांडिक कार्यवाही में भाग लेने के अधिकार की अपनी सीमायें हैं जो कि कार्यवाही के संचालन में हैं जबकि धारा 311 के घटक विचारण न्यायालय को सषक्त करते हैं कि एक युक्ति–युक्त निर्णय पर पहुंचने के लिए उचित कदम मामले की स्थिति में लेवें और गवाहों का परीक्षण करें यदि विचारण न्यायालय के मत में धारा 301 (2) की प्रार्थना अनुमति योग्य नहीं है तब धारा 311 दं.प्र.सं. को लागू करके स्थिति का परीक्षण करना चाहिए।

191 267

Sections 311 and 482 – See section 165 of the Evidence Act, 1872.

धारा 311 और 482 – देखें साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 165। **317 499**

Section 313 – (i) Accused has a duty to offer an explanation in his examination under section 313 CrPC regarding any incriminating material that has been put up before him – If the accused chooses to maintain silence, the court would be entitled to draw an adverse inference.

(ii) Accused did not deny his visit to the house of the complainant or that his shirt found hanging on the peg in the wall and that his hands turned pink on being washed with sodium carbonate water.

Accused has not furnished any explanation about above incriminating circumstances – High Court reversed the acquittal to conviction – The Apex Court maintained the conviction.

धारा 313 – (i) अभियुक्त का यह कर्तव्य है कि वह उसके परीक्षण धारा 313 दं.प्र.सं. में उसके समक्ष रखी गयी दोष लगाने वाली सामग्री के बारे में स्पष्टीकरण देवे – यदि अभियुक्त चुप रहना चुनता है तो न्यायालय उसके विरूद्ध प्रतिकूल अनुमान लगा सकती है।

(ii) अभियुक्त ने परिवादी के घर जाने से इंकार नहीं किया था या उसका शर्ट दीवार पर टंगा हुआ था और उसके हाथ सोडियम कार्बोनेट में धुलवाने पर गुलाबी हो गये थे इससे भी इंकार नहीं किया था।

अभियुक्त ने उक्त दोष लगाने वाली परिस्थितियों के बारे में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया – उच्च न्यायालय ने उसकी दोष मुक्ति को दोष सिद्धि में परिवर्तित किया – सर्वोच्च न्यायालय ने दोष सिद्धि कायम रखी। **66 87**

Section 313 – Incriminating circumstances put to the accused in examination under section 313 CrPC by the trial court but he had not offered reasonable explanation except false implication – Trial Court has rightly drawn an adverse inference against the accused.

The Apex Court appreciated prompt investigation and expeditious justice delivered by the trial court and Hon'ble the High Court of M.P.

धारा 313 – अभियुक्त के समक्ष उसके परीक्षण धारा 313 दं.प्र.सं. में विचारण न्यायलय में उसके विरूद्ध दोष लगाने वाली परिस्थितियाँ रखी लेकिन अभियुक्त ने केवल उसे झूठा फंसाया गया है इसके अलावा कोई युक्ति–युक्त स्पष्टीकरण नहीं दिया – विचारण न्यायालय में अभियुक्त के विरूद्ध प्रतिकूल अनुमान सही रूप से निकाला।

सर्वोच्च न्यायालय ने त्वरित अनुसंधान और त्वरित न्यायदान जो विचारण न्यायालय और माननीय उच्च न्यायालय म.प्र. द्वारा किया गया उसकी प्रसंषा की। **67 (i) 88 & (iii)**

Section 313 – Plea of right of private defence – Not taken in examination u/s 313 – Can be gathered from record.

धारा 313 – निजी प्रतिरक्षा के अधिकार का बचाव – धारा 313 के परीक्षण में नहीं लिया गया – अभिलेख से एकत्रित किया जा सकता है। **256 (i) 370**

Sections 319, 300 and 398 – (i) Constitution of fair trial requires that the real culprits should not get away unpunished.

(ii) Power under section 319 CrPC against a person not arraigned as an accused – Can be used at the stage of inquiry into or trial of an offence, if it appears from evidence to the satisfaction of the Court.

(iii) Inquiry means pre-trial inquiry by the Court that power can be exercised prior to the commencement of trial – Trial commences after framing of charge.

(iv) The word "evidence" in section 319 CrPC does not mean only evidence brought during trial – Rather it means that material which came before the court during enquiry can be used for :

(a) corroboration of evidence recorded by court after commencement of trial

(b) for exercise of power under section 319

(c) to add an accused whose name is shown in chargesheet.

(v) Evidence includes statements made in examination-in-chief – Court exercising the power under section 319 need not wait for evidence to be tested by cross-examination.

(vi) Degree of satisfaction for invoking section 319 should be more than prima facie case as required at the time of framing of charge.

(vii) Person not named in FIR or named in FIR but not chargesheeted can be summoned – But in case of discharged person, requirement of sections 300 and 398 must be complied with before summoning under section 319.

(viii) Sections 207 and 209 CrPC – Duties under these provisions are of administrative nature – There is difference between application of mind and judicial application of mind.

(ix) Sections 193 and 319 – Section 193 confers power of original jurisdiction upon Sessions Court – Sessions Court need not wait till the stage of section 319 but direct a person to appear and face trial – It can add an accused after the case has been committed.

(x) Magistrate at the stage of sections 207 to 209 CrPC is forbidden from applying his mind to the merits of the case to add or subtract any accused from being tried before the Court of Sessions.

(xi) Addition of new person as accused named in complaint – Power can be exercised under section 319 at the Court's inquiry stage as well as during trial.

(xii) Inquiries under sections 200 to 202 sub-clause (5) of section 300 and section 398 are species of inquiry contemplated under section 319.

धारा 319, 300 और 398 – (i) ऋजु विचारण का संविधान यह चाहता है कि असली अपराधी दंड़ से बचने नहीं चाहिए।

(ii) धारा 319 दं.प्र.सं. की शक्तियाँ उस व्यक्ति के विरूद्ध जो अभियुक्त के रूप में नहीं जोड़ा गया – यदि साक्ष्य द्वारा न्यायालय का समाधान होता है तो इन शक्तियों का प्रयोग वह जांच के प्रक्रम पर या अपराध के विचारण के प्रक्रम पर कर सकती है।

(iii) जांच से तात्पर्य विचारण पूर्व जांच है जो न्यायालय द्वारा की जाती है इन शक्तियों का प्रयोग विचारण के प्रारंभ होने से पूर्व किया जा सकता है – विचारण आरोप विरचित करने के बाद प्रारंभ होता है।

(iv) शब्द ''साक्ष्य'' जो धारा 319 दं.प्र.सं. में है उसका अर्थ केवल विचारण के दौरान ली गई साक्ष्य नहीं होता है – वास्तव में न्यायालय के समक्ष जांच के दौरान जो सामग्री आती है उससे होता है और उसे भी उपयोग में लिया जा सकता है;

(a) विचारण प्रारंभ होने के पष्चात् न्यायालय द्वारा लेखबद्ध साक्ष्य की पुष्टि

(b) धारा 319 की शक्तियों का प्रयोग

(c) एक अभियुक्त को जोड़ना जिसका नाम चार्ज शीट में दर्षाया है

(v) साक्ष्य में मुख्य परीक्षण में किये गये कथन शामिल होते हैं – न्यायालय जो धारा 319 की शक्तियों का प्रयोग करती है उसके लिए यह आवष्यक नहीं है कि वह प्रतिपरीक्षण होने तक इंतजार करें।

(vi) धारा 319 को लागू करने के लिए संतोष का स्तर उस स्तर से अधिक होना चाहिए जो आरोप विरचित करते समय प्रथम दृष्टया होता है।

(vii) व्यक्ति जिसका नाम एफ.आई.आर. में नहीं है या जिसका नाम एफ.आई.आर. में है लेकिन उसका नाम चार्ज शीट में नहीं है उसे समन किया जा सकता है – किन्तु उन्मोचित व्यक्ति के मामले में धारा 300 और 398 की अनिवार्यतायें धारा 319 में उसे समन करने के पहले पालन होना चाहिए।

(viii) धारा 207 और 209 दं.प्र.सं. – इन प्रावधानों के तहत कर्तव्य प्रषासकीय प्रकृति के है – मस्तिष्क के प्रयोग और न्यायिक मस्तिष्क के प्रयोग में अंतर होता है।

(ix) धारा 193 और 319 – धारा 193 सत्र न्यायालय को मूल क्षेत्राधिकार की शक्तियाँ देती है – सत्र न्यायालय को धारा 319 का प्रक्रम आने तक इंतजार करना आवष्यक नहीं है किन्तु वह एक व्यक्ति को उपस्थित होने और विचारण का सामना करने का निर्देष दे सकती है – सत्र न्यायालय उसे प्रकरण उपार्पित होने के बाद अभियुक्त को जोड़ सकती है।

(x) मजिस्ट्रेट धारा 207 से 209 दं.प्र.सं. के प्रक्रम पर मामले के गुण दोष पर उसके मस्तिष्क का प्रयोग करने से निषेधित होता है कि किसी व्यक्ति को अभियुक्त के रूप में जोड़े या कम करे जिसे सत्र न्यायालय के समक्ष विचारित किया जाना है।

(xi) नये व्यक्ति को परिवाद में अभियुक्त के रूप में जोड़ना – धारा 319 की शक्तियों का प्रयोग न्यायालय की जांच के प्रक्रम पर या विचारण के दौरान किया जा सकता है।

(xii) धारा 200 से 202 और 300 (5), 398 के तहत जाचें धारा 319 के तहत जांच की ही प्रजातियॉ हैं।

68 89

Section 320 – See section 324 of the Indian Penal Code, 1860.

धारा 320 – देखिये धारा 324 भा.दं.सं. 1860। **192* 268**

Sections 320 and 482 – (i) Compounding in non-compoundable cases is impermissible – Monitory compensation cannot wipe out crime against society.

(ii) Offence under section 307 IPC is non-compoundable – Criminal justice system has larger objective to achieve the safety and protection of people at large.

(iii) Quashing of criminal proceedings on the basis of settlement between victim and offender is different from compounding of offence – Power of compounding is prescribed under section 320 CrPC – Quashing of proceedings under section 482 Cr.P.C is guided by material on record as to whether ends of justice would justify exercise of such power.

धारा 320 और 482 – (i) अषमनीय अपराधों में शमन या समझौता अनुमति योग्य नहीं है – धन के रूप में प्रतिकर समाज के विरूद्ध अपराध को मिटा नहीं सकता।

(ii) धारा 307 भा.दं.सं. का अपराध अषमनीय है – दांडिक न्याय प्रणाली का बड़ा उद्देष्य जनता को सुरक्षा और संरक्षण प्राप्त करवाना है।

(iii) दांडिक कार्यवाही को आहत और अपराधी के बीच समझौता होने के आधार पर अपास्त करना अपराध के शमन से भिन्न है – अपराध के शमन की शक्ति धारा 320 दं.प्र.सं. में दी गयी है – धारा 482 दं.प्र.सं. के तहत कार्यवाही को अभिखंडित करना अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री के आधार पर मार्गदर्षित होता है कि क्या ऐसी शक्तियों के प्रयोग से न्याय के उद्देष्य की पूर्ति होगी।

131 161

Sections 321 – How to deal with application for withdrawal of prosecution?

धारा 321 – अभियोजन को वापस लेने के आवदेन पर कैसे विचार किया जाये?

297 460

Section 362 – Order or judgment of acquittal – Dictated in open court but not signed by Judge – He can recall or review it.

धारा 362 – दोषमुक्ति का आदेष या निर्णय खुले न्यायालय में श्रुत लेखित किन्तु न्यायाधीष ने हस्ताक्षर नहीं किए – वे उसका पुनरावलोकन कर सकते हैं। **242 350**

Section 389 (1) – Power of suspension of sentence by Appellate Court, exercise of – Suspension of sentence is discretionary relief – However, the power is to be exercised judicially – The Appellate Court is required to record reasons in writing therefor – Appellate Court is empowered to impose conditions while granting suspension of execution of sentence which are reasonable and commensurate or proportionate to the sentence imposed – The appellate Court is required to consider nature and gravity of circumstances, the position and status of the accused with reference to the victim and the witnesses, the likelihood of the accused fleeing from justice for repeating the offence and jeopardizing his own life and thereafter, being faced with the grim prospect of possible conviction in the case and tampering with the evidence.

धारा 389 (1) – अपील न्यायालय द्वारा सजा को स्थगित करने की शक्तियों का प्रयोग – इन विवेकाधिकार पर आधारित शक्तियों का प्रयोग कैसे किया जाये स्पष्ट किया जाये।

193* 268

Section 399 r/w/s 401 – See section 306 of the Indian Penal Code, 1860.

धारा 399 सह पठित धारा 401 – देखिये धारा 306 भा.दं.सं. 1860। **203* 281**

Sections 401 (1) & (3) and 386 (a) – (i) High Court's power of revision under section 401 CrPC – Scope – High Court while exercising powers of revision can exercise all powers of appellate court specified in section 386 CrPC except the power to convert the finding of acquittal into conviction – In exceptional circumstances, High Court can exercise the power of acquittal and direct retrial of cases.

(ii) In the matter of revision, the trial court without being influenced by observation made by the Revisional Court has power to re-appreciate the evidence.

(iii) Setting aside of order of acquittal in revision is guided by certain principles: (1) where acquittal is based on misreading of evidence or non-consideration of evidence or perverse appreciation of evidence or where trial court overlooked the material evidence or (2) where there is manifest error of law or procedure or (3) where the acquittal suffers from glaring illegality causing miscarriage of justice.

धारा 401 (1) एवं (3) और धारा 386 (ए) – पुनरीक्षण की शक्तियों का प्रयोग उच्च न्यायालय द्वारा कैसे किया जाये स्पष्ट किया गया। **18 20**

Section 437 (5) – Cancellation of bail – Subsequent conduct of the accused is a relevant factor for cancellation of bail – Other principles reiterated.

धारा 437 (5) – जमानत निरस्त किया जाना – अभियुक्त का पष्चातवर्ती आचरण जमानत को निरस्त करने में एक सुसंगत कारक होता है – अन्य सिद्धांत पुनः बतलाये गये।

69 95

Section 438 – Anticipatory bail – Conditions, reasonability of – The words 'any conditions' used in the provisions should not be regarded as conferring absolute power on a Court to impose any condition that it chooses to impose – Conditions imposed in granting anticipatory bail must be just, fair and reasonable and should not be so harsh as to generate undue harassment to the applicant.

धारा 438 – अग्रिम जमानत – शर्तों का युक्ति–युक्त होना – शब्द शर्तें जो प्रावधान में प्रयुक्त हुआ है वह न्यायालय को ऐसी आत्यंतिक शक्ति नहीं देता है कि वह कोई भी शर्त चुन ले और लगा दे – अग्रिम जमानत देने में लगाई जाने वाली शर्तें न्यायसंगत, ऋजु और युक्ति–युक्त होना चाहिए ये शर्तें ऐसी कठोर नहीं होना चाहिए जो आवेदक को अनुचित पीड़ादायक हो।

132* 163

Section 438 – See sections 18 and 3 of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989.

धारा 438 – देखिये धारा 18 और 3, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989। **70 96**

Section 438 – (i) Whether conduct or character of prosecutrix can be the criteria for granting bail or anticipatory bail to the accused ? Held, No.

(ii) ***Prima facie*** evidence against accused is available that he committed offence of rape on prosecutrix, inspite of knowledge of the fact that she is a woman of the community covered under SC /ST Act – Bar under section 18 also attracted – Accused is a police personnel – Not entitled to the benefit u/s 438 Cr.P.C.

धारा 438 – (i) क्या अभियोक्त्रि का आचरण या चरित्र जमानत या अग्रिम जमानत मंजूर करने में मानदण्ड हो सकता है ? अभिनिर्धारित किया गया, नहीं।

(ii) अभियुक्त के विरूद्ध प्रथम दृष्टया साक्ष्य उपलब्ध की उसने अभियोक्त्रि के साथ बलात्संग, यह तथ्य ज्ञान में होते हुए किया कि वह एक ऐसे समुदाय की महिला है जो अधिनियम, 1989 में आती है। धारा 18 का वर्जन भी आकर्षित होता है। अभियुक्त एक पुलिस अधिकारी है – धारा 438 दण्ड प्रक्रिया संहिता का लाभ पाने का हकदार नहीं है। **298 461**

Sections 438 and 82 – (i) Nature and scope of section 438 – Is extraordinary and should be exercised only in exceptional cases where it appears that the person may be falsely implicated and there is no likelihood of misuse of any liberty – A proclaimed offender under section 82 CrPC shall not be entitled for anticipatory bail.

(ii) Cancellation of anticipatory bail – It is a settled position of law that where accused has been declared as an absconder and has not cooperated with the investigation, he should not be granted anticipatory bail.

धारा 438 और 82 – (i) धारा 438 की प्रकृति और विस्तार – ये असाधारण है और इनका उपयोग अपवाद स्वरूप मामलों में जहाँ यह प्रतीत होता है कि अभियुक्त को असत्य रूप से लिप्त किया गया है और उसके द्वारा स्वतंत्रता का दुरूपयोग करने की संभावना नहीं हैं वहीं किया जाना चाहिए – धारा 82 दं.प्र.सं के तहत उद्घोषित अपराधी को अग्रिम जमानत नहीं देना चाहिए।

(ii) अग्रिम जमानत का निरस्त किया जाना– यह स्थापित विधि है कि जहाँ अभियुक्त फरार घोषित किया जाता है और वह अनुसंधान में सहयोग नहीं करता है वहाँ उसे अग्रिम जमानत नहीं दी जाना चाहिए। **19 22**

Sections 438, 437 and 439 – High Court rejecting the anticipatory bail directed the trial court to release on bail – Such order puts restriction on the power of trial court to grant or refuse bail – Therefore, should never be passed.

धारा 438, 437 और 439 – उच्च न्यायालय ने अग्रिम जमानत निरस्त की और विचारण न्यायालय को जमानत पर (अभियुक्त को) रिहा करने के निर्देष दिये – ऐसा आदेष विचारण न्यायालय की जमानत देने या जमानत न देने की शक्ति को बाधित करता है – ऐसा आदेष कभी पारित नहीं करना चाहिए। **20 24**

Section 439 – Bail, non-grant of – Law stated.

धारा 439 – जमानत, मंजूर न किया जाना – विधि बतलायी गयी। **299 463**

Section 451 – Seizure of vehicle in forest offence, release of – In serious offences relating to forest laws, court must refrain itself from releasing the vehicle during trial.

धारा 451 – वन अपराध में जप्त वाहन को दिया जाना – वन कानूनों के गंभीर अपराधों में विचारण के दौरान वाहन को छोड़ने से न्यायालय को बचना चाहिए। **194 269**

Section 460 – Procedural defects and irregularities which are curable, should not be allowed to defeat substantive rights or to cause injustice – Procedure, a handmaiden of justice, should never be made a tool to deny justice or perpetuate injustice by any oppressive or punitive use.

धारा 460 – प्रक्रियात्मक त्रुटियों और अनियमितताएं जो सुधारने योग्य है उनके तात्विक अधिकारों को पराजित करने या अन्याय कारित करने के लिए अनुमत नहीं होने देना चाहिए – प्रक्रिया जो न्याय की एक दासी है उसे न्याय से इन्कार करने या अन्याय का हथियार बनने नहीं देना चाहिए। **159 (ii) 218**

Section 465 – Whether sanction order passed mechanically can be held before taking evidence? Held, No – An appropriate stage for reaching the said conclusion would be only after evidence had been led on that point.

Even if sanction is granted by an incompetent authority, there should be a finding of failure of justice by the court before interdicting the criminal proceeding.

धारा 465 – क्या अनुमति आदेष यांत्रिक तरीके से पारित किया गया है ऐसा साक्ष्य लेने से पहले अभिनिर्धारित किया जा सकता है ? अभिनिर्धारित किया गया, नहीं ऐसे निष्कर्ष पर पहुंचने का उचित प्रक्रम इस बिन्दु पर साक्ष्य प्रस्तुत हो चुकी हो उसके बाद आता है।

यद्यपि अनुमति आदेष अक्षम प्राधिकारी द्वारा दिया गया हो, दांडिक कार्यवाही को निषेधित करने के पूर्व न्याय की हानि के बारे में निष्कर्ष होना चाहिए। **221 309**

Sections 468, 469, 470, 473 and Chapter XXXVI – (i) For the purpose of limitation, the relevant date for computation is the date when criminal complaint is filed or the date of institution of prosecution/criminal proceedings and not the date of cognizance.

(ii) The harmonious construction of sections 468, 469 and 470 is that Magistrate can take cognizance of an offence only on filing of complaint or filing of prosecution/criminal proceeding – The complainant or prosecution may be entitled to exclude the legally excludable time.

(iii) Cognizance is an act of the court – It can be taken when Magistrate or court applies its mind or take judicial notice of the suspected offence.

धारा 468 से 470, 473 और अध्याय 36 – (i) परिसीमा के उद्देष्य के लिए गणना की सुसंगत तारीख वह है जब दाण्डिक परिवाद फाइल किया जाता है दाण्डिक कार्यवाही/अभियोजन संस्थित किये जाने की तारीख सुसंगत है न ही संज्ञान लेने की तारीख।

(ii) धारा 468, 467, 470 का सौहार्दपूर्ण गठन यह है कि मजिस्ट्रेट परिवाद प्रस्तुत होने पर ही या अभियोजन/दाण्डिक कार्यवाही फाइल होने पर ही प्रसंज्ञान ले सकता है – परिवादी या अभियोजन वैध रूप से क्षमा लिये जाने योग्य समय को क्षम्य करवाने का अधिकारी होता है।

(iii) संज्ञान एक न्यायालय का कृत्य है – संज्ञान तब लिया जाता है जब मजिस्ट्रेट या न्यायालय उसके मस्तिष्क का प्रयोग करता है और अपराध के बारे में न्यायिक अवेक्षा या ज्यूडिषियल नोटिस लेता है। **21 25**

Section 482 – (i) If ***prima facie*** case of criminal breach of trust if made out against accused, then burden is on the accused to rebut.

(ii) Prerequisite for criminal breach of trust is entrustment of property and failure to account for – Having two parts; one entrustment, dominion or control on the property and second misappropriation or dishonest dealing with property contrary to the terms of the obligation created.

धारा 482 – (i) यदि प्रथम दृष्टया अभियुक्त के विरूद्ध आपराधिक न्यास भंग करने का मामला बनता है तब खंडन का भार अभियुक्त पर होता है।

(ii) आपराधिक न्यास भंग के लिए आवष्यकताएं सम्पत्ति का न्यस्त किया जाना और अभियुक्त द्वारा उसका लेखा देने में असफल रहना – इसके दो भाग है पहला न्यस्तिकरण सम्पत्ति पर अधिभाव या नियंत्रण और दूसरा दुर्विनियोग या जो दायित्व सृजित किया गया था उसकी शर्तो के विपरीत बेईमानी पूर्वक सम्पत्ति लेना। **22 28**

CRIMINAL TRIAL
आपराधिक विचारण

(i) Anticipatory bail – Inapplicability of section 438 Cr.P.C. in a particular State – Accused can seek relief under section 226 of the Constitution but High Court has to exercise its power sparingly and, only in appropriate cases, anticipatory bail can be granted.

(ii) Writ petition under Article 226 dismissed – Grant of relief after dismissal is impermissible.

(i) अग्रिम जमानत – किसी राज्य विषेष में धारा 438 दण्ड प्रक्रिया संहिता का लागू न होना – अभियुक्त अनुच्छेद 226 भारतीय संविधान के तहत सहायता मांग सकता है लेकिन उच्च न्यायालय को उसकी शक्तियों का उपयोग बहुत कम और केवल उचित मामलों में करना चाहिए और उन्हीं में अग्रिम जमानत देना चाहिए।

(ii) अनुच्छेद 226 की रिट याचिका खारिज हो गयी – ऐसी खारिज के बाद अनुतोष का दिया जाना अनुमत नहीं है। **133 163**

(i) Investigation – IO submitted charge sheet without report of forensic lab – Public Prosecutor also failed to guide IO – Magistrate who committed the matter to Sessions Court failed to apply his mind – Judicial Officers and Public Prosecutors owe a greater responsibility to ensure compliance with law in a criminal case.

(ii) Death by poisoning alleged but FSL report not produced – Doctor who conducted post-mortem not examined – Content of post-mortem report not discussed in the judgment – Conviction reversed.

(iii) Offence under section 304-B not established i.e. occurrence of death of deceased other than normal circumstances not established – Evidence on record was sufficient to sustain conviction under section 498-A.

(i) अनुसंधान – अनुसंधान अधिकारी ने फॉरेन्सिक लैब के प्रतिवेदन के बिना चार्जषीट पेष की – लोक अभियोजक भी अनुसंधान अधिकारी को दिषा–निर्देष देने में असफल रहा – मजिस्ट्रेट जिसने मामला सत्र न्यायालय को उपार्पित किया वे भी अपने मस्तिष्क का प्रयोग करने में असफल रहे न्यायिक अधिकारी और लोक अभियोजक पर दाण्डिक प्रकरण में विधि की अनुपालना सुनिष्चित करने का बड़ा उत्तरदायित्व होता है।

(ii) जहर द्वारा मृत्यु आरोपित किन्तु एफ.एस.एल. प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं – डॉक्टर जिसने शव परीक्षण किया था उसका कथन नहीं करवाया – शव परीक्षण के तत्व की विवेचना निर्णय में नहीं की – दोषसिद्धि उलट दी गयी।

(iii) धारा 304–बी के अधीन आरोप स्थापित नहीं क्योंकि मृत्यु सामान्य से भिन्न परिस्थितियों में होना स्थापित नहीं – अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य धारा 498–ए के अधीन दोषसिद्धि कायम रखने के लिए पर्याप्त थी। **134 165**

See section 304-B of the Indian Penal Code, 1860.

देखिए धारा 304 बी भारतीय दण्ड संहिता 1860। **151 197**

Theory of last seen – Last seen theory comes into play only in a case where the time-gap between the point of time when the accused and the deceased were seen alive and when the deceased found dead is small.

अंतिम बार साथ देखे जाने का सिद्धांत – अंतिम बार साथ देखे जाने का सिद्धांत लागू तभी होता है जब अभियुक्त और मृतक को अंतिम बार साथ देखे जाने और मृतक की मृत्यु के बीच का समय अन्तर कम हो। **248 (ii) 358**

Sentencing – Duty of awarding adequate sentence, explained.

दंडादेष – उचित दंड देने के कर्तव्य को स्पष्ट किया गया। **256 (ii) 370**

ELECTRICITY ACT, 2003
विद्युत अधिनियम, 2003

Sections 126 and 135 – Distinction between unauthorized use of electricity under section 126 and theft of electricity under section 135 of the Act – Law explained.

धारा 126 और 135 – धारा 126 के तहत विद्युत का अनाधिकृत उपयोग और धारा 135 के तहत विद्युत की चोरी के बीच अन्तर – विधि स्पष्ट की गयी। **300 467**

Sections 135 and 154 – Dismissal of complaint in respect of theft of electricity and non- determination of civil liability – Effect on provisional order – It is not enforceable.

धारा 135 और 154 – विद्युत चोरी का परिवाद खारिज होना और सिविल दायित्व का निर्धारण न किया जाना – प्राविधिक आदेष पर प्रभाव – यह (ऐसा आदेष) प्रवर्तन योग्य नहीं रहता है। **243 351**

Section 151 – (i) The amendment brought in section 151 of the Electricity Act, 2003 is clarificatory in nature and also retrospective.

(ii) Notwithstanding the provisions of section 151 of the Act, FIR could be filed by the police.

(iii) When written complaint is filed, the court would be competent to take cognizance straightway – It would not mean that other avenues for investigation into the offence which are available would be excluded.

धारा 151 – (i) धारा 151 विद्युत अधिनियम, 2003 में लाया गया संषोधन स्पष्टीकरण की प्रकृति का है और भूतलक्षी या रेट्रोस्पेक्टिव भी है।

(ii) धारा 151 अधिनियम में कही गयी बात के होते हुए भी पुलिस द्वारा एफ.आई.आर. की जा सकती है।

(iii) जब लिखित परिवाद फाइल किया जाता है तब न्यायालय सीधे संज्ञान लेने के लिए सक्षम होगे – इसका तात्पर्य यह नहीं है कि अपराध के अनुसंधान के उपलब्ध अन्य मार्ग समाप्त हो जाते है।**62 83**

ELECTRICITY RULES, 2005
विद्युत नियम, 2005

Rule 12 – See section 151 of the Electricity Act, 2003.

नियम 12 – देखिए धारा 151 विद्युत अधिनियम, 2003। **62 83**

EVIDENCE ACT, 1872
साक्ष्य अधिनियम, 1872

Section 3 – Appreciation of child witness – The evidence of a child witness must be evaluated more carefully and with greater circumspection because a child is susceptible to be swayed by what others tell him.

धारा 3 – बालसाक्षी की साक्ष्य को मूल्याकंन – बालसाक्षी की साक्ष्य का मूल्याकंन अधिक सावधानी से और भारी सर्तकता से करना चाहिए क्योंकि एक बालक के अन्य के द्वारा समझाये जाने से प्रभावित होने का संदेह रहता है। **67 (ii) 88**

Section 3 – Witness not gone to rescue deceased during incident due to fear and threat given by the accused – His conduct is quite natural.

धारा 3 – गवाह अभियुक्त की धमकी और भय के कारण घटना के दौरान मृतक को बचाने नहीं गया – उसका यह आचरण बिल्कुल स्वाभाविक है। **257 (ii) 371**

Sections 3 and 8 – (i) Appreciation of evidence of pardanashin lady – The face of a pardanashin lady may not be seen by others but she can see others – Identification cannot be rejected on the ground of pardanashini.

(ii) I.O. mentioned opinion of general public in case dairy – It has no relevance to a criminal case – A court deciding a criminal case must go by legal evidence adduced before it – Undue importance should not to be given to such type of entries.

(iii) Career or high position in life is not relevant because crimes are also committed by men holding high positions and having bright career.

(iv) Where there is an eye witness of incident, the absence of motive pales into insignificance.

धारा 3 और 8 – (i) पर्दानषीन महिला की साक्ष्य का मूल्याकंन – यह तथ्य कि पर्दानषीन महिला को दूसरे के द्वारा नहीं देखा जा सकता किन्तु वह दूसरे को देख सकती है – पर्दानषीनी के आधार पर पहचान खारिज नहीं की जा सकती।

(ii) अन्वेषण अधिकारी ने सामान्य जनता की राय को केष डायरी में अंकित किया – इसकी (आम लोगों की राय की) दाण्डिक प्रकरण में कोई सुसंगता नहीं है – एक न्यायालय को एक दाण्डिक प्रकरण को उसके समक्ष प्रस्तुत वैधानिक साक्ष्य के आधार पर निराकृत करना चाहिए। ऐसे इन्द्राज को अनुचित महत्व नहीं देना चाहिए।

(iii) आजीविका या जीवन में उच्च स्थिति सुसंगत नहीं है क्योंक अपराध ऐसे व्यक्ति द्वारा भी किये जाते है जो उच्च स्थिति रखते है और जिनकी अच्छी आजीविका होती है।

(iv) जहाँ घटना का चक्षुसाक्षी हो वहाँ हेतुक की अनुपस्थिति का कोई महत्व नहीं है।
135 167

Sections 3, 10 and 30 – Confession made by one accused, when can be used against other accused persons?

धारा 3, 10 एवं 30 – (एक अभियुक्त द्वारा की गयी संस्वीकर्षति कब अन्य अभियुक्त के विरूद्ध उपयोग में लायी जा सकती है? **284 (iii) 438**

Sections 3 and 27 – Circumstantial evidence – Last seen together – 8 year old victim was taken to the backyard of mill by accused – Accused has unusually sent his employee for lunch – Accused opened his mill at odd hours – Dead body of victim recovered next morning – Accused has not given any explanation for any circumstance – Conviction held proper.

धारा 3 एवं 27 – परिस्थितिजन्य साक्ष्य – अंतिम बार साथ देखा जाना – 8 वर्षीय आहत अभियुक्त द्वारा मिल के पीछे के भाग में ले जायी गयी – अभियुक्त ने उसके कर्मचारी को असामान्य रूप से दोपहर के भोजन के लिए भेजा – अभियुक्त ने उसकी मिल ऐसे समय में खोली जो मिल के खोलने का समय नहीं था – आहत का मृत शरीर अगली सुबह बरामद हुआ – अभियुक्त ने किसी भी परिस्थिति का कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया – दोषसिद्धि उचित पायी गयी। **294 (ii) 453**

Sections 3 and 27 – (i) Dead body was recovered from the house of accused on the information given by him – It is for the accused to explain as to how it was found concealed in his house – He offered no explanation – Accused also last seen with deceased. Conviction upheld by Apex Court.

(ii) Importance of expert scientific evidence like DNA in cases based on circumstantial evidence – Explained.

धारा 3 और 27– (i) – अभियुक्त द्वारा दी गयी सूचना के आधार पर उसके घर से मृत शरीर बरामद हुआ यह अभियुक्त पर है कि वह यह स्पष्ट करे कि वह मृत शरीर कैसे उसके घर में छिपाया हुआ था – उसने कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया – अभियुक्त अंतिम बार मृतक के साथ देखा गया था सर्वोच्च न्यायालय ने दोषसिद्धि कायम रखी।

(ii) परिस्थिति जन्य साक्ष्य पर आधारित प्रकरणों में विषेषज्ञ वैज्ञानिक साक्ष्य का महत्व जैसे डी.एन.ए. को स्पष्ट किया गया। **136 169**

Sections 3, 27 and 45 – Interested witness – Witness is the father of deceased – Has no enmity with accused – His evidence cannot be doubted on that count.

Tracing the accused by sniffer dog – Value of.

धारा 3, 27 एवं 45 – हितबद्ध साक्षी – साक्षी मृतक का पिता – उसकी अभियुक्त से कोई रंजिष नहीं – उसकी साक्ष्य पर केवल मृतक का पिता होने के आधार पर संदेह नहीं किया जा सकता।

अभियुक्त का पता सूंघकर पहचानने वाले कुत्ते के आधार पर – साक्ष्यिक मूल्य। **244 (ii) 352 & (iii)**

Sections 3 and 32 – (i) Appreciation of evidence – Dying declaration not recorded directly from the actual words of the deceased but as dictated by PW 36, creates suspicion about its credibility – Sanctity is attached to a D.D. because it comes from the mouth of a dying person.

(ii) Appeal against acquittal – Principles which must bear in mind, explained.

धारा 3 और 32 – (i) साक्ष्य का मूल्याकंन मृत्यु कालीन कथन मृतक के व्यावहारिक शब्दों में सीधे अभिलिखित नहीं किया गया था बल्कि अभियोजन साक्षी क्रमांक 36 द्वारा डिक्टेट करवाया गया था, उसकी विष्वसनीयता के बारे में संदेह उत्पन्न करता है – मृत्यु कालीन कथन के साथ एक पवित्रता जुड़ी होती है क्योंकि वह मरते हुए व्यक्ति के मुंह से आता है।

(ii) दोषमुक्त के विरूद्ध अपील – मस्तिष्क में रखे जाने वाले सिद्धांत स्पष्ट किये गये। **195 271**

Sections 3 and 45 – (i) Medical and ocular evidence, appreciation of – When there is inconsistency between medical and ocular evidence, ocular evidence deserves weightage and has greater evidentiary value ***vis-à-vis*** medical evidence – However, ocular evidence may be disbelieved in a case where medical evidence completely rules out possibility of ocular evidence being true.

(ii) Single testimony, reliability of – One credible witness outweighs the testimony of number of indifferent character – Court should not insist on corroboration except in case where the nature

of the single testimony itself requires as a rule of prudence, that corroboration must be insisted upon – Whether corroboration of single testimony is or is not necessary, depends upon facts and circumstances of each case and no general rule can be laid down.

धारा 3 और 45 – (i) चिकित्सा और प्रत्यक्ष साक्ष्य का मूल्याकंन – जहाँ चिकित्सा साक्ष्य और प्रत्यक्ष साक्ष्य में असंगतता होती है प्रत्यक्ष को अधिक महत्व दिया जाना चाहिए और उसका मेडीकल साक्ष्य की तुलना में अधिक साक्षियक मूल्य होता है – मौखिक साक्ष्य पर उस मामले में अविष्वास किया जा सकता है जहाँ चिकित्सा साक्ष्य मौखिक साक्ष्य के सत्य होने की सारी संभावनाओं को समाप्त करने वाली हो।

(ii) एकमात्र साक्षी की साक्ष्य पर विष्वास करना – एक विष्वसनीय साक्षी कई भिन्नता वाले साक्ष्य से भारी होती है न्यायालय को पुष्टि पर बल नहीं देना चाहिए उस दषा को छोड़कर जहाँ एकमात्र साक्षी की साक्ष्य इस प्रकृति की हो कि वह अपने आप में प्रज्ञा के नियम के अनुसार पुष्टि मांगती हो तब पुष्टि पर बल देना चाहिए – क्या एकमात्र साक्षी की साक्ष्य की पुष्टि आवष्यक है या नहीं यह प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करता है और कोई सामान्य नियम निर्धारित नहीं किया जा सकता। **71* 97**

Sections 3 and 45 – Age of the prosecutrix, determination of.

(i) Mere transfer certificate issued by the school or photocopies of marksheet would not suffice to prove the age – It is also necessary to prove that date of birth was recorded in the school records on the basis of some cogent document.

(ii) 32 teeth were found in the mouth of the prosecutrix – Held, third molar or wisdom tooth erupts between the age of 17 to 20 years as per ***Modi's Medical Jurisprudence and Toxicology*** – Therefore, it is evident that she must be above 18 years of age.

धारा 3 एवं 45 – अभियोक्त्रि की उम्र का निर्धारण।

(i) केवल विद्यालय द्वारा जारी स्थानातंरण प्रमाण–पत्र या अंकसूची की फोटोप्रति उम्र को प्रमाणित करने के लिए पर्याप्त नहीं होगी – यह भी प्रमाणित होना आवष्यक है कि विद्यालय के अभिलेख में दर्ज जन्मतिथि किसी विष्वसनीय दस्तावेज के आधार पर दर्ज की गयी थी।

(ii) अभियोक्त्रि के मुंह में 32 दाँत पाये गये थे मोदी की चिकित्सा विधिषास्त्र के अनुसार तीसरा मोलर या अक्लदांत 17 से 20 वर्ष की उम्र में निकलता है – अतः यह स्पष्ट है कि अभियोक्त्रि 18 वर्ष से अधिक उम्र की होना चाहिए। **301 471**

Sections 3, 106 and 114 – See section 364 of the Indian Penal Code. 1860

धारा 3, 106 एवं 114 – देखे भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 364। **318 500**

Section 8 – Appreciation of evidence – Contradictions, inconsistencies, exaggerations or embellishments – Minor discrepancies does not shake the prosecution case.

Conduct of accused prior to, during and after commission of crime – Complete link in the chain of circumstances

धारा 8 – साक्ष्य का मूल्याकंन – विरोधाभास, असंगतताएं, अतिषयोक्ति या साक्ष्य को संवारना – छोटे विरोधाभास अभियोजन के मामले को प्रभावित नहीं करते।

अभियुक्त का अपराध के पूर्व, अपराध के दौरान, अपराध के पष्चात् का आचरण – परिस्थिति जन्य साक्ष्य की एक सम्पूर्ण श्रृंखला है। **142 (ii) & (iii) 175**

Section 9 – See sections 161 and 313 of the Criminal Procedure Code, 1973.

धारा 9 – देखिए धारा 161 और 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973। **64 86**

Sections 9 and 27 – Delay in T.I. parade – Accused arrested on 08.06.97 – T.I. parade was held on 25.06.97 – Witnesses also identified accused in the court – Delay not fatal.

Formal arrest of accused is not necessary before recovery.

धारा 9 और 27 – पहचान परेड में विलंब – अभियुक्त 08.06.97 को गिरफ्तार – पहचान परेड 25.06.97 को हुई – गवाहों ने न्यायालय में भी अभियुक्त को पहचाना – विलंब घातक नहीं।

जप्ती के पूर्व अभियुक्त की औपचारिक गिरफ्तारी आवष्यक नहीं। **249 (iii) & (iv) 359**

Sections 9, 146 and 154 – (i) Hostile witness – His evidence cannot be rejected as a whole.

(ii) Question of injuries found on the body of deceased – Not put to doctor who conducted post mortem – Correctness or legality of the said issue could not be raised.

(iii) Close relative can easily be identified even in darkness.

धारा 9, 146 और 154 – (i) पक्ष विरोधी गवाह – उसकी साक्ष्य पूरी तरह से निरस्त नहीं की जा सकती।

(ii) मृतक के शरीर पर पाई गई चोटों के प्रष्न – शव परीक्षण करने वाले डॉक्टर से नहीं पूछे गये – इस बिन्दु के सही होने या वैधानिकता को नहीं उठाया जा सकता।

(iii) निकट के रिष्तेदार को अंधेरे में भी पहचाना जा सकता है। **258 373**

Section 24 – How to appreciate extra judicial confession? An extra judicial confession can solely form the basis of conviction if the same is voluntary, true and made in a fit state of mind – The courts cannot be unmindful of this legal position.

धारा 24 – न्यायिकेत्तर संस्वीकृति का मूल्याकंन कैसे किया जाये ? एक न्यायिकेत्तर संस्वीकृति यदि वह स्वेच्छा पूर्वक की गयी हो, सत्य और मस्तिष्क की सही दषा में की गयी हो तो उसे दोषसिद्ध का एकमात्र आधार बनाया जा सकता है। **137 171**

Section 27 – Disclosure statement of co-accused, evidentiary value of – In the absence of any cogent evidence, only on the basis of disclosure statement of the co-accused, accused cannot be convicted.

धारा 27 – सह अभियुक्त के प्रगटन कथन का साक्ष्यिक मूल्य किसी अकाट्य साक्ष्य के अभाव में केवल सह अभियुक्त के प्रगटन कथन के आधार पर अभियुक्त को दोषसिद्ध नहीं किया जा सकता।**138 171**

Section 32 (1) – Contradictory parts in D.D. – Which part can be relied upon?

धारा 32 (1) – मृत्यु कालीन कथन में परस्पर विरोधी भाग – कौन से भाग पर विष्वास किया जा सकता है ? **261 (i) 386**

Section 32 (1) – Legal position relating to D.D. – Explained.

धारा 32 (1) – मृत्यु पूर्व कथन के बारे में विधिक स्थिति – स्पष्ट की गई। **246 355**

Section 32 (1) – Non-examination of doctor in whose presence D.D. was recorded – Not affect the evidential value of the D.D.

धारा 32 (1) – जिस डॉक्टर की उपस्थिति में मृत्यु पूर्व कथन लेखबद्ध किया गया उसका कथन नहीं करवाना – इससे मृत्यु पूर्व कथन के साक्ष्यिक मूल्य पर विपरीत प्रभाव नहीं।

245 354

Section 35 – See Hindu Law.

धारा 35 – देखें हिन्दू विधि। **304 478**

Sections 56 and 57 – Judicial notice, taking of – Judicial notice of increase in minimum wages due to inflation and rise in price index can be taken in absence of any evidence with respect to such fact.

धारा 56 और 57 – न्यायिक अवेक्षा किया जाना – मूल्य सूचकांक में वृद्धि ओर न्यूनतम मजदूरी की दरों का उसके कारण बढ़ने के तथ्य का इस तथ्य के बारे में किसी साक्ष्य के अभाव में भी न्यायिक अवेक्षा की जा सकती है या ज्यूडिषियल नोटिस लिया जा सकता है। **72 98**

Sections 67 and 68 – Mode of proof of document which requires attestation – At least one attesting witness be called for proving execution – If witness is alive.

धारा 67 और 68 – दस्तावेज जिनका अनुप्रमाणन आवष्यक हो उन्हें प्रमाणित करने की विधि – कम से कम एक अनुप्रमाणक साक्षी को निष्पादन प्रमाणित करने के लिए बुलाना चाहिए – यदि गवाह जीवित हो। **247 (i)* 357**

Section 81 – Newspaper report, presumption as to genuineness, availability of – No presumption is attached to genuineness of newspaper reports under section 81 of the Act.

धारा 81 – समाचार पत्र के प्रतिवेदन के सही होने की उपधारणा का उपलब्ध होना – धारा 81 अधिनियम के उपधारणा का उपलब्ध होना – धारा 81 अधिनियम के तहत समाचार पत्र के प्रतिवेदन के सही होने की कोई उपधारणा उससे जुड़ी नहीं होती है। **73 98**

Section 106 – Accused and deceased were husband and wife living together – Deceased committed suicide by jumping into the river alongwith her daughter – It was within the special knowledge of the accused that when and why the deceased left the house and how she died in otherwise than under normal circumstances – If accused does not give any explanation, adverse inference can be drawn against him in the light of section 106 of the Evidence Act.

धारा 106 – अभियुक्त और मृतक पति–पत्नी, साथ रहते थे मृतक ने उसकी पुत्री के साथ नदी में कूदकर आत्महत्या की – यह अभियुक्त के विषेष ज्ञान का तथ्य था कि मृतक ने क्यों और कब घर छोड़ा और कैसे वह सामान्य से भिन्न परिस्थितियों में मरी – यदि अभियुक्त इस बारे में कोई स्पष्टीकरण नहीं देता है तो उसके विरूद्ध धारा 106 भारतीय साक्ष्य अधिनियम के प्रकाष में प्रतिकूल अनुमान निकाला जा सकता है। **202 (i) 280**

Section 106 – (i) In cases where poisoning is suspected, it would be advisable to ensure that the viscera is sent to the FSL and the FSL report is obtained in the interest of justice.

(ii) The deceased was admittedly in the custody of the accused – How her dead body was found in the river, this fact was within the special and personal knowledge of the accused – They failed to discharge the burden which had shifted to them under section 106 of the Evidence Act.

(iii) In matrimonial cases near relatives are the natural witnesses

धारा 106 – (i) जहाँ विष देने के बारे में संदेह हो वहाँ यह उचित होगा कि यह सुनिष्चित किया जाये कि विसरा एफ.एस.एल. को भेजा जाए और न्याय हित में एफ.एस.एल. की रिपोर्ट प्राप्त की जाये।

(ii) मृतक स्वीकृत रूप से अभियुक्त की अभिरक्षा में थी – उसका मृत शरीर नदी में कैसे पाया गया था यह तथ्य अभियुक्त के विषेष और व्यक्तिगत ज्ञान का था – अभियुक्त धारा 106 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत अपने इस प्रमाणभार को उन्मोचित करने में असफल रहा।

(iii) वैवाहिक मामलों में निकट के रिष्तेदार स्वाभाविक साक्षी होते है। **86 112**

Section 112 – (i) Where there is a conflict between conclusive proof u/s 112 of the Evidence Act, 1872 and D.N.A. test report, which would prevail? Held, D.N.A. test report will prevail.

(ii) Difference between a legal fiction and presumption of fact – Explained – Legal fiction assumes existence of a fact which may not exist – Presumption of a fact depends upon satisfaction of certain circumstances.

Those circumstances logically would lead to this fact sought to be presumed – Section 112 of the Evidence Act does not create a legal fiction but provides for presumption.

धारा 112 – (i) जहाँ धारा 112 भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 के निष्चायक सबूत और डी.एन.ए. परीक्षण प्रतिवेदन में विरोधाभास हो, कौन अविभावी होगा? अभिनिर्धारित किया गया डी.एन.ए. परीक्षण प्रतिवेदन अविभावी होगा।

(ii) विधिक कल्पना और तथ्य की उपधारणा के बीच अन्तर – स्पष्ट किया गया – विधिक कल्पना एक ऐसे तथ्य के बारे में जो अस्तित्व में नहीं है उसके अस्तित्व में मानती है – एक तथ्य की उपधारणा कुछ परिस्थितियों के बारे में संतोष होने पर निर्भर करती है। वे परिस्थितियाँ विधिक रूप से किसी तथ्य को उपधारित करने के लिए मार्गदर्षन करती है – धारा 112 भारतीय साक्ष्य अधिनियम एक विधिक कल्पना सृजित नहीं करती है बल्कि एक उपधारणा का प्रावधान करती है। **23 29**

Section 113-B – Dowry death is a presumption of law – Essentials explained.

धारा 113–बी – दहेज मृत्यु विधि की उपधारणा है – इसके तत्व – स्पष्ट किये गये।

261 (ii) 386

Section 113-B – Section 113–B is a beneficial provision aimed to provide relief to women subjected to cruelty in respect of dowry.

Examination of independent witnesses is difficult because harassment and cruelty are committed within the four walls of matrimonial home.

धारा 113–बी – धारा 113–बी एक कल्याण कारी प्रावधान है जिसका उद्देष्य उस स्त्री को अनुतोष देना है जिसके साथ दहेज के संबंध में क्रूरता की गयी है।

स्वतंत्र साक्षीगण का कथन करवाना मुष्किल होता है क्योंकि तंग किया जाना और कूरता वैवाहिक घर की चारदीवारी के बीच में कारित की जाती है। **152 (iv) 205 & (v)**

Section 113-B – See section 304-B of the Indian Penal Code, 1860.

धारा 113–बी – देखे भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 304–बी। **314 496**

Section 114-A – (i) If sexual intercourse by accused is proved and the prosecutrix denies her consent, the presumption is in her favour.

(ii) Delay in FIR sufficiently explained – Theory of consent in gang rape case is not acceptable for want of rebuttal of presumption under section 114-A.

धारा 114–ए – (i) यदि लैंगिक सन्सर्ग अभियुक्त द्वारा किया जाना प्रमाणित होता है और अभियोक्त्रि उसकी सहमति से इन्कार करती है तब उपधारणा उसके (अभियोक्त्रि के) पक्ष में होती है।

(ii) प्रथम सूचना प्रतिवेदन में विलंब संतोषजनक रूप से स्पष्टीकृत किया गया धारा 114 ए की उपधारणा के खण्डन के अभाव में सहमति की कहानी सामूहिक बलात्कार के प्रकरण में स्वीकार नहीं की जाती है। **24 30**

Section 114 (e) – See Sections 110 and 117 of the Land Revenue Code,1959 (M.P.).

धारा 114 (e) – देखिए धारा 110 और 117 भू–राजस्व संहिता, 1959 (म.प्र.)। **9 6**

Section 114 (f) – (i) It is not essential for the complainant to plead in complaint that demand notice has been served on accused – Service of notice is matter of evidence – Quashing of complaint on that ground, held, erroneous.

(ii) In the light of section 114 (f) of the Evidence Act and section 27 of the General Clauses Act, there are also presumptions in favor of complainant for service of notice.

धारा 114 (f) – (i) परिवादी के लिए यह आवष्यक नहीं है कि वह परिवाद में मांग सूचना पत्र का अभियुक्त पर तामिल होना अभिवचन करे – सूचना पत्र की तामिल साक्ष्य की विषय वस्तु है – इस आधार पर परिवाद अभिखंडित करना, त्रुटिपूर्ण होना अभिनिर्धारित किया गया।

(ii) धारा 114 (f) साक्ष्य अधिनियम और धारा 27 साधारण खंड अधिनियम के प्रकाष में परिवादी के पक्ष में सूचना पत्र की तामील के बारे में उपधारणायें भी होती है। **329 519**

Section 114 (g) – Non-examination of some eyewitnesses – Effect of.

धारा 114 (जी) – कुछ चक्षु साक्षीगण का कथन न करवाना – प्रभाव। **257 (iii) 371**

Section 115 – Doctrine of estoppel, applicability of – Decree was challenged in execution proceedings on the ground of lack of jurisdiction – No such objection was raised in written statement – Appeal filed against judgment. and decree was also withdrawn – Held, as the applicant had opportunity to raise the objection before trial Court, he is estopped from raising the objection as to lack of jurisdiction in execution proceedings.

धारा 115 – विबंध का सिद्धांत लागू होना – डिक्री को निष्पादन कार्यवाही में क्षेत्राधिकार के अभाव के आधार पर चुनौती दी गयी थी – ऐसी कोई आपत्ति लिखित कथन में नहीं उठायी गयी थी – निर्णय और डिक्री के विरूद्ध अपील वापस ली गयी थी – आवेदक को विचारण न्यायालय के सामने आपत्ति उठाने का अवसर था वह निष्पादन कार्यवाही में क्षेत्राधिकार के अभाव की आपत्ति उठाने से विबंधित है। **25 32**

Section 115 – Estoppel – Promissory estoppel, operation of – There cannot be any estoppel against Statute and an order which is in conformity with the Statute.

धारा 115 – विबंध – प्रोमिसरी विबंध का लागू होना – कानून के विरूद्ध विबंध लागू नहीं किया जा सकता और एक आदेष जो कानून के अनुसार है, उसके विरूद्ध भी (विबंध लागू नहीं किया जा सकता)। **74 99**

Section 115 – Principle of estoppel, object of – Estoppel is to prevent fraud and secure justice between parties by promotion of honesty and good faith and by preventing them from approbating and reprobating at the same time.

धारा 115 – विबंध के सिद्धांत का उद्देष्य – विबंध कपट को रोकने और पक्षकारों के बीच न्याय की सुरक्षा को ईमानदारी और सद्भाव को बढ़ाकर करता है और किसी पक्षकारों को एक ही समय में किसी बात का अनुमोदन करने और अस्वीकार करने से रोकता है। **196 (i) 272**

Sections 133, 24 to 26 and 144 – Appreciation of evidence.

(i) Cases involving terrorism/cruel and revolting murders – Require more than, ordinary care standard for scrutiny of evidence.

(ii) Equal weightage shall be given to the defence witnesses as that of the prosecution witnesses

(iii) Evidence of an accomplice – Twin test (a) that accomplice should implicate himself, and (b) that his evidence should prove guilt of accused beyond reasonable doubt, should be satisfied to make alleged accomplices' admissible and corroborate confessions of accused persons.

धारा 133, 24 से 26 एवं 144– साक्ष्य का मूल्यांकन

(i) प्रकरण जिनमें आतंकवाद/क्रूर और वीभत्स हत्याएँ शामिल हो उसमें साक्ष्य की सूक्ष्म छानबीन और सामान्य सावधानी के स्तर से अधिक का स्तर आवष्यक होता है।

(ii) प्रतिरक्षा के गवाहों को अभियोजन के गवाहों की तरह ही समान महत्व देना चाहिए।

(iii) सहअपराधी की साक्ष्य – जुड़वा परीक्षण

(a) सहअपराधी को स्वयं को भी लिप्त (अपराध में) करना चाहिए।

(b) उसकी साक्ष्य से अभियुक्त की दोषिता युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित होना चाहिए। सहअपराधी की संस्वीकृति ग्राह्य योग्य और पुष्टिकारक होने के लिए उक्त परीक्षण से संतुष्टि होना चाहिए। **304 (i) 473**

Section 134 – See section 120-B/302 of the Indian Penal Code, 1860.

धारा 134 – देखिए धारा 120 बी/302 भारतीय दण्ड संहिता, 1860। **80 102**

Section 134 – (i) Testimony of single witness – The Court can act and rely but it should be wholly reliable – The emphasis is on value, weight and quality but not on the quantity of evidence.

(ii) Testimony of hostile witness need not be discarded totally – The part which supports prosecution case can be taken into consideration.

धारा 134 – (i) एकमात्र साक्षी की साक्ष्य – न्यायालय उस पर अग्रसर और भरोसा कर सकती है किन्तु ऐसी साक्ष्य पूरी तरह विष्वसनीय होना चाहिए – साक्ष्य के मूल्य, वजन और गुणवत्ता पर बल दिया जाना चाहिए न की मात्रा पर।

(ii) पक्ष विरोधी गवाह की साक्ष्य को पूरी तरह खारिज नहीं करना चाहिए – साक्ष्य का वह भाग जो अभियोजन के प्रकरण को समर्थित करता है उसे विचार में लिया जा सकता है। **26 33**

Sections 138 and 146 – Question not put to witness in cross-examination, who could furnish explanation on the point – Correctness or legality of that point cannot be raised.

धारा 138 और 146 – प्रष्न प्रतिपरीक्षण में उस गवाह से नहीं पूछा जो किसी बिन्दु पर स्पष्टीकरण दे सकता था – उस बिन्दु के सही होने या वैधानिकता को नहीं उठाया जा सकता। **248 (i) 358**

Section 165 – See sections 311 and 301 of the Criminal Procedure Code, 1973.

धारा 165 – देखिए धारा 311 और 301 दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973। **191 267**

Section 165 – Power under section 165 of the Evidence Act and section 311 CrPC, scope and exercise of – Court has power and discretion to order for production and admission of any necessary document to secure the ends of justice.

धारा 165 – धारा 165 साक्ष्य अधिनियम और धारा 311 दण्ड प्रक्रिया संहिता की शक्ति का क्षेत्र और उसका प्रयोग – न्यायालय को न्याय के उद्देष्य की प्राप्ति के लिए ऐसी शक्ति और

विवेकाधिकार है कि वह किसी आवष्यक दस्तावेज को प्रस्तुत करने और ग्राह्य करने का आदेष दे सकती है। **317 499**

EXCISE ACT, 1915 (M.P.)
आबकारी अधिनियम, 1915 (म.प्र.)

Sections 34 (1), 34 (2) and 36 – Liquor – Chemical examination, necessity of – Chemical examination of liquor is not the only mode to prove the identity of the liquid – Further held, person having expertise in the field (eg. Excise Officer) may, by applying physical test, can give opinion as to seized liquid being liquor (relied on ***Kallu Khan v. State, 1980 JLJ 509*** and ***Sukhlal v. State, 1995 MPLJ 266***)

धारा 34 (1), 34 (2) और 36 – शराब – रासायनिक परीक्षण की आवष्यकता, शराब की पहचान प्रमाणित करने के लिए केवल रासायनिक परीक्षण ही तरीका नहीं है – यह भी अभिनिर्धारित किया गया कि उस क्षेत्र में विषेषज्ञ व्यक्ति (जैसे आबकारी अधिकारी) भौतिक परीक्षण करके बरामद शराब के बारे मे अपनी राय दे सकते है (कालू खान विरूद्ध स्टेट 1980 जे.एल.जे. 509 और सुखलाल विरूद्ध स्टेट 1995 एम.पी.एल.जे. 266 पर विष्वास किया गया)।

303* 477

Sections 34 (1) & (2) and 47-A – See section 27 of the Evidence Act, 1872.

धारा 34 (1) और (2) एवं 47–A – देखिए धारा 27 साक्ष्ये अधिनियम, 1872। **138 171**

EXPLOSIVE SUBSTANCES ACT, 1908
विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, 1908

Sections 2 and 7 – Examination of D.M. – Whether necessary to prove sanction?

In M.P., power to grant sanction delegated to D.M. – He has authority to give consent for prosecution.

Huge quantity of ammonium nitrate recovered along with other items – Cumulative effect of – Possession was conscious.

धारा 2 और 7 – जिला मजिस्ट्रेट का परीक्षण – क्या अभियोजन चलाने की अनुमति प्रमाणित करने के लिए आवष्यक है ?

मध्यप्रदेष में अभियोजन चलाने की अनुमति देने की शक्ति जिला मजिस्ट्रेट को प्रत्यायोजित – वह अभियोजन चलाने में सहमति देने के लिए प्राधिकृत है।

भारी मात्रा में अमोनियम नाईट्रेट अन्य सामग्रियों के साथ बरामद – संचयी प्रभाव – आधिपत्य जानकारी में था।

249 (i), 359 (ii) &(v)

FAMILY COURTS ACT, 1984
परिवार न्यायालय अधिनियम, 1984

Section 7 – Duty of Family Court Judge.

धारा 7 – परिवार न्यायालय के न्यायाधीष के कर्तव्य। **293 (ii) 451**

Section 7 (1) (g) – See section 25 of the Guardians and Wards Act, 1890.

धारा 7 (1) (जी) – देखिए धारा 25 प्रतिपाल्य और संरक्षक अधिनियम, 1890।

197* 274

FOREST ACT, 1927
वन अधिनियम, 1927

Sections 52 (4) and 52 (c) – Seizure of vehicle in respect of alleged offence under Forest Act and Wild Life (Protection) Act – Initiation of confiscation proceedings, effect on release by Magistrate – Once the Magistrate receives information as to initiation of confiscation proceedings under section 52 (4) of the Act, the Magistrate ceases to have jurisdiction to release the vehicle as per section 52 (c) of the Forest Act.

धारा 52 (4) और 52 (सी) – वन अधिनियम और वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम के अभिकथित अपराध के संबंध में वाहन की जप्ती – सम्पहरण कार्यवाही की सूचना, वाहन को मजिस्ट्रेट द्वारा छोड़ने पर प्रभाव – एक

बार यदि मजिस्ट्रेट को धारा 52 (4) अधिनियम के अधीन सम्पहरण कार्यवाही की सूचना प्राप्त हो जाती है तब धारा 52 (सी) वन अधिनियम के तहत मजिस्ट्रेट के वाहन को छोड़ने (सुपुर्दगी पर देने) का क्षेत्राधिकार समाप्त हो जाता है। **198 274**

GENERAL CLAUSES ACT, 1897
साधारण खण्ड अधिनियम, 1877

Sections 3 (35) and 9 – (i) How to calculate period of 6 months (now 3 months) as prescribed under section 138 of N.I. Act?

Period of 6 months cannot be calculated on 30 days basis but it should be calculated on month basis – The word "month" has been defined under section 3 (35) of the General Clauses Act to mean a month reckoned according to the British calendar.

(ii) In the above calculation, the day on which the cheque is drawn has to be excluded and the last day within which such act needs to be done is to be included.

धारा 3 (35) और 9 – धारा 138 एन.आई. एक्ट में वर्णित छः माह की अवधि (अब 3 माह) की गणना कैसे की जाये?

6 माह की अवधि की गणना 30 दिनों के आधार पर नहीं की जा सकती है बल्कि माह के आधार पर गणना की जाना चाहिए – शब्द ''माह'' धारा 3 (35) साधारण खण्ड अधिनियम में परिभाषित किया गया है जिसके अनुसार ब्रिटिष केलेण्डर में बतलाये गये माह से तात्पर्य होता है।

(ii) उक्त गणना में जिस दिन चैक जारी किया गया उसे अपवर्जित किया जाता है और अंतिम दिन जिस दिन कार्य होना आवष्यक होता है उसे जोड़ा जाता है। **103 127**

Section 27 – See section 114 (f) of the Evidence Act, 1872.

धारा 27 – देखें साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 114 (f)। **329 519**

GUARDIANS AND WARDS ACT, 1890
प्रतिपाल्य और संरक्षक अधिनियम, 1890

Sections 7, 10, 17 and 47 – Custody of a child, determination of – The paramount consideration is welfare of child and not right of the father – The father's right to the custody of the minor child is neither absolute nor indefeasible in law – It is circumscribed by the consideration of the benefit and welfare of the minor – A balance has to be struck between the attachments and sentiments of the parties and the welfare of the child.

धारा 7, 10, 17, 47 – एक बालक की अभिरक्षा का निर्धारण किया जाना – बालक का कल्याण सर्वोच्च विचारणीय होता है न कि पिता का अधिकार – एक अवयस्क बालक की अभिरक्षा का पिता का अधिकार न तो आत्यन्तिक होता है और न ही विधि में आलोप्य होता है – यह अवयस्क के लाभ और कल्याण से परिसीमित होता है – पक्षकारों की आसक्ति (मोह) और भावनाओं तथा बालक के कल्याण के बीच एक संतुलन बनाना होगा। **75* 99**

Section 25 – Application under section 25 of the Guardians and Wards Act for return of custody, jurisdiction therefor – Only Family Court can exercise jurisdiction to decide such application and in view of power created by Family Court Act, 1984, District Court has no jurisdiction to entertain such application.

धारा 25 – धारा 25 प्रतिपाल्य और संरक्षक अधिनियम के अधीन आवेदन जो कि अभिरक्षा की वापसी के लिए है उसका क्षेत्राधिकार – केवल परिवार न्यायालय ऐसे आवेदन को निराकृत करने का क्षेत्राधिकार का प्रयोग कर सकती है जो की परिवार न्यायालय अधिनियम, 1984 दी गयी शक्तियों के प्रकाष में है, जिला न्यायालय ऐसे आवेदन को ग्रहण करने का क्षेत्राधिकार नहीं रखते है। **197* 274**

HINDU LAW
हिन्दू विधि

(i) Joint family – Joint possession and joint ownership – The plaintiffs belonged to three different families and three different castes – They have not pleaded and proved that how the land in dispute came under their joint ownership and possession – Joint possession cannot be accepted.

(ii) Mutation in revenue record does not create title – It is only relevant for the purposes of paying land revenue.

(i) संयुक्त परिवार – संयुक्त आधिपत्य और संयुक्त स्वामित्व – वादीगण तीन विभिन्न परिवारों और तीन विभिन्न जातियों के हैं। उन्होंने इस बारे में कोई अभिवचन नहीं किया और प्रमाण नहीं दिया कि वे कैसे विवादित भूमि के संयुक्त स्वामी और आधिपत्य धारी हुए – संयुक्त आधिपत्य नहीं माना जा सकता।

(ii) राजस्व अभिलेख में नामातंरण स्वत्व सृजित नहीं करता है – यह केवल भू–राजस्व भुगतान के उद्देष्य से होता है। **304 478**

HINDU MARRIAGE ACT, 1955
हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955

Section 9 – Restitution of conjugal rights, when cannot be ordered?

धारा 9 – दाम्पत्य अधिकारों की पुनर्स्थापना, कब आदेषित नहीं की जा सकती हैं ?

305* 479

Section 13 (1) (a) – Cruelty, what may amount to ?

धारा 13 (1) (ए) – क्रूरता – क्या है ? **306 480**

Sections 13 (1) (a) and 13 (1) (ia) – Cruelty and desertion, constitution and proof of – Law stated.

धारा 13 (1) (ए) और धारा 13 (1) (ia) – क्रूरता और परित्याग का गठन और प्रमाण– विधि बतलायी गयी। **307* 487**

Section 13 (i) (ia) – (i) Divorce on the ground of cruelty – When to be granted?

(ii) Permanent alimony – Husband is a permanent employee in bank – Hon'ble High Court fixed permanent alimony at ` 7,50,000 looking to the social background of the parties, the needs of the wife, financial status of the husband, prevailing prices of the essential commodities etc.

धारा 13 (1) (ia) – (i) क्रूरता के आधार पर विवाह विच्छेद – कब दिया जा सकता है ?

(ii) स्थायी निर्वाहिका – पति बैंक में स्थायी कर्मचारी – माननीय उच्च न्यायालय ने पक्षकारों की सामाजिक पृष्ठभूमि, पत्नी की आवष्यकताऐं, पति की वित्तीय स्थिति आवष्यक वस्तुओं की बढ़ती कीमतें आदि को ध्यान में रखते हुए सात लाख पचास हजार रूपये स्थायी निर्वाहिका नियत की।

139 172

Section 13 (1) (ia) – Divorce on the ground of mental cruelty, grant of.

धारा 13 (1) (ia) – मानसिक क्रूरता के आधार पर विवाह विच्छेद दिया जाना।

76* 100

Sections 13 (1) (1-a) and (1-b) – Word 'cruelty' – Not defined in the Act – It depends upon the facts of each and every case – Which acts amount to cruelty?

धारा 13 (1) (1–ए) और (1–बी) – शब्द क्रूरता – अधिनियम में परिभाषित नहीं – यह प्रत्येक मामले के तथ्यों पर निर्भर करता है – कौन से कृत्य क्रूरता गठित करते हैं। **252* 363**

Sections 13 (1) (1-a) and 13 (1) (1-b) – For desertion, which facts are necessary to be proved? Explained – Subsequent events can be considered for mental cruelty.

धारा 13 (1) (1–ए) और 13 (1) (1–बी) – परित्याग के लिए – कौन से तथ्य प्रमाणित होना आवष्यक – स्पष्ट किया गया – मानसिक क्रूरता के लिए पष्चातवर्ती घटना विचार में ली जा सकती है। **251 362**

Section 13-B – Divorce by mutual consent – Marriage solemnized on 28.06.2012 – Spouses are living separately from 15.07.2012 i.e. only after 17 days of the marriage – They lived separately for more than 18 months – There is no possibility of them living together – Held, appropriate case to grant divorce by mutual consent.

धारा 13–बी – पारस्परिक सहमति के आधार पर विवाह विच्छेद – विवाह 28/06/2012 को हुआ – पति–पत्नी 15/07/2012 से अर्थात् विवाह के 17 दिन बाद से पृथक रह रहे थे – वे 18 माह से अधिक

समय से पृथक रह रहे थे – उनके साथ–साथ रहने की कोई संभावना नहीं थी – अभिनिर्धारित किया गया परस्पर सहमति के आधार पर विवाह विच्छेद मंजूर करने का उचित मामला है।**140** **173**

Section 24 – Whether a woman marrying a man without the knowledge of subsistence of his first marriage is entitled to interim maintenance under section 24 of the Hindu Marriage Act, 1955? Held, Yes.

धारा 24 – क्या एक महिला किसी पुरूष से उसके प्रथम विवाह के अस्तित्व में होने के तथ्य के ज्ञान के बिना विवाह करती है तो वह धारा 24 हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 के तहत अंतरिम भरण–पोषण पाने की अधिकारी होती है? अभिनिर्धारित किया गया, हाँ। **308** **488**

Sections 24 and 26 – See section 11 of the Civil Procedure Code, 1908.

धारा 24 और 26 – देखिए धारा 11 सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908। **199*** **275**

Section 25 – Application for permanent alimony and maintenance, necessity of.

धारा 25 – स्थायी निर्वाहिका और भरण–पोषण के लिए आवेदन, आवष्यकता।

77* **100**

Section 25 – Marriage declared null and void by the court – Grant of maintenance not justified.

धारा 25 – न्यायालय द्वारा विवाह शून्य घोषित – भरण पोषण स्वीकार करना न्याय संगत नहीं था। **250** **361**

Sections 26 and 13-B – Application for custody of children – Whether maintainable even if order in this regard had already been passed by the Court at the time of passing of decree – Held, Yes – Further held, even after the decree, Court is empowered to make order in this regard and with regard to maintenance etc. and to revoke, suspend or vary any such order from time to time.

धारा 26 और 13–बी – बच्चों की अभिरक्षा के लिए आवेदन – क्या ऐसा आवेदन तब भी चलने योग्य है जब इस बारे में डिक्री पारित करते समय न्यायालय आदेष कर चुका हो ? अभिनिर्धारित किया गया, हाँ, यहाँ तक की डिक्री के बाद भी न्यायालय इस संबंध में आदेष करने के लिए सषक्त होती है। ऐसे आदेष को न्यायालय समय–समय पर स्थगित या फेरबदल या रद्द कर सकती है। **78** **100**

HINDU MINORITY AND GUARDIANSHIP ACT, 1956
हिंदू अल्पसंख्यक और संरक्षक अधिनियम, 1956

Section 8 – Powers of natural guardian to alienate properties of minor – Cannot alienate without leave of the court.

धारा 8 – प्राकृतिक संरक्षक की अवयस्क की सम्पत्तियाँ अंतरित करने की शक्तियाँ – न्यायालय की अनुमति के बिना अन्तरण नहीं कर सकता। **253** **364**

HINDU SUCCESSION ACT, 1956
हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956

Section 6 – See section 82 of the M.B. Land Revenue and Tenancy Act, Samvat, 2007.

धारा 6 – देखिए धारा 82 मध्य भारत भू राजस्व और किरायेदारी अधिनियम, संवत् 2007.

254 **365**

Section 22 – See section 164 of the Land Revenue Code, 1959 (M.P.).

धारा 22 – देखिए धारा 164 भू–राजस्व संहिता, 1959 (म.प्र.)। **207** **285**

INDIAN PENAL CODE, 1860
भारतीय दण्ड संहिता, 1860

Sections 72, 299, 300, 302, 304, 304-A, 325 and 326 – Which offence is committed? Method for correct identification by the trial Court – There should be a five step inquiry.

(ii) Offences affecting life are quite distinct from the offences of hurt – If hurt results in death, intended or unintended, the offence would fall in the category of offence affecting life, else not.

(iii) Effect on sentencing.

धारा 72, 299, 300, 302, 304, 304–ए, 325 और 326 – (i) कौन सा अपराध किया गया? विचारण न्यायालय द्वारा सही पहचान की विधि – एक पाँच स्तर की जाँच होना चाहिए।

(ii) अपराध जो जीवन को प्रभावित करते है वह उपहति के अपराधों से बिल्कुल भिन्न होते हैं – यदि चोट का परिणाम मृत्यु होता है चाहे साषय हो या बिना आषय के हो तब अपराध जीवन को प्रभावित करने वाले अपराध की श्रेणी में आयेगा अन्य में नहीं।

(iii) दण्डादेष पर प्रभाव। **309*** **489**

Sections 79, 304-A, 304 Pt.II and 336 to 338 – Meaning of 'rashness' and 'negligence' explained – Difference between concept of negligence in civil and criminal law – Protection u/s 79 I.P.C. when not available.

धारा 79, 304–ए, 304 भाग 2 और 336 से 338 – 'उतावलेपन' और 'उपेक्षा' का अर्थ स्पष्ट किया गया – दांडिक और सिविल विधि में उपेक्षा की धारणा में अन्तर – धारा 79 भा.दं.सं. की सुरक्षा कब उपलब्ध नहीं होती। **255** **366**

Sections 96 to 106, 302 and 304 – (i) The extent and limitations of the right of private defence is described under sections 96 to 106 IPC – It can only be exercised to defend the illegal act and not to retaliate.

(ii) The accused has not stated about right of private defence or complaints were aggressive in his examination under section 313 Cr.P.C – Held, it was established by prosecution evidence that it was the accused who was the aggressor and he had not acted in private defence, so plea of right of private defence was rejected by Hon'ble the Apex Court.

(iii) Murder and culpable homicide not amounting to murder – There was no motive to cause death of deceased – Intention to cause such bodily injuries which were sufficient in the ordinary course of nature to cause death of deceased was also absent – At the spur of the moment, in heat of exchange of words, accused caused injuries on the body of deceased which caused his death, so ingredients of murder not proved – Conviction altered from section 302 IPC to section 304 IPC.

धारा 96 से 106, 302 और 304 – (i) धारा 96 से 106 में वर्णित निजी प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार और सीमाएं – इन शक्तियों का प्रयोग केवल अवैध कृत्य से बचाव के लिए किया जा सकता है प्रतिषोध या बदला लेने के लिए नहीं।

(ii) अभियुक्त ने निजी प्रतिरक्षा के अधिकार के बारे में या परिवादीगण के आक्रमणषील थे इस बारे में उसके परीक्षण धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता में नहीं बतलाया – अभिनिर्धारित किया गया, अभियोजन की साक्ष्य से यह स्थापित हुआ था कि अभियुक्त आक्रमणकारी थे और वे निजी प्रतिरक्षा के अधिकार के प्रयोग में कार्य नहीं कर रहे थे इस कारण निजी प्रतिरक्षा के अधिकार का बचाव माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा खारिज किया गया।

(iii) हत्या और सदोष मानव वध जो हत्या की श्रेणी में नहीं आता है – मृत्यु कारित करने का कोई हेतुक नहीं था ऐसी शारीरिक क्षति जो प्रकृति के सामान्य अनुक्रम में मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त हो उसका आषय भी नहीं था – शब्दों के आदान–प्रदान की गर्मी में तत्काल अभियुक्त द्वारा मृतक के शरीर पर चोटें कारित की गयी जिससे उसकी मृत्यु हुई, अतः हत्या के घटक प्रमाणित नहीं हुए – धारा 302 भारतीय दण्ड संहिता की दोषसिद्ध को 304 भारतीय दण्ड संहिता में परिवर्तित किया गया। **200** **276**

Sections 96, 100, 302 and 304 – (i) Whether plea of right of private defence should always be taken in examination under section 313 Cr.P.C.? Held, No – It can be culled from the material on record also.

(ii) If accused exceeds the right of private defence, he should be convicted under section 304 Part I of IPC.

धारा 96, 100, 302, 304 – (i) क्या निजी प्रतिरक्षा के अधिकार का बचाव हमेषा धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता के परीक्षण में ही लिया जाना चाहिए ? अभिनिर्धारित किया गया, नहीं – इसे (निजी प्रतिरक्षा का अधिकार) अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री से भी देखा जा सकता है।

(ii) यदि अभियुक्त निजी प्रतिरक्षा के अधिकार से आगे बढ़ता है तो उसे धारा 304 भाग–1 भारतीय दण्ड संहिता में दोषसिद्ध किया जाना चाहिए। **141** **174**

Sections 97 and 326 – See section 313 of Code of Criminal Procedure, 1973

धारा 97 और 326 – देखिए धारा 313 दं.प्र.सं., 1973 **256 370**

Section 107 – (i) Abetment, meaning and constitution of – Abetment means and includes instigation, engagement in conspiracy and intentional aiding.

(ii) Instigation, meaning of – To constitute instigation, a person should instigate, has to provoke, incite, urge, encourage doing of an act by goading or urging forward.

धारा 107 – (i) दुष्प्रेरण का अर्थ और गठन – दुष्प्रेरण का तात्पर्य है और इसमें शामिल है उकसाना, किसी षडयंत्र में शामिल होना ओर साषय सहायता करना।

(ii) उकसाना का अर्थ उकसाने के गठन के लिए एक व्यक्ति को किसी कार्य करने के लिए उकसाया जाना, उत्तेजित करना, भड़काना, जोर देना, उत्साहित करना जो प्रेरणा द्वारा या जोर देने द्वारा किया जाता है। **79 101**

Section 120-B – See the Explosive Substances Act, 1908.

धारा 120–बी – देखिए विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, 1908। **249 359**

Section 120-B/302 – Conspiracy to murder – Highly incriminating circumstances if put together, point to only one direction that appellant and none else committed murder – Conviction confirmed.

Commutation of death sentence to life, when warranted? Principle explained.

धारा 120–बी/302 – हत्या का षड़यंत्र – अभियोग लगाने वाली या दोषिता की परिस्थितियों को यदि एक साथ रखा जाये तो वे केवल अपीलार्थी द्वारा अपराध करने की ओर उसी दिषा में संकेत करती है किसी अन्य द्वारा हत्या करने का संकेत नहीं करती – दोषसिद्धि पुष्ट की गयी।

मृत्युदण्ड को आजीवन कारावास में कब परिवर्तित किया जा सकता है – विधिक स्थिति स्पष्ट की गयी। **142 (i) & (iv) 175**

Section 120-B/302 – (i) Criminal conspiracy requires meeting of minds of two or more persons for doing or causing to be done an illegal act or an act by illegal means – Mere knowledge or discussion or generation of crime in the mind of accused is not sufficient for the offence of conspiracy – Such offence can be proved by circumstantial evidence or by necessary implications.

(ii) Non-examination of certain witnesses – Appreciation of evidence – No explanation sought from IO – Appellant cannot take benefit of omission by prosecution in conducting trial – The appellants could have examined such witnesses.

(iii) Number of witnesses is not material but the quality of evidence is material – The test is whether the evidence has a ring of truth, is cogent, credible and trustworthy – Conviction can be based on testimony of sole eye witness, if he is reliable

धारा 120–बी/302 – (i) आपराधिक षड़यंत्र के लिए दो या दो से अधिक व्यक्तियों के लिए किसी अवैध कृत्य करने या किसी कृत्य को अवैध तरीके से करने के लिए मानसिक रूप से एकमत होना आवष्यक होता है – षड़यंत्र के अपराध के लिए केवल अपराध की जानकारी होना या विचार विमर्ष या अपराध की उत्पत्ति अभियुक्त के मस्तिष्क में होना पर्याप्त नहीं है – ऐसा अपराध परिस्थिति जन्य साक्ष्य द्वारा या आवष्यक आलिप्ती द्वारा प्रमाणित किया जा सकता है।

(ii) कुछ गवाहों का परीक्षण न करवाना – साक्ष्य का मूल्याकंन – अन्वेषण अधिकारी से कोई स्पष्टीकरण नहीं चाहा गया – अपीलार्थी विचारण के संचालन में अभियोजन द्वारा किये गये लोप का लाभ नहीं ले सकता – अपीलार्थीगण ऐसे गवाहों का परीक्षण करवा सकते थे गवाहों की संख्या तात्विक नहीं है बल्कि साक्ष्य की गुणवत्ता तात्विक है – परीक्षण यह है कि – साक्ष्य सत्य, अकाट्य, विष्वसनीय और विष्वास उत्पन्न करने वाली है – दोषसिद्धि एकमात्र साक्षी पर आधारित की जा सकती है यदि वह विष्वसनीय हो। **80 102**

Sections 120-B, 302, 460 and 382 – (i) Conspiracy to commit murder with theft – Chain of circumstances not pointing the guilt of accused only – Testimony of witnesses not reliable – Conviction reversed.

(ii) Appreciation of evidence – Contradictions, inconsistencies, exaggerations or embellishments – Material improvement, credibility of witnesses can be looked and if there is material improvement, it would not be safe to rely on such witnesses.

(iii) Recovery of fact on disclosure of accused – Exclusive possession of accused not established – Benefit of doubt given.

(iv) Identification of articles – Articles already shown to the witnesses – Identification is defective.

(v) Circumstantial evidence – Principle of circumstantial evidence from which conclusion of guilt is drawn should be fully proved – Thus, such circumstances must be conclusive in nature – All the circumstances should be complete and there should be no gap left in the chain of evidence, consistent with the hypothesis of the accused and totally inconsistent with his innocence

धारा 120–बी, 302, 460 और 382 – (i) चोरी के साथ हत्या कारित करने का षड़यंत्र – परिस्थितियों की श्रृंखला केवल अभियुक्त के दोषी होने को इंगित नहीं करती – साक्षीगण की साक्ष्य विष्वास योग्य नहीं – दोषसिद्धि उलट दी गयी।

(ii) साक्ष्य का मूल्याकंन – खण्डन, असंगतताएं, अतिषयोक्ति या सजावट – तात्विक सुधार, साक्षीगण की विष्वसनीयता देखना चाहिए और यदि उसमें तात्विक सुधार हो तो उन पर भरोसा करना सुरक्षित नहीं होगा।

(iii) अभियुक्त के प्रगटन पर जप्ती – अभियुक्त का एकमेव आधिपत्य स्थापित नहीं – संदेह का लाभ दिया गया।

(iv) वस्तुओं की पहचान – वस्तुएं पूर्व से गवाहों को दिखा दी गयी – पहचान (कार्यवाही) दोषपूर्ण है।

(i) परिस्थितिजन्य साक्ष्य – परिस्थितिजन्य साक्ष्य का सिद्धांत जिससे अभियुक्त के दोषी होने का निष्कर्ष निकाला जाता है पूरी तरह प्रमाणित होना चाहिए – ऐसी परिस्थितियॉ निष्चायक प्रकृति की होना चाहिए – सभी परिस्थितियां पूर्ण होना चाहिए।

साक्ष्य की श्रृंखला में कोई खाली जगह नहीं होना चाहिए, ऐसी साक्ष्य केवल अभियुक्त के दोषी होने की परिकल्पना देती हो और उसके निर्दोष होने से पूरी तरह असंगत हो। **81 105**

Sections 148, 149 and 302 – Common object, how to be gathered? Common object of an unlawful assembly can be gathered from the nature of the assembly, the weapons used by its members and the behaviour of the assembly at or before the scene of occurrence – It cannot be stated as a general proposition of law that unless an overt act is proven against the person, who is alleged to be a member of the unlawful assembly, it cannot be held that he is a member of the assembly – What is really required to be seen is that the member of the unlawful assembly should have understood that the assembly was unlawful and was likely to commit any of the acts which fall within the purview of Section 141 IPC.

धारा 148, 149 और 302 – सामान्य उद्देष्य कैसे एकत्रित किया जाये? अवैध सभा का सामान्य उद्देष्य सभा की प्रकृति, उसके सदस्यों द्वारा उपयोग में लाये गये हथियार, उनका व्यवहार जो कि घटना के समय या उसके पहले था उससे एकत्रित किया जा सकता है – ऐसा कोई सामान्य सिद्धांत नहीं बनाया जा सकता कि किसी व्यक्ति के विरूद्ध उसका कोई प्रत्यक्ष कृत्य प्रमाणित न हो जिसे की अवैध सभा का सदस्य अभिकथित किया गया है ऐसा निर्धारित नहीं किया जा सकता कि वह अवैध सभा का सदस्य है – वास्तव में यह देखा जाना आवष्यक है अवैध सभा के सदस्य को यह ज्ञान होना चाहिए कि सभा अवैध है और वह धारा 141 भारतीय दण्ड संहिता के क्षेत्र में आने वाला कोई कृत्य कर सकती है। **201 (i) 278**

Section 166-A – See sections 154, 155, 156 and 157 of the Criminal Procedure Code,1973.

धारा 166–A – देखिए धारा 154 से 157 दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973। **15 11**

Sections 182 and 498-A – (i) Whenever a complaint is made by any women against member of the family for alleged harassment, the police is required to make proper enquiry not only from the members of family but also from neighbors, friends and others, then make a definite opinion.

(ii) Ingredients of offence u/s 182 I.P.C.

धारा 182 एवं 498–A (i) जब कभी किसी महिला द्वारा उसके परिवार के सदस्यों के विरूद्ध उसे त्रस्त करने के बारे में कोई षिकायत की जाती है, तब पुलिस अधिकारी के लिए यह आवष्यक होता है कि वे उचित जॉच

करें और यह जाँच न केवल परिवार के सदस्यों से बल्कि पड़ोसियों, मित्रों और अन्य से (पूछताछ करके) करें, तब कोई निष्चित राय बनावें।

(ii) धारा 182 भारतीय दण्ड संहिता के अपराध के घटक। **310 491**

Section 188 – Offence under section 188 IPC – Bar under section 195 (1) (a) Cr.P.C, applicability of – Cognizance in respect of offence under section 188 IPC can only be taken on the complaint in writing of the concerning public servant or to whom he is administratively subordinate – The provisions contained in sub-section (1) of section 195 of Cr.P.C are mandatory in nature and cognizance cannot be taken on the basis of chargesheet filed by the police.

धारा 188 – धारा 188 भारतीय दण्ड संहिता का अपराध – धारा 195 (1) (ए) दण्ड प्रक्रिया संहिता के अपराध के संबंध में प्रसंज्ञान – संबंधित लोकसेवक या उसके प्रषासनिक वरिष्ठ द्वारा किये गये लिखित परिवाद पर ही संज्ञान लिया जा सकता है – धारा 195 (1) दण्ड प्रक्रिया संहिता के प्रावधान आज्ञापक प्रकृति के है और पुलिस द्वारा उसे की गयी चार्जषीट के आधार पर संज्ञान नहीं लिया जा सकता। **128 157**

Section 292 – Obscenity – How to be judged? It has to be judged from the point of view of an average person, in the light of contemporary community standards and not to be judged from the point of view of a group of susceptible or sensitive persons.

धारा 292 – अष्लीलता – कैसे निर्णित की जाये ? इसका निर्णय एक औसत व्यक्ति की दृष्टि से किया जाना चाहिए जो कि समकालीन समुदाय के स्तर के प्रकाष में निर्णित करना चाहिए न कि कुछ भावुक या संवेदनषील व्यक्तियों के समूह के प्रकाष में। **82 108**

Section 302 – Case based on circumstantial evidence – Accused suspected fidelity of his wife – He disowned the paternity of deceased child – Was last seen together with deceased child – He made false story that the child died due to snake bite – Medical evidence supported that the child died due to drowning and not due to snake bite.

Above circumstances established the prosecution case successfully – Conviction maintained by the Apex Court.

धारा 302 – परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित मामला – अभियुक्त को उसकी पत्नी की निष्ठा पर संदेह था – उसने मृतक बालक के पितृत्व को अस्वीकार किया – उसे मृत बालक के साथ अंतिम बार देखा गया था – उसने बालक के सर्प काटने से मृत्यु की असत्य कहानी बनायी चिकित्सा साक्ष्य से इस तथ्य का समर्थन हुआ कि बालक की मृत्यु डूबने से हुई है न कि सर्प के काटने से।

उक्त परिस्थितियाँ अभियोजन ने उसके मामले को सफलता पूर्वक स्थापित करती है – सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दोषसिद्धि कायम रखी गयी। **83 109**

Section 302 – (i) Circumstantial evidence – Motive, non-significance of – There is no need to prove the motive if clear, cogent, reliable and positive evidence is available.

(ii) Sentencing policy – Law stated – Murder – Minimum sentence – Although there may be convincing mitigating circumstances in the case, since life imprisonment is the minimum sentence for committing the offence of murder, no further leniency can be shown.

धारा 302 – (i) परिस्थितिजन्य साक्ष्य – हेतु का महत्वपूर्ण न होना – यदि स्पष्ट, अकाट्य, विष्वसनीय और सकारात्मक साक्ष्य उपलब्ध हो तब हेतु प्रमाणित होना आवष्यक नहीं है।

(ii) दण्डनीति – विधि बतलायी गयी – हत्या – न्यूनतम दण्ड – यद्यपि स्वीकार किये जाने योग्य अल्पीकरण की परिस्थितियां प्रकरण में हो सकती है किन्तु हत्या के अपराध के लिए न्यूनतम दण्ड आजीवन कारावास है इसलिए कोई अतिरिक्त रियायत नहीं दिखायी जा सकती।

311 492

Section 302 – (i) Double murder – Guilt of accused established beyond reasonable doubt – No attempt to explain incriminating circumstances or plea of ***alibi*** on the part of accused – Conviction confirmed.

(ii) In the matter of circumstantial evidence, motive assumes greater significance.

धारा 302 – (i) दोहरी हत्या – अभियुक्त का दोषी होना युक्तियुक्त संदेह से परे स्थापित – अभियुक्त ने दोषपूर्ण परिस्थितियों या घटना स्थल से अनुपस्थिति के बारे में कोई स्पष्टीकरण देने का प्रयास नहीं किया – दोषसिद्धि पुष्ट की गयी।

(ii) परिस्थितिजन्य साक्ष्य के मामलों में हेतुक का अधिक महत्व होता है। **143 177**

Section 302 – See sections 3 of the Evidence Act, 1872.

धारा 302 – देखिए धारा 3 भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872। **257 371**

Section 302 – See sections 9, 146 and 154 of the Evidence Act, 1872.

धारा 302 – देखिए धारा 9, 146 और 154 भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872। **258 373**

Section 302 – See sections 161 and 313 of the Criminal Procedure Code, 1973.

धारा 302 – देखिए धारा 161 और 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973। **64 86**

Section 302 – Whether juvenile who had attained majority at the time of conviction for an offence under section 302 IPC may be lodged in jail to serve sentence? Held,No.

धारा 302 – क्या किषोर जो कि मामले के निर्णय के समय वयस्क हो चुका है उसे धारा 302 भारतीय दण्ड संहिता के मामले में निर्णय के पष्चात् सजा भुगतने के लिए जेल भेजा जा सकता है? अभिनिर्धारित किया गया, नहीं। **312 493**

Section 302/34 – (i) Whether absence of specific report of the medical expert to the effect that injuries were sufficient in the ordinary course to cause death is fatal to the prosecution case? Held, No.

(ii) Murder, proof of and evidence, appreciation of.

धारा 302/34 – (i) क्या चिकित्सा विषेषज्ञ के ऐसे विषिष्ट प्रतिवेदन का न होना कि चोटें सामान्य अनुक्रम में मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त थी, अभियोजन के लिए घातक है? अभिनिर्धारित किया गया, नहीं।

(ii) हत्या का प्रमाण और साक्ष्य का मूल्यांकन। **313 494**

Sections 302 and 120-B r/w/s 201 – (i) Murder of wife by husband and disposal of corpus by burning in tandoor of restaurant – Chain of circumstances is complete which indicate the guilt of A-1 – With the established circumstances, inference goes only to show the guilt of A-1 – Conviction confirmed.

(ii) Confession by co-accused though he was not involved in greater offence of murder, how long can be used against main accused – Law explained.

(iii) Injuries, wounds and weapons – Murder by gunshot injuries – Witnesses who were neighbours not stating about gun shots – Held, it would not adversely affect prosecution case because it might be possible that sound might not have transmitted through closed doors.

(iv) Expiration of armed license or its renewal has nothing to do with core of the prosecution case – Irrelevant facts cannot adversely affect prosecution case – Extension of license is irrelevant fact.

(v) Minor procedural irregularities are irrelevant in the matter – Although the offence is brutal but brutality alone cannot justify death sentence – Death sentence commuted to life imprisonment for whole life.

धारा 302/120–B सहपठित 201 – (i) पति द्वारा पत्नी की हत्या और उसके मृत शरीर को रेस्टोरेन्ट के तंदूर में जलाकर निपटाना – परिस्थिति जन्य साक्ष्य की श्रृंखला पूरी तरह अभियुक्त ए–1 के दोषी होने को इंगित करती है – इन परिस्थितियों में केवल यही अनुमान निकलता है कि अभियुक्त ए–1 दोषी है दोषसिद्धि पुष्ट की गयी।

(ii) सहअभियुक्त की संस्वीकृति यद्यपि वह हत्या के गंभीर अपराध में शामिल नहीं था का मुख्य अभियुक्त के विरूद्ध किस सीमा तक उपयोग की जाये – विधि स्पष्ट की गयी।

(iii) चोटें, घाव और हथियार – बन्दूक की चोट द्वारा हत्या – गवाह जो पड़ोसी थे वे बन्दूक के बारे में कुछ नहीं कहते अभिनिर्धारित किया गया, यह तथ्य अभियोजन के मामले को प्रतिकूल रूप से प्रभावित नहीं करेगा क्योंकि यह संभव है कि बंद दरवाजो से उन तक ध्वनि या आवाज न पहुंची हो।

(iv) हथियार की अनुज्ञप्ति की अवधि निकल जाना या उसका नवीनीकरण का अभियोजन के मामले से कोई संबंध नहीं है – असंगत तथ्य अभियोजन के मामले को प्रतिकूल रूप से प्रभावित नहीं कर सकते है – लाइसेंस की समय सीमा की वृद्धि असंगत तथ्य है।

(v) तुच्छ प्रक्रियात्मक अनियमितताएं असंगत होती है – यद्यपि अपराध जघन्य है किन्तु केवल जघन्यता मृत्यु दण्ड देने के लिए न्यायसंगत नहीं है मृत्युदण्ड को आजीवन कारावास में परिवर्तित किया गया। **144**

178

Sections 302/149 or 304 Part II/149 and 148 – (i)Incident arose on trivial matter – No sharp weapon used – Death caused due to cumulative injuries – Specific role of any appellant not explained by eye witness – Thus, they did not state which appellant gave which blow on which part of the body of deceased – Doctor did not opine which injury was fatal – Conviction under section 302/149 modified to section 304 Part II/149.

(ii) Appellants were armed with lathis and tangis etc. but did not use sharp weapon – It was held that appellants were not having common object to murder deceased in prosecution to that common object.

(iii) Few witnesses were relatives of deceased but there is no evidence to falsely implicate the appellants – They can be relied

धारा 302/149 या धारा 304 भाग–II/149 और 148 – (i) घटना छोटी बात को लेकर हुई – कोई धारदार हथियार उपयोग में नहीं लिया गया – मृत्यु चोटों के समेकित (प्रभाव) से हुई प्रत्यक्ष साक्षियों ने किसी अपीलार्थी की विषिष्ट भूमिका स्पष्ट नहीं की – वह यह नहीं बतला पाया कि किस अपीलार्थी ने मृतक के शरीर के किस भाग पर वार किया – डॉक्टर ने यह राय नहीं दी कि कौन सी चोट घातक थी। धारा 302/149 की दोषसिद्ध को धारा 304 भाग–2/149 में परिवर्तित किया गया।

(ii) अपीलार्थी गण लाठी और तांगी आदि से सुसज्जित थी किन्तु उन्होंने धारदार हथियार का उपयोग नहीं किया – यह अभिनिर्धारित किया गया कि अपीलार्थी गण का सामान्य उद्देष्य आहत की हत्या कारित करना नहीं था।

(iii) कुछ गवाह मृतक के रिष्तेदार थे किन्तु अपीलार्थी गण को झूठा फंसाने की कोई साक्ष्य नहीं थी गवाहों पर विष्वास किया जा सकता है। **84 110**

Sections 302 and 301 – (i) Murder – Death sentence – Mere pendency of criminal case is not an aggravating circumstance – Cannot be taken into consideration while awarding death sentence – Prosecution has to satisfy R-R test – Pendency of large number of criminal cases against accused might be a factor for awarding sentence but it is not relevant for awarding capital punishment.

(ii) Appellant involved in 24 criminal cases out of which, three were for murder, two were for attempt to murder – If lesser punishment awarded, he would be a menace to the society – Fit case for rigorous imprisonment for twenty years without remission.

(iii) Testimony of hostile witness cannot be discarded as a whole – Relevant part which is admissible in evidence can be used for either party.

(iv) Sentence – While awarding sentence in appropriate cases, the courts can call report of Probation Officers and examine whether there is likelihood of the accused indulging in any crime or there is any probability of his reformation and rehabilitation

धारा 302 और 301 – (i) हत्या – मृत्युदण्ड – केवल दाण्डिक प्रकरण लम्बित होना गंभीर परिस्थिति नहीं है – इससे मृत्यु दण्ड देने के लिए विचार में नहीं लिया जा सकता – अभियोजन को R–R परीक्षण संतुष्ट करवाना चाहिए अभियुक्त के विरूद्ध भारी संख्या में दाण्डिक प्रकरण का लम्बित होना दण्ड देते समय एक कारक हो सकता है लेकिन यह मृत्यु दण्ड देने के लिए सुसंगत नहीं है।

(ii) अपीलार्थी 24 दाण्डिक प्रकरणों में लिप्त पाया गया जिसमें से 3 हत्या के और 2 हत्या के प्रयत्न के थे – यदि उसे कम दण्ड दिया गया तो वह समाज के लिए एक बुराई होगा – 20 वर्ष का कठोर कारावास बिना माफी के देने के लिए उचित प्रकरण है।

(iii) पक्ष विरोधी गवाह की साक्ष्य पूरी तरह खारिज नहीं की जा सकती – साक्ष्य का सुसंगत भाग जो ग्राह्य है दोनों में से किसी भी पक्षकार द्वारा उपयोग में लिया जा सकता है।

(iv) दण्ड – समुचित मामले में दण्ड देते समय न्यायालय परिवीक्षा अधिकारी का प्रतिवेदन बुला सकती है और यह परीक्षण कर सकती है कि अभियुक्त के अपराध में लिप्त होने की संभावना है या उसके सुधार और पुनः स्थापित होने की संभावना है। **145 185**

Sections 302 and 304 Part I – Murder or culpable homicide not amounting to murder – There was an affair between the deceased Sukumar Ray and Bandana, who is daughter of one of the accused persons – Deceased went to the house of accused to meet Bandana – Accused persons were annoyed to see the deceased and beat him up – Apex Court held that it is a case of grave and sudden provocation and would come under exception I to section 300 IPC, therefore the offence would squarely come within the purview of part I of section 304 IPC and not under section 304 IPC.

धारा 302 और 304 भाग I – हत्या या सदोष मानव वध जो हत्या नहीं है – मृतक सुकुमार राय और बंदना के बीच प्रेम संबंध थे, बंदना एक अभियुक्त की पुत्री है – मृतक अभियुक्तगण के घर बंदना से मिलने गया – अभियुक्तगण उसे देखकर चिड़ गये और उसे मारा – सर्वोच्च न्यायालय में यह अभिनिर्धारित किया गया कि यह मामला गंभीर और अचानक प्रकोपन का है और धारा 300 भारतीय दण्ड संहिता के प्रथम अपवाद में आयेगा अतः अपराध धारा 304 भाग–1 के क्षेत्र का है न कि धारा 304 भारतीय दण्ड संहिता।**146 189**

Sections 302, 304-B and 498-A – Circumstantial evidence – Prosecution relied on following circumstances:

(i) The deceased and the appellant were wife and husband;

(ii) They were living in the same house;

(iii) The deceased was harassed by the appellant for additional dowry;

(iv) According to the medical evidence though the body was allegedly found hanging, it was in fact a case of strangulation; and

(v) Lastly an extra-judicial confession was made by A-1 before PW 9.

Trial Court convicted the accused for offence under section 302 IPC – High Court confirmed the conviction but disbelieved extra-judicial confession.

Apex Court held that the opinion of the doctor regarding strangulation, even if believed did not lead to the conclusion that it is only the accused who must be held responsible for such strangulation, so conviction altered to section 304-B IPC.

धारा 302, 304–बी और 498–ए – परिस्थितिजन्य साक्ष्य – अभियोजन ने निम्न परिस्थितियों पर विष्वास किया –

(i) मृतक और अपीलार्थी पति और पत्नी थे;

(ii) वे एक ही घर में साथ–साथ रहते थे;

(iii) अपीलार्थी द्वारा मृतक को अतिरिक्त दहेज के लिए तंग किया गया था;

(iv) चिकित्सा साक्ष्य के अनुसार मृत शरीर लटका हुआ पाया गया था लेकिन वास्तव में मामला गला घोटने का था और;

(v) एक न्यायिकेत्तर संस्वीकृति अभियुक्त ए–1 द्वारा गवाह पी. डब्लू. 9 के समक्ष की गयी थी।

विचारण न्यायालय ने अभियुक्त को धारा 302 भारतीय दण्ड संहिता के अपराध के लिए दोषसिद्धि किया – उच्च न्यायालय ने दोषसिद्धि की पुष्टि की किन्तु न्यायिकेत्तर संस्वीकृति पर विष्वास नहीं किया।

सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि डॉक्टर की गला घोटने संबंधी राय पर विष्वास कर भी लिया जाये तब भी यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि ऐसे गला घोटने के लिए केवल अभियुक्त उत्तरदायी है, दोषसिद्धि धारा 304–बी भारतीय दण्ड संहिता में परिवर्तित की गयी।

85 111

Sections 302 and 307 r/w/s 149 – (i) Deceased murdered brutally – Injured witness brutally attacked – His evidence is reliable – Trial Court convicted five persons – Acquittal of four accused and conviction of one by the High Court confirmed.

(ii) Evidence of interested/related witness should not always be suspected but should be scrutinized with caution.

(iii) If evidence of witnesses is to be disbelieved on the ground of some improvement, there would be hardly any witness on whom reliance can be placed.

(iv) ***Falsus in uno, falsus in omnibus*** is a rule of caution and not a rule of law – If it is not feasible to separate truth from falsehood, the court is not required to construct a new case, but in present case, truth and falsehood not inextricably mixed up.

धारा 302 और 307 सहपठित 149 – (i) मृतक की नृषंस हत्या की गयी – आहत गवाह पर नृषंस वार किये गये उसकी साक्ष्य विष्वसनीय है – विचारण न्यायालय में 5 व्यक्तियों को दोषमुक्त किया और एक को दोषसिद्ध किया।

(ii) हितबद्ध/रिष्तेदार गवाह की साक्ष्य पर हमेषा संदेह नहीं किया जाना चाहिए किन्तु उसकी साक्ष्य की सावधानी से छानबीन करना चाहिए।

(iii) यदि गवाहों की साक्ष्य पर थोड़े सुधार के आधार पर अविष्वास किया जाता है तो शायद ही कोई गवाह बचे जिस पर विष्वास किया जा सकता है।

(iv) एक बात में झूठ तो सब बात में झूठ यह एक सावधानी का नियम है विधि का नियम नहीं है – यदि झूठ से सत्य को पृथक किया जाना संभव न हो तो न्यायालय के लिए यह आवष्यक नहीं है कि वह एक नया मामला बनावें किन्तु वर्तमान मामले में सत्य और झूठ जटिल तरीके से मिश्रित नहीं थे।**147** **189**

Sections 302, 307 and 201 – (i) Murder committed in extremely brutal, grotesque, diabolical and dastardly manner – Accused was in dominating position compared to the boy – Held, imprisonment for a period of thirty years without remission in addition to period already undergone would be adequate looking to the facts.

(ii) R to R is "society centric" and not "judge centric" – It has to be examined whether conscience of the society is served or not and whether society abhor such crime or not.

(iii) Accused, 35 year old has attained sufficient maturity to distinguish good from bad – He had not acted in emotional or mental stress but committed offence to satisfy his lust in perverted way.

(iv) Courts are duty-bound to collect evidence about possibility of rehabilitation and reformation along with criminal past of the convict to impose appropriate sentence under section 354(3) – State is obliged to furnish such materials to court.

(v) Pederasty – Consent of minor boy irrelevant.

धारा 302, 307 और 201 – (i) हत्या अत्यन्त पाष्विक, विकृत पैषाचिक, कायरना तरीके से की गयी अभियुक्त अधिभावी स्थिति में था – मामले के तथ्यों को देखते हुए 30 वर्ष का कारावास बिना किसी छूट के साथ ही अभिरक्षा में गुजारी गयी अवधि भी एक युक्तियुक्त दण्ड होगा।

(ii) विरले से विरलतम ''समाज केन्द्रित'' है ''न कि जज केन्द्रित''– यह परीक्षण करना होगा कि क्या समाज की आत्मा के अनुरूप है या नहीं और क्या समाज ऐसे अपराध से घृणा करता है या नहीं।

(iii) अभियुक्त 35 वर्ष का परिपक्व व्यक्ति जो कि अच्छे और बुरे में अन्तर करने योग्य है – उसने अपराध किसी भावना, मानसिक तनाव में नहीं किया बल्कि उसकी पिपासा को शांत करने के लिए किया।

(iv) धारा 354 (3) के तहत उचित दण्ड देने के लिए न्यायालय कर्त्तव्य से बंधे है कि वे दोषसिद्धि व्यक्ति का आपराधिक इतिहास और उसके सुधरने के अवसर की संभावना के बारे में साक्ष्य एकत्रित करे।

(v) अवयस्क बच्चे की सहमति असंगत है। **148** **191**

Section 302 or 307/427 – (i) Injuries inflicted by accused not immediately causing death – Intervening cause could not be ruled out – Injuries, on the person of deceased not sufficient in ordinary course of nature to cause shock – Court cannot assume that shock was caused due to injuries.

(ii) No internal injuries were found and gun was found from a distant place – Doctor nowhere stated that shock was caused due to injuries inflicted by the appellant – To hold the accused guilty of murder, prosecution has to firstly establish that there was culpable homicide – Accused held guilty under section 307 with sentence of 10 years rigorous imprisonment having intention to kill the deceased or had knowledge that the act would cause death.

धारा 302 या 307/427 – (i) अभियुक्त द्वारा कारित चोटें – तत्काल मृत्यु कारित नहीं हुई – मध्यवर्ती कारण वर्जित नहीं किये जा सकते। मृत व्यक्ति के शरीर पर पायी गयी चोटें सामान्य क्रम में आघात या सदमे के लिए पर्याप्त नहीं थी – न्यायालय यह नहीं मान सकती कि चोटों के कारण सदमा लगा ।

(ii) कोई आंतरिक चोटें नहीं पायी गयी बन्दूक दूरस्थ स्थान पर पायी गयी – डॉक्टर का यह कहना नहीं था कि अपीलार्थी द्वारा कारित चोटों के सदमे के कारण मृत्यु हुई – अभियुक्त को हत्या का दोषी निर्धारित करने

के लिए अभियोजन को प्रथमतः स्थापित करना होता है कि सदोष मानव वध था अभियुक्त को धारा 307 में दोषी पाया गया और 10 वर्ष के कठोर कारावास का दण्ड दिया गया। **149 195**

Section 302, 307, 394/397 and 450 – Sentencing policy – For death sentence, examination of mitigating aggravating circumstances, and R-R Test – Law explained.

धारा 302, 307, 394/397 और 450 – दंड की नीति – मृत्यु दंड के लिए अल्पीकरण और गंभीर परिस्थितियां तथा विरले से विरलतम प्रकरण का परीक्षण – विधि स्पष्ट की गई।

259 (ii) 374

Sections 302, 376 and 394 – (i) Defective investigation in a very heinous crime of rape, robbery and murder – Accused persons were acquitted due to lapses in investigation and prosecution – Directions issued by Hon'ble the Apex Court, to remedy the situation.

(ii) Help of modern tools and techniques should be taken in investigation like DNA profile, blood group test, etc. to prove a particular fact.

धारा 302, 376 और 394 – (i) बलात्संग लूट और हत्या के बहुत गंभीर अपराध में दोषपूर्ण अनुसंधान – अभियुक्तगण को अनुसंधान और अभियोजन की कमियों के कारण दोषमुक्त किया गया था – माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ऐसी स्थिति से निपटने के लिए निर्देष जारी किये।

(ii) अनुसंधान में किसी विषेष तथ्य को प्रमाणित करने के लिए आधुनिक उपकरण और तकनीकी की सहायता लेना चाहिए जैसे डी.एन.ए. परीक्षण, रक्त समूह परीक्षण आदि। **127 155**

Sections 302 and 404 – Offence under sections 302 and 404 IPC – Circumstantial evidence – Recovery of missing ornaments from the body of deceased, evidentiary value of.

धारा 302 और 404 – अपराध धारा 302 और 404 भारतीय दण्ड संहिता के अधीन – परिस्थितिजन्य साक्ष्य मृत व्यक्ति के शरीर से गायब गहनों या आभूषणों की बरामदगी का साक्ष्यिक मूल्य।**150*** **196**

Sections 302 and 376 – See section 154 of the Criminal Procedure Code, 1973 and sections 3 and 27 of the Evidence Act, 1872.

धारा 302, 376 – देखे दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 154 तथा साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 3 और 27। **294 453**

Sections 302, 376 and 450 – See section 313 of the Criminal Procedure Code, 1973 and section 3 of the Evidence Act, 1872.

धारा 302, 376, 450 – देखिए धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 और धारा 3 साक्ष्य अधिनियम, 1872। **67 88**

Sections 302 and 498-A – See section 106 of the Evidence Act, 1872.

धारा 302 और 498–ए – देखिए धारा 106 साक्ष्य अधिनियम, 1872। **86 112**

Section 304-A – Reduction of sentence – Trial Court awarded sentence of one year R.I. and fine of ` 1000/- – Sentence upheld by Sessions Court – High Court on the ground that trial was pending since 1999 reduced the sentence to period already undergone which was only 34 days – The Apex Court has observed that a life has been lost due to rash and negligent driving on the part of accused which could not have been ignored – Sentence awarded by Trial Court is restored.

धारा 304–ए – दण्ड में कमी – विचारण न्यायालय ने एक वर्ष का कठोर कारावास और 1,000 रूपये अर्थदण्ड दिया – सत्र न्यायालय ने दण्ड कायम रखा – उच्च न्यायालय ने इस आधार पर की विचारण 1999 से लम्बित था दण्ड को अभिरक्षा में गुजारी गयी अवधि जो कि 34 दिन थी तक कम किया – सर्वोच्च न्यायालय ने यह मत दिया कि अभियुक्त के उतावलेपन और उपेक्षा से वाहन चलाने से एक व्यक्ति का जीवन समाप्त हुआ था इसे अनदेखा नहीं किया जा सकता विचारण न्यायालय द्वारा दिये गये दण्ड को पुनः कायम किया गया। **27 34**

Section 304-B – Deceased died within 7 months of marriage – Death is not in normal circumstances (due to burn) – She was harassed in connection with demand of dowry soon before her death – Presumption of law has also been raised u/s 113-B of the Indian Evidence Act – Accused has rightly held guilty.

धारा 304–बी – मृतक विवाह के 7 माह के भीतर मरी – मृत्यु सामान्य परिस्थितियों में नहीं थी (जलने के कारण मृत्यु हुई थी) – उसे मृत्यु के ठीक पूर्व दहेज की मांग के लिए प्रताड़ित किया गया था – विधि की उपधारणा धारा 113–बी भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत उत्पन्न होती है, अभियुक्त को सही रूप से दोषी पाया गया। **314 496**

Section 304-B – Person related by blood, marriage or adoption is called relative of husband – Person not relative – Cannot be prosecuted for offence u/s 304 B.

धारा 304.बी – व्यक्ति जो रक्त, विवाह या दत्तक द्वारा संबंधित हो वह पति का नातेदार कहलाता है – व्यक्ति जो नातेदार नहीं है उसका अभियोजन धारा 304–बी के अपराध के लिए नहीं किया जा सकता। **260 385**

Section 304-B – (i) Sentence – Discretion of Court – Sentencing policy is judge-centric or principle based – Principle relating to imposition of death sentence is equally applicable to all lesser sentences where Courts have discretion under statute to award higher or lesser sentence – For that purpose, crime test (aggravating circumstances) and criminal test (mitigating circumstances) are to be applied.

(ii) Relevant factors for determining quantum of sentence explained.

धारा 304–बी – (i) दंड – न्यायालय का विवेकाधिकार – दंड नीति जज केन्द्रित है या सिद्धान्तों पर आधारित – मृत्यु दंड देने के संबंध में जो सिद्धान्त हैं वे समान रूप से अन्य छोटे दंड पर भी लागू होते हैं जिनमें न्यायालय को उच्च या निम्न दंड देने का विवेकाधिकार है – अपराध परीक्षण के उद्देष्य से (गंभीर परिस्थितियाँ) और अपराधी परीक्षण (षमनकारी परिस्थितियाँ) लागू होंगी।

(ii) दंड निर्धारित करने में सुसंगत कारक समझाये गये। **151 197**

Section 304-B – "Soon before death" does not mean "at any time before" nor "immediately before" – It has been used with reference to cruelty or harassment which were meted in proximity to death that has to be considered as cause of death.

धारा 304–बी – ''मृत्यु के कुछ पूर्व'' शब्द का अर्थ न तो ''मृत्यु के पूर्व किसी समय'' न ही ''मृत्यु के तुरंत पूर्व'' है – यह शब्द क्रूरता या तंग किया जाना के संदर्भ में उपयोग हुआ है जो मृत्यु के संबंध में है इनको मृत्यु के कारण के रूप में विचार में लिया जाता है। **28 35**

Sections 304-B and 306 – Where an accused was charged under section 304-B IPC, can the court convict him under section 306 IPC? Held, Yes.

धारा 304–बी और 306 – जहाँ अभियुक्त पर धारा 304–बी भा.दं.सं. का आरोप लगाया गया था क्या न्यायालय उसे धारा 306 भा.दं.सं. में दोषसिद्ध कर सकती है? अभिनिर्धारित किया गया, हाँ। **202 (ii) 280**

Sections 304-B, 306 and 498-A – Dowry death – Suicide by burning – Cruelty and harassment for dowry established – Conviction of husband under sections 304-B and 498-A confirmed.

Presumption of dowry death requires to show harassment and cruelty soon before the death of the victim – "Soon before" depends on facts and circumstances of each case – Cruelty and harassment differ from case to case and depends on mindset of people – Cruelty can be physical or mental – Mental cruelty can be verbal, emotional; like insulting, ridiculing, humiliating a woman, depriving of economic resources and essential amenities of life – There must be nexus between demand of dowry and cruelty and harassment – Test of proximity must be applied.

Dowry must have nexus with marriage.

धारा 304–बी, 306 और 498–ए – दहेज मृत्यु – जल कर आत्महत्या – दहेज के लिये क्रूरता या तंग किया जाना स्थापित हुआ था – पति को धारा 304–बी और 498–ए में दोषसिद्ध किया था उसकी पुष्टि की गयी।

दहेज मृत्यु की उपधारणा के लिए यह आवष्यक है कि मृत्यु के कुछ पूर्व आहत को तंग किया जाये और उसके साथ क्रूरता की जाना दर्षाया जाये – ''कुछ पूर्व'' प्रत्येक प्रकरण के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करता है – क्रूरता और तंग किया जाना प्रकरण दर प्रकरण भिन्न होता है और यह व्यक्ति के माइन्ड सेट या मनोदषा पर निर्भर करता है – क्रूरता शारीरिक या मानसिक हो सकती है – मानसिक क्रूरता मौखिक, भावनात्मक; जैसे अपमान करना, हंसी उड़ाना, नीचा दिखाना हो सकता है, एक महिला को आर्थिक स्त्रोतों से और जीवन की आवष्यक वस्तुओं से वंचित रखना भी हो सकता है – दहेज की मांग और क्रूरता तथा तंग किये जाने के बीच संबंध होना चाहिए – निकटता का परीक्षण लागू होना चाहिए।

दहेज का विवाह से संबंध होना चाहिए। **152 (i) to (iii) 205**

Sections 304-B and 498-A – Certificate as to period of detention as required by section 428 CrPC, necessity of – Law reiterated.

धारा 304–बी और 498–ए – धारा 428 दं.प्र.सं. के तहत अभिरक्षा की अवधि के प्रमाण पत्र की आवष्यकता – विधि पुनः बतलायी गयी। **29 36**

Sections 304-B and 498-A – See section 113-B of the Evidence Act, 1872.

धारा 304–बी और धारा 498–ए – देखिए धारा 113–बी साक्ष्य अधिनियम, 1872। **261 386**

Sections 304 Part II and 498-A – Deceased married four years back – Demand of dowry made at the time of marriage and after marriage – On the date of occurrence, quarrel between deceased and appellant – Appellant poured kerosene on her and set her on fire – Dying declaration recorded by doctor and signed it – Trial court acquitted the appellant – High Court reversed and convicted the appellant under section 304 part II – Parents of deceased turned hostile – But prosecution case was established by independent witnesses; doctor and head constables who deposed about dying declaration – No reason to disbelieve the doctor and head constable.

Conviction can be based on a dying declaration recorded when deceased is in a fit mental condition to make it – It should be truthful and voluntary.

Dying declaration if reliable, minor discrepancies at the time of recording, does not affect the prosecution story.

Interference with acquittal is permissible, if acquittal is perverse.

धारा 304–भाग II और 498–ए – मृतक का 4 वर्ष पूर्व विवाह हुआ था दहेज की मांग विवाह के समय और उसके बाद की गयी थी घटना दिनांक को मृतक और अपीलार्थी के बीच झगड़ा हुआ था – अपीलार्थी ने उस पर (मृतक पर) केरोसीन छिड़क कर आग लगा दी – डॉक्टर ने मृत्यु पूर्व कथन अभिलिखित किये और उस पर हस्ताक्षर किये – विचारण न्यायालय ने अपीलार्थी को दोषमुक्त किया – उच्च न्यायालय ने (दोषमुक्ति को) उलट दिया और अपीलार्थी को धारा 304 भाग II के अधीन दंडित किया – मृतक के माता पिता पक्ष विरोधी हुए थे – किन्तु अभियोजन का मामला स्वतंत्र गवाहों से स्थापित हुआ; डॉक्टर और प्रधान आरक्षक ने मृत्यु पूर्व कथन के बारे में साक्ष्य दी – डॉक्टर और प्रधान आरक्षक पर अविष्वास करने का कोई कारण नहीं दोषसिद्धि मृत्यु पूर्व कथन पर आधारित की जा सकती है जब मृतक स्वथ्य मानसिक दषा में मृत्यु कालीन कथन करने के लिए हो – यह (मृत्यु कालीन कथन) सत्य और स्वेच्छया से किये गये होना चाहिए।

मृत्यु कालीन कथन यदि विष्वास योग्य हो तो उसमें अभिलिखित करने के समय के बारे में छोटे विरोधाभास अभियोजन कहानी को प्रभावित नहीं करते।

दोषमुक्ति में हस्तक्षेप तभी अनुमति योग्य है जब दोषमुक्ति विपर्यस्त (तर्क विरूद्ध) हो। **30 (i), (ii), (iv) & (v) 37**

Section 306 – Offence for abetment of suicide – Constitution of.

धारा 306 – आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरण के अपराध का गठन। **153* 209**

Section 306 – Offence for abetment to commit suicide under section 306 IPC, consideration of.

धारा 306 – धारा 306 भा.दं.सं. के अधीन आत्महत्या के दुष्प्रेरण के अपराध के लिए विचारणीय तथ्य। **154* 209**

Section 306 – Offence of abetment to commit suicide – Framing of charge, requirement of – Explained.

धारा 306 – आत्महत्या के दुष्प्रेरण का अपराध – आरोप विरचित करने के लिए आवष्यकताऐं – समझायी गयी। **203* 281**

Sections 306 and 498-A – It is proved that accused persons has harassed the deceased with a view to coerce her to convince her parents to meet demand of dowry – The said act has driven the deceased to commit suicide or not is doubtful – Accused persons were acquitted for the

offence u/s 306/34 IPC, but in the light of explanation (b) of section 498-A they were held guilty of offence u/s 498-A IPC.

धारा 306 एवं 498–A – यह प्रमाणित हुआ कि अभियुक्तगण ने मृतक को प्रताड़ित किया जो इस कारण था कि उसे इसलिए उत्पीड़ित किया जायें कि वह उसके माता–पिता को दहेज की मांग पूरी करने के लिए मनवा सकें। उक्त कृत्य ने मृतक को आत्महत्या के लिए प्रेरित किया या नहीं यह संदेहास्पद है। अभियुक्तगण को धारा 306/34 भा.दं.सं. के अपराध में दोषमुक्त किया गया किन्तु धारा 498–ए के स्पष्टीकरण (बी) के प्रकाष में उन्हें धारा 498–ए भा.दं.सं. में दोषसिद्ध पाया गया। **315 497**

Section 307 – See Section 31 of the Criminal Procedure Code, 1973.

धारा 307 – देखिए धारा 31 दंड प्रक्रिया संहिता, 1973। **13 8**

Section 307 – When an unarmed complainant is attacked by several accused persons with deadly weapons, it is reasonable to presume that they had knowledge or intention that such type of attack would result in death – Accused persons openly declared that a person would be killed if money was not paid – Charge under section 307 I.P.C. clearly made out against accused persons.

धारा 307 – जब एक निहत्थे परिवादी पर कई अभियुक्तगण द्वारा घातक हथियारों से आक्रमण किया गया – यह युक्ति–युक्त रूप से उपधारित किया जा सकता है कि उनका ज्ञान या आषय था कि इस प्रकार के आक्रमण का परिणाम मृत्यु होगा – अभियुक्तगण ने खुले रूप से यह घोषणा की थी कि यदि पैसा नहीं दिया गया तो एक व्यक्ति को मार दिया जाएगा। धारा 307 भा.दं.सं. का आरोप अभियुक्तगण के विरूद्ध स्पष्ट रूप से बनता है। **316 498**

Section 314 – Special provision vis-à-vis general provision, exclusion of – A special provision excludes general provision.

धारा 314 – विषेष प्रावधान और सामान्य प्रावधान, वर्जन – एक विषेष प्रावधान सामान्य प्रावधान को वर्जित कर देता है। **155 (i) 210**

Sections 323, 324, 326/34, 294 and 506-B – See section 165 of Evidence Act, 1872.

धारा 323, 324, 326/34, 294/506–बी – देखे साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 165।

317 499

Section 324 – Amendment in procedural law, effect of – Offence under section 324 IPC may not be compoundable after Amendment Act, 2005 w.e.f. 31.12.2009 – Prior to that, offence was compoundable – The alleged offence under section 324 IPC was committed on 16.11.2006 when the same was compoundable – Trial Court rejected on 02.08.2010 the application for permission to compound as the offence under section 324 IPC on the date of presentation of the application for permission to compound, the offence is not compoundable anymore w.e.f. 31.11.2009 – Held, Trial Court committed an error in refusing to compound the offence under section 324 IPC as the same on the date of offence has been made non-compoundable w.e.f. 31.12.2009 and on the date of its commission, it was compoundable.

धारा 324 – प्रक्रियात्मक विधि में संषोधन का प्रभाव – धारा 324 भा.दं.सं. के अधीन अपराध में संषोधन अधिनियम, 2005 जो कि 31.12.2009 से प्रभाव में आया है अपराध का शमन नहीं हो सकता – इस तारीख के पहले, अपराध समझौते योग्य था – धारा 324 भा.दं.सं. का अभिकथित अपराध 16.11.2006 को कारित किया गया था जब वह शमन योग्य था – विचारण न्यायालय ने धारा 02.08.2010 को अपराध शमन करने की अनुमति का आवेदन निरस्त किया क्योंकि अपराध शमन करने की अनुमति का आवेदन देते समय अपराध समझौता योग्य नहीं था – अभिनिर्धारित किया गया विचारण न्यायालय में धारा 324 भा.दं.सं. के अपराध में समझौता अस्वीकार करने में भूल की है क्योंकि यह अपराध 31.12.2009 से अषमन योग्य बनाया गया है अपराध करने की तारीख पर यह अपराध शमन योग्य था। **192* 268**

Section 364 – Appreciation of evidence – Fact especially within the knowledge of any person, proof of – Deceased is shown to be abducted by the accused persons – It is for them to explain how they dealt with the abducted victim – In the absence of explanation, Court is to draw inference that abductors/accused persons are the murderers.

धारा 364 – साक्ष्य का मूल्यांकन – तथ्य जो विषेषतः किसी व्यक्ति के ज्ञान में हो – प्रमाणित किया जाना – मृतक का अभियुक्तगण द्वारा अपहरण किया जाना दर्षाया गया – अभियुक्तगण को यह स्पष्टीकरण देना था

कि उन्होंने अपहृत आहत के साथ कैसा बर्ताव किया – किसी स्पष्टीकरण के अभाव में न्यायालय यह अनुमान निकाल सकता है कि अपहरणकर्ता/अभियुक्तगण ही आहत के हत्यारे है। **318** **500**

Sections 373, 302, 376-A and 304 Part II – (i) Offence under sections 376-A, 302 and 304 Part II of IPC and section 6 of the POCSO Act, consideration and ingredients of – Law explained.

(ii) Intention – If someone harms illegally to body, mind etc. then injury would be caused and therefore, when the accused kept his hand on mouth of prosecutrix so that she should not shout and in that process if she died due to suffocation, the accused caused the injury to the prosecutrix which caused death to the accused and therefore, the offence of the accused squarely falls within the purview of section 376-A of IPC – In appeal conviction under section 376-A of IPC and section 6 of the POCSO Act was maintained and conviction under section 302 IPC was set aside and the accused was convicted for offence under section 304 Part I of IPC – It was further held that the case do not fall within the rarest of rare case and therefore, reference for confirmation of death sentence was rejected.

धारा 373, 302, 376–ए और 304 भाग II – (i) धारा 376–ए, 302, 304 भाग II भारतीय दण्ड संहिता तथा धारा 6 पास्को अधिनियम के घटक – विधि स्पष्ट की गयी।

(ii) आषय, यदि कोई किसी अन्य के शरीर या मन को अवैध रूप से हानि पहुंचाता है तब उपहति कारित होगी इस कारण जब अभियुक्त ने अभियोक्त्रि के मुंह पर हाथ रखा ताकि वह चिल्ला न सकें इस प्रक्रिया में यदि उसकी मृत्यु दम घुटने के कारण हो जाती है, अतः अभियुक्त ने अभियोक्त्रि को उपहति कारित की जिससे उसकी मृत्यु हुई अतः अभियुक्त का अपराध धारा 376–ए भारतीय दण्ड संहिता में आता है – अपील में धारा 376–ए भारतीय दण्ड संहिता और धारा 6 पास्को अधिनियम की दोषसिद्धि कायम रखी गयी और धारा 302 भारतीय दण्ड संहिता की दोषसिद्धि अपास्त की गयी और अभियुक्त को 304 भाग–I भारतीय दण्ड संहिता में दोषसिद्ध किया गया – मामला विरले से विरलतम में नहीं आता है अतः मृत्युदण्ड की पुष्टि का निर्देष खारिज किया गया। **319** **501**

Sections 375 r/w Expln. thereto or section 506/375 – (i) Rupture of hymen is immaterial for theory of rape – Mere penetration is sufficient.

(ii) Grant of lesser punishment than minimum prescribed – Adequate and special reasons depend upon several factors – No strait jacket formula has been laid down.

धारा 375 सहपठित उसका स्पष्टीकरण और धारा 506/375 – (i) बलात्संग के लिए हाईमन का फटना अतात्विक है – केवल प्रवेषन ही पर्याप्त है।

(ii) न्यूनतम निर्धारित दंड से कम दंड दिया जाना – पर्याप्त और विषेष कारण कई कारकों पर निर्भर करते हैं – कोई स्ट्रेट जेकिट फार्मूला (सीधा साधा सूत्र) निर्धारित नहीं किया जा सकता। **31**
42

Section 376 – (i) In case of rape, the evidence of prosecutrix plays the most vital role – If it is credible and inspires total confidence, it can be relied without further corroboration – If the court is hesitant to place reliance, it should look to other evidence for corroboration – Such weight is given to the evidence of prosecutrix because she is at par with that of an injured witness.

(ii) Lapse on the part of prosecution can be condoned but evidence on record must be clinching.

(iii) Presence of injuries is not necessary to prove commission of rape.

धारा 376 – (i) बलात्संग के मामले में अभियोक्त्री की साक्ष्य की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है – यदि यह साक्ष्य विष्वसनीय और पूर्णतः विष्वास उत्पन्न करने वाली हो तो उस पर किसी पुष्टि के बिना भी भरोसा किया जा सकता है – यदि न्यायालय उस पर विष्वास करने में अनिष्चित हो तो वे अन्य पुष्टि कारक साक्ष्य को देख सकते हैं – अभियोक्त्री की साक्ष्य को महत्व दिया जाना चहिए क्योंकि वह एक आहत गवाह के समान होती है।

(ii) अभियोजन के भाग पर कमी को क्षम्य किया जा सकता है किन्तु अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य निष्चित प्रकृति की होना चाहिए।

(iii) बलात्संग का अपराध प्रमाणित करने के लिए चोटों की उपस्थिति आवष्यक नहीं होती है।
32 **43**

Sections 376 and 90 – Consent – Sexual Intercourse by accused with prosecutrix on promise of marriage – When prosecutrix got pregnant, accused refused to marry her on the ground that she is of 'bad character' – Shows that accused never intended to marry prosecutrix and procured her consent only for the reason of having sexual relation with her – Act of accused falls squarely under the definition of rape as he had sexual intercourse with her consent which was consent obtained under a misconception of fact as defined under section 90 of the IPC.

धारा 376 और 90 – सहमति – अभियुक्त द्वारा अभियोक्त्री के साथ लैंगिक संसर्ग विवाह के आष्वासन पर किया गया। जब अभियोक्त्री गर्भवती हुई तब अभियुक्त ने उसके बुरे चरित्र के आधार पर उससे विवाह करने से इनकार किया – यह दर्षाता है कि अभियुक्त का आषय कभी अभियोक्त्री के साथ विवाह करना नहीं रहा था और उसने अभियोक्त्री के साथ लैंगिक संबंध बनाने के लिए और उसकी सहमति प्राप्त करने के लिए आष्वासन दिया था – अभियुक्त का कृत्य पूरी तरह से बलात्कार की परिभाषा में आता है अभियुक्त ने अभियोक्त्री की सहमति दुर्व्यपदेषन के अधीन लैंगिक संसर्ग करने के लिए प्राप्त की थी। **33 44**

Sections 376 and 506 – Whether medical evidence of rupture of hymen is necessary to prove offence of rape? Held, No – Prosecutrix stated that the accused forcibly committed sexual assault/ rape on her against her wish, so non-rupture of hymen is insignificant.

Prosecutrix, after the incident, had gone to the extent of committing suicide due to the trauma of rape – Held, defence of concocted story and consent, found not sustainable in the light of section 114-A of the Evidence Act.

धारा 376 और 506 – क्या बलात्कार के अपराध को प्रमाणित करने के लिए हाईमन के फटने की मेडिकल साक्ष्य आवष्यक होती है ? अभिनिर्धारित किया गया, नहीं – अभियोक्त्री ने कथन किये थे कि अभियुक्त ने उसके साथ बलपूर्वक लैंगिक हमला (बलात्कार) उसकी इच्छा के विरूद्ध किया, अतः हाईमन का न फटना महत्वपूर्ण नहीं है।

अभियोक्त्री ने घटना के बाद बलात्कार के आघात के कारण आत्महत्या करने का प्रयत्न किया – अभिनिर्धारित किया गया कि कहानी गढ़ने और सहमति का बचाव धारा 114–ए साक्ष्य अधिनियम के प्रकाष में मान्य किये जाने योग्य नहीं है। **187 (i) & (iii) 261**

Section 376 (2) (g) – (i) Gang rape – Sentence – Theory of punishment – Punishment should always be proportionate/ commensurate to the gravity of the offence.

(ii) Proviso to section 376 I.P.C. – Being an exceptional clause, requires strict interpretation – Religion, race, caste, economic or social status of the accused or victim, long pendency of the criminal trial, offer of the rapist to marry the victim, married and settled status of the victim in life, cannot be construed as special and adequate factors for reducing the sentence prescribed by the Statute.

(ii) Whether a compromise entered into between the parties can be considered as a ground for awarding lesser sentence in a rape case? Held, No – In the interest of justice and to avoid unnecessary pressure/harassment to the victim it would not be safe in considering the compromise arrived at between the parties in rape cases to be a ground for the court to exercise the discretionary power under proviso to section 376 of the IPC.

धारा 376 (2) (जी) – (i) सामूहिक बलात्कार – दंड – दंड के सिद्धांत – दंड हमेषा अपराध की गंभीरता के अनुपात/परिणाम में होना चाहिए।

(ii) धारा 376 भा.दं.सं. के प्रावधान – एक आपवादिक अनुच्छेद होने से उसका कठोर अर्थान्वयन आवष्यक है – धर्म, वंष, जाति, आर्थिक या सामाजिक स्थिति अभियुक्त की या आहत की, दांडिक विचारण का काफी समय से लंबित रहना, बलात्कारी का आहत के साथ विवाह करने का प्रस्ताव रखना, आहत का जीवन में विवाहित और स्थापित स्तर को विधान द्वारा नियत दंड को कम करने के विषेष और पर्याप्त कारण गठन नहीं करते हैं।

(iii) क्या पक्षकारों के बीच समझौता हो जाना बलात्कार के मामले में कम दंड देने का एक आधार हो सकता है? अभिनिर्धारित किया गया नहीं – न्याय के हित में और आहत को अनावष्यक दबाव/तंग किये जाने से बचाने के लिए यह सुरक्षित नहीं होगा कि बलात्कार के मामलों में पक्षकारों में हुए समझौते को विवेकपूर्ण शक्तियों का एक आधार धारा 376 भा.दं.सं. के परन्तुक के लिए बनाया जाये। **204 282**

Section 376 (2) (g) – Gang rape – When proved?

धारा 376 (2) (जी) – सामूहिक बलात्कार – कब प्रमाणित। **262* 388**

Section 377 – "Carnal intercourse against the course of nature" – The acts under the provision of this section cannot be determined only with reference to the act and circumstances under which it is executed – It is difficult to prepare a list of such acts covered under this section – Even then this section could apply irrespective of age and consent – This section merely identifies certain acts which constitute the offence irrespective of gender identity or orientation.

Possibility of prosecution in cases of consensual intercourse between adults cannot be ruled out – It has been held that section 377 is not unconstitutional – Parliament has to decide deletion or amendment of the provision as suggested by the Attorney General.

धारा 377 – ''प्रकृति की व्यवस्था के विरूद्ध इन्द्रिय भोग'' – इस धारा के प्रावधान में उल्लेखित कृत्यों से ही उनका किया जाना निर्धारित नहीं किया जा सकता – यह असंभव है कि इस धारा में आने वाले कृत्यों की एक सूचि तैयार की जाये – यह धारा उम्र और सहमति पर विचार किये बिना भी लागू होगी – यह धारा केवल कुछ कृत्यों को बतलाती है जो अपराध का गठन करते हैं जो कि लैंगिक पहचान से कोई संबंध नहीं रखती है। वयस्कों के बीच सहमतिपूर्ण दैहिक संपर्क में अभियोजन की संभावना को निषेधित नहीं किया जा सकता – धारा 377 असंवैधानिक नहीं है – संसद अटार्नी जनरल द्वारा सुझाए अनुसार इस प्रावधान में संषोधन या इसे समाप्त किये जाने के बारे में निर्णय ले सकती है। **34 47**

Sections 406 and 420 – See Section 156 (3) of the Criminal Procedure Code, 1973.

धारा 406 और 420 – देखिये धारा 156 (3) दं.प्र.सं. 1973। **188* 263**

Section 420 – Complaint in respect of offence under section 420 of the IPC, maintainability of – Power under section 156 (3), exercise of – Complaint under section 420 IPC filed against film director and producer alleging that they approached complainant and sought his assistance in making movie and offered ` 40 lakh consideration therefor – It was also alleged that the director and producer despite seeking and procuring assistance of complainant for making the film, did not pay ` 40 lakh – The complaint was filed against the director and producer and later on he filed an application under section 156 (3) Cr.P.C seeking a direction to the SHO of the concerning police station to register FIR – Allowing the petition against the impugned order, it was held that allegations contained were of civil nature and the entire dispute pertains to contractual obligations and did not disclose the commission of offence as there is difference between breach of contract and cheating – Further held, power conferred under section 156 (3) of the Code is not to be mechanically exercised – Investigation by police is necessary only in case where the Magistrate is prima facie satisfied that allegations contained in the complaint point to the commission of cognizable offence and he should not act merely as a post office but he should apply his mind before so ordering.

धारा 420 – धारा 420 भा.दं.सं. के अधीन अपराध के संबंध में परिवाद की प्रचलन शीलता – धारा 156 (3) की शक्तियों का प्रयोग – धारा 420 भा.दं.सं. का परिवाद फिल्म के निदेषक और निर्माता के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया और यह अभिकथन किये कि उन्होंने परिवादी से संपर्क किया था और एक फिल्म के निर्माण में सहायता चाही थी और 40 लाख रूपये प्रतिफल का प्रस्ताव रखा था – यह भी अभिकथन किये गये कि निर्देषक और निर्माता ने परिवादी की सहायता मांगने और ले लेने के बावजूद उसे फिल्म निर्माण के संबंध में 40 लाख रूपये भुगतान नहीं किये – परिवादी ने परिवाद प्रस्तुत करने के बाद धारा 156 (3) दं.प्र.सं. के तहत एक आवेदन प्रस्तुत करके यह सहायता चाही कि संबंधित पुलिस थाने के थाना प्रभारी को एफ.आई.आर. दर्ज करने के निर्देष दिये जायें ऐसे निर्देष दिये गये – प्रष्नगत आदेष के विरूद्ध याचिका स्वीकार की गई और यह अभिनिर्धारित किया गया कि जो अभिकथन किये गये थे वे सिविल प्रकृति के थे और पूरा विवाद संविदात्मक दायित्व के संबंध में था और उसमें अपराध किये जाने के कोई तथ्य प्रकट नहीं हुए थे, संविदा के भंग और छल में अंतर होता है – यह भी अभिनिर्धारित किया गया कि धारा 156 (3) में दी गयी शक्तियों का प्रयोग यांत्रिक तरीके से नहीं करना चाहिए – पुलिस द्वारा अनुसंधान केवल वहाँ आवष्यक होता है जहाँ मजिस्ट्रेट को प्रथम दृष्टया यह संतुष्टि हो कि परिवाद में उल्लेखित अभिकथनों से एक संज्ञेय अपराध का किया जाना प्रतीत होता है और उन्हें (मजिस्ट्रेट) को एक डाक घर की तरह कार्य नहीं करना चाहिए बल्कि आदेष करने से पूर्व अपने मस्तिष्क का प्रयोग करना चाहिए। **87* 114**

Section 420 – See section 240 of the Criminal Procedure Code, 1973.

धारा 420 – देखिए धारा 240 दं.प्र.सं., 1973। **241 350**

Section 504 – (i) Issuance of process in criminal cases – Magistrate, at this stage, is expected to examine ***prima facie*** the truth or falsehood of the allegations made in the complaint – Not expected to embark upon a detailed discussion of merits or demerits of the case.

(ii) Ingredients of offence of section 504 IPC – (a) intentional insult, (b) the insult must be such as to give provocation to the person insulted, and (c) the accused must intend or know that such provocation would cause another to break the public peace or to commit any other offence – There should be an act or conduct amounting to intentional insult and the mere fact that the accused abused the complainant, as such, is not sufficient by itself to warrant a conviction under section 504 IPC.

(iii) (a) Whether actual words or language should figure in the complaint alleging offence under section 504 IPC? Held, No.

It is not the law that the actual words or language should figure in the complaint – One has to read the complaint as a whole and, by doing so, if the Magistrate comes to a conclusion, ***prima facie***, that there has been an intentional insult so as to provoke any person to break the public peace or to commit any other offence, that is sufficient to bring the complaint within the ambit of section 504 IPC.

(b) Whether during examination, complainant should in verbatim reproduce each word or words capable of provoking the other person to commit any other offence? Held, No.

The background facts, circumstances, the occasion. the manner in which they are used, the person or persons to whom they are addressed, the time, the conduct of the person who has indulged in such actions are all relevant factors to be borne in mind while examining a complaint lodged for initiating proceedings under section 504 IPC.

धारा 504 – (i) दांडिक मामलों में आदेषिक जारी करना – मजिस्ट्रेट से इस प्रक्रम पर यह आषा की जाती है कि वे परिवाद के अभिकथन प्रथम दृष्टया सत्य है या असत्य यह परीक्षण करें – मामले के गुण दोष पर विस्तृत विवेचना आवष्यक नहीं होती है।

(ii) धारा 504 भा.दं.सं. के अपराध के घटक – (ए) साषय अपमान, (बी) अपमान ऐसा होना चाहिए जो अपमानित व्यक्ति को प्रकोपन देवें, और (सी) अभियुक्त का यह आषय होना चहिए या उसे इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि ऐसे प्रकोपन से वह अर्थात् प्रकोपित व्यक्ति लोक शान्ति भंग करेगा या कोई अन्य अपराध करेगा – एक कृत्य या आचरण जो साषय अपमान करने वाला होना चाहिए केवल यह तथ्य कि अभियुक्त ने परिवादी को गालियाँ दी अपने आप में धारा 504 भा.दं.सं. में दोष सिद्धि के लिऐ पर्याप्त नहीं हैं।

(iii) (ए) क्या धारा 504 भा.दं.सं. के अभिकथित अपराध के परिवाद में वास्तविक शब्द या भाषा होना चाहिए? अभिनिर्धारित किया गया, नहीं ऐसी कोई विधि नहीं है कि परिवाद में वास्तविक शब्द या भाषा का उल्लेख किया जाना चाहिए – परिवाद को पूरा पढ़ना चाहिए और उसके बाद यदि मजिस्ट्रेट इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि प्रथम दृष्टया साषय अपमान हुआ है जिससे किसी व्यक्ति को यह प्रकोपन हो कि वह लोक शान्ति भंग करें या कोई अन्य अपराध करें, ऐसा होना परिवाद को धारा 504 भा.दं.सं. के क्षेत्र में लाने के लिए पर्याप्त होगा।

(बी) क्या परिवादी के परीक्षण के दौरान उसे उन प्रत्येक शब्द या शब्दों को दोहराना चाहिए जो उसे प्रकोपित करने के लिए कहे गये थे ? अभिनिर्धारित किया गया, नहीं।

तथ्यों की पृष्ठभूमि, परिस्थितियाँ, अवसर, तरीका जिनमें वे (षब्द) उपयोग किये गये, व्यक्ति या व्यक्तिगण जिन्हें संबोधित किये गये, समय, ऐसी क्रिया में शामिल व्यक्तियों का आचरण यह सब परिवादी के परीक्षण के समय मस्तिष्क में रखना चाहिए जबकि धारा 504 भा.दं.सं. की एक कार्यवाही प्रारंभ की जाती है। **190**

265

JUVENILE JUSTICE (CARE AND PROTECTION OF CHILDREN) ACT, 2000

किषोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2000

Section 7-A – See Rule 12 (3) (a) of the Juvenile Justice (Care & Protection of Children) Rules, 2007

धारा 7–ए – देखें किषोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) नियम, 2007 का नियम 12 (3) (ए) **320**

506

Sections 7-A, 49 and 2(1) – Reliance on school records ***vis-à-vis*** opinion of Medical Board – Acceptance of medical report arises only if the school record is discarded by stating cogent reasons.

धारा 7–ए, 49 और 2 (1) – विद्यालय के अभिलेख सह चिकित्सा बोर्ड की राय पर विष्वास करना – यदि स्कूल का अभिलेख अकाट्य या निष्चित कारणों से खारिज किया जाता है तभी चिकित्सा प्रतिवेदन को स्वीकार करने की स्थिति उत्पन्न होती है। **35 49**

Sections 14 and 15 – (i) Differences between juvenile justice system and criminal justice system – Explained.

(ii) All persons below the age of 18 years are juveniles in the light of the Act of 2000, irrespective of their intellectual maturity.

(iii) Interpretation of Statues – Doctrine of "reading down" – Explained.

धारा 14 और 15 – (i) किषोर न्याय प्रणाली और दांडिक न्याय प्रणाली के बीच अंतर – समझाया गया।

(ii) सभी व्यक्ति जो 18 वर्ष से कम उम्र के हैं, उनकी बौद्धिक परिपक्वता को विचार किये बिना, वे अधिनियम, 2000 के प्रकाष में किषोर है।

(iii) कानून का अर्थान्वयन ''रीड़िग डाउन'' का सिद्धांत – समझाया गया। **156 212**

JUVENILE JUSTICE (CARE & PROTECTION OF CHILDREN) RULES, 2007
किषोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) नियम, 2007

Rule 12 (3) (a) – (i) If documents mentioned in rules 12 (3) (a) (i) to (iii) of the J.J. Rules 2007 i.e. the matriculation or equivalent certificates, the date of birth certificate from the school (other than a play school) first attended, the birth certificate given by a corporation are a municipal authority or a Panchayat are not available or they are found to be fabricated or manipulated, it is necessary to obtain medical report for age determination of the accused .

(ii) Delay in obtaining above medical report cannot be a ground to deny medical examination.

नियम 12 (3) (ए) – (i) यदि धारा 12 (3) (ए) (1) से (3) किषोर न्यायालय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) नियम, 2007 अर्थात् मैट्रिक या समकक्ष प्रमाणपत्र, प्ले स्कूल के अलावा उस स्कूल का जन्म प्रमाणपत्र जहाँ पहली बार (बालक) गया, नगर निगम या नगर पालिका प्राधिकरण या पंचायत द्वारा जारी जन्म प्रमाणपत्र, उपलब्ध न हो या ये गढ़े हुए या जाली या छल से तैयार किये हुए पाये जाते हैं तब अभियुक्त की उम्र के निर्धारण के लिए चिकित्सा प्रतिवेदन प्राप्त करना आवष्यक होता है।

(ii) चिकित्सा प्रतिवेदन प्राप्त करने में देरी होना, चिकित्सा परीक्षण से इन्कार करने का आधार नहीं हो सकता है। **320 506**

LAND ACQUISITION ACT, 1894
भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894

Sections 4, 5-A, 6 and 41 – (i) Acquisition of land – Public purpose – Acquisition of land for setting up of toll plaza is a public purpose.

(ii) Notification under sections 4 (1) and 6 for acquisition, requirement of – The public purpose is required to be mentioned but the names of the owner, khasra number and survey number of the land being acquired are not necessary.

धारा 4, 5–ए, 6 और 41 – (i) भूमि का अधिग्रहण – लोक उद्देष्य – टोल प्लाज़ा स्थापित करने के लिए भूमि का अधिग्रहण एक लोक उद्देष्य है।

(ii) धारा 4 (1) और 6 के तहत अधिग्रहण के लिए अधिसूचना की आवष्यकता – लोक उद्देष्य का उल्लेख करना आवष्यक होता है किन्तु अधिग्रहण की जाने वाली भूमि के स्वामी का नाम, खसरा नम्बर और सर्वे नम्बर का उल्लेख आवष्यक नहीं होता है। **88 115**

Sections 5-A and 6 (1) – Recommendations after hearing u/s 5-A made by Collector to Government – Should reflect application of mind – Government should apply its mind on such report and then take final decision on objection before making declaration u/s 6 (1).

धारा 5–ए और 6 (1) – धारा 5–ए के तहत सुनवाई के पष्चात् कलेक्टर द्वारा शासन को की गई अनुषंसाओं में मस्तिष्क का प्रयोग दिखना चाहिए – शासन को ऐसे प्रतिवेदन पर अपने मस्तिष्क का प्रयोग करना चाहिए तथा आपत्तियों का अंतिम निर्णय धारा 6 (1) के तहत घोषणा करने से पूर्व लेना चाहिए।**273 (iii) & (iv) 402**

Sections 18 and 23 – (i) Inadequacy of compensation, proof of – Burden of proving inadequacies lies with the applicant himself and he has to furnish satisfactory and sufficient basis for determining market value of the acquired land.

(ii) Determination of compensation, duty of Court – Court is duty bound to ensure that compensation determined is just and fair, not only to the individual whose land is acquired but also to the public which has to pay for it.

(iii) Determination of compensation – Grant of additional statutory benefits, reasons therefor – Reasons for grant of such benefits are clearly different and has no bearing on determination of market value.

धारा 18 और 23 – (i) प्रतिकर की अपर्याप्तता का प्रमाण – आवेदक पर यह प्रमाण भार होता है कि वह प्रतिकर की अपर्याप्तता प्रमाणित करें और संतोषजनक और पर्याप्त आधार अधिग्रहित भूमि का बाजार मूल्य तय करने के लिए प्रस्तुत करे।

(ii) प्रतिकर का निर्धारण, न्यायालय का कर्तव्य – न्यायालय इस बात के लिए कर्तव्य से बंधे हैं कि वे यह सुनिष्चित करें कि निर्धारित किया गया प्रतिकर युक्तियुक्त और न्याय संगत हो न केवल उस व्यक्ति जिसकी भूमि अधिग्रहित की गई है उसके लिए बल्कि लोक या जन सामान्य के लिए भी जिन्हें कि उसका भुगतान करना होता है।

(iii) प्रतिकर का निर्धारण – अतिरिक्त वैधानिक लाभों का दिया जाना, उनके कारण – ऐसे लाभों को देने के कारण स्पष्टतः भिन्न होते हैं और उनका भूमि के बाजार मूल्य से कोई संबंध नहीं होता है। **205 283**

Sections 18 and 30 – Scope – Limitation under section 18 applies in a situation where an apportionment made in the award is objected by beneficiary whereas under section 30 no such apportionment is made by the collector due to conflicting claims – In such case, limitation period under section 18(2) commences from the date of order/award of apportionment is either communicated or is informed actually or constructively to the concerning party – The expression "from the date of Collector's award" used in proviso to section 18, does not mean in literal or mechanical way.

धारा 18 और 30 – विस्तार – धारा 18 के अधीन परिसीमा उस स्थिति में लागू होती है जब अवार्ड में प्रभाजन कर दिया गया हो और आवेदक उस पर आपत्ति लेता है जबकि धारा 30 में कलेक्टर द्वारा परस्पर विरोधी दावों के कारण कोई प्रभाजन नहीं किया जाता है – ऐसी दषा में धारा 18 (2) के अधीन परिसीमा अवधि उस आदेष/अवार्ड के प्रभाजन की तारीख से प्रारंभ होगा जब कि ऐसे प्रभाजन की सूचना संबंधित पक्ष को वास्तव में या प्रलक्षित रूप से दी जाती है – शब्द ''कलेक्टर के अवार्ड की तारीख से'' जो धारा 18 के परंतुक में प्रयोग हुआ है उसका शाब्दिक या यांत्रिक तरीके से अर्थ नहीं लगा सकते। **36 49**

Sections 18 and 31 – See section 24 (2) of the new Act, 2013.

धारा 18 और 31 – देखिए धारा 24 (2) नवीन अधिनियम, 2013। **272 400**

Section 23 – Assessment of compensation – Determination of market value of acquired land – Factors to be considered – The market value of the land is to be determined taking into consideration the existing use of the land, geographical situation/location of the land along with the advantages/disadvantages i.e. distance from the National or State Highway or a road situated within a developed area etc. – In urban areas even a small distance makes a considerable difference in the price of land, so above factors are to be kept in mind to assess the market value of the land

धारा 23 – प्रतिकर का निर्धारण – अधिग्रहित भूमि का बाजार मूल्य निर्धारण करना – कारक जो विचार योग्य है – भूमि का बाजार मूल्य तय करने में कारक जो विचार में लेना चाहिए भूमि का वर्तमान उपयोग, उसकी भोगोलिक स्थिति – भूमि की लोकेषन और उससे जुड़े लाभ और हानियाँ जैसे राष्ट्रीय या राज्यमार्ग से दूरी या विकसित क्षेत्र से समीपता आदि – शहरी क्षेत्र में एक कम दूरी भी भूमि के मूल्य में विचार योग्य अन्तर कर

देती है इसलिए भूमि का बाजार मूल्य निकालते समय उक्त तथ्यों को मस्तिष्क में रखना चाहिए। **206**
284

Sections 23, 18 and 54 – Compensation on the ground of development potentiality of land – 12% per annum increase should be applied on the value of land from the date of notification upto four years instead of for entire period – On the facts of the case, entire period not included for grant of escalation – Cannot be treated as precedent.

धारा 23, 18 और 54 – भूमि के विकसित होने की क्षमता के आधार पर प्रतिकर – 12 प्रतिषत प्रतिवर्ष की दर से भूमि के मूल्य में वृद्धि अधिसूचना की तारीख से चार वर्षों तक लागू की जाना चाहिए बजाय पूरी अवधि के – मामले के तथ्यों पर पूरी अवधि मूल्य वृद्धि के बारे में शामिल नहीं की गई – इसे पूर्व निर्णय या प्रिसिडेन्ट नहीं माना जा सकता। **37 50**

LAND REVENUE AND TENANCY ACT, SAMVAT, 2007 (M.B.)
भू–राजस्व और काष्तकारी अधिनियम, संवत् 2007 (म.प्र.)

Section 82 – Death of deceased had taken place before 1956 – Succession will be governed by section 82 of M.B. Land Revenue and Tenancy Act and not by section 6 of Hindu Succession Act, 1956.

धारा 82 – मृत्यु 1956 के पूर्व हुई – उत्तराधिकार धारा 82 मध्य भारत भू–राजस्व एवं किरायेदारी अधिनियम से शासित होगा न कि धारा 6 हिन्दू उत्तराधिकारी अधिनियम, 1956 से। **254 365**

LAND REVENUE CODE, 1959 (M.P.)
भू–राजस्व संहिता, 1959 (म.प्र.)

Sections 110 and 117 – Revenue record, presumption thereof – No presumption under section 117 can be drawn in respect of entry made by Patwari in the remarks column of Khasra or field book.

धारा 110 और 117 – राजस्व अभिलेख के बारे में उपधारणा पटवारी द्वारा खसरा के रिमार्क कालम या फिल्ड बुक में किये गये इंद्राज के बारे में धारा 117 के अधीन उपधारणा नहीं होती है। **9 6**

Sections 110 and 117 – See Article 63 of the Succession Act, 1925.

धारा 110 और 117 – देखें उत्तराधिकारी अधिनियम, 1925 का अनुच्छेद 63। **321**
507

Section 164 – Interest in agricultural land of Bhumiswami, devolution of – Such interest is subject to personal law and Hindu Succession Act is applicable to agricultural lands also.

धारा 164 – कृषि भूमि में भूमि स्वामी के हितों का न्यागमन या हस्तांतरण – ऐसे हित व्यक्तिगत विधि के अधीन हैं और हिन्दू उत्तराधिकारी अधिनियम कृषि भूमि पर भी लागू होता है।

207 285

LIMITATION ACT, 1963
परिसीमा अधिनियम, 1963

Section 5 – Condonation of delay – Non-condonation of delay for non-payment of court fees – Propriety in the light of Article 39-A of the Constitution – Duty of the court is to see that justice is meted out to people irrespective of their socio-economic and cultural rights or gender identity – Appellant entitled for legal aid and waiver of court fees subject to filing of affidavit regarding income.

If sufficient cause is established, delay should be condoned.

धारा 5 – विलंब क्षमा किया जाना – न्यायालय शुल्क अदा न करने पर विलंब क्षमा न करना – अनुच्छेद 39–ए भारतीय संविधान के प्रकाष में औचित्य – न्यायालय का यह कर्त्तव्य है कि वह यह देखें कि लोगों को न्याय उनके सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक अधिकारों या लिंग के आधार पर पहचान को ध्यान दिये बिना मिले – अपीलार्थी विधिक सहायता पाने का अधिकारी था और आमदनी के बारे में शपथपत्र पेष करने पर उसे न्याय शुल्क से मुक्ति पाने का अधिकार था।

यदि पर्याप्त कारण स्थापित किया जाता है तो विलंब क्षमा करना चाहिए। **115 (ii) 137 & (iii)**

Section 5 – See Order 22 Rules 3 and 11 of the Civil Procedure Code, 1908.

धारा 5 – देखिए आदेश 22 नियम 3 और 11 सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908। **178 248**

Section 5 – Sufficient cause – Party should not have acted in a negligent manner or for want of bona fides on its part in view of the facts and circumstances of a case or it cannot be alleged that the party has not acted diligently or remained inactive – An application for condonation of delay is to be decided only within the parameters laid down by the Apex Court – In case there was no sufficient cause to prevent a litigant to approach the court on time, condoning the delay without any justification, putting any condition whatsoever, amounts to passing an order in violation of the statutory provisions and it tantamounts to showing utter disregard to the legislature.

धारा 5 – पर्याप्त कारण – पक्षकार को उपेक्षा पूर्ण तरीके से कार्य नहीं करना चाहिए या मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में उस पक्ष पर सद्भावना का अभाव न हो या यह नहीं कहा जा सके कि पक्षकार ने सम्यक् सतर्कता के बिना कार्य किया या वह अक्रियाषील रहा विलंब क्षमा करने के आवेदन को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए निर्णित करना चाहिए – यदि ऐसा कोई पर्याप्त कारण नहीं था जो एक पक्षकार के समय पर न्यायालय में पहुंचने से रोकता हो वहाँ बिना किसी युक्तियुक्त कारण के विलंब क्षमा करना और शर्तें लगाना यह माना जायेगा कि ऐसा आदेष वैधानिक प्रावधानों का उल्लघंन करके पारित किया गया है और यह कानून के प्रति पूर्ण असम्मान दिखाने के समान होगा। **208 286**

Section 5 – Whether provisions of Limitation Act are applicable to provisions of the M.P. Madhyastham Adhikaran Adhiniyam, 1983? Held, Yes.

धारा 5 – क्या परिसीमा अधिनियम के प्रावधान म.प्र. माध्यस्थम् अधिकरण अधिनियम, 1983 पर लागू होते है? अभिनिर्धारित किया गया, हाँ। **322* 511**

Section 5 and Article 20 – See Order 7 Rule 11 of the Civil Procedural Code, 1908.

धारा 5 और अनुच्छेद 20 – देखिए आदेष 7 नियम 11 सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908।

116 139

Section 14 – Period of limitation – Delay in filing suit, condonation of – Dispute between the parties with regard to mutation was pending before Revenue Court and the suit for the relief of permanent injunction and possession filed before the civil court along with an application for condonation of delay – Held, the subject matter of the proceeding pending before the Revenue Court being entirely different from dispute in the suit, therefore, the plaintiff is not entitled to condonation of delay under section 14 of the Act.

धारा 14 – परिसीमा अवधि – वाद प्रस्तुत करने में हुए विलंब क्षमा करना – राजस्व न्यायालय के समक्ष पक्षकारों के मध्य नामांतरण का विवाद लम्बित चल रहा था और सिविल न्यायालय के समक्ष स्थायी व्यादेष और आधिपत्य का वाद विलंब क्षमा करने के आवेदन के साथ प्रस्तुत किया गया – अभिनिर्धारित किया गया राजस्व न्यायालय के समक्ष लम्बित विवाद की विषय वस्तु सिविल न्यायालय के विवाद से पूरी तरह भिन्न है अतः वादी धारा 14 परिसीमा अधिनियम के तहत विलंब क्षमा करवाने का अधिकारी नहीं है।**90 116**

Section 14 – Period of limitation, condonation of – If period of time spent in bona fide proceeding before any wrong forum, it is liable to be excluded.

धारा 14 – परिसीमा अवधि का क्षमा किया जाना – यदि समय सद्भावना पूर्ण कार्यवाही में किसी गलत फोरम के सामने व्यतीत किया है तो उसे क्षम्य किया जाना चाहिए। **89* 116**

Section 27 and Article 65 – Period of limitation on the basis of adverse possession stops running by filing a suit for recovery of possession even if suit is filed in the wrong forum.

Principles of adverse possession reiterated – It must be actual, open, hostile, exclusive and continuous.

धारा 27 और अनुच्छेद 65 – विरोधी आधिपत्य के आधार पर परिसीमा की अवधि आधिपत्य वापस लेने का वाद प्रस्तुत करने पर रूक जाती है चाहे वाद गलत फोरम में प्रस्तुत किया गया हो।

विरोधी आधिपत्य के सिद्धांत पुनः बतलायें गये – यह (विरोधी आधिपत्य) वास्तविक, खुला, प्रतिकूल एकमेव और लगातार होना चाहिए। **45 (iii) & (iv) 63**

Article 127 – See Order 21 Rule 89 of the Civil Procedure Code, 1908.

अनुच्छेद 127 – देखिए आदेष 21 नियम 89 सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908। **176 247**

MADHYASTHAM ADHIKARAN ADHINIYAM, 1983 (M.P.)
माध्यस्थम् अधिकरण अधिनियम, 1983 (म.प्र.)

Sections 7 and 2 (d) – Counter-claim – Delay in filing, condonation of – Delay of more than 11 years from the date of cause of action cannot be condoned in absence of proper and sufficient explanation.

धारा 7 और 2 (डी) – काउन्टर क्लेम – प्रस्तुत करने में हुए विलंब को क्षमा करना – वाद कारण उत्पन्न होने से 11 वर्ष से अधिक का विलंब युक्तियुक्त और पर्याप्त स्पष्टीकरण के अभाव में क्षमा नहीं किया जा सकता। **91 117**

Section 19 – See section 5 of the Limitation Act, 1963.

धारा 19 – देखे परिसीमा अधिनियम, 1963 की धारा 5। **322* 511**

MEDICAL TERMINATION OF PREGNANCY ACT, 1971
गर्भ का चिकित्सीय समापन अधिनियम, 1971

Section 3 – Termination of pregnancy by RMP – In case of termination of pregnancy by a registered medical practioner in accordance with the provision contained in section 3 of MTP Act, general provision of section 314 IPC would not apply – Hence, offence under section 314 IPC would not be made out.

धारा 3 – गर्भ का आर.एम.पी. (पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी) द्वारा समापन – गर्भ के आर.एम.पी. द्वारा समापन यदि धारा 3 अधिनियम के अनुसार किया गया हो, धारा 314 भारतीय दण्ड संहिता के सामान्य प्रावधान लागू नहीं होंगे – धारा 314 भारतीय दण्ड संहिता का अपराध नहीं बनेगा।

155 (ii) 210

MOHAMMEDEN LAW
मुस्लिम विधि

Whether Muslim girl who has attained the age of 15 years can marry? Held, Yes – Such marriage would be a valid marriage and she has a right to reside with her husband.

एक मुस्लिम लड़की जिसने 15 वर्ष की उम्र पूर्ण कर ली हो विवाह कर सकती है? अभिनिर्धारित किया गया, हाँ – ऐसा विवाह वैध विवाह होगा और वह अपने पति के साथ रहने का अधिकार रखेगी।**214 292**

MOTOR VEHICLES ACT, 1988
मोटर यान अधिनियम, 1988

Section 2 (13) – Vehicle requisitioned by State on government duty – Uninsured vehicle met with an accident – Whether registered owner is liable for compensation? Held, No, because vehicle was under the requisition of State Government, so State Government is liable for compensation – It also violated section 146 (1) of the M.V. Act by plying such uninsured vehicle in public place.

धारा 2 (13) – राज्य ने वाहन को शासकीय कार्य के लिए अधिगृहित किया गया – अबिमित वाहन दुर्घटना ग्रस्त – क्या पंजीकृत स्वामी प्रतिकर के लिए उत्तरदायी है? अभिनिर्धारित किया गया, नहीं क्योंकि वाहन राज्य शासन ने अधिगृहित कर लिया था इसलिए शासन प्रतिकर के लिए उत्तरदायी है – लोकमार्ग पर अबीमित वाहन चलाना धारा 146 (1) मोटरयान अधिनियम का उल्लंघन भी है। **92 118**

Sections 39, 43 and 192 – Own damage claim – Necessity of registration – Using a vehicle on the public road without any registration is not only an offence punishable under section 192 of the Motor Vehicles Act but also a fundamental breach of the terms and conditions of policy contract.

धारा 39, 43 और 192 – स्वयं की क्षति का दावा – पंजीकरण की आवष्यकता – एक वाहन को लोक मार्ग पर बिना पंजीकरण के उपयोग करना न केवल धारा 192 मोटरयान अधिनियम के तहत दण्डनीय अपराध है बल्कि बीमा पॉलिसी की शर्तो का मूलभूत उल्लघंन भी है।

323 512

Sections 56 and 149 (2) – Non-availability of fitness certificate – Whether insurance company can be exonerated on that ground in all cases? Held, No.

धारा 56 और 149 (2) – वाहन ठीक हालत में होने का प्रमाण–पत्र नहीं होना – क्या बीमा कम्पनी सभी मामलों में इस आधार पर दायित्व से मुक्त हो जायेगी ? अभिनिर्धारित किया गया, नहीं।**324** **513**

Sections 110 and 111 – Menace of use of multi-toned horns – Only possible remedy to curb is imposition of exemplary fine on the violators and ensure its rigorous enforcement by the concerned authorities and agencies.

धारा 110 और 111 – बहुध्वनि वाले हार्न का खतरा – इसे नियमित करने का संभव उपचार केवल यह है कि उल्लघंनकारी पर भारी अर्थदण्ड आरोपित किया जायेगा और संबंधित प्राधिकारी और अभिकरण यह सुनिष्चित करे की कठोर क्रियान्वयन हो। **38** **52**

Sections 147 and 149 – Difference between liability of insurance company u/s 147(1) and 149(1) – Explained.

धारा 147 और 149 – बीमा कम्पनी के धारा 147 (1) और धारा 149 (1) के तहत दायित्व में अन्तर – स्पष्ट किया गया। **263** **389**

Section 147 – Motor vehicle accident due to negligence of the driver himself – Compensation – Insurance Company, liability of – Deceased/driver of the vehicle himself was negligent in causing accident – Insurance policy was not comprehensive package policy but was an Act policy – No additional premium was paid to cover the risk of owner/driver – Held, the driver would be deemed to step into the shoes of the owner and not being third party, the Insurance Company is not liable to pay compensation.

धारा 147 – चालक की स्वयं की उपेक्षा के कारण वाहन दुर्घटना हुई – प्रतिकर – बीमा कंपनी का दायित्व – वाहन का चालक/मृतक दुर्घटना कारित करने में उपेक्षावान था बीमा पॉलिसी व्यापक पैकेज पॉलिसी नहीं थी बल्कि एक्ट पॉलिसी थी – स्वामी/चालक की जोखिम के लिए कोई अतिरिक्त प्रीमियम नहीं दिया गया था – अभिनिर्धारित किया गया यह माना जायेगा कि चालक वाहन स्वामी के जूतों में पैर रखे हुए था न कि तृतीय पक्ष था बीमा कंपनी प्रतिकर के लिए उत्तरदायी नहीं है। **93*** **118**

Sections 147 and 173 – Payment of compensation, liability of.

धारा 147 और 173 – प्रतिकर के भुगतान का दायित्व। **325*** **513**

Section 147 (1) (b) (i) – Goods vehicle – Terms of insurance policy – How to appreciate? Explained.

धारा 147 (1) (बी) (i) – मालवाहक वाहन – पॉलिसी की शर्तें – कैसे मूल्याकंन किया जाए? समझाया गया। **94** **119**

Section 149 (2) (a) (i) – Breach of insurance policy – When not proved? Tractor-trolley was carrying sand for construction of underground tank for irrigation purpose – Insurance company not adduced any evidence to prove breach of policy – In the absence of any such evidence it cannot be presumed that there was breach of condition of policy.

धारा 149 (2) (ए) (i) – बीमा पॉलिसी का भंग कब प्रमाणित नहीं ? ट्रेक्टर ट्राली से सिंचाई के उद्देष्य से होज या टैंक का निर्माण करने के लिए रेत लायी जा रही थी बीमा कंपनी ने पॉलिसी के भंग को प्रमाणित करने के लिए कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की – साक्ष्य के अभाव में यह उपधारित नहीं किया जा सकता कि बीमा पॉलिसी की शर्तों का भंग हुआ था। **95** **119**

Section 149 (2) (a) (ii) – Though the driver of offending vehicle not possessing a valid driving licence, Insurance company is liable to pay compensation to third party first and then it may recover the said amount from owner and driver of the offending vehicle.

धारा 149 (2) (ए) (ii) – यद्यपि उल्लघंनकारी वाहन के चालक के पास वैध चालन अनुज्ञप्ति नहीं थी बीमा कंपनी पहले तृतीय पक्ष को प्रतिकर भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है और उसके बाद उस राषि को वह उल्लघंनकारी वाहन के स्वामी और चालक से वसूल सकती है। **39** **53**

Section 166 – Assessment of compensation:

(i) There are two different heads on future treatment and pain & suffering and that cannot be clubbed together for purpose of awarding compensation.

(ii) Claimant aged 25 years suffered 100% disability in motor accident and paralysed for life – Apex court awarded ` 2,00,000 for attendant, ` 3,00,000 for pain and suffering, ` 3,00,000 for future treatment; total compensation of ` 19,91,702 of awarded.

(iii) Future prospects for self-employed claimant aged 25 years – Apex Court, held, an addition of 50% to the income that the claimant was earning at the time of the accident.

धारा 166 – प्रतिकर का निर्धारणः

(i) भविष्य का इलाज और पीड़ा दो अलग शीर्ष है और प्रतिकर के निर्धारण के उद्देष्य से इन्हें सम्मिलित नहीं किया जा सकता।

(ii) दावेदार 25 वर्ष का था उसे मोटर दुर्घटना में 100 प्रतिषत अयोग्यता आयी और वह जीवन भर के लिए लकवा ग्रस्त हो गया सर्वोच्च न्यायालय ने 2,00,000 रूपये अटेन्डेन्ट के लिए 3,00,000 रूपये पीड़ा के लिए, 3,00,000 रूपये भविष्य के इलाज के लिए; कुल 19,91,702 रूपये प्रतिकर अवार्ड किया।

(iii) 25 वर्षीय स्वयं के नियोजन वाले व्यक्ति के लिए भविष्य की संभावनाएं सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि आवेदक दुर्घटना के समय जितना कमाता था उस आय में 50 प्रतिषत और जोड़ा जायें। **96**

120

Section 166 – Assessment of compensation in injury cases – Deceased aged 16 years, a student, suffered 70% permanent disability, Tribunal awarded compensation of ` 6,46,000 – High Court enhanced it to ` 11,76,000.

Apex Court by taking notional income at ` 10,000 p.m. added 50% income for future prospects, applying multiplier of 18, awarded ` 30,93,000 including ` 2,00,000/- towards pain and suffering, ` 2,00,000 for loss of amenities and attendant, ` 3,00,000 for loss of enjoyment of life and marriage prospects, ` 50,000 for cost of crutches, ` 25,000 for cost of litigation.

धारा 166 – चोटों के मामले में प्रतिकर का निर्धारण – आहत 16 वर्ष का एक विद्यार्थी जिसे 70 प्रतिषत स्थायी अयोग्यता कारित हुई, अधिकरण ने 6,46,000 रूपये प्रतिकर दिलवाया – उच्च न्यायालय ने इसे बढ़ाकर 11,76,000 रूपये किया।

सर्वोच्च न्यायालय ने नोषनल इंकम 10,000 रूपये प्रतिमाह मानी जिसमें 50 प्रतिषत भविष्य की संभावना जोड़कर 18 का गुणांक लागू किया और 30,93,000 रूपये प्रतिकर दिलवाया जिसमें 2,00,000 रूपये पीड़ा के लिए 2,00,000 रूपये रमणीयता की हानि और अटेन्ड के लिए 3,00,000 रूपये जीवन के आनंद में कमी और विवाह के शीर्ष में 50,000 रूपये क्रेचेस के लिए 25,000 रूपये वाद खर्च दिलवाया। **209** **287**

Section 166 – Assessment of compensation in death cases – Deceased aged 35 years, was a Sergeant in Air Force – His monthly income assessed at ` 4,030 by the Tribunal – He has five dependants – Tribunal awarded compensation of ` 2,49,000 – High Court enhanced it to ` 1,20,600.

Apex Court added 50% income for future prospects, applying multiplier of 16 deducted ¼ for personal expenses, awarded ` 11,20,528 including ` 1,00,000 towards loss of consortium, ` 25,000 towards funeral expenses, ` 1,00,000 towards loss of love and affection etc.

धारा 166 – मृत्यु प्रकरण में प्रतिकर का निर्धारण – मृतक 35 वर्ष का वायुसेना में सारजेन्ट था – अधिकरण ने उसकी मासिक आमदनी 4030 रूपये निर्धारित की – उसके 5 आश्रित है अधिकरण ने 2,49,000 रूपये प्रतिकर अवार्ड किया – उच्च न्यायालय ने इसमें 1,20,600 रूपये बढ़ायें।

सर्वोच्च न्यायालय ने भविष्य की संभावना की आय 50 प्रतिषत जोड़ी 16 का गुणांक प्रयुक्त किया, 1/4 व्यक्तिगत खर्च काटा, 11,20,528 रूपये अवार्ड किये जिसमें 1,00,000 रूपये सहचर्य की हानि 25,000 रूपये दाह संस्कार खर्च 1,00,000 रूपये प्रेम और स्नेह की हानि की शीर्ष में दिलवाया। **210** **288**

Section 166 – Assessment of compensation in death cases – Whether deductions under the heads of GPF, house rent, group insurance etc. are permissible for calculating income of the deceased? Held, No – Only deduction towards income tax/surcharge should be considered to calculate the net income of the deceased – Voluntary contributions made by the deceased which are in the nature of savings, cannot be deducted from the salary of the deceased to calculate his net salary.

धारा 166 – मृत्यु प्रकरण में प्रतिकर का निर्धारण – क्या जी.पी.एफ., मकान किराया, समूह बीमा, आदि के शीर्ष की कटौतियां को मृतक की आयु की गणना में कम करना अनुमत है? अभिनिर्धारित किया गया, नहीं – केवल आयकर/सरचार्ज की कटौती को ही मृतक की वास्तविक आय की गणना में विचार में लेना चाहिए – स्वेच्छा से किये गये अंषदान जो कि बचत की प्रकृति के हो उन्हें मृतक के वेतन से उसकी आमदनी निकालने में कम नहीं किया जा सकता।

211 289

Section 166 – Assessment of compensation in injury case – Claimant aged 24 years, working on the post of Quality Engineer in a private limited company, earning ` 17,200 p.m., suffered 60% permanent disability – Claims Tribunal awarded compensation of ` 30,60,160 but High Court reduced it to ` 6,32,000 – Apex Court not only upheld the award of the Claims Tribunal but also enhanced the compensation to ` 33,10,160.

धारा 166 – चोटों की प्रकरण में प्रतिकर का निर्धारण – आवेदक 24 वर्ष का एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में क्वालिटी इंजीनियर के पद पर कार्यरत था और 17,200 रूपये प्रतिमाह कमाता था, उसे 60 प्रतिषत स्थायी अयोग्यता कारित हुई – दावा अधिकरण ने 30,60,160 रूपये प्रतिकर अवार्ड किया उच्च न्यायालय ने उसे कम करके 6,32,000 रूपये कर दिया – सर्वोच्च न्यायालय ने न केवल दावा अधिकरण के अवार्ड को कायम रखा बल्कि वृद्धि करके उसे 33,10,160 रूपये कर दिया। **212 290**

Section 166 – (i) Can a registered charitable society file a claim for death of his member? Held, Yes because in this case, such member renounced the world and whatever he received by way of salary, subsidies, gifts, pension or from Insurance or other such benefits belongs to the community as by right and goes into the common purse.

(ii) Insurance company in the written statement neither raised the plea of maintainability of claim nor lead any evidence on such point – Even company did not press maintainability of claim for want of locus standi – Claim, held maintainable.

धारा 166 – (i) क्या एक पंजीकृत आर्थिक समिति उसके सदस्य की मृत्यु होने पर दावा प्रस्तुत कर सकती है? अभिनिर्धारित किया गया, हाँ क्योंकि इस मामले में ऐसे सदस्य ने संसार को त्याग दिया था और वह जो कुछ वेतन द्वारा, सब्सिडी से, उपहार से, पेंषन या बीमा से या अन्य लाभ पाता था वह उस समुदाय को दे देता था।

(ii) बीमा कंपनी ने उसके लिखित कथन में दावे की प्रचलनषीलता के बारे में कोई बचाव नहीं लिया और न कोई साक्ष्य इस बिन्दु पर पेष की – यहाँ तक की बीमा कंपनी ने वाद प्रस्तुत करने के अधिकार के अभाव में प्रचलनषीलता पर भी बल नहीं दिया – दावा चलाने योग्य निर्धारित किया गया। **97 121**

Section 166 – Compensation – Claimant is an educated young businessman of fertilizers – He has lost his leg in the accident – It would not only affect his earning capacity but also deprive him of several amenities in life – Tribunal awarded ' 45,000 – Apex Court enhanced a lump sum amount of ' 5,00,000.

धारा 166 – प्रतिकर – दावेदार एक षिक्षित युवा फर्टीलाइजर का व्यापारी है – दुर्घटना में उसके टांगे चली गयी – इसे न केवल उसकी अर्जन क्षमता प्रभावित हुई बल्कि वह जीवन की कई रमणीयताओं से भी वंचित हुई – अधिकरण ने 45,000 रूपये अवार्ड किये सर्वोच्च न्यायालय ने एकमुष्त 5,00,000 रूपये अवार्ड किये।

40 54

Section 166 – Contributory negligence – Collision between Corporation bus and motor cycle – Tribunal and High Court held 75:25 per cent negligence – Hon'ble the Apex Court, set aside the finding of contributory negligence.

धारा 166 – योगदायी उपेक्षा – निगम की बस और मोटर साइकिल के बीच टक्कर – अधिकरण और उच्च न्यायालय ने 75:25 प्रतिषत उपेक्षा निर्धारित की – माननीय सर्वोच्च न्यायालय में अधिकरण और उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया योगदायी उपेक्षा का निष्कर्ष अपास्त किया गया।

326 514

Section 166 – Contributory negligence – Deceased was sitting in a car – Accident occurred due to collision of said car with mini truck – Because deceased was not driving the car, finding of contributory negligence recorded by claims tribunal is set aside by High Court.

धारा 166 – योगदायी उपेक्षा – मृतक एक कार में बैठा था – कार के मिनी ट्रक के टकराने से दुर्घटना हुई – चूंकि मृतक कार नहीं चला रहा था अतः उच्च न्यायालय ने अधिकरण द्वारा दिया गया योगदायी उपेक्षा का निष्कर्ष अपास्त किया। **41 54**

Section 166 – Death claim – Liability to pay compensation to daughter of owner/driver – Held, insurance company rightly exonerated.

धारा 166 – मृत्यु प्रकरण – वाहन स्वामी/चालक की पुत्री को प्रतिकर भुगतान का दायित्व – अभिनिर्धारित किया गया – बीमा कंपनी को सही रूप से उनमुक्त किया। **264* 391**

Section 166 – Distinction between composite and contributory negligence – Explained – Where a person is injured as a result of negligence on the part of two or more wrongdoers, it is said that the person was injured on account of the composite negligence of those wrongdoers – So composite negligence refers to the negligence on the part of two or more persons other than the claimant.

Where a person suffers injury, partly due to negligence on the part of another person or persons, and partly as a result of his own negligence then the negligence on the part of the injured, which contributed to the accident, is referred to as contributory negligence.

In case of composite negligence it is not necessary for claimant to establish the extent of responsibility of each wrongdoer separately and it is also not necessary for the court to determine the extent of liability of each wrongdoer separately – In case of contributory negligence the claim is not defeated merely by reason of negligence on the part of claimant but the damages recoverable by him in respect of the injuries stand reduced in proportion to his contributory negligence.

धारा 166 – मिश्रित और योगदायी उपेक्षा में अन्तर – समझाया गया – जब एक व्यक्ति दो या अधिक दोषकर्ताओं के उपेक्षा के कारण दुर्घटनाग्रस्त होता है तब यह कहा जाता है कि वह व्यक्ति उन दोषकर्ताओं की मिश्रित या कम्पोजीट उपेक्षा के कारण घायल हुआ अतः मिश्रित उपेक्षा दावेदार के अलावा दो या उससे अधिक व्यक्तियों की उपेक्षा कहलाती है।

जहाँ एक व्यक्ति अंषतः उसकी उपेक्षा और अंषतः किसी अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों की उपेक्षा के कारण आहत होता है, अर्थात् दुर्घटना में उसका भी योगदान होता है तब इसे योगदायी उपेक्षा कहते है मिश्रित उपेक्षा के मामले में आवेदक के लिए यह आवष्यक नहीं है कि वह प्रत्येक दोषकर्ता के दायित्व का विस्तार पृथक–पृथक निर्धारित करे – योगदायी उपेक्षा के मामले में दावा केवल इस कारण असफल नहीं हो जाएगा कि दावेदार के भाग पर भी उपेक्षा थी बल्कि योगदायी उपेक्षा के मामले में दावेदार के प्रतिकर को उसकी योगदायी उपेक्षा के अनुपात में काट लिया जाता है।

98 122

Section 166 – Motor accident – How to assess functional disability ? Functional disability of an accident victim requires determination on the basis of nature of disability in the light of the career or profession which he or she was pursuing in life – It should not be computed mechanically only on percentage of physical disability.

धारा 166 – मोटर दुर्घटना – कार्यकारी अयोग्यता कैसे निर्धारित की जाये? कार्यकारी अयोग्यता जो एक दुर्घटना के आवेदक के आजीविका या व्यवसाय के प्रकाष में निर्धारित करना चाहिए – इसको यांत्रिक तरीके से केवल शारीरिक अयोग्यता के प्रतिषत के आधार पर गणना नहीं करना चाहिए।**99 124**

Section 166 – (i) Permanent disability – The estimation is of loss of earning capacity or functional disability – Manual labourer – Loss of limb is equivalent to loss of livelihood – Vegetable vendor, 24 years of age, sustaining injuries on lower end of right femur, left upper arm and amputation of right leg – His functional disability counted at 85%.

(ii) Proof of income of self-employed labourer is not required looking to present condition of economy and rise in price of agricultural product, earning estimated at ` 6,500 p.m.

(iii) Self-employed person, 24 years of age, having 85% functional disability is entitled to increase of 50% as future prospects.

(iv) Requirement of use of artificial limb from time to time – ` 1lac awarded as medical cost and future medical costs.

(v) ` 25,000 awarded as litigation cost under section 35 CPC.

(vi) Amount awarded with interest @ 9% p.a.

(vii) Another appellant also vegetable vendor having fracture of right femur, tibia, middle shaft tibia and fibula, personal disability determined at 35%, average monthly income ` 6,500, increase of future income as 50%, future medical expenses ` 15,000 total compensation ` 9,77,100 with 9% p.a interest.

(viii) Third appellant, cleaner of lorries suffering from comminuted fracture unable to bend, stretch or rotate his right hand and also unable to lift heavy object that is essential for livelihood – Functional disability assessed at 85% – On the basis of Minimum Wages Rules in Karnataka monthly income estimated at ` 4,300 with adding barter charges ` 700 pm increase 50% as future loss, awarded ` 15,67,000 with 9% interest p.a.

धारा 166 – (i) स्थायी अयोग्यता, कार्यकारी अयोग्यता या अर्जन क्षमता की हानि का अनुमान – हस्त श्रमिक – अंग की हानि आजीविका की हानि के समान होती है – सब्जी विक्रेता 24 वर्षीय व्यक्ति जिसे दाहिनी फीमर के अंतिम हिस्से में, बांयी ऊपरी भुजा में चोटें आयी दाहिनी टांग काटी गयी उसकी कार्यकारी अयोग्यता 85 प्रतिषत आंकी गयी।

(ii) स्वनियोजित श्रमिक की आमदनी का प्रमाण आवष्यक नहीं है वर्तमान आर्थिक दषा और कृषि उत्पादों की बढ़ती कीमत को देखते हुए आमदनी 6,000 रूपये प्रतिमाह मानी गयी।

(iii) स्वरोजगार वाले 24 वर्षीय व्यक्ति को 85 प्रतिषत कार्यकारी अयोग्यता आयी वह 50 प्रतिषत भविष्य के संभावनाएं के शीर्ष में वृद्धि पाने का अधिकारी।

(iv) समय–समय पर कृत्रिम अंग के उपयोग की आवष्यकता – 1,00,000 रूपये चिकित्सा खर्च और भविष्य का चिकित्सा खर्च दिलवाया गया।

(v) 25,000 रूपये और धारा 35 सी.पी.सी. के तहत वाद खर्च अवार्ड किया गया।

(vi) 9 प्रतिषत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज अवार्ड राषि पर दिलवाया गया।

(vii) अन्य अपीलार्थी जो भी सब्जी विक्रेता था उसकी दाहिनी फीमर में अस्थिभंग, टिबिया, मीडिल षिफ्ट टिबिया और फिबूला में अस्थिभंग 35 प्रतिषत स्थायी अयोग्यता आयी उसकी औसत मासिक आय 6,500 रूपये और 50 प्रतिषत भविष्य की आय वृद्धि, 15 प्रतिषत भविष्य का मेडीकल खर्च जोड़ते हुए कुल 9,77,100 रूपये 9 प्रतिषत वार्षिक की दर से ब्याज सहित अवार्ड किया गया।

(viii) तीसरा अपीलार्थी लॉरी का क्लीनर था जिसे कम्युनिटेड अस्थिभंग था और वह उसकी दाहिनी भाग को मोड़ने, घुमाने और खींचने में असमर्थ था भारी वस्तु उठाने में असमर्थ था जो कि उसके काम के लिए आवष्यक था – कार्यकारी अयोग्यता 85 प्रतिषत पायी गयी – कर्नाटक के नियमों के तहत न्यूनतम मजदूरी के आधार पर उसकी मासिक आय 4,300 रूपये और 700 रूपये प्रतिमाह बार्टर चार्ज जोड़ा गया 50 प्रतिषत भविष्य की हानि जोड़ते हुए 15,67,000 रूपये 9 प्रतिषत वार्षिक ब्याज सहित अवार्ड किया।**42 55**

Sections 166 and 168 – (i) Fixation of just compensation – Duty of Tribunal – Law explained.

(ii) Loss of consortium, future prospects and funeral expenses, determination and grant of – Under the head loss of consortium to the spouse, loss of love, care and guidance to children, amount of compensation must be rupees one lakh and for funeral expenses, amount of ` 25,000 should be awarded.

धारा 166 और 168 – (i) युक्तियुक्त प्रतिकर का निर्धारण – अधिकरण का कर्त्तव्य – विधि स्पष्ट की गयी।

(ii) सहचर्य की हानि, भविष्य की संभावनाएं और दाह संस्कार खर्च का निर्धारण और अदा किया जाना – पति या पत्नी के लिए सहचर्य की हानि के शीर्ष में, प्रेम की हानि, बच्चों की देखरेख और मार्गदर्षन के शीर्ष में प्रत्येक के शीर्ष में एक लाख रूपये और दाह संस्कार खर्च के लिए 25 हजार रूपये दिलवाना ही चाहिए।
327 516

Sections 166, 168 and 173 – Contributory negligence, proof of – Cogent evidence is required to prove plea of contributory negligence – The fact that the deceased scooterist was underage at the time of collision with another vehicle is not in itself sufficient to presume his contributory negligence.

धारा 166, 168 और 173 – योगदायी उपेक्षा का प्रमाण– योगदायी उपेक्षा का अभिवाक् प्रमाणित करने के लिए अकाट्य साक्ष्य आवष्यक होती है – यह तथ्य की मृतक स्कूटर चालक अन्य वाहन से टक्कर के समय

अवयस्क था यह अपने आप में यह उपधारित करने के लिए पर्याप्त नहीं है कि उसकी योगदायी उपेक्षा थी। **328 518**

Section 168 – Assessment of compensation in cases of children suffering from disability on account of motor vehicle accidents – Appropriate compensation on all other heads in addition to the actual expenditure for treatment, attendant, etc. should be – (1) if the disability is upto 10%, ` 1 lakh, (2) if the disability is above 10% and upto 30% to the whole body, ` 3 lakh, (3) if the disability is upto 60%, ` 4 lakh, (4) if the disability is upto 90%, ` 5 lakh, and (6) above 90% it should be ` 6 lakh, unless there are exceptional circumstances to take a different yardstick.

धारा 168 – मोटर यान दुर्घटनाएं में बच्चों के मामलों में कारित अयोग्यता के प्रतिकर का निर्धारण – अन्य शीर्षों में उचित प्रतिकर साथ ही इलाज में लगा वास्तविक खर्च अटेन्डेन्ट खर्च आदि के साथ – (i) यदि अयोग्यता 10 प्रतिषत तक है तब 1,00,000 रूपये। (ii) यदि अयोग्यता 10 प्रतिषत से अधिक और 30 प्रतिषत तक पूरे शरीर की हे तो 3,00,000 रूपये। (iii) यदि अयोग्यता 60 प्रतिषत तक है तब 4,00,000 रूपये। (iv) यदि अयोग्यता 90 प्रतिषत है तब 5,00,000 रूपये। (अ) यदि अयोग्यता 90 प्रतिषत से अधिक है तब 6,00,000 रूपये अवार्ड किये जाना चाहिए जब तक की अपवाद स्वरूप परिस्थितियां कोई अन्य मानक अपनाने की न हो। **213 291**

Section 168 – See section 372 of the Succession Act, 1925.

धारा 168 – देखिए धारा 372 उत्तराधिकारी अधिनियम, 1925। **100 124**

Contributory negligence – Proof – There must be cogent evidence to prove contributory negligence – If there is no specific evidence to prove that the accident has taken place due to rash and negligent driving of the deceased minor scooterist – In the absence of any cogent evidence to prove the plea of contributory negligence, the doctrine of common law cannot be applied since deceased is not even 18 years old, who could not have been permitted to drive the scooter.

योगदायी उपेक्षा – प्रमाण – योगदायी उपेक्षा को प्रमाणित करने के लिए अकाट्य साक्ष्य होना चाहिए – यदि ऐसी कोई विषिष्ट साक्ष्य यह प्रमाणित करने के लिए नहीं है कि अवयस्क स्कूटर चालक के उतावलेपन और उपेक्षा के कारण दुर्घटना हुई – ऐसी साक्ष्य के अभाव में जो कि योगदायी उपेक्षा के बचाव को प्रमाणित करने के लिए अकाट्य हो – सामान्य विधि का यह सिद्धांत लागू नहीं किया जा सकता कि मृतक 18 वर्ष से कम का था अतः उसे स्कूटर चलाने की अनुमति नहीं थी (इस कारण उसकी योगदायी उपेक्षा है।)**101 125**

Contributory negligence – Truck driver, while overtaking another vehicle came on the wrong side of the road and dashed against a car coming from opposite direction – The accident has taken place on driver side of both the vehicles – Car driver had seen the truck coming rashly and negligently – He should have parked his car at the left side if he were in a slow speed – Tribunal held that truck driver was solely liable for the accident – Contributory negligence of the truck driver and car driver quantified by 80 per cent and 20 per cent by the High Court.

योगदायी उपेक्षा – ट्रक चालक जो कि अन्य वाहन को ओवरटेक कर रहा था और गलत दिषा में जाकर उसने विपरीत दिषा से आ रही कार को डेष किया दोनों वाहन के चालक तरफ से दुर्घटना हुई – कार चालक यह देख चुका था कि ट्रक उतावलेपन और उपेक्षा से आ रहा था – वह उसकी कार को बांयी तरफ रोक सकता था यदि वह कम गति में होता – अधिकरण ने केवल ट्रक चालक को दुर्घटना के लिए उत्तरदायी माना – उच्च न्यायालय ने ट्रक चालक की कार चालक की योगदायी उपेक्षा 80 प्रतिषत और 20 प्रतिषत पायी। **43 61**

MOTOR VEHICLES RULES, 1989 (CENTRAL)
मोटर यान नियम, 1989 (केन्द्रीय)

Rules 108 and 119 – See sections 110 and 111 of the Motor Vehicles Act, 1988.

नियम 108 और 119 – देखिए धारा 110 और 111 मोटर यान अधिनियम, 1988।

38 52

MUNICIPAL CORPORATION ACT, 1956 (M.P.)
नगर निगम अधिनियम, 1956 (म.प्र.)

Sections 58 and 424 – Who is competent authority to grant sanction for prosecution? Held, Standing Committee is the competent authority to grant sanction for prosecution.

धारा 58 और 424 – अभियोजन चलाने की अनुमति देने के लिए सक्षम प्राधिकारी कौन है ? अभिनिर्धारित किया गया, स्थाई समिति सक्षम प्राधिकारी है। **269*** **397**

MUNICIPALITIES ACT, 1961 (M.P.)
नगर पालिका अधिनियम, 1961 (म.प्र.)

Sections 187 and 319 – Whether section 319 (3) of the M.P. Municipalities Act, 1961 is applicable only to the suits of perpetual injunction? Held, Yes – If the suit is filed for declaration of title and permanent injunction, notice under section 319 (1) of the 1961 Act is necessary.

धारा 187 और 319 – क्या धारा 319 (3) म.प्र. नगरपालिका अधिनियम, 1961 केवल स्थायी व्यादेष के वादों पर ही लागू होती है ? अभिनिर्धारित किया गया, हाँ – यदि वाद स्वत्व घोषणा और स्थायी व्यादेष के लिए हो तब धारा 319 (1) अधिनियम, 1961 का सूचना पत्र आवष्यक होता है। **215** **294**

MUSLIM WOMEN (PROTECTION OF RIGHTS ON DIVORCE) ACT, 1986
मुस्लिम महिला (तलाक पर अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 1986

Section 3 – See sections 125, 126 and 127 of the Criminal Procedure Code. 1973

धारा 3 – देखिए धारा 125 से 127 दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973। **186** **259**

Sections 3 and 5 – See section 125 of the Criminal Procedure Code, 1973.

धारा 3 और 5 – देखिए धारा 125 दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973। **185** **258**

N.D.P.S. ACT, 1985
स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985

Section 50 – (i) In case of chance recovery, compliance of section 50 is not required.

(ii) A recovery made by chance or by accident or unexpectedly is called chance recovery.

धारा 50 – (i) संयोग से तलाषी के मामले में, धारा 50 का अनुपालन आवष्यक नहीं है।

(ii) एक तलाषी जो संयोग से या आकस्मिक या अप्रत्याषित रूप ली जाती है उसे संयोग वष तलाषी या चांस रिकवरी कहते है। **157** **217**

Section 50 – Search of a plastic bag – Section 50 is not applicable.

धारा 50 – प्लास्टिक के थैले की तलाषी – धारा 50 लागू नहीं होगी। **265** **392**

NATIONAL INVESTIGATION AGENCY ACT, 2008
राष्ट्रीय जांच एजेंसी अधिनियम, 2008

Sections 21, 13 (i), 14 (1), 16 (3) and Schedule – Under section 16 (3) of NIA Act, original bail application lies only before Special Court – Section 21 (4) provides appeal against such bail order before the Division Bench of the High Court only – Such application cannot be directly filed before the High Court under section 439 CrPC or 482 CrPC.

धारा 21, 13 (i), 14 (1), 16 (3) और अनुसूची – धारा 16 (3) परक्राम्य लिखत अधिनियम के अधीन मूल जमानत आवदेन पत्र केवल विषेष न्यायालय के समक्ष लगाया जा सकता है – धारा 21 (4) ऐसे जमानत आदेष के विरूद्ध अपील का प्रावधान केवल उच्च न्यायालय की खंडपीठ के समक्ष किये जाने का प्रावधान करती है – ऐसा आवेदन धारा 439 दण्ड प्रक्रिया संहिता या 482 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत सीधे उच्च न्यायालय के समक्ष फाइल नहीं किया जा सकता। **52** **75**

NEGLIGENCE
उपेक्षा

(i) Plaintiff was admitted as an in-door patient in the hospital – He fell out of the window of hospital room – Trial Court came to the conclusion that the principle of ***res ipsa loquitur*** is

attracted by the evidence on record – It was for the defendant to prove the absence of any negligence and due care and attention on his part – He did not prove it – Finding of trial Court upheld by Hon'ble the Apex Court.

(ii) The classic form of the maxim ***res ipsa loquitur*** from ***Scoot v. London and St. Katherine Docks, (1865) 3 H & C 596*** restated.

(i) वादी इन्डोर पेषेन्ट के रूप में अस्पताल में भर्ती हुआ था वह अस्पताल के कमरे की खिड़की से गिरा – विचारण न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंची कि अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य से रेस इप्सा लोकिटर का सिद्धांत आकर्षित होता है – यह प्रतिवादी पर था कि वह यह प्रमाणित करता की उसके भाग पर उपेक्षा का अभाव था और स्वयं उसने सम्यक् सावधानी और ध्यान रखा था – उसने ऐसा प्रमाणित नहीं किया – विचारण न्यायालय का निष्कर्ष माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कायम रखा गया।

(ii) सूत्र रेस इप्सा लोकिटर का उत्कृष्ट रूप न्यायदृष्टांत स्कॉट विरूद्ध लंदन एंड सेन्ट कैथरीन डॉक्स (1865) 3 एच एंड सी 596 बतलाया गया। **216 296**

NEGOTIABLE INSTRUMENTS ACT, 1881
परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881

Sections 118, 139 and 138 – (i) For the purpose of drawing presumption under section 118 r/w/s 139, burden lies on prosecution/complainant to show that (i) for the purpose of advancing loan in question to the accused, he was having requisite funds (ii) accused issued a cheque for the payment of money advanced and (iii) accused was bound to make payment and agreed for payment at the time of issuance of cheque.

(ii) On the facts, complainant failed – Therefore, reversing the order of acquittal by trial court, the judgment of the High Court was perverse.

धारा 118, 139 और 138 – (i) धारा 118 सहपठित धारा 139 के अधीन उपधारणा लेने के उद्देष्य से अभियोजन/परिवादी पर यह प्रमाण भार होता है कि वह यह दर्षावे कि (i) अभियुक्त को प्रष्नगत ऋण देने के लिए उसके पास पर्याप्त निधि थी (ii) अभियुक्त ने दी गयी राषि के बारे में चैक जारी किया था अैर (iii) अभियुक्त चैक जारी करते समय भुगतान करने के लिए बाध्य और सहमत था।

(ii) मामले के तथ्यों में परिवाद असफल रहा – इस कारण विचारण न्यायालय का दोषमुक्ति का निर्णय उलटने का उच्च न्यायालय का निर्णय तर्क विरूद्ध था। **44 62**

Section 138 – Criminal liability for cheque issued as an advance payment – If cheque is issued as advance payment for purchase of goods and purchase order is not carried to its logical conclusion either because of its cancellation or otherwise and goods are not supplied by the supplier, the cheque cannot be said to have been drawn for an existing debt or liability – Dishonour of such cheque do not constitute offence under section 138 N.I. Act – It may create civil liability.

धारा 138 – अग्रिम भुगतान के लिए जारी चैक के लिए दांडिक दायित्व – यदि चैक खरीदे गये माल के लिए अग्रिम भुगतान हेतु जारी किया जाता है और क्रय आदेष विधिवत या तो उसके निरस्त किये जाने के कारण या अन्यथा पूर्ण नहीं होता है और वस्तुऐं विक्रेता द्वारा नहीं दी जाती है तब यह नहीं कहा जा सकता कि चैक किसी ऋण या दायित्व के लिए जारी किया गया था – ऐसे चैक के अनादरण से धारा 138 एन.आई.एक्ट. का अपराध गठित नहीं होता है – यह (ऐसा संव्यवहार) सिविल दायित्व सृजित कर सकता है। **158 217**

Section 138 – Complaint can be filed before the Magistrate within whose jurisdiction any of the five acts has taken place:

(a) drawing of the cheque

(b) presentation of the cheque to the bank

(c) unpaid return by the drawee bank

(d) giving notice for demanding payment

(e) failure by drawer to make payment within 15 days of receipt of the notice.

धारा 138 – परिवाद किसी ऐसे मजिस्ट्रेट के सामने पेष की जा सकती है जिसके क्षेत्राधिकार में निम्न पाँच कृत्यों में से कोई कृत्य हुआ हो :–

(a) चैक का जारी किया जाना

(b) चैक का बैंक में प्रस्तुत किया जाना

(c) चैक जारी करने वाले की बैंक द्वारा उसे बिना भुगतान के लौटाना

(d) भुगतान मांगने के लिए सूचना पत्र जारी किया जाना

(e) चैक जारी करने वाले द्वारा सूचना पत्र की प्राप्ति के 15 दिन के भीतर भुगतान करने में असफल रहना। **16 (iii) 14**

Section 138 – Financial capacity of complainant to give big amount as loan – Is a material fact.

धारा 138 – परिवादी की एक बड़ी राषि ऋण के रूप में देने की वित्तीय क्षमता – एक तात्विक तथ्य है। **266 393**

Section 138 – Offence under section 138 of the Act – Report of handwriting expert, consideration of at the stage of taking cognizance – Explained.

धारा 138 – धारा 138 अधिनियम के अधीन अपराध – हस्तलेख विषेषज्ञ के प्रतिवेदन पर प्रसंज्ञान लेने के प्रक्रम पर विचार किया जाना – स्पष्ट किया गया। **102* 126**

Section 138 – See sections 3 (35) and 9 of the General Clauses Act, 1897.

धारा 138 – देखिये धारा 3 (35) और 9 साधारण खंड अधिनियम, 1897। **103 127**

Section 138 – See section 114 (f) of the Evidence Act, 1872.

धारा 138 – देखें साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 114 (f)। **329 519**

Section 138 – See section 245 of the Criminal Procedure Code, 1973.

धारा 138 – देखिये धारा 245 दंड प्रक्रिया संहिता, 1973। **160 219**

Section 138 – (i) Power to levy fine under Negotiable Instruments Act – Circumscribed to twice the cheque amount – Even in a case where the Court may be taking a lenient view in favour of the accused by not sending him to prison, it cannot impose a fine of more than twice the cheque amount.

(ii) Process to award compensation in a conviction under section 138 of the N.I.Act – The power to award compensation is not available under section 138 of Negotiable Instruments Act – It is only when the Court has determined the amount of fine, the question of paying compensation out of the same would arise – It comprises of two stages; first, when the Court determines the amount of fine and levies the same subject to the outer limit and the second stage comprises of invocation of the power to award compensation out of the amount so levied.

(iii) Purpose of punishment – Unlike other crimes, punishment in section 138 of N.I. Act cases is meant more to ensure payment of money rather than to seek retribution.

धारा 138 – (i) परक्राम्य लिखत अधिनियम में अर्थदंड देने की शक्ति – चैक की राषि से दुगुनी राषि तक सीमित है – यहाँ तक कि ऐसे प्रकरण में जहाँ न्यायालय अभियुक्त के पक्ष में नर्म रूख लेकर उसे कारागृह में नहीं भेजता है वहाँ भी वह चैक की राषि से दुगुनी राषि से अधिक का अर्थदंड नहीं लगा सकता।

(ii) धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम में दोषसिद्धि पर प्रतिकर अवार्ड करने की प्रक्रिया – धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम में प्रतिकर अवार्ड करने की शक्ति उपलब्ध (अधिनियम में) नहीं है – केवल जब न्यायालय अर्थदंड निर्धारित करता है तब उसमें से प्रतिकर देने का प्रष्न उत्पन्न होता है – इसमें दो प्रक्रम है; पहला, जब न्यायालय अर्थदंड की राषि निर्धारित करती है और उसे वसूल करती है जिसमें बाहरी सीमा निष्चित है और दूसरा प्रक्रम ऐसे लगाये गये अर्थदंड में से प्रतिकर दिलवाने की शक्ति प्रयोग करना।

(iii) दंड का उद्देष्य अन्य अपराधों से भिन्न, धारा 138 एन.आई.एक्ट. में दंड यह सुनिष्चित करने के लिए अधिक होता है कि धन का भुगतान हो जाये बजाय दंड देने के। **217 297**

Sections 138 and 140 – General power of attorney to file complaint on behalf of company – Not produced as the same had already been produced in another case – Complaint dismissed for want of authorization to file complaint.

Held, is a curable defect – An opportunity ought to have been granted to the complainant to produce and prove the same in accordance with law.

धारा 138 और 140 – कंपनी की ओर से परिवाद फाईल करने के लिए सामान्य मुख्तियार नामा – प्रस्तुत नहीं किया गया उसे अन्य प्रकरण में पूर्व से प्रस्तुत कर रखा था – परिवाद को परिवाद प्रस्तुत करने के लिए अनुमोदन के अभाव में निरस्त किया गया।

अभिनिर्धारित किया गया यह एक सुधारने योग्य त्रुटि है – परिवादी को एक अवसर उसे (ऐसे दस्तावेज को) पेष और विधि अनुसार प्रमाणित करने के लिए दिया ही जाना चहिए।

159 (i) 218

Sections 138 and 141 – It is necessary for the complainant to state in the complaint that the accused was in charge of and responsible for the conduct of business of the company at the relevant time – No particular form for making above allegation is prescribed – If complaint has not disclosed any such allegation, held, it is not maintainable.

धारा 138 और 141 – परिवादी के लिए यह आवष्यक है कि वह परिवाद में यह अभिकथन करे कि अभियुक्त सुसंगत समय में कंपनी के कार्य और व्यापार के लिए उत्तरदायी था और प्रभारी था – ऐसे अभिकथन करने के लिए कोई विषिष्ट प्रारूप निर्धारित नहीं है – यदि परिवादी ऐसे अभिकथन प्रकट नहीं करता है, अभिनिर्धारित किया गया, परिवाद चलने योग्य नहीं है।

104 128

Sections 138 and 141 – (i) Whether complaint against Managing Director of a company alone is maintainable ? Held, No. It is necessary for the complainant to make company as an accused to maintain complaint.

(ii) The complaint against company has already been quashed by the High Court, so complaint against M.D. alone is also not maintainable.

धारा 138 एवं 141 – (i) क्या कंपनी के प्रबंध संचालक अकेले के विरूद्ध परिवाद चलने योग्य होता है ? अभिनिर्धारित किया गया, नहीं। परिवाद के प्रचलन योग्य होने के लिए परिवादी के लिए यह आवष्यक है कि वह कंपनी को एक अभियुक्त बनावें।

(ii) कंपनी के विरूद्ध परिवाद उच्च न्यायालय ने पहले से रद्द कर दिया था, अतः प्रबंध संचालक अकेले के विरूद्ध परिवाद भी चलने योग्य नहीं है। **330 521**

Sections 138 and 142 – Change of legal position of territorial jurisdiction of court to entertain complaint – Effect on pending cases.

धारा 138 और 142 – परिवाद ग्रहण करने की न्यायालय के प्रादेषिक क्षेत्राधिकार के बारे में परिवर्तित विधिक स्थिति। लंबित मामलों पर प्रभाव। **267 395**

Sections 138, 143 and 145 (2) – For speedy and expeditious disposal of cheque dishonour cases the following directions are issued by Hon'ble the Apex Court:

(i) The Metropolitan Magistrate/Judicial Magistrate (MM/JM) on the day when the complaint under section 138 of the NI Act is presented, shall scrutinise the complaint and, if the complaint is accompanied by affidavit, and the affidavit and the documents, if any, are found to be in order, take cognizance and direct issuance of summons.

(ii) The MM/JM should adopt a pragmatic and realistic approach while issuing summons – Summons must be properly addressed and sent by post as well as by e-mail address got from the complainant – The court, in appropriate cases, may take the assistance of the police or the nearby court to serve notice on the accused – For notice of appearance, a short date be fixed – If the summons is received back unserved, immediate follow-up action be taken.

(iii) The court may indicate in the summons that if the accused makes an application for compounding of offences at the first hearing of the case and, if such an application is made, the court may pass appropriate orders at the earliest.

(iv) The court should direct the accused, when he appears, to furnish a bail bond, to ensure his appearance during trial and ask him to take notice under section 251 Cr.P.C. to enable him to enter his plea of defence and fix the case for defence evidence, unless an application is made by the accused under section 145(2) of the NI Act for recalling a witness for cross-examination.

(v) The court concerned must ensure that examination-in-chief, cross-examination and re-examination of the complainant must be conducted within three months of assigning the case – The court has option of accepting affidavits of the witnesses instead of examining them in the

court – The witnesses to the complainant and the accused must be available for cross-examination as and when there is direction to this effect by the court.

धारा 138, 143 और 145 (2) – माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा चैक अनादरण के प्रकरणों को तेज गति से निराकृत करने के लिए निम्न निर्देष जारी किये गये –

(i) महानगर मजिस्ट्रेट/न्यायिक मजिस्ट्रेट को जिस दिन धारा 138 एन.आई.एक्ट. का परिवाद प्रस्तुत किया जाता है, उस परिवाद की छानबीन करना चाहिए, यदि परिवाद के साथ परिवादी का शपथ पत्र लगा हो तो ऐसे शपथ पत्र और अन्य दस्तावेज यदि कोई हो तो उनके आधार पर संज्ञान लेना और समंस जारी करने का निर्देष देना चाहिए।

(ii) महानगर मजिस्ट्रेट/न्यायिक मजिस्ट्रेट को समंस जारी करते समय व्यवहारिक और वास्तविक रूख अपनाना चाहिए – समंस पर सही पता होना चाहिए और उसे डाक द्वारा और परिवादी से प्राप्त ईमेल एड्रेस पर भी भेजना चाहिए – न्यायालय उचित मामलों में सूचना पत्र की तामील के लिए पुलिस या समीप की न्यायालय की सहायता ले सकती है – उपस्थिति के लिए एक लघु या पास की तारीख नियत करना चाहिए – यदि समन अनिर्वाहित वापस प्राप्त होता है तब तत्काल आगे की कार्यवाही करना चाहिए।

(iii) समन में न्यायालय को यह भी सूचित करना चाहिए कि अभियुक्त अपराध में शमन का आवेदन प्रकरण की पहली सुनवाई पर दे सकता है, यदि ऐसा आवेदन किया जाता है तो न्यायालय को शीघ्र उचित आदेष करना चाहिए।

(iv) जब अभियुक्त उपस्थित होता है और उसकी विचारण में उपस्थिति सुनिष्चित करने के लिए जमानत और बंध पत्र लिये जाते हैं तब न्यायालय को अभियुक्त को धारा 251 दं.प्र.सं. की सूचना लेने के निर्देष देना चाहिए ताकि वह अपने बचाव के अभिवाक लेने में समर्थ हो सके। (कुल मिला कर अभियुक्त को अपराध विवरण तैयार कर पढ़कर सुनाना और समझाना चाहिए और उसका उत्तर लिखना चाहिए।) मामला बचाव साक्ष्य के लिए नियत करना चाहिए, यदि अभियुक्त द्वारा धारा 145 (2) परक्राम्य लिखत अधिनियम के तहत गवाहों को प्रतिपरीक्षण करने के लिए बुलाये जाने का आवेदन न दिया गया हो।

(v) संबंधित न्यायालय को यह सुनिष्चित करना चाहिए कि मामले को नियत करने के तीन माह के भीतर मुख्य परीक्षण, प्रतिपरीक्षण और पुनः परीक्षण पूर्ण कर लिया जाना चाहिए – न्यायालय को यह विकल्प है कि वह गवाहों का परीक्षण न्यायालय में करने की बजाय उनके शपथ पत्र ले सकती है – परिवादी के गवाह और अभियुक्त उस समय उपलब्ध रहना चाहिऐ जब न्यायालय उन्हें प्रतिपरीक्षण के लिए उपस्थित रहने के लिए निर्देषित करें। **218 299**

Section 141 (2) – Liability under section 141 (2) of the N.I. Act, scope of – Accused being nominee Director of the MPSIDC, attended the meeting of Board of Directors in which he allowed the alleged resolution to be passed which was contrary to the earlier decision taken by the cabinet – Held, culpability of the accused Director emerge from sub section (2) of section 141 of the N.I. Act.

धारा 141 (2) – धारा 141 (2) परक्राम्य लिखत अधिनियम के दायित्व का क्षेत्र. अभियुक्त ने एन.पी.एस.आई.डी.सी. का नामित संचालक रहते हुए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बैठक में भाग लिया जिसमें एक ऐसा प्रस्ताव पारित हुआ जो कैबिनेट के पूर्व के निर्णय के विपरीत था और अभियुक्त ने ऐसा प्रस्ताव पारित होने दिया – धारा 141 (2) एन.आई. एक्ट के तहत अभियुक्त संचालक की दोषिता प्रकट होती है। **332 (ii) 522**

NOTARIES ACT, 1952
नोटरी अधिनियम, 1952

Section 8 – Statement of notary has no additional credit because he is an advocate.

Non-issuance of certificate will make the notarization of alleged document suspicious.

Estoppel, acquiescence and waiver – Principle of estoppel is based on fairness.

धारा 8 – नोटरी के कथन की कोई अतिरिक्त विष्वसनीयता इसलिए नहीं है कि वह एक अधिवक्ता है।

प्रमाण पत्र का जारी न किया जाना अभिकथित दस्तावेज के नोटराईजेषन को संदेहास्पद बनायेगा।

विबंध, मौनस्वीकृति और अधित्यजन – विबंध का सिद्धान्त निष्पक्षता या न्याय संगति पर आधारित है। **165 (vi) 222 to (viii)**

PRECEDENTS:
पूर्वनिर्णय या प्रीसिडेन्ट

Decision is an authority to the point it decides – The text of decision cannot be read as if it were a Statute.

निर्णय निराकृत बिन्दु के बारे में प्राधिकार होता है – निर्णय का मूल पाठ इस तरह नहीं पढ़ना चाहिए कि वह एक विधान है। **161 220**

PREVENTION OF CORRUPTION ACT, 1988
भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988

Section 2 (c) – Scope of definition of the expression 'public servant' under section 2(c) of the Prevention of Corruption Act, 1988 – It is wider than the definition of the expression given under section 21 of the Indian Penal Code, 1860 – A position-holder may not come within the definition of public servant as defined under section 21 of I.P.C. but that does not mean that he cannot be brought into the category of public servant by any other enactment – Sub-section (viii) of Section 2 (c) of the present Act makes any person, who holds an office by virtue of which he is authorized or required to perform any public duty, to be a public servant – The Municipal Councillor or Members of the Board does not come within the definition of 'public servant' as defined under section 21 of the Indian Penal Code, but in view of the legal fiction created by section 87 of the Rajasthan Municipalities Act, they come within its definition.

धारा 2 (सी) – धारा 2(सी) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के अधीन ''लोक सेवक'' शब्द की परिभाषा और उसका क्षेत्र – यह धारा 21 भारतीय दंड संहिता, 1860 में दी गयी परिभाषा से विस्तृत है – एक स्थिति धारक धारा 21 भा.दं.सं. की लोक सेवक की परिभाषा में नहीं आ सकता है किन्तु इसका तात्पर्य यह नहीं है कि वह किसी अन्य कानून से लोक सेवक की श्रेणी में नहीं लाया जा सकता – धारा 2 (सी) की उपधारा (viii) वर्तमान अधिनियम का किसी भी व्यक्ति को जो कि एक कार्यालय धारित करता है जो कि लोक कृत्य करने के लिए अधिकृत या आवष्यक है वह भी लोक सेवक होता है – म्युनिसिपल काउंसलर या बोर्ड के सदस्य धारा 21 भा.दं.सं. की लोक सेवक की परिभाषा में नहीं आते है लेकिन धारा 87 राजस्थान नगर पालिका अधिनियम की विधिक कल्पना के प्रकाष में वे इस परिभाषा में आ जाते है। **219 300**

Sections 3 and 4 – Jurisdiction of a special Judge appointed under section 3(1) of the P.C. Act, 1988, explained.

धारा 3 और 4 – धारा 3 (1) अधिनियम, 1988 के अधीन नियुक्त विषेष न्यायाधीष का क्षेत्राधिकार, स्पष्ट किया गया। **220 303**

Sections 7 and 13 (2) – Offence of taking illegal gratification – When proved?

धारा 7 और 13 (2) – अवैध प्ररितोषण लेने का अपराध – कब प्रमाणित होता है? **331 521**

Sections 7 and 13 (2) – See section 313 of Criminal Procedure Code, 1973.

धारा 7 और 13 (2) – देखिये धारा 313 दं.प्र.सं., 1973। **66 87**

Sections 13 (1) (d) and 13 (2) – See section 240 of the Criminal Procedure Code, 1973.

धारा 13 (1) (डी) और 13 (2) – देखिए धारा 240 दं.प्र.सं., 1973। **241 350**

Section 13 (1) (e) r/w/s 13 (2) – Offence under section 13 (1) (e) r/w/s 13 (2) of the Act, constitution of – The accused, a public servant, was charged and convicted for acquiring assets disproportionate to his known sources of income as public servant – In appeal, he satisfactorily accounted the alleged disproportionate assets – Held, no liability for the offence under sections 13 (1)(e) and 13 (2) can be fastened against him.

धारा 13 (1) (ई) सहपठित धारा 13 (2) – धारा 13 (1) (ई) सहपठित धारा 13 (2) अधिनियम के अपराध का गठन – अभियुक्त जो एक लोक सेवक था उस पर अनुपातहीन संपत्ति जो उसकी ज्ञात आय से अधिक थी रखने के लिए आरोपित और दोष सिद्ध किया गया – अपील में उसने उसकी कथित अनुपातहीन संपत्ति का

समाधानप्रद स्पष्टीकरण दिया – अभिनिर्धारित किया गया अभियुक्त के विरूद्ध अपराध धारा 13 (1) (ई) और धारा 13 (2) के तहत कोई दायित्व नहीं बनता। **105 128**

Section 17 – Part of investigation carried out by A.S.I. – Not authorized officer – Accused is not able to show any serious prejudice – Not fatal.

धारा 17 – अनुसंधान का एक भाग सहायक उप निरीक्षक ने पूरा किया – जो अधिकृत अधिकारी नहीं था – अभियुक्त उसके हितों पर प्रतिकूल असर पड़ना दर्षाने में समर्थ नहीं रहा – यह (ऐसा अनुसंधान) घातक नहीं है। **268 397**

Section 19 – (i) Order of sanction to prosecute, grant of – Sanctioning authority has to do complete and conscious scrutiny of whole record placed before it – Sanction order should show that authority has considered all relevant facts and applied its mind – Prosecution is under obligation to place entire record before sanctioning authority and satisfy the Court that authority has applied its mind.

(ii) Sanction to prosecute – Power of competent authority cannot be delegated – Sanction cannot also be granted on the basis of report given by some other officer or authority.

(iii) Stage of challenge to prosecution sanction – In view of section 19(3) of the P.C. Act, 1988 it can be challenged only at the time of trial and not at the stage of inquiry or pre-trial stage.

धारा 19 – (i) अभियोजन चलाने की अनुमति का आदेष दिया जाना – अनुमति देने वाले प्राधिकारी को उसके समक्ष रखे गये पूरे अभिलेख की सावधानी से और पूरी तरह से छानबीन करना चाहिए – अनुमति आदेष से यह दिखना चाहिए कि प्राधिकारी ने सभी सुसंगत तथ्यों पर अपने मस्तिष्क का प्रयोग किया है।

(ii)अभियोजन चलाने की अनुमति – सक्षम प्राधिकारी की शक्तियाँ प्रत्यायोजित नहीं की जा सकती – अभियोजन चलाने की अनुमति किसी अन्य अधिकारी या प्राधिकारी के प्रतिवेदन के आधार पर नहीं दी जा सकती।

(iii) अभियोजन चलाने की अनुमति को चुनौती देने का प्रक्रम – धारा 19(3) अधिनियम, 1988 के प्रकाष में इसे केवल विचारण के समय चुनौती दी जा सकती है, जाँच या विचारण पूर्व के प्रक्रम पर चुनौती नहीं दी जा सकती। **189 263**

Section 19 – Plurality of offices – Sanction, necessity and legality of – Law explained.

Relinquishment of charge of the office alleged to have been misused – Before filing charge sheet, sanction under section 19 of the Act is not required.

Mix question of fact and law as to non-adoption of corrupt or illegal means and non abuse of position as a public servant to obtain any valuable thing or pecuniary advantage, stage of determination of .

Parity in law, claim of – Parity in law can be claimed only in respect of action rightfully exercised and not otherwise.

धारा 19 – कार्यालयों का बाहुल्य – अनुमति (अभियोजन चलाने की) की आवष्यकता और वैधानिकता – विधि स्पष्ट की गयी।

अभियोग पत्र प्रस्तुत होने से पहले यदि अभियुक्त ने उस पद का पदभार छोड़ दिया हो जिसका अभिकथित दुरूपयोग किया गया है तब धारा 19 अधिनियमए 1988 की अनुमति आवष्यक नहीं होती है।

विधि और तथ्य के मिश्रित प्रष्न जो कि भ्रष्ट या अवैध साधन काम में न लेने और लोकसेवक द्वारा उसके पद का दुरूपयोग न करने या कोई वित्तीय लाभ या मूल्यवान वस्तु प्राप्त न करने के बारे में हो तो ऐसे प्रष्नों का निर्धारण।

कानून के समक्ष समानता का दावा – यह दावा सही तरीके से किये गये कार्य के संबंध में किया जा सकता है अन्यथा नहीं। **332 (i), 522 (iii) & (iv)**

Section 19 – See section 58 of the Municipal Corporation Act, 1956.

धारा 19 – देखिए धारा 58 नगर पालिका निगम अधिनियम, 1956। **269* 397**

Section 19 – See section 465 of the Criminal Procedure Code, 1973.

धारा 19 – देखिये धारा 465 दंड प्रक्रिया संहिता, 1973। **221 309**

Section 19 – Whether a criminal prosecution ought to be interfered with by the High Court at the instance of an accused who wants mid-course relief from the criminal charges levelled against him on the ground of defects/omissions or errors or want of jurisdiction in the order, granting sanction to prosecute? Held, No, unless failure of justice has been occasioned.

Sanction to prosecute has been granted by Law Department of State and not by the parent Department of accused – High Court interdicted the criminal proceeding – Apex Court set aside the order of High Court.

धारा 19 – क्या एक दांडिक अभियोजन में उच्च न्यायालय द्वारा अभियुक्त के अनुरोध पर हस्तक्षेप किया जा सकता है जो कि उसके विरूद्ध लगाये गये आपराधिक आरोपों से मध्यवर्ती अनुतोष, अभियोजन चलाने की अनुमति में त्रुटि/लोप या कमी या क्षेत्राधिकार के अभाव के आधार पर पा सकता है? अभिनिर्धारित किया गया, नहीं – जब तक कि न्याय की हानि होना प्रकट न होता हो।

अभियोजन चलाने की अनुमति राज्य के विधि विभाग द्वारा दी गयी अभियुक्त के मूल विभाग द्वारा नहीं दी गयी – उच्च न्यायालय ने ऐसी दांडिक कार्यवाही में हस्तक्षेप किया – सर्वोच्च न्यायालय ने उच्च न्यायालय के आदेष को अपास्त कर दिया। **162 220**

Section 19 – (i) Whether requirement of sanction for prosecution u/s 19 of P.C. Act is unconstitutional ? Held, No. but the competent authority has to take a decision on the issue of sanction expeditiously.

(ii) A fine balance has to be maintained between need to protect a public servant against mala fide prosecution on the one hand and the object of upholding the probity in public life in prosecuting the corrupt public servant in other hand.

धारा 19 – (i) क्या धारा 19 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत अभियोजन चलाने की अनुमति की आवष्यकता असंवैधानिक है? अभिनिर्धारित किया गया, नहीं किन्तु सक्षम प्राधिकारी को अनुमति के बिन्दु पर त्वरित गति से निर्णय लेना चाहिए।

(ii) एक ओर, एक लोकसेवक को दुर्भावना पूर्ण अभियोजन से संरक्षित करने और दूसरी ओर, लोक जीवन में ईमानदारी को बनाये रखने के उद्देष्य से भ्रष्ट लोकसेवक को अभियोजित करने के बीच एक अच्छा संतुलन बनाना होगा। **333 529**

Section 19 (b) and (c) – Sanction for prosecution, validity of – Order of sanction if self contained, speaking and passed after due application of mind on the basis of material collected and brought before the Sanctioning Authority, it cannot be said that there is any infirmity or error in the sanction order.

धारा 19 (1) (बी) और (सी) – अभियोजन चलाने की स्वीकृति की वैधता – यदि स्वीकृति आदेष स्वयं में पूर्ण, बोलता हुआ और अनुमति देने वाले प्राधिकारी के समक्ष रखी गयी सामग्री पर मस्तिष्क के सम्यक् प्रयोग के बाद पारित किया गया है तब यह नहीं कहा जा सकता कि ऐसे अनुमति आदेष में कोई कमी या त्रुटि है। **334* 529**

PREVENTION OF FOOD ADULTERATION ACT, 1954
खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954

Sections 7 and 16 – "Storage" of an adulterated article of food other than for sale does not come within the mischief of section 16 of the P.F.A. Act, 1954.

धारा 7 और 16 – एक अपमिश्रित खाद्य पदार्थ का ''संग्रहण'' जो कि विक्रय के अलावा है धारा 16 अधिनियम, 1954 में नहीं आता है। **106 130**

PREVENTION OF TERRORISM ACT, 2002
आतंकवाद निवारण अधिनियम, 2002

Section 32 – Strict observance of prescribed safeguard for recording confessions under special laws like POTA .

(i) It should inspire confidence to show that procedure has been scrupulously followed.

(ii) Requirement under section 32 (5) of POTA that accused "shall be sent to judicial custody" is mandatory (whether confession compliance about police torture or not).

धारा 32 – विषेष विधियों जैसे पोटा आदि में संस्वीकृति अभिलिखित करते समय रखी जाने वाली सावधानियों के बारे में।

(i) यह (संस्वीकृति) ऐसे विष्वास करने वाले होना चाहिए जो यह दर्षाता हो कि प्रक्रिया का ईमानदारी से पालन किया गया है।

(ii) धारा 32 (5) पोटा के अधीन अभियुक्त को न्यायिक अभिरक्षा मे भेजा जाना एक अनिवार्य आवष्यकता है (संस्वीकृति में पुलिस द्वारा तंग किये जाने के बारे में अनुपालन है या नहीं।)

302 (ii) 473

PROTECTION OF CHILDREN FROM SEXUAL OFFENCES ACT, 2012
लैगिंग अपराधोंसे बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012

Section 6 – See sections 373, 302, 376-A and 304 Part II of the Indian Penal Code, 1860

धारा 6 – देखें भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 373, 302, 376ए, 304 भाग–II

319 501

PROTECTION OF WOMEN FROM DOMESTIC VIOLENCE ACT, 2005
घरेलू हिंसा कानून से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005

Sections 2 (g), 3 and 3 Expln. 1 (iv) (c) – (i) What is domestic violence and continuing domestic violence? Despite various orders, if husband disobeys the court orders, that is continuing domestic violence by the husband against his wife.

(ii) Conduct of parties prior to DV Act, 2005 can be taken into consideration – Wife having been harassed since 2005, entitled for protection order along with maintenance as allowed by Trial Court – She is also entitled for damages for injuries including mental torture and emotional distress – Husband directed to pay compensation and damages of ' 5 lac.

धारा 2 (जी), 3 और 3 का स्पष्टीकरण 1 (iv) (सी) – (i) घरेलू हिंसा और सतत् घरेलू हिंसा क्या है ? कई आदेष के बाद भी यदि पति न्यायालय के आदेषों की अवज्ञा करता है न्यायालय यह आदेष दे सकती है कि यह पत्नी के विरूद्ध पति द्वारा सतत् घरेलू हिंसा है।

(ii) अधिनियम, 2005 के पूर्व का पक्षकारों का आचरण विचार में लिया जा सकता है – पत्नी को वर्ष 2005 से तंग किया जा रहा था, वह संरक्षण आदेष और उसके साथ भरण पोषण आदेष की हकदार है जो विचारण न्यायालय ने दिलवाया – वह चोटों के लिए क्षति पूर्ति और मानसिक त्रास और भावनात्मक त्रास के लिए भी क्षति पूर्ति पाने की हकदार है – पति को पाँच लाख रूपये प्रतिकर और क्षतिपूर्ति देने के निर्देष दिये। **124**

148

PUBLIC GAMBLING ACT, 1867
सार्वजनिक जुआ अधिनियम, 1867

Section 4 (M.P. Amendment) – I.O. seized some slips on which numbers were written – No evidence that the slips were related to gaming or Worli Matakas – Offence not proved.

धारा 4 (म.प्र. संषोधन) – अनुसंधान अधिकारी ने कुछ पर्चियाँ जब्त की जिन पर अंक लिखे थे – इस संबंध में साक्ष्य नहीं थी कि पर्चियाँ द्यूत या वर्लि मटका से संबंधित है – अपराध प्रमाणित नहीं हुआ। **270**

398

REGISTRATION ACT, 1908
रजिस्ट्रेषन अधिनियम, 1908

Section 17 – Effect of registered Will – Presumption of correctness of date and time.

धारा 17 – पंजीकृत वसीयत का प्रभाव – तारीख और समय सही होने की उपधारणा।

271* 399

Section 49 – It is the duty of the court to consider genuineness of power of attorney – Validity of sale agreements and powers of attorney executed in genuine transactions is not affected by the verdict of ***Suraj Lamp and Industries Pvt. Ltd. v. State of Haryana, AIR 2012 SC 206.***

धारा 49 – यह न्यायालय का कर्तव्य है कि वह मुख्तियार नामे के असली होने के बारे में विचार करें – न्यायदृष्टांत सूरज लेम्प एण्ड इन्ड्रस्टीज प्रायवेट लि. विरूद्ध स्टेट ऑफ हरियाणा ए.आई.आर. 2012 एस.सी. 206 में दिया गया अभिमत वास्तविक संव्यवहार के मामलों में विक्रय अनुबंध और मुख्तियार नामा की वैधता को प्रभावित नहीं करते। **117 (iii) 141**

RENT CONTROL AND EVICTION:
किराया नियंत्रण और निष्कासन

Relationship of landlord and tenant between parties is the essential requirement – Therefore, enquiry is limited to that extent – The question of plaintiff's title on the basis of purchase or question of adverse possession by defendant is beyond the scope of enquiry in eviction suit under Rent Control Act – But question of title can be considered incidentally.

The question of acquisition of title by adverse possession is beyond the scope of suit of eviction under Rent Control Act – The proper Court is Civil Court constituted under C.P.C.

मकान मालिक और किरायेदार के संबंध पक्षकारों के बीच होना एक अनिवार्य आवष्यकता है – जाँच इस सीमा तक सीमित होती है भाड़ा नियंत्रण अधिनियम के अधीन निष्कासन के वाद में क्रय के आधार पर वादी के स्वत्व का प्रष्न या विरोधी आधिपत्य के आधार पर प्रतिवादी का पक्ष ऐसी जाँच के विस्तार से परे है – किन्तु स्वत्व का प्रष्न प्रसंगवष देखा जाता है।

भाड़ा नियंत्रण अधिनियम के अधीन निष्कासन के दावे में विरोधी आधिपत्य के आधार पर स्वत्व परिपक्व कर लेने का प्रष्न विस्तार से बाहर का है – इसके लिए उचित न्यायालय सी.पी.सी. के अधीन गठित सिविल न्यायालय है। **45 (i) & (ii) 63**

See section 13 of the Accommodation Control Act, 1961 and section 148 of the Civil Procedure Code, 1908

धारा 13 स्थान नियंत्रण अधिनियम, 1961 और धारा 148 सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908। **46 67**

See sections 108 and 111 of the transfer of property Act, 1882.

देखिये धारा 108 और 111 संपत्ति अंतरण अधिनियम, 1882। **338 536**

RIGHT TO FAIR COMPENSATION AND TRANSPARENCY IN LAND ACQUISITION, REHABILITATION AND RESETTLEMENT ACT, 2013
भूमि अर्जन, पुनर्वासान और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्षिता का अधिकार अधिनियम, 2013

Section 24 (2) – Meaning of the expression "compensation has not been paid", explained.

धारा 24 (2) – शब्द 'प्रतिकर भुगतान नहीं किया गया' का अर्थ स्पष्ट किया गया। **272 400**

Section 24 (3) – Land acquisition proceeding initiated under old Act of 1894 but possession not taken up to 07.05.2014 – Period of seven years lapsed – Proceeding must be deemed to have lapsed u/s 24 (2) of the new Act – Right of hearing can be taken within the limitation u/s 17 (4) of the Act – Officer who heard the objection should have passed the order.

धारा 24 (3) – भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही पुराने अधिनियम,1894 में प्रारंभ की गई थी लेकिन 7 मई, 2014 तक आधिपत्य नहीं लिया गया – कार्यवाही धारा 24 (2) अधिनियम 2013 के अनुसार समाप्त हो जाना माना जायेगा – सुनवाई का अधिकार धारा 17 (4) अधिनियम, में परिसीमित कारणों से ही लिया जा सकता है – आपत्तियों का जिस अधिकारी ने सुनवाई की उसे ही आदेष पारित करना चाहिए। **273 402**

Section 24 (3) – Land acquisition proceeding initiated under old Act of 1894 – Award passed – Possession not taken by authority – Compensation neither paid nor deposited in forum and proceeding deemed to be lapsed in terms of section 24 (2) of the new Act of 2013.

धारा 24 (3) – भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही पुराने अधिनियम, 1894 में शुरू की गई– अवार्ड पारित – प्राधिकारी ने आधिपत्य नहीं लिया, प्रतिकर न तो भुगतान किया गया न ही फोरम में जमा करवाया – कार्यवाही धारा 24 (2) नवीन अधिनियम, 2013 के तहत समाप्त मानी जाएगी। **274 405**

SCHEDULED CASTES AND SCHEDULED TRIBES (PREVENTION OF ATROCITIES) ACT, 1989

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989

Section 18 – See section 438 of the Criminal Procedure Code, 1973.

धारा 18 – देखे दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 438। **298 461**

Sections 18 and 3 – If ***prima facie*** case under section 3 of SC/ST Act is made out, bar under section 18 of SC/ST Act is attracted while granting anticipatory bail.

धारा 18 और 3 – यदि धारा 3 अधिनियम, 1989 के तहत प्रथम दृष्टया मामला बनता है तब धारा 18 अधिनियम, 1989 की बाधा आकर्षित होती है जब अग्रिम जमानत दी जाना हो।

70 96

SECURITISATION AND RECONSTRUCTION OF FINANCIAL ASSETS AND ENFORCEMENT OF SECURITY INTEREST ACT, 2002

प्रतिभूतिकरण और वित्तीय आस्तियों के पुनर्निर्माण और सुरक्षा हित के प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (सरफेसी एक्ट, 2002)

Sections 13 (4), 17 and 34 – (i) Expression used in section 17 "any person" includes not only borrower but also guarantor or any other person who may be affected by measures taken under section 13 (4).

Ouster of jurisdiction of Civil Court – Extent of – Section 34 of the Act ousts the jurisdiction of Civil Court in respect of any matter which DRT or Appellate Tribunal is entitled to determine whereas section 34 deals with the measures for enforcement of security interest – In section 34 the expression "in respect of any matter" also includes the measures provided under section 34 – Any person aggrieved by such measures can approach DRT or Appellate Tribunal – In such matter Civil Court has no jurisdiction.

धारा 13 (4), 17 और 34 – (i) धारा 17 में प्रयुक्त शब्द ''कोई व्यक्ति'' में न केवल ऋण लेने वाला शामिल है बल्कि जमानतदार भी या ऐसा कोई अन्य व्यक्ति भी जो धारा 13 (4) के अधीन कार्यवाही करने से प्रभावित हुआ हो वह भी शामिल है।

सिविल न्यायालय के क्षेत्राधिकार का हटा दिया जाना – विस्तार – धारा 34 अधिनियम सिविल न्यायालय के क्षेत्राधिकार को उन मामलों में बाहर कर देती है जो डी.आर.टी. से संबंधित या अपीली प्राधिकरण से संबंधित हो और वे उसके निर्धारण के हकदार हों वहीं धारा 34 संरक्षित संपत्ति के प्रवर्तन के उपाय के बारे में हैं – धारा 34 में प्रयुक्त शब्द ''किसी विषय के संबंध में'' में धारा 34 में बतलाये गए उपाय भी शामिल है – कोई भी व्यक्ति जो ऐसे मेजर्स से व्यथित हो वह डी.आर.टी. या अपीली प्राधिकारी के समक्ष जा सकता है – इन मामलों में सिविल न्यायालय का क्षेत्राधिकार नहीं होता है। **47 69**

Sections 13 (4), 17 and 34 – Taking possession of secured assets – Suit for permanent injunction by tenant restraining secured creditor from dispossessing him – Barred in view of section 34 of the Act – Remedy is to file appeal under section 17 of the Act.

धारा 13 (4), 17 और 34 – संरक्षित संपत्ति का आधिपत्य लेना – किरायेदार द्वारा स्थायी निषेधाज्ञा का वाद जो कि संरक्षित ऋण दाता को उसे आधिपत्य छिनने से रोकने के लिए है – धारा 34 अधिनियम के तहत वर्जित है – ऐसे व्यक्ति को धारा 17 अधिनियम के तहत अपील में उपचार है। **222 310**

Sections 13, 14, 34, 35 and 37 – Power of borrower to lease a mortgaged property – Explained – Position of lessee and available remedies for lessee – Procedure for secured creditor to take possession of secured assets – Remedies for tenants of secured assets – Legal position regarding above points explained.

धारा 13, 14, 34, 35 और 37 – ऋणी की बंधक सम्पत्ति को पट्टे पर देने की शक्ति – स्पष्ट की गई पट्टेदार की स्थिति और उसे उपलब्ध उपचार – संरक्षित ऋणदाता द्वारा संरक्षित सम्पत्ति का आधिपत्य लेने

के लिए प्रक्रिया – संरक्षित सम्पत्ति के किरायेदार को उपलब्ध उपचार – उक्त सभी बिन्दुओं पर वैधानिक स्थिति स्पष्ट की गई। **275 407**

SERVICE LAW:
सेवा विधि :

Decree, setting aside of – Earlier decree can be set aside only in case where the alleged decree was passed by Court having no jurisdiction or it was passed by playing fraud or against settled principles of law – It cannot be set aside merely on the ground that judgment and decree were incorrect.

डिक्री अपास्त किया जाना – पूर्व की डिक्री को तभी अपास्त किया जा सकता है जब अभिकथित डिक्री उस न्यायालय ने पारित की है जिसे क्षेत्राधिकार नहीं था या वह कपट के द्वारा पारित करवायी गयी हो या विधि के मान्य सिद्धान्तों के विपरीत हो – उसे केवल इस आधार पर अपास्त नहीं किया जा सकता कि निर्णय और डिक्री सही नहीं है। **107* 131**

Promotion – Non-impleadment of necessary parties – Effect of – Once respondents are promoted, the juniors who were promoted earlier would become junior if they are not arrayed as parties – Such an adverse order cannot be passed against the principles of natural justice.

पदोन्नति – आवष्यक पक्षकारों को संयोजित न किया जाना – प्रभाव – एक बार प्रत्यर्थीगण को पदोन्नति दे दी गयी, कनिष्ठ जो पहले पदोन्नत हो चुके थे वे जूनियर हो जायेंगे यदि उन्हें पक्षकार में शामिल नहीं किया गया – ऐसा प्रतिकूल आदेष प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत पारित नहीं किया जा सकता। **50 74**

Order of compulsory retirement cannot be passed as a shortcut to avoid D.E. – Such order without following the principles of natural justice is illegal.

अनिवार्य सेवा निवृत्ति का आदेष विभागीय जाँच से बचकर संक्षिप्त में पारित नहीं किया जा सकता – ऐसा आदेष जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों का अनुसरण किये बिना दिया गया वह अवैध है।**276 425**

(i) Review (reopening) of departmental enquiry proceedings, validity and scope of – The power of review can be exercised by head of the Department in certain circumstances under Rule 29 of the Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1966 – However, no order can be reviewed by the head of the department when the order impugned is not passed by the authority who is not subordinate to him i.e. if the order in review is not passed by the authority who is subordinate to the head of the department, power of review cannot be exercised.

(ii) After passing the order of punishment or exoneration on Enquiry Officer's report, the Disciplinary Authority becomes ***functus officio*** – There is no provision which enables such authority to recall, review or modify its own order and direct further enquiry on parties from which the erring employee has been exonerated.

(i) विभागीय जाँच कार्यवाहियों का पुनर्विलोकन (फिर खोलना या पुनः प्रारंभ करना), वैधता और क्षेत्र – पुनर्विलोकन की शक्तियों का प्रयोग विभागीय प्रमुख द्वारा कुछ परिस्थितियों में धारा 29 सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम 1966 के अधीन प्रयोग की जा सकती है – किन्तु कार्यालय प्रमुख उस आदेष का पुनर्विलोकन नहीं कर सकते जो ऐसे प्राधिकारी ने पारित न किया हो जो उनके अधिनस्थ हैं लेकिन ऐसे आदेष जो उस प्राधिकारी ने पास किये हैं जो कार्यालय प्रमुख के अधिनस्थ हैं उनका पुनर्विलोकन कार्यालय प्रमुख कर सकते हैं।

(ii) जाँच अधिकारी के प्रतिवेदन पर दंड संबंधी आदेष या निर्मुक्ति का आदेष पारित करने के पष्चात् अनुषासिक प्राधिकारी पदेन वृत हो जाता है – ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो ऐसे प्राधिकारी को उसके स्वयं के आदेष को रिकाल, पुनर्विलोकन या रूपांन्तरित करने की शक्ति देता हो और अतिरिक्त जांच के निर्देष देने की शक्ति देता हो जिस जाँच में कर्मचारी पूर्व से निर्मुक्त हो चुका है। **108* 131**

(i) Service matter – Direct recruitment/promotion in respect of District Judge entry level – Power of High Court – Law explained -The High Court can specify procedure from time to time in that respect.

(ii) Recommendations made by Shetty Commission, nature of – Such recommendations can be stated to be a guideline which any High Court must keep in mind while resorting to use of posts of the Higher Judicial Service.

(i) सेवा संबंधी मामला – सीधी भर्ती, जिला जज प्रवेष स्तर के संबंध में पदोन्नति – उच्च न्यायालय की शक्ति – विधि स्पष्ट की गयी – उच्च न्यायालय समय–समय पर इस संबंध में अपनी प्रक्रिया को बतलाते हुए विवरण दे सकता है।

(ii) शेट्टी आयोग द्वारा की गयी अनुषंसाओं की प्रकृति – ये अनुषंसाएं एक दिषा निर्देष कहे जा सकते है जो किसी भी उच्च न्यायालय को उच्च न्यायिक सेवा के पदों (भर्ती आदि के समय) मस्तिष्क में रखना चाहिए। **335 530**

Termination on the ground of accusation of an offence, legality of – Allottee employee of a fair price shop charged under section 3/7 of the Essential Commodities Act, 1955 – After completion of trial, he was acquitted from the aforesaid charge – After leaving fair price shop, he got appointed as a daily wager employee – Later on, he was regularized on the post of Pump Operator – At that time, he was required to furnish an attestation form for the purpose of police verification in which he left blank the relevant column of criminal record and did not mention as to the facts of his acquittal – In verification report, police authorities mentioned that he was charged for such offences – Departmental authorities terminated the services of the employee treating that he concealed material confirmation in his attestation form deliberately – Held, the offence under section 3/7 of the Essential Commodities Act, 1955 does not fall within the category of those offences mentioned where moral turpitude is involved – Prosecution was not for the offence under IPC – Further held, if the information is not given believing that because the same has resulted in acquittal, it cannot be said that such a serious and deliberate misconduct is committed on account of which his services can be terminated – Setting aside the order of termination, he was ordered to be reinstated in service.

एक अपराध के अभियोग के आधार पर सेवा समाप्ति की वैधानिकता – एक उचित मूल्य की दुकान के आबंटी कर्मचारी पर धारा 3/7 आवष्यक वस्तु अधिनियम, 1955 का आरोप लगाया गया – विचारण की समाप्ति के बाद उसे उक्त आरोप से दोषमुक्त किया गया था – उचित मूल्य की दुकान छोड़ने के बाद, उसे एक दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी के रूप में नियुक्ति मिली – बाद में उसे पम्प आपरेटर के पद पर नियमित किया गया था – उस समय उससे एक अनुप्रमाणन फार्म पुलिस सत्यापन के उद्देष्य से भरवाया गया था उसने आपराधिक रिकार्ड का सुसंगत कालम खाली छोड़ दिया और उसे दोषमुक्त किये जाने का उल्लेख उसमें नहीं किया – पुलिस
प्राधिकारियों ने सत्यापन प्रतिवेदन में उक्त आरोपों को लगाये जाने के बारे में उल्लेख किया – विभागीय प्राधिकारियों ने उस कर्मचारी की सेवायें समाप्त की यह मानते हुए कि उसने तात्विक पुष्टिकरण को दुर्भावना पूर्वक अनुप्रमाणक फार्म में छिपाया था – अभिनिर्धारित किया गया कि धारा 3/7 आवष्यक वस्तु अधिनियम, 1955 का अपराध नैतिक चरित्र हीनता या मोरल टर्पीट्यूड के अपराधों की श्रेणी में नहीं आता है – अभियोजन भारतीय दंड संहिता के अपराध का नहीं था – यह भी अभिनिर्धारित किया गया कि यदि सूचना इस विष्वास को करते हुए नहीं दी गयी कि परिणाम दोषमुक्ति था, यह नहीं कहा जा सकता कि ऐसे में कोई गंभीर और जानबूझकर किया गया दुराचरण कारित किया गया है जिसके कारण कर्मचारी की सेवाये समाप्त की जा सकें – सेवा समाप्ति का आदेष अपास्त किया गया – कर्मचारी की सेवा बहाल करने का आदेष दिया गया। **223* 311**

Whether sexual harassment at work place amounts to misconduct within the meaning of provisions contained in the Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1965? Held, Yes – Further held, sexual harassment was brought within the ambit of misconduct and the methodology to punish the employee is also introduced by way of amendment in Rule 14 (2) of the CCA Rules – Hence, it is a service matter and remedy available to such erring employee is under service rules.

क्या कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न, सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1965 के प्रावधानों के अर्थ में दुराचरण माना जायेगा? अभिनिर्धारित किया गया, हाँ – यह भी अभिनिर्धारित किया गया कि लैंगिक उत्पीड़न को दुराचरण के क्षेत्र में लाया गया था और कर्मचारी को दंडित करने की विधि धारा 14(2) सी.सी.ऐ. रूल्स में संषोधन द्वारा समाविष्ट की गई – अतः यह सेवा संबंधी मामला है और ऐसे दोषी कर्मचारियों को सेवा नियमों के अधीन उपचार उपलब्ध है। **163* 221**

SPECIFIC RELIEF ACT, 1963
विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम, 1963

Sections 5, 6 and 38 – (i) A person in possession of land has a perfectly good title against the entire world except the rightful owner .

(ii) Such person is entitled for permanent injunction subject to right of true owner of the property to evict the person in accordance with law.

धारा 5, 6 और 38 – (i) एक व्यक्ति जो भूमि के आधिपत्य में है वह मूल स्वामी को छोड़कर पूरे संसार के विरूद्ध एक अच्छा स्वत्व रखता है ।

(ii) ऐसा व्यक्ति, केवल मूल स्वामी विधि की प्रक्रिया अपनाकर सम्पत्ति से उसे निष्कासित कर सकता है, इस शर्त के अधीन वह स्थायी निषेधाज्ञा पाने का हकदार होता है। **336 533**

Section 16 – Suit for specific performance of agreement to sell – Defendant entered into agreement to sell and receive earnest money – On not being complied with the directions and conditions on the part of defendant, the plaintiff filed suit for specific performance of agreement pleading that he was ready and willing to perform his part of the contract – Defendant took defence that she was not the exclusive owner of the property for getting the sale deed executed in favour of the plaintiff – Held, since the plaintiff was ready and willing to perform his part of the contract and the defendant has willfully deviated from the terms and conditions of the contract, plaintiff is entitled for the decree for specific performance of contract – Further held, the defendant contracted for sale as sole owner, therefore, she is estopped from saying that she is not the sole owner.

धारा 16 – विक्रय अनुबंध के विनिर्दिष्ट पालन का वाद – प्रतिवादी ने एक विक्रय अनुबंध किया और बयाना की रकम प्राप्त की प्रतिवादी ने उसके भाग की शर्तों और निर्देषों का पालन नहीं किया, वादी ने अनुबंध के विर्निदिष्ट पालन का वाद पेष किया और यह अभिवचन किया कि वादी उसके भाग की संविदा का पालन करने के लिए तैयार और रजामंद है – प्रतिवादी ने यह बचाव लिया कि वह संपत्ति की एक मेव स्वामी नहीं है कि वह वादी के पक्ष में विक्रय पत्र निष्पादित कर सके – अभिनिर्धारित किया गया वादी संविदा के उसके भाग का पालन करने के लिए तैयार और रजामंद था और प्रतिवादी संविदा की शर्तों और निर्देषों से जान बूझकर विचलित हुआ, वादी संविदा के विर्निदिष्ट पालन की डिक्री पाने का हकदार है – यह भी अभिनिर्धारित किया कि प्रतिवादी ने एक मात्र स्वामी की तरह संविदा की अतः वह यह कहने से विबंधित है कि वह एक मात्र स्वामी नहीं है। **109* (i) 131**

Section 16 (c) – Readiness and willingness of plaintiff to perform his part of agreement, when proved? A sale deed and agreement of re-conveyance was executed on the same day – The plaintiff sent a notice to defendant informing that as per the terms of the agreement, he tendered an amount of ` 3,000 and requested them to execute the sale deed – The defendant deferred the date and time on one pretext or another – Plaintiff filed the suit and also deposited the money as per directions of Trial Court – It can be safely inferred that the plaintiff was always ready and willing to perform his part of the agreement – Suit decreed for specific performance.

धारा 16 (सी) – वादी का अनुबंध के उसके भाग के पालन के लिए तैयार और रजामंद होना कब प्रमाणित है ? एक विक्रय पत्र और पुनः हस्तांतरण लेख एक ही दिन निष्पादित किये गये थे – वादी ने प्रतिवादी को एक सूचना पत्र भेजकर सूचित किया कि अनुबंध की शर्तों के अनुसार वह रूपये 3,000/– निविदा कर रहा है और विक्रय पत्र निष्पादन की प्रार्थना की – प्रतिवादी ने तारीख और समय को किसी न किसी कारण से टाला – वादी ने वाद प्रस्तुत किया और विचारण न्यायालय के निर्देषानुसार राषि भी जमा कर दी – सुरक्षित रूप से यह अनुमान निकाला जा सकता है कि वादी अनुबंध के उसके भाग का पालन करने के लिए सदैव तैयार और रजामंद रहा – अनुबंध पालन का वाद आज्ञप्त किया गया। **164 222**

Section 20 – Plaintiff gets unfair advantage over the defendant – Discretionary relief may not be granted in his favour.

धारा 20 – वादी ने प्रतिवादी से अनुचित लाभ लिया – उसके पक्ष में वेवेकीय अनुतोष नहीं दिया जा सकता। **277 427**

Section 28 – (i) Decree for specific performance of contract – A suit for specific performance does not come to an end on passing of a decree and the Court which passed the decree retains control over the decree even after the decree has been passed and the decree is sometimes described as preliminary decree – Contract between the parties is not extinguished by the passing of a decree for specific performance and that the contract subsists notwithstanding the passing of the decree – The decree for specific performance is a decree in

favour of both the plaintiff and the defendant in the suit – Hence, the decree can be executed either by the plaintiff or the defendant.

(ii) Decree for specific performance of contract – Both parties were equally at fault – Purchaser/plaintiff/decree-holder seeking execution of decree only 6½ years after its passing and this efflux of time assumes importance and seriousness in the background of the escalation of price in real estate and obligation of vendor to pay unearned increase thereby growing four times the balance sale consideration – Said unconscionable liability arose only on account of delay in execution – Purchaser also delaying payment of balance consideration on ground that vendors have not fulfilled their obligation – Neither party approached Court for appropriate directions to come out of the situation – Both parties were therefore at fault – Court to balance equities, directed purchaser to pay land value at increased rates and also to pay unearned increase – In case purchaser fails to pay, vendor directed to compensate purchaser by paying the increased land value.

धारा 28 – (i) संविदा के विनिर्दिष्ट पालन के लिए डिक्री – एक विनिर्दिष्ट पालन का वाद डिक्री पारित करने के बाद समाप्त नहीं हो जाता है और वह न्यायालय जिसने ऐसी डिक्री पारित की है उसका उस डिक्री पर उसे पारित करने के बाद भी नियंत्रण रहता है और कभी कभी ऐसी डिक्री को प्रारंभिक डिक्री निरूपित किया जाता है – पक्षकारों के बीच संविदा विनिर्दिष्ट पालन की आज्ञप्ति पारित होने के बाद समाप्त नहीं होती है और डिक्री पारित करने के बाद भी संविदा अस्तित्व में रहती है – विनिर्दिष्ट पालन की डिक्री वादी और प्रतिवादी दोनों के पक्ष में होती है – अतः डिक्री का निष्पादन वादी या प्रतिवादी कोई भी करवा सकता है।

(ii) संविदा के विनिर्दिष्ट पालन की आज्ञप्ति – दोनों पक्षकार समान रूप से त्रुटि पर थे क्रेता/वादी/डिक्री धारी ने डिक्री पारित होने के साढ़े छः वर्ष बाद उसका निष्पादन चाहा इस समय का महत्व और गंभीरता रियल इस्टेट की कीमतों में वृद्धि की पृष्ठभूमि में महसूस किया जा सकता है और विक्रेता का दायित्व अवषेष विक्रय प्रतिफल का चार गुना बढ़ना – ऐसे अत्यधिक दायित्व का उत्पन्न होना निष्पादन में विलंब के कारण था – क्रेता ने भी अवषेष प्रतिफल के भुगतान में इस आधार पर विलंब किया कि विक्रेता उसका दायित्व पूर्ण नहीं कर रहा है – किसी भी पक्ष ने स्थिति से निपटने के बारे में उचित निर्देष पाने के लिए न्यायालय की सहायता नहीं ली – दोनों पक्षकार त्रुटि पर थे – न्यायालय ने विक्रेता को बड़ी हुई दर से भूमि की कीमत अदा करने के निर्देष दिये – क्रेता यदि भुगतान में असफल रहे तो विक्रेता को यह निर्देष दिये कि वह क्रेता को कंपन्सेट करे। **224 312**

Section 34 – (i) The plaintiff cannot seek declaration of ownership on the basis of adverse possession but he can claim ownership by way of defence as defendant in a proceeding against him.

(ii) If a suit is filed later on, the defendant may also plead the finding of previous suit to operate as ***res judicata***.

धारा 34 – (i) वादी विरोधी आधिपत्य के आधार पर स्वामित्व की घोषणा नहीं मांग सकता किन्तु उसके विरूद्ध कार्यवाही में प्रतिवादी के रूप में वह स्वामित्व का दावा बचाव के रूप में ले सकता है।

(ii) यदि बाद में कोई वाद प्रस्तुत किया जाता है तो प्रतिवादी पूर्व के वाद के निष्कर्ष रेस जूडिकेटा के रूप में लागू होने का अभिवचन कर सकता है। **48 71**

Sections 34 and 5 – (i) Suit for declaration of title and possession – The burden to prove the case is on the plaintiff – It is immaterial that defendant proves his case or not – If plaintiff files a suit he has to prove his case, he cannot take the benefit of weakness of defendants.

Entries in revenue record do not confer any title.

धारा 34 और 5 – (i) स्वत्व घोषणा और आधिपत्य का वाद – मामला प्रमाणित करने का भार वादी पर – यह अतात्विक है कि प्रतिवादी ने उसका मामला प्रमाणित किया या नहीं – यदि वादी वाद प्रस्तुत करता है तो उसे उसका मामला प्रमाणित करना चाहिए वह प्रतिवादी की कमजोरी का लाभ नहीं ले सकता।

राजस्व अभिलेख के इन्द्राज स्वत्व सृजित नहीं करते। **49 72**

Sections 34 and 38 – Suit for declaration of title and permanent injunction – More property than the share of seller received by Will – Sold the same – The sale is valid upto the share of the seller's property.

धारा 34 और 38 – स्वत्व घोषणा और स्थायी निषेधाज्ञा – विल के माध्यम से विक्रेता को उसके अंष से अधिक सम्पत्ति मिली – विक्रय कर दी गई – विक्रय विक्रेता के सम्पत्ति के अंष की सीमा तक वैध है। **279* 431**

Sections 34 and 38 – Suit for permanent injunction, without claiming the relief of declaration in respect of easementary right of way is maintainable.

धारा 34 और 38 – स्थायी निषेधाज्ञा का वाद सुखाधिकार के आधार पर रास्ते के अधिकार की घोषणा का अनुतोष मांगे बिना प्रचलन योग्य है। **278 (i) 428**

Section 38 – See sections 187 and 319 of the Municipalities Act, 1961 (M.P.).

धारा 38 – देखिये धारा 187 और 319 नगर पालिका अधिनियम, 1961 (म.प्र.)। **215 294**

STAMP ACT, 1899
स्टाम्प अधिनियम, 1899

Sections 2 (14), 33, 35, 38 and Schedule I-A, Entry 5(e) – Term 'instrument' is wide – Covers a document by which any right or liability is either created, transferred, limited, extended, extinguished or recorded – Decisive and conclusive factors for admissibility of document – Explained.

धारा 2 (14), 33, 35, 38 एवं अनुच्छेद 1–ए, इन्द्राज 5 (ई) – शब्द लिखत एक विस्तृत शब्द है जिसमें ऐसे दस्तावेज शामिल है जिसके द्वारा कोई अधिकार या दायित्व सृजित, अंतरित, सीमित, समाप्त, विस्तृत या अभिलिखित करता है। **280 431**

Sections 33 and 35 – It is not obligatory but discretionary for a criminal court to impound an instrument not sufficiently stamped.

धारा 33 और 35 – एक दांडिक न्यायालय पर यह आबद्धकारी नहीं है बल्कि यह उसका विवेकाधिकार है कि वह अपर्याप्त स्टांम्पित दस्तावेज को इम्पाउन्ड या परिबद्ध करे। (दंड न्यायालय अपर्याप्त स्टांम्पित दस्तावेज को परिबद्ध करे या न करे यह उसका विवेकाधिकार है)। **225 315**

Sections 33 and 64 – (i) Character of a document, ascertainment of – A document must be read in its entirety when the character of the document is in question – One should not get confused from the heading thereof – Real intention of the parties must be gathered from the document itself – The circumstances attending thereto are also relevant in this regard.

(ii) Deficient stamp duty and penalty, imposition of.

धारा 33 और 64 – (i) किसी दस्तावेज का प्रकार निर्धारित करना – यदि किसी दस्तावेज का प्रकार प्रष्नगत हो तब उस दस्तावेज को पूरी तरह पढ़ना चाहिए – किसी को भी दस्तावेज के शीर्षक से भ्रमित नहीं होना चाहिए – दस्तावेज से पक्षकारों का वास्तविक आषय एकत्रित करना चाहिए उपस्थित परिस्थितियॉ इस बारे में सुसंगत होती हैं।

(ii) कम पायी गयी स्टॉम्प ड्यूटी और पेनल्टी का लगाया जाना। **110* 132**

SUCCESSION ACT, 1925
उत्तराधिकारी अधिनियम, 1925

Section 63 – Difference between signature of attesting witness and scriber or writer of the Will – Explained.

धारा 63 – विल के अनुप्रमाणक साक्षी और उसके लिखने वाले के हस्ताक्षर में अन्तर – स्पष्ट किया गया। **281 432**

Section 63 – See section 17 of the Registration Act, 1908.

धारा 63 – देखें धारा 17 पंजीकरण अधिनियम, 1908। **271 399**

Sections 74 and 119 – Original Will not produced – Name of the typist and draftsman not mentioned – Place of signature of testator left out blank – Name of one attested witness was handwritten – Will held not proved.

धारा 74 एवं 119 – मूल वसीयत प्रस्तुत नहीं – विल टंकित करने वाले और प्रारूपित करने वाले का नाम दर्ज नहीं – वसीयत कर्ता के हस्ताक्षर का स्थान खाली छूटा था – एक अनुप्रमाणक साक्षी का नाम हाथ से लिखा था – विल प्रमाणित नहीं पाई गई। **247 (ii)* 357**

Section 372 – Whether second wife of the deceased is entitled to Succession Certificate? Held, No – Further held, children from second wife are entitled for issuance of succession certificate in respect of pensionary and other benefits.

धारा 372 – क्या मृतक की द्वितीय पत्नि उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र के लिए हकदार होती है ? अभिनिर्धारित किया गया, नहीं – यह भी अभिनिर्धारित किया गया द्वितीय पत्नि के बच्चे पेन्षन और अन्य लाभों के संबंध में उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र जारी करवाने के हकदार होते हैं।

51* 75

Section 372 – Whether Succession Certificate is necessary for disbursement of compensation amongst heirs? Held, no, because compensation in claim cases is neither debt nor security – Succession Certificate has to be insisted only in cases of debts or securities to which a deceased was entitled.

धारा 372 – क्या उत्तराधिकारियों के बीच प्रतिकर के वितरण के लिए उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र आवष्यक होता है ? अभिनिर्धारित किया गया, नहीं, क्लेम प्रकरणों का प्रतिकर न तो ऋण और ना ही सिक्योरिटि होता है – उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र उन मामलों में मॉगना चाहिए जहॉ मष्तक का कोई ऋण या सिक्योरिटि हो। **100 124**

Article 63 – (i) Mutation in revenue record based upon Will, effect of – Unless Will is duly proved, mere assertion as regards to Will and the mutation based thereupon will not confer any title.

(ii) Adverse possession, pleadings and proof of .

अनुच्छेद 63 – (i) विल के आधार पर राजस्व अभिलेख में नामांतरण का प्रभाव जब तक विल सम्यक् रूप से प्रमाणित न हो केवल विल के बारे में दावा करना और उसके आधार पर नामातांरण कोई स्वत्व नहीं देता है।

(ii) विरोधी आधिपत्य का अभिवचन और प्रमाण। **321 507**

TENANCY RIGHTS
किरायेदारी अधिकार

Succession:

(i) Tenancy rights – Succession – In absence of specific provision in tenancy laws of State concerned, general law of succession will apply.

उत्तराधिकार :

(i) किरायेदारी अधिकार – उत्तराधिकार – संबंधित राज्य के किरायेदारी कानूनों में किसी विषेष प्रावधान के अभाव में उत्तराधिकार की सामान्य विधि लागू होगी। **337 (i) 534**

TERRORISM AND ORGANIZED CRIME:
आतंकवाद और संगठित अपराध

- See sections 21, 13 (i), 14 (1), 16 (3) and schedule of the National Investigation Agency Act, 2008.

देखिये धारा 21, 13 (i), 14 (1), 16 (3) और अनुसूची राष्ट्रीय अनुसंधान अभिकरण अधिनियम, 2008। **52 75**

TORTS:
अपकृत्य विधि

Negligence – See sections 79, 304A and 336 to 338 of the Indian Penal Code, 1860.

दुष्कृति विधि – उपेक्षा – देखें धारा 79, 304ए, 336 से 338 भा.दं.सं., 1860।

255 366

TRANSFER OF PROPERTY ACT, 1882
सम्पत्ति अन्तरण अधिनियम, 1882

Sections 7, 8, 14, 65-A, 105, 109 and 111 – See SARFAESI Act, 2002.

धारा 7, 8, 14, 65–ए, 105, 109 और 111 – देखिए सरफेसाई एक्ट, 2002।

275 407

Section 53-A – Protection of possession – Possession in part performance of a contract under section 53-A of the Act, entitlement of – Person is entitled to protect his possession if he is ready and willing to perform his part of the contract.

धारा 53–ए – आधिपत्य की संरक्षा – धारा 53–ए अधिनियम के अधीन भागिक पालन की संविदा में आधिपत्य के संरक्षण का हकदार होना – व्यक्ति यदि संविदा के उसके भाग का पालन करने के लिए तैयार और रजामंद है तो वह आधिपत्य की संरक्षा का हकदार होता है। **53 77**

Section 58 – Mortgage in the name of a minor, though in the interest of minor – Invalid – Unless the minor is represented by natural guardian.

Difference between 'simple mortgage' and 'usufructuary mortgage' – Explained.

धारा 58 – अवयस्क के नाम पर बंधक, यद्यपि उसके हित में है – अवैध है – जब तक कि उसका प्रतिनिधित्व उसके प्राकृतिक संरक्षक द्वारा नहीं किया गया हो। साधारण बंधक और भोग–बंधक में अन्तर – निर्णय चरण 11 में स्पष्ट किया गया। **282 434**

Sections 59 and 58 (f) – Mortgage by deposit of title deeds (MDTD) – It is not required to be registered ordinarily in the matter of MDTD if title deeds are deposited in the notified town in view of section 59 which provides exception in respect of MDTD for the purpose of registration.

No instrument is required to be drawn for a valid MDTD – Mere simple memorandum is sufficient for handing over of deposit of title deeds by the borrower to the creditor – But if the memorandum creates rights or liabilities or extinguishes them in regard to MDTD, the registration of such memorandum is compulsory.

धारा 59 और 58 (एफ) – हक विलेखों के निक्षेप द्वारा बंधक (एम.डी.टी.डी.) – सामान्यतः हक विलेखों के निक्षेप द्वारा बंधक के मामले में पंजीकरण या रजिस्ट्रेषन आवष्यक नहीं होता है यदि अधिसूचित शहरों में विलेख विक्षेप किये गये हैं क्योंकि धारा 59 रजिस्ट्रेषन के लिए अपवाद का प्रावधान करती है।

एक वैध हक विलेखों के निक्षेप द्वारा बंधक के लिए किसी लिखत की आवष्यकता नहीं होती है केवल साधारण मेमोरेन्डम पर्याप्त होता है जिसमें ऋण लेने वाले द्वारा हक विलेख ऋण देने वाले को निक्षेप किये जाते हैं – किन्तु यदि उस मेमोरेन्डम द्वारा अधिकार या दायित्व सृजित किये जाते हैं तब उसका रजिस्ट्रेषन आवष्यक होता है। **54 77**

Section 106 – Notice is short of the period specified in section 106 (1) – But suit is filed after expiry of the period mentioned in section 106 (1) – Notice shall not be deemed to be invalid.

धारा 106 – धारा 106 (1) में बतलाई अवधि से कम की अवधि का सूचना पत्र – किन्तु वाद धारा 106 (1) में बतलाई अवधि समाप्त हो जाने के बाद प्रस्तुत – सूचना पत्र अवैध नहीं समझा जा सकेगा। 235(ii)
335

Sections 108 and 111- (i) Whether the tenancy of the premises is extinguished by destruction of the subject-matter of tenancy i.e. the premises by natural calamities.? Held No.

(ii) Whether the Civil Court has jurisdiction to entertain and try the suit for recovery of possession of land, on the destruction of property, brought by the land lord ? Held, Yes.

धारा 108 एवं 111 – स्थान नियंत्रण एवं निष्कासन (i) क्या परिसर की किरायेदारी, किरायेदारी की विषय वस्तु, ध्वस्त या नष्ट हो जाने से (जैसे प्राकृतिक आपदा से), समाप्त हो जाती है ? अभिनिर्धारित किया गया, नहीं।

(ii) क्या परिसर के ध्वस्त या नष्ट हो जाने पर किरायेदार द्वारा भूमि के आधिपत्य की प्राप्ति के लिए लाये गये वाद को ग्रहण करने और विचारण करने का व्यवहार न्यायालय को क्षेत्राधिकार होता है ? अभिनिर्धारित किया गया, हाँ। **338 536**

Section 123 – (i) Whether delivery of possession is an essential requirement for making a valid gift of immovable property? Held, No.

(ii) Donor has only retained the right to use the property during his life time. It does not in any way affect the transfer of ownership in favour of the donee by the donor.

धारा 123 – (i) क्या अचल सम्पत्ति के वैध दान करने के लिए सम्पत्ति का आधिपत्य दिया जाना एक अनिवार्य आवष्यकता है ? अभिनिर्धारित किया गया, नहीं।

(ii) दानदाता ने केवल उसके जीवनकाल तक के लिए सम्पत्ति का उपयोग का अधिकार सुरक्षित रखा। यह दानग्रहिता के पक्ष में दानदाता द्वारा सम्पत्ति के स्वामित्व के अन्तरण को किसी भी तरह से प्रभावित नहीं करता है। **339 537**

Sections 126, 54, 5, 7 and 105 – (i) Transaction between parties having fiduciary relationship without reciprocal consideration – Parameters for examining validity of transaction is different from the one applicable in ordinary transaction for consideration.

(ii) When parties have fiduciary relationship, burden of proving genuineness is on party having dominating position.

(iii) Transfer without consideration on account of close relationship – Love and affection for niece does not necessarily extend to a gesture of transferring immovable property of substantial value without consideration in favour of mother-in-law of niece – On fact, transfer is suspicious and not valid.

(iv) Co-operative housing society – Transfer of flat – Withdrawal of offer of transfer can be considered by Co-operative society before finality of transfer.

धारा 126, 54, 5, 7 और 105 – (i) ऐसे पक्षकारों के बीच पारस्परिक प्रतिफल के बिना संव्यवहार जिनमें विष्वास जन्य संबंध है – संव्यवहार की वैधता की परीक्षण के लिए पैरामीटर सामान्य प्रतिफल वाले संव्यवहार पर लागू होने वाले पैरामीटर से भिन्न होते हैं।

(ii) जब पक्षकारों के बीच विष्वास जन्य संबंध हो तब संव्यवहार की वास्तविकता को प्रमाणित करने का प्रमाणभार उस पक्षकार पर होता है जो अधिभावी स्थिति में होता है।

(iii) निकट के संबंध के कारण बिना प्रतिफल के अंतरण – भतीजी के लिए प्रेम और स्नेह का विस्तार आवष्यक रूप से इस सीमा तक नहीं होता कि तात्विक मूल्य की अचल संपत्ति को बिना किसी प्रतिफल के भतीजी की सास के पक्ष में अंतरण कर दें – तथ्यों के प्रकाष में अंतरण संदेहास्पद और वैध नहीं है।

(iv) सहकारी समिति – सहकारी गृह समिति – फ्लेट का अंतरण – अंतरण को अंतिम करने से पहले सहकारी समिति द्वारा अंतरण का प्रस्ताव वापस लेने पर विचार किया जा सकता है।

165 (i) to (iv) 222

WAKF ACT 1995
वक्फ अधिनियम, 1995

Sections 6 and 7 – Whether determination of dispute for eviction against the tenant from waqf property is covered u/s 6 and 7 of the Wakf Act? Held, No – Such type of eviction suit is exclusively triable by the civil court.

धारा 6 और 7 – क्या वक्फ संपत्ति से किरायेदार के निष्कासन के विवाद का निर्धारण धारा 6 और 7 वक्फ अधिनियम में आता है ? अभिनिर्धारित किया गया, नहीं – इस प्रकार के निष्कासन के वाद सिविल न्यायालय के एक मात्र विचारण में होता हैं। **226 316**

*****

PART-III
(CIRCULARS/NOTIFICATIONS)

1. Memorandum regarding processing of complaints received against Judicial Officers of subordinate Courts issued by the High Court of M.P. 16

2. Notification dated 16th January, 2014 issued by Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions (Department of Personnel and Training) regarding enforcement of Lokpal and Lokayuktas Act, 2013 (1 of 2014) 2

3. Notification dated 30.04.2014 of Ministry of Finance (Department of Revenue), New Delhi regarding the date of enforcement of the provisions of Narcotic Drugs and Psychotropic Substances (Amendment) Act, 2014 8

4. Notification dated 30.08.2013 of Public Health and Family Welfare Department, Bhopal regarding establishment of Food Safety Appellate Tribunal in every district 7

5. Notification dated 25.10.2013 of Public Health and Family Welfare Department, Bhopal regarding appointment of District & Sessions Judge as Presiding Officer of Food Safety Appellate Tribunal established in his district. 7

6. Notification of Ministry of Home Affairs, New Delhi, dated 9th February, 1978 regarding formulation of Criminal Courts and Court-martial (Adjustment of Jurisdiction) Rules, 1978. 13

7. Notification issued by Central Government regarding Enforcement of Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 1

8. Notification issued by M.P. Government regarding appointment of District Officer for every district to exercise powers or discharge functions under Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013 1

9. Notification of State Government regarding amendment in Rule 185 of the Madhya Pradesh Motor Vehicles Rules, 1994 9

10. न्यायिक अधिकारीगणों का प्रदान किए जाने वाले/किए गए फर्नीचर इत्यादि वस्तुओं के संबंध में मध्यप्रदेष शासन, विधि एवं विधायी कार्य विभाग का आदेष। 3

11. शासकीय वाहनों के अग्रषीर्ष भाग पर लाल/पीली/नीली बत्ती एवं फ्लेषर लगाने के संबंध में परिवहन विभाग की अधिसूचना। 4

•

PART-IV
(IMPORTANT CENTRAL/STATE ACTS & AMENDMENTS)

1. Consumer Protection (Procedure for Regulation of allowing appearance of Agents or Representatives or Non-Advocates or Voluntary Organizations before the Consumer Forum) Regulations, 2014 25

2. Extracts of the Schedule Appended to the Lokpal and Lokayuktas Act, 2013 which made amendments to the Prevention of Corruption Act, 1988 (49 of 1988) and the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974) and came into force on 16th January, 2014. 1

3. Madhya Pradesh Civil Court Amendment Act, 2014 35

4. The Indian Stamp (Madhya Pradesh Amendment) Ordinance, 2014 37

5. The Madhya Pradesh Excise (Exercise of Powers to Search without Warrant) Rules, 2014 2

6. The Scheduled Castes and the Schedules Tribes (Prevention of Atrocities) Amendment Ordinace, 2014 5

7. The Narcotic Drugs and Psychotropic Substances (Amendment) Act, 2014 19

•

NOMINAL INDEX OF CASES INCLUDED IN PART II

CITATION	REPORTED IN	NOTE NO.	PAGE NO.
Abhay Singh v. State of Uttar Pradesh and others	AIR 2014 SC 427	38	52
Adambhai Sulemanbhai Ajmeri and others v. State of Gujarat	(2014) 7 SCC 716	302	473
Afsar Ara v. Iqbal Sharif and another	2014 (3) MPLJ 324	229	319
Aftab Ahmed Ansari alias Aftab Ansari v. State of West Bengal	AIR 2014 SC 2587	284	438
Ajoy Acharya v. State Bureau of Inv. Against Eco. Offence	ILR (2014) MP 915 (SC)	332	522
Ali Hussain (Dead) by LRs. v. Shabbir Hussain and others	2014 (3) MPHT 423	174	245
Amar Singh Yadav v. State of U.P.	AIR 2014 SC 2486	245	354
Anil alias Anthony Arikswamy Joseph v. State of Maharashtra	(2014) 4 SCC 69	148	191
Anil Gupta v. Star India Pvt. Ltd. & anr.	2014 Cri.L.J. 3884 (SC)	330	521
Anjanappa v. State of Karnataka	(2014) 2 SCC 776	30*	37
Anjani Kumar Chaudhary v. State of Bihar & anr.	AIR 2014 SC 2740	316	498
Anjani Singh and others v. Salauddin and others	2014 ACJ 1565 (SC)	210	288
Annapurna v. Mallikarjun and another	(2014) 6 SCC 397	176	247
Arnesh Kumar v. State of Bihar and anr.	2014 (3) Crimes 40 (SC)	239	344
Ashish Kumar Mazumdar v. Aishi Ram Batra Charitable Hospital Trust and others	AIR 2014 SC 2061	216	296
Ashok Debbarma @ Achak Debbarama v. State of Tripura	2014 (2) Crimes 11 (SC) : (2014) 4 SCC747	64	86
Ashok Rai v. State of U.P. & ors.	2014 (2) Crimes 155 (SC)	135	167
Ashok Sharma (Dr.) v. State of M.P.	2014 (II) MPJR 124 (DB)	241	350
Aveek Sarkar & another v. State of West Bengal & others	2014 (1) Crimes 218 (SC) : (2014) 4 SCC257	82	108
Bachu Das v. State of Bihar and others	(2014) 3 SCC 471	70	96
Badal Murmu and others v. State of West Bengal	(2014) 3 SCC 336	84	110
Badshah v. Urmila Badshah Godse and another	(2014) 1 SCC 188	14	9
Bahadur Singh and others v. State of Madhya Pradesh	(2014) 6 SCC 639	257	371
Baijnath Singh and another v. Jagdish and others	2014 (3) MPHT 163	169	236
Bairam Muralidhar v. State of Andhra Pradesh	2014 Cri.LJ 4242 (SC)	297	460
Baldeo Singh v. State of M.P. and others	2014 (2) MPLJ 177	223*	311
Baldev Singh v. State of Punjab	2014 Cri.L.J. 3685 (SC)	331	521
Balwant Singh Tomar @ Balwanta v. Tigmanshu Dhulia and others	2014 (1) MPHT 284	87*	114
Basawaraj & anr. v. The Spl. Land Acquisition Officer	AIR 2014 SC 746	208	286
Baskaran and another v. State of Tamil Nadu	2014 (2) Crimes 202 (SC)	137	171

Bhagwati (Smt.) v. M.P. Housing Board & anr.	ILR (2014) MP 441	236*	337
Bhagwati Bai and others v. Meera Bai and others	2014 RN 312 (HC)	279*	431
Bhaiyalal Tiwari v. Central Bank of India & others	AIR 2014 MP 57	222	310
Bharat Kumar v. State of Haryana and another	(2014) 6 SCC 586	274	405
Bhavuti (Deceased) Through LRs. v. Alam (Deceased) Through LRs. & anr.	ILR (2013) MP 2670	53	77
Bhule Ram v. Union of India and another	AIR 2014 SC 1957	206	284
Bhupendra Kant Bhardwaj and others v. Rameshchandra Goyal	2014 (2) MPLJ 286	179	248
Bhuwan Mohan Singh v. Meena and ors.	AIR 2014 SC 2875	293	451
Biresh Kumar Singh v. State of M.P. and others	2014 (3) MPHT 192	198	274
Birju v. State of Madhya Pradesh	(2014) 3 SCC 421	145	185
Bismilla Bee v. Arjuman Aara and others	2014 (3) JLJ 97	287	441
Biswanath Ghosh (Dead) by L.Rs. and ors. v. Gobinada Ghosh alias Gobindha Chandra Ghosh & ors.	AIR 2014 SC 1582	164	222
Brijesh Kumar Gupta v. Mahendra Kumar Jain (deceased) through LRs.	2014 (1) MPLJ 665	168	234
Brijmohan and others v. Chandresh and others	2014 (3) MPLJ 637	321	507
C.B.I. v. Ashok Kumar Aggarwal	AIR 2014 SC 827	189	263
Champa Devi and others v. Gulabi Devi	2013 (4) MPLJ 535	51*	75
Chandra and another v. Ranveer Singh Ramavtar and others	2014 ACJ 891 (MP)	100	124
Chandra Prakash v. State of Rajasthan	2014 (3) Crimes 59 (SC) : 2014 Cri.L.J. 2884	249	359
Chhotan Sao and another v. State of Bihar	(2014) 4 SCC 54	134	165
Coffee Board v. Ramesh Exports Private Limited	(2014) 6 SCC 424	171	241
Commissioner, M.P. Housing Board v. Mohanlal and Company	2014 (1) MPLJ 121	89*	116
D.D. Rampure (Devi Dayal Rampure) v. State of M.P. and others	2014 (1) MPLJ 271	107*	131
Dadolwa and another v. Ramakant and others	2014 (2) MPHT 434	113	135
Dashrath Rupsingh Rathod v. State of Maharashtra and another	2014 (3) Crimes 162 (SC) (3 Judge Bench)	267	395
Datar Singh Kaurav v. Pushpendra Singh Kaurav	2014 (3) MPLJ 378	271*	399
Dataram Singh and others v. Brindawan Singh and others	2014 (4) MPHT 156	289	445
Davinder Singh v. State of Punjab	2014 (3) Crimes 489 (SC)	314	496
Deedar Singh Dhillan and another v. Preetpal Singh Chadda	2014 (2) MPLJ 194	197*	274
Deepak Nagle v. State of M.P.	2014 (2) MPHT 531	132*	163
Delta Distilleries Limited v. United Spirits Limited and another	(2014) 1 SCC 113	2	2
Devendra Kishanlal Dagalia v. Dwarkesh Diamonds Private Limited and others	(2014) 2 SCC 246	16	14
Devilal and another v. Hamid Shah	2014 RN 262 (HC)	278	428

(dead) through LRs.			
Dharam Deo Yadav v. State of Uttar Pradesh	2014 (2) Crimes 127 (SC)	136	169
Dharmendra Singh Bhadouriya and others v. Rohit Goyal	2014 (2) MPHT 160	160	219
Dinesh Singh v. Bajaj Allianz General Insurance Co. Ltd.	2014 ACJ 1412 (SC) (3 Judge Bench)	212	290
Donthula Ravindranath alias Ravinder Rao v. State of Andhra Pradesh	(2014) 3 SCC 196	85	111
Dr. Ankur Gupta v. State of M.P. and others	2014 (2) MPHT 236 (DB)	161	220
Dr. Subramanian Swamy and others v. Raju thr. Member, Juvenile Justice Board and another	AIR 2014 SCC 1649 (3 Judge Bench)	156	212
Dr. Subramanian Swamy v. State of Tamil Nadu and others	(2014) 5 SCC 75	123	147
Dr. Swati Jain v. State of M.P.	2014 (1) MPHT 485	155	210
Dr. Vinod Bhandari v. State of M.P.	2014 (4) MPHT 103 (DB)	299	463
Duryodhan Rout v. State of Orissa	2014 (3) Crimes 494 (SC)	291	449
Fahim Ahmad and others v. United India Insurance Co. Ltd. and others	2014 ACJ 1254 (SC) (3 Judge Bench)	95	119
Faseela M. v. Munnerul Islam Madrasa Committee and another	AIR 2014 SC 2064	226	316
Fiona Shrikhande v. State of Maharashtra and another	AIR 2014 SC 957	190	265
Gaiv Dinshaw Irani and others v. Tehmtan Irani and others	(2014) 8 SCC 294	337	534
Ganesha v. Sharanappa and another	(2014) 1 SCC 87	18	20
Gattabai and others v. Ramchandra and others	2014 ACJ 395 (MP)	39	53
Gayatri (Smt.) & ors. v. State of M.P.	ILR (2014) MP 227	79	101
Geeta Bai (Smt) v. The Sub Divisional Officer & ors.	ILR (2013) MP 2579	11*	7
Ghanshyam v. State of Rajasthan	(2014) 2 SCC 683	22	28
Ghasiram Dehariya v. Anakhlal Dehariya	2014 (2) MPLJ 387	177	247
Gopal Kaurav and others v. State of M.P.	2014 (2) MPHT 343	153*	209
Gulam Sarbar v. State of Bihar (Now Jharkhand)	(2014) 3 SCC 401	80	102
Gurdwara Sahib v. Gram Panchayat Village Sirthala and another	(2014) 1 SCC 669	48	71
Guru Granth Saheb Sthan Meerghat Vanaras v. Ved Prakash & ors.	ILR (2013) MP 2503 (SC)	3	2
Hafizullah v. Puran Chand Jain and another	2014 (1) MPLJ 167 (DB)	55	79
Hanumanagouda v. United India Insurance Co. Ltd. and others	2014 ACJ 681 (SC) (3 Judge Bench)	94	119
Harbans Pershad Jaiswal (Dead) by Legal Representatives v. Urmila Devi Jaiswal (Dead) by Legal Representatives	(2014) 5 SCC 723	180	253
Hardeep Singh v. State of Punjab and others	(2014) 3 SCC 92	68	89
Hari Singh and others v. Sudhir Singh and others	2014 (3) MPHT 57	121	145
Hariom v. Manjulata Sahu	ILR (2014) MP 1042 (DB)	306	480

Harshad Govardhan Sondagar v. International Assets Reconstruction Company Limited and others	(2014) 6 SCC 1	275	407
Haryana State Cooperative Supply and Marketing Federation Limited v. Jayam Textiles and another	(2014) 4 SCC 704 (3 Judge Bench)	159	218
Hem Raj v. State of Haryana	(2014) 2 SCC 395	32	43
Hema Mishra v. State of Uttar Pradesh and others	(2014) 4 SCC 453	133	163
Hotel Adityaz Ltd., Gwalior v. Madhya Pradesh Kshetra Vidyut Vitran Co. Ltd., Bhopal and others	2014 (3) MPLJ 552	300	467
ICICI Lombarde General Insurance Co. Ltd. v. Gopal Khatri & ors.	ILR (2014) MP 1038	325*	513
In ref. received from Sessions Judge, Narsinghpur (M.P.) v. Arvind alias Chhotu Thakur	2014 (3) MPHT 212 (DB)	319	501
Indian Bank Association and others v. Union of India and others	(2014) 5 SCC 590	218*	299
Ishwar Das Matani v. State of M.P. and others	2014 (1) MPLJ 355 (DB)	110*	132
Jagdish Singh v. Heeralal and others	(2014) 1 SCC 479	47	69
Jagdish Singh Sankhwar v. Archana	2014 (3) MPLJ 618	308	488
Jagmittar Sain Bhagat and others v. Director, Health Services Haryana and others	2014 (3) MPLJ 28 (SC)	233	331
Jagmohan and another v. State of MP	2014 (4) MPHT 165	303*	477
Jaldevi and another v. Matadeen and others	2014 (3) MPLJ 171	254	365
Janta Vidyalaya Shiksha Samiti v. Jiwaji University, Gwalior and another	2014 (1) MPHT 422	74	99
John K. Abraham v. Simon C. Abraham and another	(2014) 2 SCC 236	44	62
Joshinder Yadav v. State of Bihar	2014 (1) Crimes 195 (SC) : (2014) 4 SCC 42	86	112
Junior Engineer MPSEB & anr. v. Kishanlal & anr.	ILR (2014) MP 135	58*	80
Kamla Bai v. Nathuram Sharma and others	2014 (2) MPLJ 62	207	285
Kamlesh v. Geeta	2014 (3) MPLJ 190	250	361
Kanchan Singh and another v. Daulat Singh (since deceased) and others	2014 (3) MPHT 45	122*	146
Kapil Kumar alias Bobby v. State of M.P.	ILR (2014) MP 1109 (DB)	312	493
Karam Kaur v. Jalandhar Improvement Trust and another	(2014) 6 SCC 409	178	248
Karan Developers Development Services Pvt. Ltd. v. State of M.P. and others	2014 (1) MPLJ 110	88	115
Kashmir Singh v. State of Haryana and others	(2014) 2 SCC 165	37	50
Keshar Bai v. Chhunulal	AIR 2014 SC 1394	111	133
Kesharbai alias Pushpabai Eknathrao Nalawade (D) by L.Rs. & anr. v. Tarabai Prabhakarrao Nalawade & ors.	AIR 2014 SC 1830	119	144
Khumni Bai and others v. Ghanshyam Jaiswal (Dr.) (since Dead) through LRs. Pranjal Jaiswal and others	2014 (1) MPLJ 425	56	79

Kirti Martin v. State of M.P.	2014 Cri. L.J. 3681 (MP)	298	461
Kirti Saxena (Dr.) v. State of M.P. and others	2014 (1) MPLJ 700	182	255
Krishan Kumar v. State of Haryana	(2014) 6 SCC 664	265	392
Kulai Ibrahim alias Ibrahim v. State	AIR 2014 SC 2726	320	506
Kushalbhai Ratanbhai Rohit & others v. State of Gujarat	AIR 2014 SC 2291	242	350
Lalit Kumar Yadav @ Kuri v. State of U.P.	2014 Cri. L.J. 2712 (SC)	244	352
Lalita Kumari v. Government of Uttar Pradesh and others	(2014) 2 SCC 1 (5 Judge Bench)	15	11
Lalta Prasad & ors. v. State of M.P.	ILR (2014) MP 560	262*	388
M.B. Suresh v. State of Karnataka	(2014) 4 SCC 31	149	195
M/s. Ajeet Seeds Ltd. v. K. Gopala Krishnaiah	AIR 2014 SC 3057	329	519
M/s. Indus Airways Pvt. Ltd. & others v. M/s. Magnum Aviation Pvt. Ltd. & another	2014 (2) Crimes 105 (SC)	158	217
M/s. Shaha Ratansi Khimji & sons v. Proposed Kumbhar sons Hotel P. Ltd. & ors.	AIR 2014 SC 2895 (3 Judge Bench)	338	536
Madan and another v. State of Maharashtra	(2014) 2 SCC 720	36	49
Madan v. State of M.P.	2014 (2) MPHT 250 (DB)	150*	196
Madanmohan v. Kabulbai	2014 (2) MPHT 386	114	136
Madho Singh and others v. Ramkali and others	2014 (2) MPHT 101	175*	246
Madhya Pradesh Housing Board v. State of M.P. & anr.	ILR (2013) MP 2723	25	32
Mahalinga Shetty and Company (M/s) v. M.P. Electricity Board	2014 (1) MPLJ 363 (DB)	91	117
Mahavir Singh v. State of Haryana	(2014) 6 SCC 716	248	358
Mahesh Dhanaji Shinde v. State of Maharashtra	(2014) 4 SCC 292 (3 Judge Bench)	142	175
Mahinder Kumar & ors. v. High Court of Madhya Pradesh through Registrar General & ors.	ILR (2014) MP 881 (SC) (3 Judge Bench)	335	530
Mala Devi v. State of M.P. and others	2014 (1) MPLJ 82	181	254
Malathi Ravi, M.D. v. B.V. Ravi, M.D.	(2014) 7 SCC 640	251	362
Mamta v. Rajesh	2014 (4) MPHT 130 (DB)	305*	479
Manasvi Jain v. Delhi Transport Corporation and others	2014 ACJ 1416 (SC) (3 Judge Bench)	211	289
Manish Kumar Sharma v. Jagdish and others	2014 (3) MPHT 242 (DB)	286*	440
Manish Trivedi v. State of Rajasthan	AIR 2014 SC 648	219	300
Manjeet Singh v. State of Himachal Pradesh	(2014) 5 SCC 697	200	276
Mannalal Chamaria & anr. v. State of West Bengal and Anr.	2014 (2) Crimes 63 (SC)	104	128
Mannan Sk & Ors. v. State of West Bengal & anr.	AIR 2014 SC 2950	296	458
Manoharan v. Sivarajan and others	(2014) 4 SCC 163	115	137
Manoj @ Panu v. State of Haryana	2014 (1) Crimes 81 (SC)	13	8
Manoj Jain v. State of M.P. and another	2014 (3) MPHT 302	188*	263
Manoj Kushwah v. Chhotelal and others	2014 (4) MPHT 178	290	447
Manoj v. Smt. Raksha	2014 (1) MPHT 499 (DB)	77*	100
Manzoor Ali Khan v. Union of India & ors.	AIR 2014 SC 3194	333	529
Master Mallikarjun v. Divisional Manager, The National Insurance Company Limited & anr.	AIR 2014 SC 736	213	291

Mathai Mathai v. Joseph Mary alias Marykkutty Joseph and others	AIR 2014 SC 2277	282	434
Maya Devi v. Lalta Prasad	AIR 2014 SC 1356	117	141
Meera Devi and another v. Himachal Pradesh Road Transport Corporation and others	2014 (3) MPLJ 504 (SC): 2014 ACJ 1012 (SC) (3 Judge Bench)	101 & 328	125 & 518
Mohan Mandelia v. State of M.P. and others	2014 (1) MPHT 122	65*	87
Montford Brothers of St. Gabriel and another v. United India Insurance Co. Ltd. and another	2014 ACJ 667 (SC) : (2014) 3 SCC 594 (3 Judge Bench)	97	121
Mukhidevi v. State of M.P. and others	2014 (2) MPHT 373	129	159
Municipal Corporation, Gwalior v. Puran Singh alias Puran Chand and others	AIR 2014 SC 2665	304	478
Muniya Bai v. Golman and others	2014 (1) MPLJ 607	170	237
Muralidhar @ Gidda and another v. State of Karnataka	(2014) 5 SCC 730	195	271
N. Manjegowda v. Manager, United India Insurance Company Limited and another	2014 ACJ 617 (SC):(2014) 3 SCC 584 (3 Judge Bench)	99	124
Nagar Palika Parishad, Mihona and another v. Ramnath and another	(2014) 6 SCC 394	215	294
Nandlal Wasudeo Badwaik v. Lata Nandlal Badwaik	2014 (1) Crimes 10 (SC)	23	29
Narendra Kumar Hariyani v. Sanjay Goyal	ILR (2014) MP 73	61*	83
Narinder Singh v. New India Assurance Co. Ltd. and others	2014 ACJ 2421 (SC)	323	512
Narinder Singh v. State of Himachal Pradesh	2014 (3) Crimes 276 (SC)	268	397
National Legal Services Authority v. Union of India and others	(2014) 5 SCC 438	238*	342
Neelam Kumar Bachani and another v. Bhishamlal	2014 (1) MPHT 515	116	139
New India Assurance Co. Ltd. v. Matadin and others	2014 ACJ 1792 (SC)	263	389
New India Assurance Co. Ltd. v. Preeti and others	2014 ACJ 176 (MP)	43	61
New India Assurance Company Ltd. v. Domenic Tahir & ors.	ILR (2014) MP 203	93*	118
Nizamuddin Ansari v. State of M.P. and others	2014 (2) MPHT 479	112	134
Noorbaksh Khan v. Salim Khan and others	2014 (4) MPHT 73	281	432
Oil and Natural Gas Corporation Limited v. Modern Construction and Company	(2014) 1 SCC 648	4	3
Om Prakash v. State of Haryana	(2014) 5 SCC 753	201	278
Omprakash v. State of M.P. and others	2014 (3) MPLJ 717 (DB)	334*	529
Oriental Insurance Co. Ltd. v. Manoj and others	2014 ACJ 2389 (MP)	324	513
P.L. Tatwal v. State of M.P.	AIR 2014 SC 2369	269*	398
Paramsivam & ors. v. State through Inspector of Police	AIR 2014 SC 2936	318	500
Parminder alias Ladka Pola v. State of Delhi	(2014) 2 SCC 592	31	42
Paulmeli and anr. v. State of Tamil Nadu, Tr. Insp. of Police	2014 Cri. L.J. 3240 (SC)	258	373
Pawan Kumar and another v. Harkishan Dass Mohan Lal and others	2014 ACJ 704 (SC) : (2014) 3 SCC 590 (3 Judge Bench)	98	122

Phula Singh v. State of Himachal Pradesh	2014 (2) Crimes 38 (SC)	66	87
Pooja Bhatia v. Vishun Narain Shivpuri & anr.	2014 (2) Crimes 50 (SC)	69	95
Pradeep Kumar v. State of Haryana	(2014) 7 SCC 395	261	386
Pradumn Singh & ors. v. Shiv Raj Singh & ors	ILR (2014) MP 424	247*	357
Prashant Chauhan v. State of M.P.	2014 (2) MPHT 526	128	157
Pratap and others v. Ganeshram and others	2014 (2) MPLJ 464	173	244
Pratima Chowdhury v. Kalpana Mukherjee and another	(2014) 4 SCC 196	165	222
Praveen Yadav v. Smt. Kanchan Yadav	2014 (III) MPJR 44	292*	450
Pune Municipal Corporation and another v. Harakchand Misirimal Solanki and others	2014 (3) MPLJ 294 (SC) (3 Judge Bench)	272	400
Puran Chand v. State of Himachal Pradesh	(2014) 5 SCC 689	187	261
Purnya Kala Devi v. State of Assam and another	2014 ACJ 1269 (SC) (3 Judge Bench)	92	118
Purshotam & anr. v. State of M.P. & ors.	ILR (2014) MP 150	57*	80
Qureshia Bi v. Abdul Hameed	2014 (1) MPLJ 137	186	259
R. Unnikrishnan and another v. V.K. Mahanudevan and others	AIR 2014 SC 1201	167	233
Radheshyam v. State of M.P.	2014 (3) MPHT 103	203*	281
Raghunath Singh v. Bhogiram and others	2014 (1) MPLJ 568	184*	258
Rajednra Singh v. Kaloo Singh	ILR (2014) MP 421	234	333
Rajeev Varma v. Santosh Kumar Kushwaha	2014 (1) MPHT 326 (DB)	75*	99
Rajender Kumar v. Kuldeep Singh and others	AIR 2014 SC 1155	224	311
Rajendra Mahadik v. Devendra Mahadik (since dead) through his LRs. Pramila D. Mahadik and others	2014 (3) MPLJ 659	288*	445
Rajendra Prasad and others v. Ramlal	2014 (1) MPHT 62	90	116
Rajendra Singh v. Garima	ILR (2014) MP 154 (DB)	78	100
Rajendra Syal v. Hari Prasad Agrawal and others	2014 (3) MPHT 464	280	431
Rajkumar v. State of M.P.	2014 (2) Crimes 31 (SC)	67	88
Raju and others v. State of M.P.	2014 (3) MPHT 232	317	499
Raju Kushwaha v. Namita Gupta and another	2014 (3) MPLJ 152	227*	317
Ram Daan (Dead) through LRs. v. Urban Improvement Trust	(2014) 8 SCC 902	336	533
Ram Gopal Yadav v. Paramjeet Kaur and another	2014 ACJ 499 (SC)	40	54
Ram Kumar and others v. State of M.P.	2014 (3) JLJ 81 (SC)	313	494
Ramanuj Kushwaha & anr. v. Brijbhan Kushwaha & ors	ILR (2013) MP 2525	8*	6
Ramdas v. Krishnanand	2014 (3) Crimes 291 (SC)	266	393
Ramesh @ Dabbu v. State of Madhya Pradesh	2014 (III) MPJR 146	301	471
Ramesh Giri v. Dheeraj Godhuj	2014 (3) MPHT 394	225	315
Ramesh Pal v. Union of India and others	2014 (2) MPHT 137	163*	221
Ramesh v. State through Inspector of Police	AIR 2014 SC 2852	294	453
Ramesh Vithal Patil v. State of Karnataka and others	2014 (2) Crimes 227 (SC)	202	279
Rameshchandra Ambalal Joshi v. State of Gujarat and another	2014 Cri. L.J. 1671	103	127

Rameshwar Dayal Sharma v. State of M.P. thr. Special Police Establishment, Lokayukta, Gwalior	2014 (1) MPHT 139 (DB)	105	128
Ranjeet Goswami v. State of Jharkhand and another	(2014) 1 SCC 588	35	49
Rashid Khan v. State of M.P. and others	2014 (2) MPLJ 56	214	292
Reliance Industries Limited and another v. Union of India	(2014) 7 SCC 603	232	325
Renikuntla Rajamma (D) by LRs. v. K. Sarwanamma	AIR 2014 SC 2906	339	537
Revutappa v. State of Karnataka	2014 Cri. L.J. 1460	83	109
Richhpal Singh Meena v. Ghasi Alias Ghisa and others	(2014) 8 SCC 918	309*	489
Ritika Sisodiya v. Pankaj Sisodiya	AIR 2014 MP 66 (DB)	140	173
Rupak Kumar v. State of Bihar & Anr.	2014 (2) Crimes 41 (SC): (2014) 4 SCC 277	106	130
Sagar Singh Yadav v. Sudama Singh Yadav & ors.	ILR (2014) MP 100	60	82
Sanjay Verma v. Haryana Roadways	(2014) 3 SCC 210 : 2014 ACJ 692 (3 Judge Bench)	96	120
Santosh Bakshi v. State of Punjab and others	AIR 2014 SC 2966	310	491
Santosh Kumar Sharma v. Sooraj Prasad Shrivastava	2014 (4) MPHT 94	283*	437
Santosh Kumar Singh v. State of M.P.	2014 (4) MPHT 1 (SC) (3 Judge Bench)	259	374
Saphik alias Sahid Khan and another v. Nandlal Arora and others	2013 (4) MPLJ 701 (DB)	12	7
Sarah Mathew v. Institute of Cardio Vascular Diseases by Its Director Dr. K.M. Cherian and others	(2014) 2 SCC 62 (5 Judge Bench)	21	25
Saraswathy v. Babu	(2014) 3 SCC 712	124	148
Saroj alias Suraj Panchal and another v. State of West Bengal	(2014) 4 SCC 802	146	189
Saroj v. Sunder Singh & ors.	2014 (II) MPJR (SC) 80	253	364
Savita v. Bindar Singh and others	2014 (3) MPLJ 534 (SC)	327	516
Shamim Bano v. Asraf Khan	2014 (2) Crimes 224 (SC)	185	258
Shamsher Bahadur Singh Chandel @ Golend Singh v. State of M.P.	2012 (3) MPHT 139	192*	268
Shamsher Singh & others v. Rajinder Kumar & others	AIR 2014 SC 2253	277	427
Shantidevi and another v. Balchand and another	2013 (4) MPLJ 539 (DB)	5*	3
Shantimal Bhandari v. The State of M.P. & ors.	2014 (II) MPJR 65	276	425
Sheesh Ram and others v. State of Rajasthan	(2014) 3 SCC 689	147	189
Shikha Tamrakar v. Rohit Kumar Tamrakaar	2014 (3) MPLJ 337	252*	363
Shila Bai (Smt.) and anr. v. Ashok Kumar Patel	ILR (2014) MP 832	240*	349
Shimbhu and anr. v. State of Haryana	AIR 2014 SC 739	204	282
Shiv Prasad @ Lalu v. State of M.P.	2014 (3) JLJ 86 (DB)	311	492
Shivshankar Gurgar v. Dilip	(2014) 2 SCC 465	46	67
Shree Ram Urban Infrastructure Ltd.	AIR 2014 SC 2286	235	335

(Formerly Known as Shree Ram Mills Ltd.) v. Court Receiver, High Court of Bombay			
Shrikrishna Jatav and others v. State of M.P.	2014 (2) MPHT 322	154*	209
Shriniwas Tiwari v. Rajkumar Urmalia & anr.	ILR (2014) MP 113	73	98
Shukh Devi (Smt.) & ors. v. Devendra Kumar & ors.	ILR (2014) MP 172	72	98
Sister Mina Lalita Baruwa v. State of Orissa and others	AIR 2014 SC 782	191	267
Smt. Anita v. Asharam	2014 (1) MPHT 136	102*	126
Smt. Baijanti Bai v. M.P. Kshetriya Vidhyut Vitran Co. Ltd. and others	2014 (3) MPHT 458	243	351
Smt. Indu Kushwah v. Manoj Singh Kushwah	AIR 2014 MP 71 (DB)	139	172
Smt. Leela Krishnarao Pansare and others v. Babasaheb Bhanudas Ithape and others	AIR 2014 SC 2867	285	439
Smt. Manjusha Jadhav v. Pradeep Jadhav	2014 (1) MPHT 69 (DB)	76*	100
Smt. Shashikala Bai v. Smt. Asharfi Devi and others	2014 (1) MPHT 111	109*	131
Somnath Sarkar v. Utpal Basu Mallick & anr.	AIR 2014 SC 771	217	297
Sona v. Subhash	2014 (2) MPLJ 466	199*	275
Sonu Dubey v. Virendra Kumar Rai and others	2014 (2) MPLJ 433	172	243
Souram Bai (Smt.) v. Babulal	ILR (2014) MP 1068 (DB)	307*	487
State Bank of India v. Grosacure Pharmaceuticals Limited	(2014) 3 SCC 595	59	81
State Bank of India v. Tasneem Hussain	2014 (2) MPLJ 626	183	257
State of Andhra Pradesh Through Inspector General, National Investigation Agency v. Mohd. Hussain alias Saleem	(2014) 1 SCC 258	52	75
State of Bihar and others v. Rajmangal Ram	AIR 2014 SC 1674 : 2014 (2) Crimes 293 (SC)	162 & 221	220 & 309
State of Gujarat v. Kishanbhai and others	(2014) 5 SCC 108	127	155
State of Haryana and others v. Narvir Singh and another	(2014) 1 SCC 105	54	77
State of Himachal Pradesh v. Sunil Kumar	(2014) 4 SCC 780	157	217
State of M.P. and others v. Som Datt Builders Pvt. Ltd.	2014 (3) MPLJ 182	231	324
State of M.P. v. Dongar Singh	2014 ACJ 500 (SC)	27	34
State of Madhya Pradesh v. Pradeep Sharma	(2014) 2 SCC 171	19	22
State of Maharashtra v. Rajandra and ors.	2014 Cri. L.J. 3811 (SC)	315	497
State of M.P. and another v. Anshuman Shukla	2014 (4) MPHT 119 (SC) (3 Judge Bench)	322*	511
State of Punjab v. Gurmit Singh	2014 (3) Crimes 44 (SC)	260	385
State of Rajashthan v. Roshan Khan and others	(2014) 2 SCC 476	24	30
State of Rajasthan v. Manoj Kumar & others	2014 (2) Crimes 187 (SC)	141	174
State of Rajasthan v. Shambhu Kewat and another	(2014) 4 SCC 149	131	161
State of Rajasthan v. Ucchab Lal Chhanwal	(2014) 1 SCC 144	50	74
State of T.N. v. N. Suresh Rajan & ors	2014 (1) Crimes 1 (SC)	17	19

State of Tamil Nadu v. State of Kerala & anr.	AIR 2014 SC 2407 (5 Judge Bench)	237	337
State of U.P. v. Naushad	AIR 2014 SC 384	33	44
State Through CBI, New Delhi v. Jitender Kumar Singh	AIR 2014 SC 1169	220	304
Subhasish Mondal alias Bijoy v. State of West Bengal	(2014) 4 SCC 180	143	177
Sudam Charan Das v. State of Orissa and another	(2014) 2 SCC 141	20	24
Sudarshan Ahuja and others v. State of M.P. and another	2014 (1) MPLJ 653 (DB)	205	283
Sujoy Kumar Chanda v. Damayanti Majhi and another	(2014) 5 SCC 181	130	159
Sukumar De v. Bimala Auddy and others	(2014) 1 SCC 584	7	5
Sumer Singh v. Surajbhan Singh and others	(2014) 7 SCC 323	256	370
Sundeep Kumar Bafna v. State of Maharashtra & anr.	2014 (2) Crimes 161 (SC)	126	150
Sunil Dutt Sharma v. State (Government of NCT of Delhi)	(2014) 4 SCC 375	151	197
Sunil Kumar and others v. Dilip and another	2014 (3) MPLJ 177	228	317
Sunil Verma and others v. Balkishan Garg	ILR (2014) MP 712	230	322
Suresh and others v. State of M.P.	2014 (1) MPHT 461 (DB)	71*	97
Suresh Chand Pathak and others v. State of M.P.	2014 (2) MPHT 64 (DB)	193*	268
Suresh Kumar Koushal and another v. Naz Foundation and others	(2014) 1 SCC 1	34	47
Suresh Upadhyay v. State of M.P. and another	2014 (3) MPHT 91	138	171
Surinder Singh v. State of Haryana	(2014) 4 SCC 129	152	205
Suryapal Singh v. Sudha Tomar	AIR 2014 MP 23	6	4
Sushil Ansal v. State Through Central Bureau of Investigation	(2014) 6 SCC 173	255	366
Sushil Sharma v. State (NCT of Delhi)	(2014) 4 SCC 317 (3-Judge Bench)	144	178
Swati Singh v. M.P. Kshetra Vidyut Vitran Co. Ltd. Bhopal and another	2014 (1) MPLJ 308	108*	131
Syed Sadiq and others v. Divisional Manager, United India Insurance Company Limited	(2014) 2 SCC 735	42	55
Teena alias Rachna (Ku.) v. Cholamandlam M.S. General Insurance	ILR (2014) MP 742	264*	391
Times Global Broadcasting Company Limited and another v. Parshuram Babaram Sawant	(2014) 1 SCC 703	10	6
Tribhuvanshankar v. Amrutlal	(2014) 2 SCC 788	45	63
Tummala Venkateswar Rao v. State of Andhra Pradesh	(2014) 2 SCC 240	28	35
Uday Bhan v. State of M.P. and another	2014 (2) MPHT 44 (DB)	125*	150
Umakant and another v. State of Chhattisgarh	(2014) 7 SCC 405	246	355
Union of India and others v. Shiv Raj and others	(2014) 6 SCC 564 (3 Judge Bench)	273	402
Union of India and others v. Vasavi Cooperative Housing Society Limited and others	(2014) 2 SCC 269	49	72
Union of India through CBI v. Nirala Yadav	AIR 2014 SC 3036	295	457

alias Raja Ram Yadav alias Deepak Yadav			
Uttam Singh v. State of M.P. and others	2014 (1) MPHT 503	118*	143
V. Kala Bharathi and others v. Oriental Ins. Co. Ltd. Br. Chitoor	AIR 2014 SC 1563 (3 Judge Bench)	120	145
V. Mekala v. M. Malathi and another	2014 ACJ 1441 (SC)	209*	287
Veer Singh and others v. State of Uttar Pradesh	(2014) 2 SCC 455	26	33
Vidhya Devi and others v. Govind and others	2014 ACJ 460 (MP)	41	54
Vijay Bahadur Singh v. Rameshwar and others	2014 (1) MPLJ 680	196	272
Vijay Kumar v. State of Rajasthan	(2014) 3 SCC 412	81	105
Vikas v. State of Rajasthan	(2014) 3 SCC 321	63	85
Vikramaditya Singh v. State of M.P.	2012 (3) MPHT 142	194	269
Vishal Agrawal & anr. v. Chhattisgarh State Electricity Board & anr.	2014 (1) Crimes 181 (SC) : (2014) 3 SCC 696	62	83
Vishnu (dead) By LRs. v. State of Maharashtra and others	(2014) 1 SCC 516 (3 Judge Bench)	1	1
Vishwajeet & anr. v. State of M.P.	ILR (2013) MP 2702	29	36
World Sport Group (Mauritius) Ltd. v. MSM Satellite (Singapore) Pte. Ltd.	AIR 2014 SC 968	166	229
Yashraj Datta (Dead) Through LR. v. Bherulal & ors.	ILR (2013) MP 2660	9	6
Yerramma and others v. G. Krishamurthy and another	2014 ACJ 2161 (SC)	326	514
Yusuf Khan v. State of Madhya Pradesh	2014 Cri. L.J. 2927 (MP)	270	398

•